राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 7 चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का 31 वां दिवस संख्या 25

बुधवार, दिनांक ८ अप्रेल, १९७०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११·५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, राजस्व, जनस्वास्थ्य, विद्युत, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, समाज कल्याण विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया ।

ग्राम खटका में हत्या का मामला

५८४. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा की शाहबाद तहसील के ग्राम खटका में कुछ दिन पूर्व श्री गंगे नायक सहरिया (आदिवासी) की निर्मम हत्या कुछ बड़े लोगों ने षडयन्त्र रचकर कर दी है ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति की हत्या कब किन-किन व्यक्तियों ने मिलकर की और उस पर पुलिस ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की ?

२. क्या पुलिस ने मृत व्यक्ति की लाश बरामद की है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) इस आशय की इत्तला पर एक केस ह. द. ३०२।३६५।४६०।३३०।२४६ ता. हि. थाना शाहबाद पर दर्ज हुआ था । इसकी तफतीश चल रही है, पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं । तफतीश पूर्ण होने के पूर्व अधिक कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

(२) जी नहीं, लाश जला दिये जाने के कारण बरामद नहीं की जा सकी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस हत्या में कितने आदमियों का हाथ था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तफतीश से ६ मुलजिमान का होना पाया गया है जिनमें से ६ को गिरफ्तार कर लिया गया है । तीन श्री स्वर्णसिह, निर्मलसिंह, हट्टू अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गिरफ्तार

Page No 2

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कौन-कौन हुये हैं उनके नाम बतलाइये ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अर्जुन, जसराज, हरदेव, छीतर, बूटासिंह । एक नाम ज्ञात नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इनकी हत्या किन हथियारों से या साधनों से की गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अब तक की तफतीश से यह पता चला है कि स्वर्णसिंह के और इसके लेन-देन का हिसाब-किताब था इस कारण मारपीट हुई ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या स्वर्णसिंह जमींदार था और सहरिया उसका हाली था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : लेनदेन का झगड़ा था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि स्वर्णसिंह जमींदार है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जमींदार है या और कुछ यह मैं नहीं कह सकता लेकिन उनमें लेन देन के मामले पर पिटाई हुई ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या प्रमुख सहरिया को पार कर रखा है ? हत्या के समय श्री कुन्दुलाल सहरिया भी था जिसको स्वर्णसिंह ने फरार कर रखा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं इसका जवाब नहीं दे सकता । मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिन हथियारों से हत्या की है वे हथियार और कपड़े और दूसरी चीजें भी बरामद की हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो मुलाजिमान गिरफ्तार हुये हैं उनसे एक कुल्हाड़ी और लाठियां बरामद कराई गई हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या उसके खून के कपड़े बरामद नहीं हुए हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं हुए ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जहां उसकी हत्या हुई है, खून बरामद किया है, कपड़े बरामद किये हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : छींटे लगे हुए कपड़े बरामद किये हैं माननीय अध्यक्ष, स्वर्णसिंह यह बहुत बड़ा जमींदार है, २० हजार एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है । पुलिस इससे मिलकर षडयन्त्र कर रही है और इसको खत्म कराना चाहती है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : खत्म कराने का इरादा नहीं है । ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, शेष को जल्दी ही गिरफ्तार किया जायगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसकी तफतीश कौन कर रहा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सी. ओ. कर रहा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : स्वर्णसिंह का सम्बन्ध अनेक डाकुओं से है। इसके खिलाफ कत्ल के केस भी हैं। गांवों में नाजायज़ शराब बनाने का भी इल्जाम है। इसलिये इसकी तफतीश सी. ओ. को न देकर किसी अन्य अधिकारी को दी जाय। इसके बिना इनका चालान पेश नहीं होगा। इसलिये निवेदन है कि थाने के इन्चार्ज को तफतीश के लिये मुकर्रर करना उचित नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से तो यह पकड़ में आया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसकी तफतीश सी. ओ. बारां कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वहां का सी. ओ. सरदार इन्द्रसिंह है। इसने सरदार स्वर्णसिंह से १० हजार रुपये गुरूद्वारे के लिये लिये हैं। वह सहरिये की हत्या में गिरफ्तार है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी जांच डी. आई. जी. गुमानसिंह के सुपुर्द की जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय इस प्रकार की शिकायत अभी नहीं आई थी, इसलिये तफतीश दूसरे को नहीं दी जा सकी। अब माननीय सदस्य ने सूचना दी है इसलिये अन्य आफिसर नियुक्त कर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बात गलत कह रहे हैं, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था। डी. वाई. एस. पी. इन्दरसिंह इस मामले को दबा रहा है।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप कहिये क्यों डरते हैं ? यदि आप स्वीकार नहीं करते तो ऊपर के लेवल तक लाखों रुपये खर्च करके इस मामले को दबाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं, अध्यक्ष महोदय मामला बड़ा गम्भीर है। आज सहरियों की लड़कियों को भगा कर ले जाये....

श्री अध्यक्ष : दूसरा आफिसर नियुक्त करने का माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डेकोइट फोर्स के डी. आई. जी. को यह मामला क्यों नहीं सुपुर्द किया जाता है ? कह दीजिये आप कि उनके अपाइन्ट कर रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय इसमें निवेदन है कि अगर माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन दे दें कि डेकोइट फोर्स के डी. आई. जी. को इस मामले की तफतीश करने के लिये लगा दिया जाय। यह स्वर्णसिंह डाकूओं से सम्बन्धित है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गुमानसिंह जी को दे दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय गुमानसिंह जी एन्टी डेकोइटी फोर्स के डी. आई. जी. हैं। वे डाकूओं के कई मामलों में लगे हुये हैं और हम उनके काम को डिसटर्ब नहीं करना चाहते हैं। दूसरे सीनियर आफिसर को देकर जांच करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायत समितियों एवं तहसीलों के पुनर्सीमांकन के लिये आयोग की नियुक्ति

५८५. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पंचायत समितियों एवं तहसीलों के पुनर्सीमांकन के लिये कोई आयोग नियुक्त किया था ? यदि हाँ, तो यह आयोग किस तारीख को कितनी अवधि के लिये नियुक्त किया गया था ?

(२) क्या इस आयोग की अवधि राज्य सरकार को बढ़ानी पड़ी ? यदि हां, तो किस किस तारीख को कितने-कितने समय के लिये यह अवधि बढ़ाई गई ?

(३) क्या इस आयोग ने कोई रिपोर्ट अब तक राज्य सरकार को दी है ! यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट पर या इसके किसी अंश पर राज्य सरकार ने अमल किया ? यदि हाँ, तो इस आयोग की सिफारिश पर किस-किस पंचायत समिति का पुनर्सीमन राज्य सरकार ने विज्ञापित किया है और कब-कब ?

(४) राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में विचारार्थ क्यों नहीं रखा और सदन में बिना विचार हुये राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट पर अमल क्यों किया ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हाँ । मंत्री मण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग की आज्ञा सं. ह. ५(४) व्या. एवं प. ६८ दिनांक १५-२-६८ द्वारा आयोग की नियुक्ति ६ माह के लिये की गई थी ।

(२) जी हां । मंत्री मण्डल सचिवालय की आज्ञा सं. प ५(४) व्य. एवं प. ६८ दिनांक ४-११-६८ द्वारा आयोग की अवधि ३० जून, १९६९ तक बढ़ाई गई ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इस आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ ?

श्री गंगाराम चौधरी : रिपोर्ट आयोग ने सबमिट नहीं की । आयोग को भंग कर दिया गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहले ही इसको भंग क्यों कर दिया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : पंचायत समितियों और तहसीलों के पुनर्सीमन के लिये आयोग का गठन किया गया था । आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाया । भारत सरकार से जनगणना के सम्बन्ध में पत्र आया था उनके यह आदेश थे कि जनगणना के सम्बन्ध में किसी इकाई को रद्दोबदल नहीं किया जाय, इसलिये इस आयोग को भंग कर दिया गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने यह बात सिद्धान्त रूप में स्वीकार करली है कि पंचायत और तहसीलों का पुनर्सीमन नहीं किया जायगा ।

श्री गंगाराम चौधरी : अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि क्या तय किया है ? तय किये जाने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया था तभी तो आयोग का गठन किया गया था। अब भारत सरकार के आदेश से भंग हो गया है। उन्होंने कहा कि ३१ मार्च, १९७१ तक किसी इकाई को रद्दोबदल नहीं किया जाय इसलिये भंग किया जाना आवश्यक हो गया।

श्री नत्थीसिंह : क्या इस आयोग के गठन में कानूनी त्रुटियां पाई गई थीं इसलिये इसको भंग कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : और कोई कारण नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राज्य सरकार ने इस आयोग को भंग करके पुनर्सीमन समिति का गठन किया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मानकर चलें कि राज्य सरकार ने इस प्रकार की कोई समिति का निर्माण नहीं किया ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आयोग के स्थान पर कोई समिति नहीं बनाई।

श्री अध्यक्ष : आयोग के स्थान पर नहीं बनाई है।

श्री भैरोंसिंह : जिस काम के लिये आयोग नियुक्त किया था उसके स्थान पर नहीं, वैसे ही कोई पुनर्सीमन समिति बनाई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास एक कागज पड़ा है इस सम्बन्ध में।

श्री नत्थी सिंह : इस आयोग के गठन में और भंग करने में कितना खर्चा राज्य सरकार का हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय हाऊस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट का यह कहना कि भारत सरकार के कहने पर कि ७१ में मर्दुम शुमारी होगी इसलिये कोई सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जाय – गवर्नमेंट ने इस बेसिस पर किया हो, यह बात नहीं है। वह तो अपनी रिपोर्ट देता उसके बाद भी भंग हो सकता था। गवर्नमेंट उसकी रिपोर्ट पर विचार करती या नहीं करती यह एक दूसरी बात है। आयोग को सरकार ने अपनी इच्छा से भंग किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : सही नहीं फरमा रहे हैं आप। हमने तो अपाइन्ट ही किया या फिर उसको क्यों भंग करते ?

श्री फूल चन्द बाफना (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूँ क्या ऐसा ही कोई और आयोग गठन करने का विचार राज्य सरकार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं रखती है। श्री रावत राम। जन स्वास्थ्य मंत्री।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ५८६

श्री रावतराम

अनुपस्थित (कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर व भीनमाल में बिजली की सप्लाई

५८७ **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार ने साँचोर व भीनमाल में मई १९७० तक चौबीस घण्टों तक बिजली सप्लाई करने का आश्वासन दिया था ? यदि हाँ' तो कब ? इस आश्वासन को पूरे करने के विषय में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यह आश्वासन कब तक पूरा कर दिया जावेगा ? क्या इस आश्वासन को पूरा करने के लिये सरकार नये डीजल इंजिन सेट्स पर्याप्त शक्ति के शीघ्र ही लगाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

(२) क्या सांचोर पावर हाउस से पाँच मील की परिधि में कृषि कुओं पर बिजली सप्लाई करने का सरकार विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? पांच मील की परिधि में कितनी कृषि कुओं पर पावर सप्लाई करने का स्कोप है ? इस बारे में उत्पादन की दृष्टि से अब तक क्या योजना बनाई गई है ?

(३) क्या यह सत्य है कि सरकार ने उदयपुर से हाइडल पावर भीनमाल तक लाने की योजना बनाई है ? अगर हां, तो इस योजना की क्रियान्विति कब तक करा दी जावेगी ? इस योजना के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भीनमाल व सांचोर तहसीलों में बिजली लाइनें कहाँ-कहाँ पर लगाने की योजना जिला उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित की गई है ? उन लाइनों की उत्पादन की दृष्टि से प्राथमिकता किस प्रकार निर्धारित की जावेगी ?

उपमंत्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) : इस प्रकार के आश्वासन सदन में नहीं दिये गये लिहाजा....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी का समय देना चाहिये।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : मेरा प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ के पश्चात् क्या राज्य सरकार पुनः इस प्रकार का आयोग नियुक्त करने का इरादा रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उस समय विचार किया जायगा। इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : विद्युत मंत्री जी।

श्री खेतसिंह (१) इस प्रकार के आश्वासन सदन में नहीं दिये गये, लिहाजा प्रश्न नहीं उठता। भीनमाल में फालना से २४० के. डबल्यू. एवं सांचोर में कांकरोली से २५० के. डबल्यू. के इंजिन भेजने के आदेश

(श्री खेतसिंह)

दे दिये गये हैं। कार्य शीघ्र ही चालू कर दिया जावेगा।

(२) जी हां। अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। करीब १५० कुओं का हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है। योजना बनाई जा रही है।

(३) जी हां। योजना की स्वीकृति योजना आयोग से प्राप्त होने पर ही कार्य हाथ में लिया जा सकता है। जिला परिषद द्वारा गठित उप समिति के प्रस्ताव की एक प्रति 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं सदन में आश्वासन नहीं दिया था। विद्युत मंत्रीजी जालोर पधारे थे, बोर्ड के चेयरमेन भी पधारे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था अप्रेल के आखिर में या मई के फर्स्ट में इंजिन शुरू कर देंगे।

विद्युत मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : यह कहा था कि मई के आखिर में लगा देंगे। उन इंजिनों को डिसमेन्टल करवा रहे हैं और शीघ्र ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अब आप कह रहे हैं आदेश दे रहे हैं। यह इम्पलीमेंटेशन में इतनी अधिक देरी क्यों होती है? स्पेसिफिक कहिये कब तक लगा देंगे अब?

श्री बरकतुल्ला खां : तीन महीने में।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, बिजली सप्लाई नहीं हो रही है....

श्री अध्यक्ष : ढाई महीने कह दीजिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : हां, कुछ तो कम कर दीजिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : ढाई महीने तो कह दें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दूसरा सवाल यह है कि २५० के. वी. का इंजिन लगायेंगे ताकि बेरों पर ५ मील रेडियस में बिजली सप्लाई हो सके। यह सरकार का देने का विचार है या नहीं?

श्री बरकतुल्ला खां : यह टेक्निकल चीज है। बराबर में ज्यादा कुए रहते हैं तो पहले दिया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : देने का विचार है या नहीं?

श्री बरतुल्ला खां : जहां-जहां सम्भव होगा वहां-वहां दी जायगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बिल्कुल पास-पास में जहां ५ मील के रेडियस में सैंकड़ों कुये हैं, आप उन कुओं पर देने के लिये क्यों नहीं कन्सीडर करते हैं?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय में एक चीज पूछना चाहता हूं। जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने स्कीम भेजी है,

(श्री आईदानसिंह)

क्या राज्य सरकार उस स्कीम के मुताबिक सर्वे करने का विचार रखती है, और हाँ, तो कब तक ?

श्री खेतसिंह : स्कीम भेजी है किन्तु पावर की पोजीशन सुधरने पर विचार हो सकता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : विद्युत मंत्री जी ने कहा है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री विजयसिंह।

लाउड स्पीकर आदि से असुविधा

५८८. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नागौर जिले की सभी नगरपालिकाओं में धारा ३४ लागू है परन्तु मकराना में नहीं है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि मकराना में सारी रात लाउड स्पीकर बजते हैं जिससे जनता सुख की नींद भी नहीं सो सकती, और उनको पुलिस द्वारा बन्द नहीं करवाया जा सकता क्योंकि वहाँ उपरोक्त धारा लागू नहीं है ?

(३) क्या नगरपालिका मकराना में यह धारा लागू कर दी जायेगी ? यदि हाँ, तो कब ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जी हाँ, मकराना में धारा ३४ पुलिस एक्ट लागू नहीं है क्योंकि वहाँ इस कानून को लागू करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

(२) कस्बा मकराना में राजस्थान नाइजेज़ कन्ट्रोल एक्ट १९६३ के प्रावधान लागू किये जा रहे हैं, जिससे इस प्रकार के मामलों की रोकथाम हो सकेगी।

(३) मकराना में इस समय धारा ३४ पुलिस एक्ट लागू करने का कोई विचार नहीं है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्रीजी से पहले १३-३-६८ को यह प्रश्न पूछा था लाउड स्पीकर बजने के बारे में तो आपने कहा कि नहीं बजते हैं रात भर को। इस प्रश्न का तो आपने यह जवाब दिया था और ५-३-६९ को प्रश्न पूछा इसमें लिखा है कि जी हाँ, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है व शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा। और अब आप कहते हैं कि यह प्रश्न नहीं उठता। यह क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : क्या निर्णय ले लिया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपके यहाँ जो हल्ला-गुल्ला होता है, मैंने कहा कि नाईज़ कन्ट्रोल एक्ट लागू किया जा रहा है जिससे यह मुसीबत दूर हो जायेगी।

श्री विजयसिंह : दूर कब तक होगी ? धारा ३४ कब तक लागू हो जायेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह निर्णय ले लिया गया है और तत्काल आदेश निकाल दिये जायेंगे।

श्री विजयसिंह : यह किसी मंत्री महोदय के कहने से रुक जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : कल निकल जायेंगे।

श्री विजयसिंह : अब भी लागू नहीं किये तो मुझे धरना देना पड़ेगा।

तिलकनगर, पाली में प्लाटों का आवंटन

५८६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने जान बूझकर कानून की अवहेलना कर तिलकनगर में करीब ७०-८० व्यक्तियों को भूखण्ड दिये ? यदि हाँ, तो किन-किन को, कितनी-कितनी वर्ग गज भूमि किस-किस दर पर दी गई ? व्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सत्य है कि इसके लिए सरकार ने यह आज्ञा नगरपालिका पाली व कलेक्टर पाली के नाम जारी की थी कि भूखण्ड की रजिस्ट्री नहीं करवाई जावे, और रकम यदि भूखण्डों की आ गयी हो तो अमानत रखी जावे, तथा कब्जा भूखण्डों का नहीं दिया जावे ? यदि हाँ, तो फिर सरकार की आज्ञा के विरुद्ध भूतपूर्व चेयरमैन नगरपालिका पाली ने किस प्रकार रजिस्ट्रीयाँ करवादीं ?

(३) इस प्रकार जो भूखण्ड आवंटित किये हैं उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं ?

(४) क्या सरकार उन भूखण्डों के विक्रय पत्रों को मन्सूख करके जिनसे रकम ली है उनको वापिस लौटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिद) : (१) भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने तिलकनगर में ८८ व्यक्तियों को भूखण्ड देने थे जिसकी स्वीकृति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम १९५९ की धारा ८० के अन्तर्गत जिलाधीश पाली से प्राप्त करली गई थी।

व्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(२) जी हाँ। नगरपालिका ने राज्य सरकार के उक्त आदेश को कानून के खिलाफ माना और सेल डीड की रजिस्ट्रीयाँ कराई।

(३) भूतपूर्व नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार एवं जिलाधीश के आदेशों के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर कर देने से अब तक कार्यवाही नहीं की गयी।

(४) इस प्रश्न के सम्बन्ध में प्रशासक से जानकारी चाही जाने पर सूचना मिली कि नगरपालिका द्वारा दायर की गयी याचिका को प्रशासक ने विथड्रा कर लिया है। अत: इस सम्बन्ध में अब नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : इसमें सवाल यह है कि जितने आफिसर्स की श्रीमती जी हैं उन्होंने प्लाट्स लिये हैं करीब ७००। कोई

(श्री मूलचंद डागा)

श्रीमती शांति हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आफिसरों की बीबीयों के नाम कैसे मालुम हुए ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं जानता हूँ। श्रीमती शांति माथुर हैं और यह सारी लिस्ट आई है वह जांच करा लें।

श्री मुल्कराज सिंह : मैंने निवेदन किया है कि अब आवश्यक जांच कर ली जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह जांच कराई जायेगी कि माननीय सदस्य आफिसर्स की बीबीयों के नाम मालुम करने में क्यों इन्टरेस्टेड हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल।

फौजियों के आश्रितों को आवंटित भूमि

५६०. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्रीमती प्रकाश देवी . बेवा नायक नन्दलाल नं० १३७१३६६८ एवं श्रीमती चन्द्रकान्ता बेवा सिपाही सीताराम, निवासी ग्राम अहमदपुर, तहसील व जिला अलवर को १६-१६ बीघा जमीन गत ७ वर्षों से पट्टे पर मिली हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि इन दोनों विधवाओं के पति सन् १९६२ में चीन के साथ युद्ध में नेफा में शहीद हुए थे और इन विधवाओं को यह जमीन इसी कारण दी गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि इन दोनों विधवाओं ने यह जमीन बिना कीमत उन्हें स्थायी तौर पर खातेदार के तौर पर अलाट किये जाने के लिए प्रार्थना की है ?

(४) क्या यह सही है कि तहसीलदार अलवर ने इस जमीन से इन दोनों विधवाओं को वेदखल करके यह जमीन नीलाम करने का निर्णय किया है ?

(५) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने चीन और पाकिस्तान से लड़ाई में मारे गये फौजियों के आश्रितों को कृषि भूमि अलाट करने का ऐलान किया था ? यदि हाँ, तो इन विधवाओं को सरकार के उस निर्णय के अनुसार यह जमीन स्थायी तौर पर अलाट क्यों नहीं की गई है ?

उप-मंत्री विद्युत (श्री खेतसिंह) : (१) जी हाँ, यह सही है कि श्रीमती प्रकाश देवी बेवा नायक नन्दलाल नं० १३७१३६६८ को ग्राम अहमदपुर, तहसील व जिला अलवर में १६ बीघा १६ बिस्वा व श्रीमती चन्द्रकान्ता बेवा सिपाही सीताराम को १५ बीघा ११ बिस्वा भूमि इस ही ग्राम के ठेके पर मिली हुई है।

(२) जी हाँ, यह सही है कि इन दोनों बेवा के पति भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे।

(३) जी हाँ, यह सही है।

(श्री खेतसिंह)

(४) जी नहीं, यह सही नहीं है कि तहसीलदार अलवर ने इस भूमि से इन विधवाओं को बेदखल कर दिया है, या भूमि को नीलाम करने के आदेश दिये हैं।

(५) जी हाँ, यह सही है कि राज्य सरकार ने चीन और पाकिस्तान की लड़ाई में मारे गये फौजियों के आश्रितों को कृषि भूमि आवंटन करने का ऐलान किया था। इस आधार पर इनको जमीन भी आवंटन करदी गई थी परन्तु इन महिलाओं ने इस भूमि को लेने से इन्कार किया और इसी गाँव में निष्क्रान्त सम्पत्ति की भूमि को एक वर्ष के ठेके पर १५० रु० में ली थी जो उनके कब्जे में है। ये तबादले उनकी स्वयं की प्रार्थना पर किये गये थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो इनसे १५० रुपया लगान लिया जाता है तो क्या यह सही है कि इसका सरकारी लगान असेस रेवेन्यू ४० रुपया है ?

श्री खेतसिंह : यह जानकारी नहीं है लेकिन हो सकता है। लेकिन यह इवेक्यु प्रापर्टी है इसलिए उसको ठेके पर दिया गया था और इसीलिए १५० रुपये लिये जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब सरकार की यह नीति है कि जो चीन के युद्ध में शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को फ्री जमीन दी जाये तो यह कस्टोडियन वाली जमीन को आप फ्री क्यों नहीं देते हैं ? यदि आपको कीमत चुकानी पड़ कस्टोडियन को, तो आप जो जमीन अपनी दें उसके अन्दर उसको एजस्ट कर लें। यह कहें कि यह जमीन परमानेन्ट अलाटमेन्ट में मिल जायेगी।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : यह तो टेम्पोरेरी लीज़ की जमीन बताई गई और उनकी खुद की रिक्वेस्ट पर बताई गई थी। उन्होंने लेण्ड रेवेन्यू कुछ दिया नहीं है, इसलिए रिकवरी का नोटिस दिया है, बेदखली का नोटिस नहीं है और हम गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया से बात करके उसको एजस्ट करना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २५-३-७० को यह प्रश्न मैंने जनरल डिबेट में उठाया था उस रोज़ मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया से बात करके हम इसका परमानेन्ट अलाटमेन्ट करने का प्रयत्न करेंगे। मेरा निवेदन है कि अभी उनसे जो आप चार गुना लगान वसूल कर रहे हैं, वैसे भी यह मुनाफा कमाने की दृष्टि से गलत है तो जो कम से कम सेन्ट्रल लेण्ड रेवेन्यू है वही उनसे लिया जाये और यह एश्योरेन्स दिया जाये कि यह उनका परमानेन्ट सेटलमेन्ट हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल प्राजेक्ट में गवर्नमेन्ट मुरब्बा देने की बात करती थी। गवर्नमेन्ट उन मुरब्बों को बेचकर उनसे ज्यादा कीमत मिले जायेगी। यह सारी जमीन कस्टोडियन से गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान ने ४ करोड़ में ली है। तो इसका सारा रुपया राजस्थान गवर्नमेन्ट को मिलता है तो यह सारा एजस्टमेन्ट का मामला है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो लगान ज्यादा लिया जा रहा है चार गुना उसको फौरन बन्द करें। वे बेवा हैं शहीदों की, उनको परमानेन्ट अलाटमेन्ट की कार्यवाही गवर्नमेन्ट को करनी चाहिए।

Page No 12

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान गवर्नमेन्ट के अलाटमेन्ट के रूल्स भिन्न हैं, इवेक्यू प्रापर्टी के अलाटमेन्ट के रूल्स अलग हैं। उनसे चार गुना नहीं ली जाती है। वह लीज़ अमाउन्ट है जो लिया जाता है। १५० रुपया देना एग्री किया है यह लीज़ अमाउन्ट है, लेण्ड रेवेन्यू नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि सारे सवाल को हम सहानुभूतिपूर्वक हल करना चाहते हैं और गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया जैसे एग्री करेगी वही किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री परसराम गंगाराम (पर्वतसर) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आॅर्डर। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुझे दो दिन से डाक नहीं मिली है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। बाद में बात कर लेंगे।

श्री परसराम गंगाराम : मैं इसके बारे में बैंजल साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य मुझसे मिल लें।

नेक्स्ट, श्री चुन्नीलाल।

ग्राम पांचू व नाथूसर तक पक्की सड़क का निर्माण

५९१. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील नोखा हैडक्वार्टर से ग्राम पांचू व नाथूसर तक फेमिन द्वारा बनाई गई कंकरीट सड़क को डामर कराने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क पर यातायात व ट्रान्सपोर्ट अधिक होता है और सड़क खराब होने से चालकों को अधिक मुसीबतों को झेलना पड़ता है ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (१) पांचूसर से नाथूसर सड़क को डामर कराने की स्वीकृति अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत दे दी गई है।

(२) ग्रेवल रोड बनी हुई है जिसकी हालत ठीक है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : क्या इसकी हालत ठीक है ?

श्री माधोसिंह : हां।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आप किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री माधोसिंह : जैसा कि हमारे विभाग ने जांच करके कहा उस आधार पर।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसकी हालत ठीक है यह आप किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री माधोसिंह : हमारे विभाग ने जांच की है उस आधार पर।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : किस

(श्री चुन्नीलाल इन्द्रलिया)

आधार पर ?

श्री माधोसिंह : गये साल अकाल राहत में यह सेन्क्शन हुई थी ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि उस पर बस नहीं जा सकती है ?

श्री माधोसिंह : बस के लिए अलग से प्रश्न पूछें, वह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : सड़क इतनी टूटी हुई है कि बस नहीं जा सकती है और आप कह रहे हैं कि हालत ठीक है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : इनकी हालत ठीक है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि वहां पर रोड रोलर भी नहीं जा सकता है ?

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या आप जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री माधोसिंह : अगर हालत खराब है और आप इसकी जानकारी देंगे तो जांच करा लेंगे ।

एक माननीय सदस्य : यह जानकारी ही तो दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या इस साल भी फेमीन विभाग द्वारा इस सड़क को दुबारा डामर कराने के लिए ले लिया गया है ?

श्री माधोसिंह : ७ मील का जो टुकड़ा है नोखा से पांचू तक उसमें काम कराया जा रहा है और उसको अपग्रेड भी किया जा रहा है ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि इस काम को उसमें शामिल कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री माधोसिंह : चालू कर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बालोतरा सब-डिविजन का स्टाफ

५६२. **श्रीमती मदनकौर** (पचपद्रा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) एक सब-डिविजन में विद्युत् सम्बन्धी किस-किस श्रेणी का कितना स्टाफ रहता है ।

(२) बालोतरा सब-डिविजन में किस-किस श्रेणी का कितना स्टाफ है और कितना होना चाहिए ?

(३) क्या उक्त सब-डिविजन के विद्युत् के टार्गेट्स को देखते हुए मौजूदा स्टाफ पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो पर्याप्त स्टाफ कब तक भिजवा दिया जावेगा ?

उपमंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (१) एक उप-संभाग में स्टाफ की संख्या निश्चित तिथि के कार्य भार व....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इनका आजकल फ्यूज उड़ा हुआ है।

श्री खेतसिंह : विद्युत् मण्डल द्वारा स्वीकृत मापदण्ड के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(२) बालोतरा उपसंभाग में किस-किस श्रेणी का कितना स्टाफ है और कितना होना चाहिए, उनकी सूची 'ऐ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां। प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची दी गई है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि डेली वेजेज के पद हैं उनको नियुक्त नहीं किया गया है और मंत्री महोदय उत्तर देते हैं कि प्रश्न नहीं उठता है भरने का।

श्री खेतसिंह : आपको जो सूची दी है उसमें आपने देखा होगा कि भरने के हिसाब से १६८ पोस्ट्स हैं, लेकिन एक्जिस्टिंग स्टाफ २१८ काम कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके यहां स्टाफ काफी मात्रा में ज्यादा है और काम में कोई बाधा नहीं आ रही है और काम जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यही आपकी सभ्यता और कल्चर है कि महिलाओं को उत्तर देते समय उनकी तरफ पीठ रखते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खाँ (विद्युत् मंत्री): हमारे और महिलाओं के बीच में स्पीकर हैं और उनको फैसला करना पड़ता है। नजर स्पीकर के सामने आती है और उनसे....

श्री अध्यक्ष : मैं मुखातिब नहीं होने दूंगा।

श्रीमती मदनकौर : आपने कहा कि २१८ का स्टाफ लगा हुआ है। उसमें से १५२ परमानेन्ट है और ३६ वर्क चार्ज पर हैं। टेक्निकल जितना स्टाफ है वह सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। काम तो टेक्निकल आदमी ही करेंगे। उनके नहीं होने से काम पूरा नहीं हो रहा है।

श्री खेतसिंह : ऐसा हुआ है कि विद्युत् मंडल और मजदूर फेडरेशन में आपस में एक कम्प्रोमाइज हुआ है और उसके आधार पर कुछ ही समय के अन्दर सारी पोस्टों का किस तरह का स्टाफ पैटर्न या क्या होना चाहिए और सारा स्टाफ किस-किस ढंग का भरा जायगा उसके बारे में विचार करके कार्यवाही कर देंगे।

श्रीमती मदनकौर : तब तक काम सफर नहीं होना चाहिए यह आश्वासन तो दे दें।

श्री खेतसिंह : वह मैंने जवाब में उत्तर दिया है कि काम सफर नहीं हो रहा है। यह मैं अपने जवाब में बता चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिह।

बीकानेर जिप्सम कम्पनी

593. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल,

(श्री भैरोंसिंह)
जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बीकानेर जिप्सम कम्पनी में और शेयर खरीदे हैं ? यदि हां, तो कब, किस मूल्य के, और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त हिस्से खरीदने के कारण इस कम्पनी का मैनेजमेंट राज्य सरकार के हाथ में आ गया है ? यदि हां, तो कब से ? इस मैनेजमेंट में अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुधार किये गये हैं और उसका कम्पनी के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(3) क्या यह सही है कि इस कम्पनी ने भूमरकोटड़ा (उदयपुर) की रोक फास-फेट की खानों के उत्खनन आदि का राज्य सरकार से ठेका लिया है ? यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर ?

(4) क्या यह सही है कि इस ठेके की पूर्ति के लिए कम्पनी को काफी धनराशि का विनियोजन करना पड़ेगा ? यदि हां, तो कितना और किस प्रकार से व्यवस्था की गई है ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) जी हां। कुल 12 लाख के हिस्से आज तक खरीदे गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

1948 49	4,00,000
1967–68	4,00 000 (बोनस शेयर्स)
1968–69	3,50,000
1969–70	50,000

(2) कम्पनी एक्ट के अनुसार यह राजकीय कम्पनी नहीं है, वर्चुअली (आभासी) राज्य सरकार का नियन्त्रण है। पिछले चार वर्षों में कम्पनी द्वारा निम्न लाभ हुआ:—

1965–66	3,09 963
1966-67	5,88,905
1967–68	1,68,368
1968–69	2,10,935

(3) जी हां, सितम्बर 1969 में। संविदा की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां। धन की व्यवस्था हिस्से बढ़ाकर और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर की जायेगी। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री भैरोंसिंह : इस कम्पनी की कुल हिस्सा-पूंजी कितनी है और उसमें राज्य सरकार का कितना शेयर है ?

श्री भीमसेन : कुल हिस्सा पूंजी, आथोराइज्ड केपिटल 50 लाख है और पेड-अप केपिटल 24 लाख है। इसमें से 12 लाख राज्य का है।

श्री भैरोंसिंह : 12 लाख या 12 लाख से ज्यादा राज्य सरकार के शेयर्स हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : 12 लाख।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि मेजोरिटी आफ शेयर्स राज्य सरकार के हाथ में नहीं है ?

Page No 16

श्री हरिदेव जोशी : जी हाँ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि माननीय मंत्रीजी ने इसी सदन में यह कहा था कि हिस्सा-पूंजी बढ़ाकर इसमें मेजोरिटी शेयर्स कर दिये हैं और इसके आधार पर इसका मैनेजमेंट सरकार अपने हाथ में लेने की चेष्टा कर रही है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा था कि 50 पर्सेन्ट शेयर्स हमारे हैं और गंगानगर शुगर मिल्स, जो कि गवर्नमेंट की एक कम्पनी है, उसने भी शेयर्स इसके लिए हैं तो इस प्रकार से इन्डाइरेक्टली हमारी मेजोरिटी हो जाती है।

श्री भैरोंसिह : इस समय बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हाँ।

श्री भैरोंसिह : इस सरकार ने मैनेजमेंट बोर्ड या मैनेजिंग डाइरेक्टरशिप लेने के सम्बन्ध में आज तक क्या व्यवस्था की है ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है कि मैनेजिंग एजेन्सी खत्म होने के बाद में उसकी व्यवस्था क्या हो उसके ऊपर विचार किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिह : क्या राज्य सरकार ने मैनेजिंग डाइरेक्टरशिप या मैनेजमेंट अपने हाथ में लेने के लिए निर्णय ले लिया है ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी प्रोसेस में है।

श्री भैरोंसिह : निर्णय लिया है आपने ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया है प्रोसेस में है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि हिस्सा-पूंजी इसी आधार पर बढ़ाई गई है कि इस कम्पनी का मैनेजमेंट सरकार के हाथ में आ जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : जहाँ तक गवर्नमेंट की इन्डाइरेक्ट मैजोरिटी का सवाल है वह तो है, उसमें वोट आउट नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को।

श्री भैरोंसिह : मेरा क्वेश्चन यह नहीं है। आपने अभी यह फरमाया था कि गंगानगर डिस्टिलेरी या गंगानगर शुगर फैक्ट्री के द्वारा जो शेयर्स खरीदे गये हैं तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति यह रही है कि हिस्सा पूंजी बढ़ेगी तो कानूनी स्थिति ऐसी बनती है कि जिसके आधार पर राज्य सरकार इस कम्पनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सके ? क्या इस नीति के आधार पर हिस्सा-पूंजी बढ़ाई गई है ?

श्री हरिदेव जोशी : हिस्सा-पूंजी बढ़ाने का तात्पर्य केपिटल बढ़ाने से है ?

श्री भैरोंसिह : यह नहीं था। आपने हिस्सा-पूंजी बढ़ाने का निर्णय लिया और जब हिस्सा-पूंजी बढ़ाई गई तो क्या इस भूमिका में यह बात थी कि हिस्सा-पूंजी बढ़ाकर इस कम्पनी का मैनेजमेंट सरकार के हाथ में लिया जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : हिस्सा-पूंजी

(श्री हरिदेव जोशी)

बढ़ाने का तात्पर्य तो यह होता है कि अपनी केपिटल बढ़ाई जाय । हिस्सा-पूंजी का कितना शेयर है उसके अनुसार ही यह तय होता है कि किसका मैनेजमेंट इस पर होगा।

श्री भैरोंसिह : मेरे प्रश्न का जवाब सीधा सा होता है साफ कह दें कि यह विचार नहीं था। क्या यह सही है कि हिस्सा-पूंजी बढ़ाने का निर्णय जिस समय लिया गया तो उस निर्णय का आधार यह था कि इस कम्पनी का मैनेजमेंट सरकार के हाथ में आये । इसीलिए इसकी हिस्सा-पूंजी बढ़ाई जाय ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने, अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट कर दिया कि हिस्सा-पूंजी बढ़ाने का निर्णय उस समय के रिजोल्यूशन से किया जाता है। वही आथोराइज्ड चीज होती है। तो हिस्सा-पूंजी बढ़ाने का यह निर्णय लिया गया क्योंकि कम्पनी खुदाई का काम लेना चाहती है तो इसलिए केपिटल बढ़ानी होगी । इसलिए हिस्सा पूंजी बढ़ाई है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह मैनेजमेंट ने हिस्सा-पूंजी इसलिए बढ़ाई है कि इसको राक फास्फेट का कान्ट्रेक्ट देना है ?

श्री हरिदेव जोशी : कान्ट्रेक्ट लीज का हुआ है उसके पहले ही बढ़ाई है।

श्री भैरोंसिह : देने से पहले नहीं बढ़ाई है।

ी हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद हिस्सा-पूंजी बढ़ा दी गई ?

श्री हरीदेव जोशी : वह रिजोल्यूशन मात्र था। अभी तक परचेज नहीं हुए हैं शेयर्स ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार को जो फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने सेन्क्शन दी है वह केवल इसी आधार पर दी है कि इस प्रकार का विनियोजन करने से मैनेजिंग डाइरेक्टरशिप राज्य सरकार के हाथ में आयेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : वह कॉन्सीक्वेन्शल चीज है।

श्री भैरोंसिंह : यह कॉन्सीक्वेन्शल का सवाल नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : जो रिजोल्यूशन है उस रिजोल्यूशन पर ही तो बोलूंगा। उसका जो परिणाम निकलेगा वह दूसरी बात है।

श्री भैरोंसिंह : जिस रिजोल्यूशन का जिक्र आप कर रहे हैं वह रिजोल्यूशन है जो जिप्सम कम्पनी ने पारित किया है मैं सरकार के रिजोल्यूशन की बात करता हूँ जिस आधार पर शेयर पूंजी खरीदने के बारे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने सेन्क्शन दी है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यही निवेदन कर रहा हूं, कि ये उसका परिणाम है कि किसी न किसी मायने में शेयर-पूंजी बढ़ाई

(श्री हरिदेव जोशी)

जाय। उसमें कोई भी राइट बढ़ जायगा तो हमारा भी राइट बढ़ जायगा । उसका कन्सेक्वेन्शल परिणाम जो होगा सो होगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री भैरोंसिंह : अपने अपने उत्तर में बताया है कि 30 हजार के शेयर्स आ गये तो क्या ये शेयर्स खरीद लिये गये हैं और रजिस्टर्ड हो चुके हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरा ऐसा ख्याल है कि हो गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : गंगानगर शुगर फैक्ट्री द्वारा शेयर खरीदने का फैसला होने के बाद क्या राज्य सरकार ने गंगानगर शुगर फैक्ट्री को यह कहा है कि कोई शेयर नहीं खरीदे जायें ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा ख्याल है कि खरीद लिये गये हैं । मेरे पास डिटेल्ड इन्फार्मेशन तो नहीं है लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है खरीद लिये गये हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक क्वेश्चन इसमें यह है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में गवर्नमेंट के कितने डाइरेक्टर्स हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट के तीन डाइरेक्टर्स हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुल कितने हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : आठ में से तीन हैं।

श्री अध्यक्ष : गृहमन्त्री, नेक्स्ट प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन । क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर को यह एश्योरेन्स दिया है कि राज्य सरकार के अधिकार में अधिक हिस्सा पूंजी होने के बावजूद भी उनको मैनेजिंग डाइरेक्टर रखा जायगा ?

श्री हरिदेव जोशी : कोई आश्वासन किसी को नहीं दिया गया है । जो भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार कदम उठाये जायेंगे ।

नगर कस्बे में रेंट कन्ट्रोल एक्ट लागू करने के लिए स्मरण पत्र

59'. **श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) भरतपुर जिले के अन्तर्गत नगर कस्बे में रेंट कन्ट्रोल एक्ट लागू करने के सम्बन्ध में क्या कोई स्मरण पत्र सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार कस्बा नगर में रेंट कन्ट्रोल एक्ट के प्रावधानों को लागू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपरा)

Page No 19

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(1) ऐसे सुझाव आये थे। कस्वा नगर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां पर रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के प्रावधानों को लागू करना उचित नहीं है।

(2) आम तौर पर सरकार एक्ट के प्रावधान उन्हीं कस्वों पर लगाती है.जहां म्युनिसिपैलिटी हो, मजिस्ट्रैसी हो, एवं उद्योग और व्यापार काफी प्रगति पर हो। ग्रामीण क्षेत्रों में एक्ट के प्रावधान लगाना असुविधाजनक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट लागू करने के सम्वन्ध में सरकार का क्या आधार है ? क्या जनसंख्या का आधार हो सकता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : म्युनिसिपैलिटी एक आधार है–इसका मतलव जनसंख्या भी आधार है।

श्री नत्थीसिंह : (भरतपुर) कोई ऐसा कस्वा है, जहां यह लागू किया गया हो ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हो सकता है, ऐसे कस्वे हों।

श्री नत्थीसिंह : सूची से यह वताए कि ऐसे कितने स्थान हैं, जहां यह एक्ट लागू होना चाहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : जिसमें आवादी 5000 के लगभग हो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि नगरपालिका का अपना आधार हो और उसकी आवादी ऐसी हो तो उसके क्वेश्चन को कन्सीडर किया जायगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : अगर आवश्यकता हुई तो विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री नन्दलाल वैरवा।

स्थगित प्रश्न

(25–3–70)

वून्दी रोड–लाखेरी सड़क पर कार्य

258. **श्री नन्दलाल वैरवा**: (पाटन सु) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वून्दी रोड से लाखेरी तक की सड़क का कार्य गत 10 वर्ष पूर्व स्वीकार किया गया था ?

(2) गत वर्षों में प्रति वर्ष कितनी कितनी राशि इस सड़क पर व्यय की गई और उससे अव तक कितनी मील सड़क तैयार हो गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सड़क के लिये मंजूर की गई राशि किसी अन्य सड़क पर व्यय कर दी गई।

उप मन्त्री. सार्वजनिक निर्माण (श्री माधो सिंह) : (1) जी हां।

(2) सूची संलग्न है। अव तक ६

(श्री माधोसिंह)

1/2मील सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण लाल !

स्थगित प्रश्न

(25-3-70)

पुलिस इन्सपेक्टरों व अधिकारियों के खिलाफ एन्टीकरप्शन में दर्ज मामले

269 **श्री श्रवण लाल (हिन्डोन) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सच है कि पुलिस इन्सपेक्टरों व अधिकारियों के खिलाफ एन्टी करप्शन में केस दर्ज हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो किस किसके खिलाफ कब कब केस दर्ज हुए हैं और किस किसके प्रति क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त इन्सपेक्टर व अधिकारियों के खिलाफ जो केस चल रहे थे उनमें इन्सपेक्टर व अधिकारियों को उसी जिले में लगवा रखा था ?

(4) यदि हां, तो क्यों और किस किस को लगाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इससे जांच मे कोई प्रभाव पड़ा है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा : (1) जी हां।

(2) इस समय पेंडिंग कैसेज की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पुलिस निरीक्षक और उच्च अधिकारियों के केवल दो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। ये दोनों ही कर्मचारी निलम्बित है। जेर तफतीश कैसेज में से एक से सम्बन्धित कर्मचारी उसी जिले में नियुक्त हैं।

(4) श्री विनोद चतुर्वेदी इन्सपेक्टर जिनके खिलाफ ए. सी. डी. में केस दर्ज है। कोटा में ही नियुक्त है। इनकी वहां नियुक्ति से जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में यह लिखा है कि विचाराधीन है। यह कब तक विचाराधीन रहेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जैसे ही पूरी हो जाए। तफतीश चल रही है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): क्या कैसेज में गवर्नमेंट की अनुमति ली गई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जहां अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, वहां ली जाती है।

श्री श्रवण लाल : अध्यक्ष महोदय, 62 से विचाराधीन है। अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने प्रश्न में यह पूछा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री रामसिंह कुड़ी।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बताया जाए कि कितने दिन और विचाराधीन चलेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तफतीश जल्दी से जल्दी समाप्त हो। तफतीश पूरी करके निर्णय किया जाए इसका प्रयत्न किया जायेगा।

श्री श्रवण लाल : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि कई कैसेज सन् 62 से चल रहे हैं। 8/9 साल हो गये हैं। अब कितना समय और लेंगे ? पांच, दस या बीस साल तक ?

श्री अध्यक्ष : तफतीश में दस साल हो गये हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, कई प्रकार की जानकारी करनी पड़ती है। विभिन्न केसेज़ की क्या स्थिति है। यह पूछा नहीं गया है। प्रयास यह किया जाएगा कि तफतीश जल्दी ही पूरी हो।

श्री अध्यक्ष : श्री कुड़ी।

स्थगित प्रश्न

मूरड़ पर व्यय

488. **श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) अकाल राहत कार्यों में गत वर्ष किस किस जिले में कितना कितना मुरड़ खोदा गया, कितना कितना मुरड़ किस किस सड़क पर बिछाया गया एवं कितना कितना मुरड़ किस किस दूरी पर गत वर्ष का पड़ा हुआ है ? गत वर्ष में बनी किस किस सड़क के अर्थ वर्क पर कितनी कितनी दूरी में अब मुरड़ बिछाना बकाया है एव कितनी दूरी पर गत वर्ष में बनी ग्रेवल रोड़ पर मुरड़ बिछा दिया गया है ? रेगुलर सड़कों पर किस किस सड़क पर कितना कितना मुरड़ बिछाया गया है ?

(2) गत वर्ष अकाल राहत कार्यों में मुरड़ के ट्रान्सपोटेशन चार्जेज के रूप में कितने रुपये खर्च हुए, कितने रुपये ऐसे मुरड़ की खुदाई में खर्च हुए, कितने रुपये ऐसे मुरड़ की खुदाई में खर्च हुए एवं कितने रुपये अर्थ वर्क पर खर्च हुए ? जिलेवार आंकड़े बताइये। टी. एन. पी. पर अन्य मदों में गत वर्ष के अकाल राहत कार्यों में जिलेवार कितना कितना खर्चा हुआ ? टी. एन. पी. सिरकियां व चादरों के ढोने का गत वर्ष के अकाल राहत कार्यो में जिलेवार कितना कितना व्यय हुआ ? पूरा विवरण वित्तीय वर्ष 1968-69 एवं 1969-70 के अलग अलग वर्षवार आंकड़ों सहित बतायें ? सिरकियां की कीमत किस किस में सबसे अधिक थी एवं किन जिलों में सबसे कम थी ? कितनी टी. एन. पी. खो गई एव उसकी कीमत की वसूली क्या किसी से की जा रही है ?

उपमंत्री (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष

Page No 22

(श्री माधोसिंह)

महोदय, जानकारी पूरी आई नहीं है इसलिए इसको स्थगित किया जाए।

श्री रामसिंह कुड़ी : पेमेंट कर दिया गया है। माल वहां पड़ा हुआ है। इतने दिन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : जल्दी जानकारी आएगी सार्वजनिक निर्माण मन्त्री।

स्थगित प्रश्न

(25-3-70)

टिडियासर--घांघले भाटे तक सड़क

233. **श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग द्वारा पांच छः वर्ष पूर्व चूरू जिला स्थित रतनगढ़ से टिडियासर की तरफ सात मील लम्बी घान्घले भाटे तक सड़क बनाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इसे आगे टिडियासर से होते हुए नेशनल हाई वे तक दो माइल लम्बी सड़क बनाने की स्वीकृति दी गई थी परन्तु कार्य विलम्ब से चालू करने के कारण डेढ़ माइल में कच्चा गोला ही बन सका ?

(3) क्या सरकार शेष आधी माइल सड़क पर कच्चा गोला व दो माईल में धान्धला भाटा जमवा कर इस नौ माईल की एप्रोच रोड़ को सम्पूर्ण कर इस सड़क पर जो तीन चार लाख रुपये अब तक खर्च हुए हैं उन्हें बरबाद होने से बचायेगी ?

(4) क्या रतनगढ़ तहसील क्षेत्र के अकाल पीड़ितों को काम देने के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को प्राथमिकता दी जावेगी ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) (1) जी हां।

(2) अकाल राहत कार्यों में 2-6-69 को स्वीकृति दी गई थी और कार्य 15 अगस्त 69 को अकाल कार्य समाप्त हो जाने से अधूरा रहा है।

(3) अकाल राहत कार्यों में यह सड़क स्वीकृत नहीं हुई है।

(4) यह इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, सड़क पर 3/4 लाख रुपया खर्च हो चुका है।

श्री माधोसिंह : मेरे विभाग से कोई प्रावधान नहीं है।

श्री लाभचन्द वैद : आप अपने विभाग से बनवा सकते हैं। रतनगढ़ ा सीधा रास्ता है और 3/4 लाख रुपया खर्च हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि 3/4 लाख रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री माधोसिंह : यह सही है।

श्री लाभचन्द वैद : क्या यह बन जाएगी या नहीं ?

श्री माधोसिंह : यह तो देखा जाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह अकाल राहत में पूरी करवा देंगे ? अपने विभाग द्वारा आपने राशि खर्च कर ली है।

श्री माधोसिंह : जितने अकाल राहत कार्य में सेक्शन किये हैं, वहां ही खर्च हुआ है। जितना काम हो सकता है, किया गया है। मेरे विभाग के लिए यह सम्भव नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री लाभचन्द वैद : आप अपने विभाग द्वारा पूरा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

स्थगित प्रश्न

(:6-3-70)

पलिस थाने में जमा कराये गये पन्ने के नग

298. **श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल जयपुर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जुलाई सन् 1968 में पुलिस चौकी कस्बा थाना पुलिस देवगढ़ मदारिया जिला उदयपुर द्वारा दो ग्रामीणों से 160 नग पन्ना अपनी तहवील में लिया जाकर उसका मौतबिरान के समक्ष पंचायत नामा बनाया गया ?

(ख) यदि हां, तो यह नग पुलिस के किस मालखाने में कब जमा कराये गये और यदि इसमें विलम्ब हुआ तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि पुलिस के रिकार्ड में केवल 90 नग ही बताये गये ? यदि हां, तो शेष नगों का क्या हुआ ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) यह सही है कि दिनांक 25-7-68 को पुलिस चौकी कस्त्रा देवगढ़ पर दो ग्रामीणों से 160 नग पन्ना तहवील में लिया गया था।

(2) जब्त करने के बाद हैड कान्सि-टेबिल गंभीर सिंह ने 90 टुकड़े पन्ने के थाना देवगढ़ पर दिनांक 19-8-68 को पेश किये थे।

(3) जी हां, पुलिस थाने पर केवल 90 नग ही पेश हुए हैं। शेष नगों के बाबत तथा हैड कान्सिटेबिल द्वारा किये गये घोटाले के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय ये पन्ने दो ग्रामीणों से जब्त किये थे, उस समय एक इन्सपेक्टर भी मौजूद था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एक कान्स्टे-बिल का मौजूद होना पाया गया गया है।

श्री भैरोंसिह : इन्स्पेक्टर ने 90 नग लिये हैं। क्या उसका रोजनामचे में नाम है ?

श्री अध्यक्ष : रोजनामचे में नाम है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं।

श्री भैरोंसिह : अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जांच कार्यवाही जो अभी तक सरकार के सामने आई है। उसके आधार पर कान्स्टेबिल और हैड कांन्स्टेबिल को निलम्बित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 70 पन्नों की अनुमानित कीमत क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दवाना।

स्थगित प्रश्न

(27/3/70)

तहसीलदार गंगरार द्वारा भूमि आवंटन

319. **श्री रामकुमार नन्दवान (चित्तोड़गढ़)** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ ने अभी दिनांक 12-2-70 को ग्राम पंचायत सोनगर मुख्यालय पर भूमि का आवंटन किया है ? यदि हाँ, तो कितनी भूमि किन-किन को आवंटन की गई है ? सूची सदन की मेजपर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि के आवंटन के लिये भूमि आवंटन सलाहकार समिति को आमंत्रित किया गया ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? यदि हाँ, तो किस-किस तारीख को सूचना दी गई है और इस बैठक में कौन-कौन सदस्य उपस्थित हुए ?

(3) क्या यह सही है कि इस बैठक में सलाहकार समिति का कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने अकेले तहसीलदार को अधिकृत कर रखा है कि वह जब चाहे किसी को भूमि आवंटन कर दे ?

(4) क्या यह सही है कि सम्बन्धित एस. डी ओ. को इसकी शिकायत की गई है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? इस प्रकार से जो आवंटन अकेले तहसीलदार द्वारा किया गया है, क्या सरकार उसे निरस्त करने के कदम उठायेगी ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हाँ, सूची संलग्न है।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों को दिनांक 7-2-70 को सूचना दी गई, किन्तु इस बैठक में कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ।

(3) जी हाँ, अकेले तहसीलदार को भूमि आवंटन का अधिकार नहीं है।

(4) जी हाँ, इसकी शिकायत सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी को की गई जिसके सम्बन्ध में जांच विचाराधीन है। निर्णय होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री रामकुमार नन्दवाना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि अकेले तहसीलदार को आवंटन करने का अधिकार नहीं है। तो इस तारीख को भूमि आवंटन 65 आदमियों को हुई तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : एस० डी० ओ० जाँच करके रिपोर्ट जिलाधीश को देगा और उसमें अनियमितता पाई गई तो आवंटन को रिजेक्ट करने की कार्यवाही की जायगी।

श्री डूंगाराम राजोरिया : (दौसा सु.) : तहसीलदार ने एलाटमेंट अकेले किया है, जब कि आप मानते हैं कि अकेले नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : इसमें जाँच आरम्भ कर दी गई है।

श्री केदार नाथ व श्री रामचन्द्र आर्य।

स्थगित प्रश्न

(27-3-70)

323. **श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर) व श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में राजस्व अपील अधिकारी श्री विशम्भर सिंह को बीकानेर से स्थानान्तरण करके श्री द्विवेदी के स्थान पर क्यों नियुक्ति किया गया ?

(.) क्या यह सही है कि बमुकाम अलवर में मुकदमा उनवानी छज्जू इस्माईल मेव वासी कहरानी बनाम रसूला मेव रेस्पान्डेंट अपील तारीख पेशी दिनांक 22-12-69 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल के समक्ष इस प्रकार का प्रार्थना पत्र छज्जू व इस्माईल अपील कर्ताओं की तरफ से दिनांक 6-12-69 या उसके आसपास प्रस्तुत हुआ कि उक्त उनवानी अपील में राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर ने बतौर रिश्वत 6000) रु० रेस्पोंडेंट रसूला से वसूल कर लिये और इस कारण मुकदमे का स्थानान्तरण दीगर किसी अधिकारी के समक्ष किया जावे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 6-12-69 को राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही इसी आधार पर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर केम्प अलवर से उक्त मुकदमे में व अन्य एक मुकदमे में और मुल्तकली की दरख्वास्त प्रस्तुत करने की इत्तला व स्पष्ट आरोप के चाही की राजस्व अपील अधिकारी 6000) रु० रिश्वत के ले चुका है, इसलिये उनसे न्याय की आशा नहीं है ?

(4) क्या यह बात सही है कि राजस्व अपील अधिकारी श्री विशम्भर सिंह ने उक्त आरोपों के आयद किये जाने के बावजूद भी कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की कोई कार्यवाही करने का कोई साहस नहीं किया या दिखाया ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्व मंडल में उक्त ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने

(श्री केदारनाथ आदि)

पर हल्फ नामा दिया जाने के कारण अपील की सुनवाई को स्थगित करने के आदेश दे दिये ?

(6) क्या राज्य सरकार इस प्रकार के स्पष्ट व बेलाग आरोप को सम्बन्धित अधिकारी को सेवा से पृथक करने को काफी नहीं समझती ?

(7) क्या यह सही है कि व्यक्तिगत रूप से रिश्वत लिये जाने के आरोपों में या किसी फरीकमुकदमे से सांठ गांठ किये जाने के आरोप वाली दरख्वास्त श्री विशम्भर सिंह राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अन्य अपीलों में बमुकदमा अलवर और अन्य फरीकेन मुकदमात ने भी प्रेषित किया है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी सम्पूर्णतः प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसको स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या इसमें ऐसी जानकारी है जो राज्य सरकार को नहीं मिल रही है ? आप इस प्रश्न को टालना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्री मनोहर सिंह।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या उस अधिकारी को बचाने की चेष्टा की जा रही है जिसके खिलाफ हलफनामा दिया है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(27-3-70)

सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

343. **श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि त्रिवेणी बीगोद से जहाजपुर जाने वाली सड़क के लिये श्री गनपतिलाल वर्मा की जमीन ली गई ? यदि हां, तो कितने बीघा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन का नकद में मुआवजा तय हो चुका था ? यदि हां, तो कितना ?

(3) क्या यह सही है कि श्री गनपतिलाल वर्मा की ही तरह जिन जिनकी जमीन सड़क में ली गई उनको भी नकद के रूप में मुआवजा तय किया जाकर नकद में ही दिया गया है ?

(4) जब अन्य सब लोगों को नकद के रूप में मुआवजा दिया तो फिर केवल श्री गनपतिलाल जी को ही जमीन देने का क्या कारण था ? यदि जमीन दी गई तो कितनी दी गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि जो जमीन उन्हें दी गई है वह मुआवजा तय

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हुआ उसके मुकाबले में कई गुनी ज्यादा मूल्य की है ?

(6) क्या यह भी सही है कि उसमें मांवटा नहर का पानी आता है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है इसलिए यह वहाँ हस्तान्तरित कर दिया गया है।

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आया, जमीन के बदले....

श्री अध्यक्ष : आपसे मैंने पूछा नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : इनको बोलने की आदत है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने मुआवजे के बदले जमीन दी है, वह जब कि दूसरों को दो सौ, तीन सौ रुपये दिये है, इनको आपने जमीन दी है वह पच्चीस हजार रुपये की है।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़क के हेतु अवाप्त जमीन के मुआवजे का सवाल है वह सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, जब कि दूसरों को दो सौ, तीन सौ रुपये दिये गये हैं, एक व्यक्ति को पच्चीस हजार रुपये की जमीन दी है। वह प्रश्न पूछा है, वह स्थगित हुआ है, आप यह कह रहे हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को भिजवाया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! नेक्स्ट।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या इस सम्बन्ध में वह उत्तर देंगे, यदि आपके पास उत्तर नहीं है।

श्री माधोसिंह : यह प्रश्न है जमीन के बदले जमीन देने का, इसको हमारा विभाग डील कैसे कर सकता है। हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : यहाँ यह हाल है कि कौन जवाब दे और कौन नहीं दे तो वह बेचारे किसके पास जायं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जवाब इनके पास नहीं है, वह कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है....

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर रहा हूँ।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : इसका जवाब कौन देगा स्थगित होने के बाद।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह आम शिकायत है, यह स्पेसिफिक प्रश्न है, कम से कम मंत्री महोदय का उत्तरदायित्व आपके द्वारा घोषित

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका उत्तर देगा।

श्री माधोसिंह : दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

स्थगित प्रश्न

(31-3-70)

अनुदानित छात्रावास जायल

418. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु०) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुदानित छात्रावास, जायल जिला नागौर को दो अनुदानित किश्तें देने के बाद आज तक कोई अन्य किश्त नहीं दी गई जिससे वहां के छात्रों को खाना व शिक्षा सामग्री नहीं मिल पाती ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अनुदानित छात्रावास के अधीक्षक द्वारा काफी मांग करने के बाद भी और लड़कों में उपस्थित रोष व कठिनाइयों को बताने के बाद भी आज तक अनुदान की तीसरी किश्त नहीं दी गई ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त छात्रावास को अगली किश्तें देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला बीकानेर के राजकीय छात्रावास छतरगढ़ व पूंगल, कोलायत, नोखा, बीकानेर शहर आदि में असुविधा की शिकायतें छात्रों द्वारा की गई हैं ? यदि हाँ, तो कब कब ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री विशम्बर नाथ जोशी) : (1) जी नहीं। अनुदानित छात्रावास जायल को वर्ष की अन्तिम किश्त दिनांक 31-1-70 को स्वीकृत कर दी गई थी।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। नागौर में जिलाधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण छात्रावास का निरीक्षण समय पर नहीं हो सका। इस कारण अन्तिम किश्त देर से दी गई।

(3) राजकीय छात्रावास बीकानेर के छात्रों ने दिनांक 10-10-69 को भवन में बिजली लगाने व अन्य सामान सप्लाई करने आदि के बारे में लिखित शिकायत की थी। बिजली 14-10-69 को लगा दी गई। अन्य मांगों के बारे में जांच करवाई गई और उन्हें उचित नहीं पाया गया। छात्रावास पूंगल, कोलायत छतरगढ़ व कन्या छात्रावास कोलायत से कोई शिकायत आना नहीं पाया जाता। नोखा के छात्रावास की शिकायत 28-10-69 को व्यवस्थापक के बारे में थी। इसकी जांच करा व्यवस्थापिका समिति का पुनर्गठन करा दिया गया एवं छात्रावास अधीक्षक बदल दिया गया। अब कोई असुविधा की शिकायत नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जायल छात्रावास को जो मासिक सहायता दे रहे हैं उस सहायता का आपने कितने महीने के बाद भुगतान किया ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : मासिक सहायता किसी छात्रावास को नहीं दी जाती है। तीन किश्तों में ऐड दी जाती है, पहली व दूसरी किश्त दी गई वह समय पर दी गई। मैं आपको बता दूं, 15 जुलाई, 69 को इनको पहली व दूसरी किश्त दी गई। तीसरी किश्त देने में विलम्ब हुआ, वह 31 जनवरी 70 को दी गई। इसका कारण यह था, तीसरी किश्त जो दी जाती है उसके लिए विभाग के नियमों के अनुसार छात्रावास के लेखे की जांच हो जाने के बाद दी जाती है। वहाँ पर समाज कल्याण अधिकारी का पद रिक्त था, इसलिए जोधपुर से वहाँ ले गये और उसने जांच करके जो रिपोर्ट दी उसके बाद इसका भुगतान किया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह भुगतान कितने मास के बाद में किया ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : यह उनको मिल जानी चाहिए थी नवम्बर में, लेकिन जनवरी में मिली, दो ढाई महीने की देरी हुई।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : नहीं, आप सच्ची बात बतायें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : ईमानदारी से बतायें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रावतराम।

श्री जयनारायण सालोदिया : गंगाजली हाथ में लेकर बतायें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जो जायल में छात्रावास चल रहा है वहाँ पर लड़कों के लिए खाद्य सामग्री का अभाव है और मंत्री महोदय और राज्य सरकार इन्तजाम कर रही है चार महीने बाद। चार महीने तक खाने की कोई धनराशि उसको विभाग द्वारा नहीं दी गई। क्या यह गलत है ? आप सच्ची बात कहना।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : नवम्बर में दी जानी चाहिए लेकिन यह जनवरी में रिलीज हुई। हुआ यह है कि वहाँ जो समाज कल्याण अधिकारी का पद था वह रिक्त था, इसलिए इसकी जांच नहीं हो सकती। जब जांच जोधपुर वाले ने की है उसके बाद में सहायता रिलीज हुई। यह बात सही है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जायल अकालग्रस्त इलाका है, चार महीने तक उस छात्रावास में भोजन की व्यवस्था नहीं की गई। लड़के भिखमंगों की तरह मारे-मारे फिरते रहे। मैं स्वयं गया हूँ वहाँ और मैंने स्वयं ने विभाग को चिट्ठी लिखी है, लेकिन फिर भी चार महीने के बाद में विद्यार्थियों के लिए खाद्य सामग्री की राशि का भुगतान किया गया। यह व्यवस्था है इसको समाज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रावतराम।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार का इस सम्बन्ध में यह नियम है कि जांच पड़ताल करने के लिए आप अनुदान को रोक दें ? ऐसा है तो नियमों में परिवर्तन करें। ऐसा कभी और भी हो सकता है, जांच पड़ताल तो आयन्दा भी होगी। लड़कों को सामान्य सुविधा रोटी भी नहीं मिल सके—इस प्रकार की व्यवस्था गलत है और इसमें संशोधन करना चाहिए।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : सामान्यतः ऐसा होता नहीं है।

श्री रामानद अग्रवाल : एक भी ऐसा मामला हो....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : ऐसी घटना रोज होती है। सांचोर के लिए मैंने कई बार ध्यान आकर्षित किया है। वहां अनुदान सात आठ महीने तक नहीं देते हैं।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : तीसरी किश्त दें उसके पहले जांच होना जरूरी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जांच पड़ताल करें लेकिन उसके लिए आप खाने की सुविधा नही रोक सकते है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : उतने महीने तक इस विभाग के अधिकारियों ने भोजन किया या नहीं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : छः सात महीने से सांचोर में नहीं दी, मैंने उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट दी है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को कहने दीजिये।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : यह छात्रावास संस्था द्वारा चलाया जाता है उनसे यह आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है वह खाने आदि की व्यवस्था करेंगे, उसके धन की सेंक्शन हम करते हैं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिए, आखिर तीन चार महीने तक बच्चों के लिए खाने की सामग्री की व्यवस्था नहीं होती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह लोग टाइम पर चिल्लाते रहते हैं लेकिन उनको सहायता नहीं मिलती है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी छात्रावास में चार महीने तक खाने की व्यवस्था नहीं हो....

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले की जाँच कराई जाय। चार महीने तक इन मंत्री महोदय को भी भोजन नहीं करना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : सरकार को इस बारे में जाँच करनी चाहिए। चार महीने तक अगर खाने की व्यवस्था ठप्प हो गई तो इसमें कोई अधिकारी दोषी होना चाहिए....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : तमाम अधिकारी दोषी होने चाहिए।

Page No 31

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : उनको इस दोष की सजा दी जानी चाहिए। मंत्री महोदय का दोष इस सम्बन्ध में एक-मात्र नहीं हो सकता है। इसलिए आप एक शब्द तो कहें इसकी जानकारी कराने के लिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह आदिवासी छात्रों का छात्रावास है, वहां खाने की व्यवस्था नहीं हो...

श्री विशम्भर नाथ जोशी : यह राजकीय छात्रावास नहीं है, यह एक संस्था, वालियन्ट्री एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है, वह खाने आदि की व्यवस्था अपनी तरफ से करते हैं और उसका बाद में पेमेन्ट किया जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वालियन्ट्री एजेंसी के द्वारा चलाया जाता है तो सरकार उसको अनुदान तो देती है। उस शिक्षण संस्था को आप पैसा तो देंगे ?

एक माननीय सदस्य : उनके पास कोई खजाने थोड़े ही हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सांचोर के छात्रावास के लिए पिछले आठ महीने से एक पैसा भी नहीं दिया है। लड़कों को एक्जामिनेशन के लिए जाना था, मैंने विभाग को टेलीग्राम दिया। आपने कहा कि पहले हिसाब दे, तब अनुदान मिलेगा, तो क्या लड़के एक्जामिनेशन देने से रह जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज भी, अध्यक्ष महोदय, ऐसे छात्रावास हैं जिनको अनुदान नहीं दिया गया है। मेरे पास इस सम्बन्ध में तार आये थे, वह मैं लाया नहीं, लेकिन मेरे पास जो तार व चिट्ठी आई हैं उनमें कहा है कि पिछले कई महीने से अनुदान नहीं मिला है। आज भी ऐसे छात्रावास मौजूद हैं, जोधपुर डिवीजन के मौजूद हैं आज भी ऐसे हैं।

श्री परसराम गंगाराम (परवतसर) **:** मंत्री महोदय झूंठ बोलते हैं...

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) **:** मंत्री महोदय, आपके नियमों में अव्यवस्था होने के कारण लड़कों को मुसीबत भुगतनी पड़ती है तो आप इस व्यवस्था को बदलने के लिए नियमों में संशोधन लाने के लिए तैयार हैं ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : इसके अन्दर संशोधन होने की अगर आवश्यकता है....

श्री मनोहर सिंह मेहता : आवश्यकता तो है !

श्री रामचन्द्र आर्य : छः छः महीने तक सहायता नहीं मिले-ऐसी व्यवस्था आप कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री चुन्नी लाल इंदलिया : चार महीने तक लड़कों के लिए अनाज नहीं मिले....

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की तनख्वाह कम हो जाय।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : तो इसकी व्यवस्था कब होगी ? व्यवस्था क्यों नहीं होती है ?

(12 मध्यान्ह)

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय में निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये सरकार को नियमों में परिवर्तन करना चाहिये, अनुदान को किसी भी हालत में नहीं रोकना चाहिये····

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से····

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आपकी व्यवस्था की परिभाषा क्या है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद ने हुक्म दिया है पर हुक्म की तामील नहीं हुई है क्योंकि वे कह देते हैं कि रूल्स के अनुसार बिना जांच किये हम नहीं दे सकते।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष : जब एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछें तब आप उत्तर दें ताकि माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछें उसका उत्तर मिल सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मन्त्रीजी आश्वासन दें कि किसी भी छात्रावास का किन्हीं कारणों से पैसा रुका है, उनको फौरन इमदाद दे देंगे, फिर जांच करायें पर अनुदान का पैसा इसके कारण रुके नहीं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सामान्यतः यही नीति अपनाई जाती है, इस तरह की शिकायतें आने पर मैंने एज ए स्पेशल केस अनुदान दिये है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह गलत कहते हैं, ऐसी नीति नहीं अपनाते हैं। मैंने सांचोर का केस बताया था आपको, स्पेसिफिक केस बताया। मैं रिपोर्ट उसके बारे में दे चुका हूँ, तार दे चुका हूँ, पर पिछले १० मास में एक कौड़ी नहीं दी है····

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य ने कहा था, उसके सम्बन्ध में मैंने आदेश जारी कर दिये थे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई . आदेश दे देने से मतलब क्या हल हुआ ? आदेश का पालन नहीं होता है। वे अधिकारी कहते हैं कि रूल में डिफेक्ट है, रूल्स के अनुसार हम दे नहीं सकते। मार्च के आखिर तक एक पैसा नहीं दिया।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपने कहा है, मैं सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ···

श्री अध्यक्ष : मैंने तो अभी कहा था

(श्री अध्यक्ष)

कि एक माननीय सदस्य की तरफ से प्रश्न आवे तभी आप उत्तर दें।

श्री परसराम गंगाराम : क्या यह सही है कि इस छात्रावास में रखे आपस में मैनेजमेंट का झगड़ा है, इसलिये अनुदान रुका हुआ है ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : झगड़ा तो हमारी जानकारी में नहीं लाया गया है। जांच होनी चाहिये थी, वह जांच होकर रिपोर्ट नहीं आ पाई, आडिट होता है ए. जी. के ओब्जक्शन्स होते हैं, बगैर हिसाब किताब की जांच के एड रिलीज कर दी जाती है तो।

श्री परसराम गंगाराम : जांच किस बात की ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : जो अनुदान दिया गया, उसका उपयोग ठीक तरह से हुआ या नहीं, इसकी जांच की जाती है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : कितने समय में जांच हो जानी चाहिये···

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : विभाग द्वारा किसी भी छात्रावास को एड समय पर नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । नेक्स्ट । श्री रावतराम ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, छात्रावासों को भोजन की सामग्री तक उपलब्ध नहीं कराई जाती है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । प्रश्न समाप्त हुए।

श्री बिरदाराम (जालोर) : छात्रावास में एड नहीं दी गई है, इमदाद नहीं दी गई है, इसके लिये जो जिम्मेदार अधिकारी है····

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री बिरदाराम : यह आदिवासी और अनुसूचित जातियों का विभाग है यह विभाग अनुसूचित जाति और जन जाति के सदस्य के हाथ में होना चाहिये।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो राय प्रकट की है, उसको ध्यान में रखकर अगर रूल्स में परिवर्तन करना पड़ेगा तो कर दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मांग दूसरी ओर है। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मन्त्री को यह विभाग दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

स्थगित प्रश्न

(25-3-70 व 2-4-70)

छापर में स्वीपर्स की हड़ताल

280. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा

Page No 34

(श्री रावतराम)

करेंगे :—

(1) छापर नगरपालिका (चूरू) के स्वीपर्स कर्मचारियों ने कब से हड़ताल कर रखी है तथा हड़ताल के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि स्वीपर्स कर्मचारियों का पिछले कई महीनों का वेतन बकाया है ? यदि हाँ, तो किन-किन कर्मचारियों का कितना-कितना वेतन बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बकाया वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में विभाग क्या कदम उठा रहा है ?

उप मंत्री स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिंद) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में आज ही मीटिंग बुलाई है, उसमें इसका हल निकालने का प्रयास किया जायगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : शिड्यूल्ड ट्राइब्स का काम है तो आयन्दा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिये, और जिसने ऐसा किया है, उसको हटाया जाय।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर सदन में दिलाया जाय। रोज चिट्ठियाँ तार आते हैं। आपने व्यवस्था भी दे दी कि मंत्री महोदय चेम्बर में बैठ कर बात करें।

इस प्रश्न का उत्तर हाउस में दिलाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय मेरे से कल भी मिले थे, अधिकारी भी मिले थे, टिप्पणी भी दी। आज उप मंत्री जी ने कहा है कि इसके सम्बन्ध में आज मीटिंग होगी। आज इसका हल निकालेंगे। सभी पार्टीज़ के साथ बात कर के...

एक माननीय सदस्य : कल इसका सदन में उत्तर दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : हल नहीं निकला तो कल कैसे रखूंगा।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) यह प्रश्न ऐसा है कि अदालत से निर्णीत है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर ऑर्डर स्थान ग्रहण करें...

श्री लाभचन्द वैद : आप जरा सोचिये....

श्री अध्यक्ष ऑर्डर ऑर्डर। श्री वैद, स्थान ग्रहण करें....

श्री लाभचन्द वैद :अदालत से अवार्ड निर्णीत है, डिक्री निर्णीत है, फिर क्या समझौता करेंगे ?

श्री अध्यक्ष :ऑर्डर, ऑर्डर। आप पगड़ी पहन कर आते हैं, तब ज्यादा गम्भीरता से बात करते हैं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम लालगढ़ को जल प्रदाय योजना

586. **श्री रावतराम** (छापर सु) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) ग्राम लालगढ़ (जिला चूरू) की ग्राम जल प्रदाय योजना जिलाधीश चूरू को कब प्राप्त हुई और जिलाधीश चूरू ने उसे सरकार को कब भेजा ?

(2) उक्त योजना कब तक पूरी हो जायेगी ? क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि लालगढ़ जैसे बड़े गांव को जहाँ पानी की बड़ी कठिनाई है वहाँ पानी की समस्या हल को जावे ?

उत्तर

(1) ग्राम लालगढ़ जिला चुरू की योजना जल प्रदाय विभाग द्वारा राज्य सरकार को को दिनांक 16-9-68 को भेजी गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) योजना का कार्य योजना की स्वीकृत्ति के पश्चात् ही हाथ में लिया जा सकेगा धना-माव के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

स्थगित प्रश्न

(5-3-70)

जोधपुर सर्किल में स्पेशल रिपेयर वर्क

281. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) अधिशाली अभियन्ता,, पश्चिम खण्ड, पी. डब्लू, डी, (बी. एण्ड आर.) जोधपुर के सर्किल में स्पेशल रिपेअर ग्रेवल के कराने हेतु वर्ष 66-67, 67-68 व 68-69 में कितने वर्क चालू किये ? वर्क वार सूची प्रत्येक वर्ष की सदन की मेज पर रखें।

(2) इन कार्यों में इन्हीं वर्षों में कितने कार्य 20 हजार रुपये से कम के थे एवं कितने काम बीस हजार रुपये से अधिक के थे ?

(3) उन कार्यों में इन वर्षों में कितने कार्य टेण्डर्स लेकर प्राईवेट व्यक्तियों को दिये व कितने काम सहकारी समितियों को शिड्यूल रेट पर दिये ? नामों की सूची मय पता व वल्दियत आदि सदन की मेज पर रक्खें। नागौर जिले में ऐसे कार्यों के लिये किस-किस सहकारी समिति ने शिड्यूल रेट पर बीस हजार रुपयों से कम के कार्यों की मांग की एवं किस-किस को कार्य दिया एवं किस-किस को मना किया ? इसके क्या कारण थे ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(27-3-70)

राजस्व अपील अधिकारी का स्थानान्तरण

323. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : **श्री रामचन्द्र आर्य** – (नोहर)।

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में राजस्व अपील अधिकारी श्री विशम्भर सिंह को बीकानेर से स्थानान्तरण करके श्री द्विवेदी के स्थान पर क्यों नियुक्त किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि बमुकाम अलवर में मुकदमा उनवानी छज्जू इस्माईल मेव वासी कहरानी बनाम रसूला मेवरेस्पान्डेंट अपील तारीख पेशी दिनांक 22-12-69 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल के समक्ष इस प्रकार का प्रार्थना पत्र छज्जू व इस्माईल अपीलकर्ताओं की तरफ से दिनांक 6-12-69 या उसके आसपास प्रस्तुत हुआ कि उक्त उनवानी अपील में राजस्व अपील अधिकारी,जयपुर ने बतौर रिश्वत 6000)रु. रेस्पोन्डेंट रसूला से वसूल कर लिये और इस कारण मुकदमें का स्थानान्तरण दीगर किसी अधिकारी के समक्ष किया जावे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 6-12-69 को राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही इसी आधार पर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर केम्प अलवर से उक्त मुकदमें में व अन्य एक मुकदमें में और मुन्तकली की दरख्वास्त प्रस्तुत करने की इत्तला व स्पष्ट आरोप के चाही की राजस्व अपील अधिकारी 6000)रु. रिश्वत के ले चुका है, इसलिये उनसे न्याय की आशा नहीं है ?

(4) क्या यह बात सही है कि राजस्व अपील अधिकारी श्री विशम्बर सिंह ने उक्त आरोपों के आयद किये जाने के बावजूद भी कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की कोई कार्यवाही करने का कोई साहस नहीं किया या दिखाया ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्व मंडल में उक्त ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर हल्फ नामा दिया जाने के कारण अपील की सुनवाई को स्थगित करने के आदेश दे दिये ?

(6) क्या राज्य सरकार इस प्रकार के स्पष्ट व बेलाग आरोप को सम्बन्धित अधिकारी को सेवा से पृथक करने को काफी नहीं समझती ?

(7) क्या यह सही है कि व्यक्तिगत रूप से रिश्वत लिये जाने के आरोपों में या किसी फरीक मुकदमे से सांठ किये जाने के आरोप वाली दरख्वास्त श्री विशम्भरसिंह, राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अन्य अपीलों में व मुकदमा अलवर और अन्य फरीकेन मुकदमात ने भी प्रेषित किया है ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरपंच की तलाशी

611. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(1) क्या यह सही है कि कालूराम सरपंच टीलया खेडी जिला झालावाड की डी. वाई.एस.पी. व पार्टी द्वारा तारीख 19-4-69 को तलाशी ली गई थी ? यदि हां, तो किस कारण से और किसकी शिकायत पर ?

(2) क्या यह भी सही है कि तलाशी के समय मकान मालिक नहीं था और उसकी धर्म पत्नी के साथ तलाशी लेने वालों द्वारा गाली गलोज किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि तलाशी लेते वक्त गेहूँ का बीज कई तरह का अलग-अलग था उसे पुलिस वालों द्वारा शामिल कर दिया गया और प्रार्थी को नुकसान हो गया तथा इसकी शिकायत भी 24-4-1969 को की गई थी और इसकी जांच नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां. दिनांक 19-4-69 को पुलिस पार्टी एवं डी. वाई. एस. पी झालावाड़ ने कालूराम सरपंच ग्राम दीलया खेड़ी के मकान की तलाशी ली थी, क्योंकि पुलिस को यह सूचना मिली थी कि उक्त सरपंच के मकान में अवैधानिक अफीम है। इसलिये मकान की तलाशी ली गई थी।

(2) तलाशी के समय मकान मालिक उपस्थित नहीं था किन्तु उनका चचेरा भाई रामप्रसाद एवं दो स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों के समक्ष तलाशी ली गई थी। यह निराधार आरोप है कि पुलिस पार्टी ने श्री कालूराम सरपंच की धर्म पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है।

जिला बूंदी में चोरी व डकैती के मामले

612. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में सन् 1968-69 में कौन-कौन से स्थानों पर चोरियां व डकैतियां किन-किन के कितनी-कितनी और कौन से समय पर हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जिनके चोरियां व डकैतियां हुई उनका गया हुआ जेवर एवं नकदी का पता चला या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) चोरियों व डकैतियों के विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम कोलिया में चोरी के मामले

613. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) थाना डीडवाना में ग्राम कोलिया में जनवरी सन् 1967 से लेकर अब तक कौन-कौन से कब-कब कितनी-कितनी चोरी के मुकदमें दर्ज हुए और उन मुकदमों में से किन-किन में कितना-कितना माल कब-कब बरामद हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) उपरोक्त मुकदमों में से किस-किस मुकदमें का कब-कब चालान किया गया तथा किस-किस में कब-कब एफ. आर. दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या यह सही है कि थानेदार द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर सी. ओ. डीडवाना को भी किन्हीं प्रार्थियों ने जांच के लिये दरख्वास्तें दी थी ? यदि हाँ, तो किस-किस मुकदमें के सम्बन्ध में और सी.ओ. डीडवाना ने उन दरख्वास्तों पर क्या-क्या कार्यवाही की ?

(4) उपरोक्त मुकदमों में अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

(5) क्या उपरोक्त समय में थाना डीडवाना का किन्हीं उच्चाधिकारियों ने कभी निरीक्षण किया है ? यदि हाँ, तो निरीक्षण के समय उपरोक्त मुकदमों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया ?

उत्तर

(1) ग्राम कोलिया में सन् 1967 से दिनांक 31-12-69 तक 17 अभियोग चोरी के आरक्षी केन्द्र डीडवाना में पंजिबद्ध हुए और समस्त अभियोग का अन्तिम नतीजा पुलिस द्वारा दिया जा चुका है। इन अभियोगों में से 6 अभियोग अनुसन्धान से झूठे पाये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त मुकदमों में चार का चालान किया गया। शेष 13 अभियोगों में एफ. आर. दी गई। विस्तृत जानकारी सूची में दी गई है।

(3) जी हाँ। शिकायतों के आधार पर जांच व कार्यवाही की गई। एस. पी. नागौर ने स्वयं भी कुछ तफतीश की थी किन्तु किसी के खिलाफ कोई सबूत काबिल गिरफ्तारी नहीं मिला।

(4) समस्त अभियोगों में पुलिस द्वारा नतीजे दिये जा चुके हैं।

(5) जी हां। सन् 1967 से सन् 1969 तक आठ अधिकारियों ने थाना डीडवाना का निरीक्षण किया। इस समय तक पंजिबद्ध अभियोगों में न्यायोचित ढंग से शीघ्रातिशीघ्र नतीजा देने के आदेश दिये गये थे।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अग्नि काण्ड से क्षति

614. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चुरू जिले की पंचायत समिति सुजानगढ़ के अधीनस्थ ग्रामों में अग्निकाण्ड घटना से किन काश्तकारों के मकान ढाणी जलने व अग्नि काण्ड से हुए नुकसान के प्रार्थना पत्र पंचायत समिति सुजानगढ़ के समुख सहायतार्थ सन् 1968-69 में प्रस्तुत किये गये ? प्रार्थी का नाम पिता का नाम जाति व निवास स्थान व सहायता के रूप में दी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

गयी सरकारी धन-राशि की मात्रा की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।
(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ऋणों की बकाया

615. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालोर में पिछले पांच सालों की किस-किस प्रकार के सहकारी ऋणों की कितनी बकाया है ? और उसमें वसूली योग्य बकाया कितनी किस-किस साल की सालवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सालों की सरकारी ऋणों की बकाया में सालवार कितना मूलधन व कितना ब्याज सम्मिलित है ? बकाया ब्याज में सालवार कितना साधारण ब्याज व कितना पीनल ब्याज जोड़ा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। पीनल ब्याज लगाने के क्या कारण हैं ?

(3) इस प्रकार के सरकारी ऋणों की वसूली में अधिक से अधिक कितना ब्याज मूलधन के साथ-साथ वसूल किया जा सकता है ? इस बारे में ब्याज वसूली के सरकार ने अब तक क्या-क्या आधार रखे हैं ? भविष्य में इस बारे में सरकार क्या नीति अपनाने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

तहसीलदार का तबादला

616. **श्री नथमल चौहला** (लक्ष्मनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार श्री कृष्ण शर्मा जिला सीकर का रहने वाला है ? यदि हां, तो क्या सरकारी नियमानुसार इसे सीकर जिले में ही तहसीलदार लगाना सही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस तहसीलदार का तबादला सीकर जिले के बाहर हुआ था जो कैंसिल कर दिया गया ? यदि हां, तो कब-कब और कितनी बार कैंसिल किया गया और क्यों ?

(3) उपरोक्त तहसीलदार का तबादला लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर से नीम का थाना जिला सीकर में करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। मौजूदा आदेशों के मुताबिक तहसीलदार का नियोजन उस जिले में नहीं होता जिसके कि वह निवासी है।

(2) जी हां। श्री कृष्ण शर्मा, तहसीलदार का तबादला जिला सीकर से उपनिवेशन विभाग बीकानेर में राजस्व मण्डल के आदेश द्वारा किया गया था, जो राज्य सरकार द्वारा

(राजस्व मंत्री)

स्टे किया गया था। अब राज्य सरकार के आदेश द्वारा श्री कृष्ण शर्मा तहसीलदार को जिला सीकर से बाहर स्थानान्तरण करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(3) प्रशासनिक कारणों से जिलाधीश द्वारा किया गया था।

कृषि भूमि पर अवैध कब्जे

617. **श्री लादूराम सुलानियां** (फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर तहसील के ग्राम झोटवाड़े में अवैध रूप से मकानात तामीर किये जाकर कृषि भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं ? क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाकर अवैध रूप से निर्मित मकानों को तोड़ा गया या फारफीट किया गया है और अवैध कब्जा हटा दिया गया है ? यदि हाँ, तो किन किन के मकानों का ?

(2) कितने मकान बन चुके हैं कितने मकान बन रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर तामीर करने वालों के नाम, पिता के नाम, जाति खसरा नम्बरान व उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही के पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि कृषि भूमि में मकानात व दुकानात का निर्माण होते समय हल्का पटवारी ने रिपोर्ट नहीं की और अवैध मकानात व दुकानात तामीर हो गई ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि जयपुर तहसील के हल्का नं० 1 का पटवारी अपने मुख्यालय पर नहीं रहता है ? जिसके कारण क्षेत्रीय कृषकों को आये दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो पटवारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु कम्पाउन्ड वाल (डोली-डन्डा) बनाना धारा 91 (ए) की तहत आता है ?

(6) क्या पटवारी हल्का नम्बर 14 ने जनवरी, 1967 से अब तक डोली-डन्डा (कम्पाउन्ड वाल) लगाने वालों की रिपोर्ट की है ? यदि हां, तो किस किस की ? सूची मय खसरा नम्बरान के खातेदारों के नाम सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या यह भी सत्य है कि तहसील जयपुर में जनवरी, 67 से अब तक धारा 91 (ए) के तहत कुछ मुकदमें दर्ज हुए है ? यदि हां, तो कितने और उनमें से कितने मुकदमों के फैसले हो चुके हैं और कितने पैंडिंग हैं ? सूची पटवारी की रिपोर्ट की तिथि व फैसलों की तिथि के मय खसरा नम्बरान व काश्तकार के नाम व पिता के नाम के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। और जिन मुकदमों का निपटारा नहीं हुआ है, उनका कारण बतावें ?

उत्तर

1—जी हां, यह सही है ऐसे 404 व्यक्ति है जिन्होंने अवैध रूप से कृषि भूमि पर मय निर्माण कार्य किया है इनके विरुद्ध

(राजस्व मंत्री)

अतिक्रमण के मुकदमें बनाकर उनमें से 193 में बेदखली व तामीर तुड़ाने के आदेश दिये गये। जिसकी सूची प्रश्न के भाग 2 में अङ्कित है :

2—सूची संलग्न है।

3—यह सही नहीं है। जो निर्माण अवैध रूप से हुए हैं उनकी रिपोर्ट पटवारी हल्का ने की है जिसकी तहसील द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई।

4—यह सत्य नहीं है। पटवारी हल्का नम्बर 14 अपने मुख्यालय पर ही रहता है। उसके विरूद्ध कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिससे वह विदित हो कि कृषकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

5—जी नहीं, कृषि भूमि सुरक्षा हेतु पक्का आहता बनाना धारा 91 के अन्तर्गत नहीं आता है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में कोई धारा 91 'ए' नहीं हैं 12 मील की परिधि में पक्का निर्माण करना निषेध है।

6—जन. 67 से अब तक पटवारी हल्का न 67 ने आहता बनाने वाले दो व्यक्तियों के विरूद्ध रिपोर्ट की है जिनकी सूची 4 (ख) संलग्न है।

7—जनवरी, 1967 से अब तक माफिक संलग्न फहरिस्त 404 के मुकदमें दर्ज हुए जिनमें से 193 का निपटारा दिया गया बाकी 211 कार्यवाही तहसील में चल रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

सरदारशहर में भूमि का आवंटन

618. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर कस्बे के सैंकड़ों भूमिहीन अथवा अल्प जोत वाले साधनहीन किसानों को संवत् 2015 में काश्त हेतु शहर से 2 मील के क्षेत्र में आवंटित की गई सरकारी भूमि जिसकी खातेदारी के काश्तकार हकदार हो गये है, को नगर कांग्रेस सरदारशहर के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रेडिया की शिकायत पर बेदखली का आदेश दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि किसानों को बिना सुनवाई का अवसर दिये यह आदेश दिया गया है ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या यह भी सही है कि संवत 2015 से शहर से 2 मील के क्षेत्र में आराजी अवाप्त करने में कोई निषेद्य नियमानुसार नहीं था ? निषेद्य का संशोधन नियमों में सन् 1961 में किया गया है जिसका निषेद्य से पूर्व अलाटमेन्ट पर असर नहीं हो सकता ?

(4) क्या यह सही है कि निर्धारित अवधि में इस अलोटमेन्ट के रुद्ध कोई शिकायत तहसील में और कोई अपील अधिकृत अधिकारी के समक्ष नहीं की गई थी ?

(श्री दौलतराम सारण)

(5) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार सरदारशहर ने भी किसी काश्तकार के विरुद्ध नियमानुसार काश्त न करने की कोई शिकायत या सिफारिश अलाटमेन्ट खारिज करने बाबत नहीं की थी ?

(6) क्या यह सही है कि अलाटीज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़ी जातियों के हैं ?

(7) क्या यह भी सही है कि श्री मोहन लाल नाई नगर कांग्रेस सरदारशहर के एक पदाधिकारी को शहर के दो मील के क्षेत्र के अन्दर इस वर्ष के अलाटी होने के कारण उपरोक्त अलाटीज की भूमि खारिज करने के बाद ए. डी. अ. चूरू द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये है ? यदि हाँ, तो उस एक व्यक्ति के साथ रियायत करने और अन्य गरीब काश्तकारों को बेदखल करने के क्या कारण हैं ?

(8) क्या यह सही है कि रेत के बड़े-बड़े टीलों को उड़ने से रोक कर उपरोक्त किसानों ने अपने खेतों को ठीक किया है, बाड़ बनाई है और पेड़ लगाए हैं तथा भूमि को उपजाऊ बनाई है और शहर के विकास में इनसे कोई रुकावट नहीं है ?

उत्तर

1—सम्वत् 2015 में 16 व्यक्तियों को शहर से 2 मील के क्षेत्र में भूमि आवंटित की गई थी, जिनकी सूची संलग्न है। इनको अस्थायी आवंटन केवल एक वर्ष के लिए ही किया गया था। अतः वे खातेदारी के हकदार नियमानुसार नहीं हो सकते। नगर कांग्रेस सरदार शहर के भूतपूर्व अध्यक्ष की शिकायत सं० 2015 के अलाटीज के सम्बन्ध में नहीं थी अतः बेदखली का प्रश्न ही नहीं उठता।

2—सम्वत् 2015 के अलाटीज को बेदखल करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि उनको केवल एक वर्ष के लिए ही भूमि अलाट की गई थी।

3—जी हाँ यह सही है कि सम्वत् 2015 में शहर के दो मील के क्षेत्र में आराजी अलाट न करने का कोई नियम नहीं था। संशोधन से पूर्व लागू होने का प्रश्न कानूनी है।

4—जी हाँ, 5 – जी हाँ,

6—संवत् 2015 के अलाटीज में 3 व्यक्ति पिछड़ी जाती के हैं।

7—श्री मोहनलाल नाई द्वारा एसिसटेन्ट कलेक्टर, चूरू की अदालत में दावा पेश करने पर दिनांक 21-2-68 को डिग्री उनके हक में दी गई है, अतः उसके साथ रियायत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

8—यह सही नहीं है कि रेत के टीलों को रोकने के लिए वृक्ष लगाये गये हैं, भूमि को उपजाऊ बनाई गई। कब्जा कायम करने के लिए बाड़ अवश्य लगाई गई है। शहर के विकास में रुकावट अवश्य है। क्योंकि आबादी विस्तार में रुकावट पैदा होती है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

श्री गंगानगर जिले की भूमि

619. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर में कुल कितनी एकड़ भूमि है ?

(2) खातेदारी कितनी है व अराजी कितनी है ?

(3) बंजड़ कितनी है जिसमें सरकारी कितनी है व खातेदारी व अलाट-शुदा कितनी है ? तहसीलवाईज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) गंग कैनाल में कितनी, भाखरा में कितनी, राजस्थान कैनाल में कितनी कैनाल क्षेत्र से बाहर कितनी एकड़ है ? सिंचित कितनी, बारानी कितनी एकड़ है ? तहसीलवाईज सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पहले यह भूमि तहसील रेवेन्यू से एक साला आराजी अलाट की गई थी ? यदि हां, तो कौन से सन् में भूमि अलाट की गई और फिर यह भूमि खारिज किसने की थी ? उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या यह सही है कि यह सब काश्तकार मौके पर आबाद हैं ? यदि हां, तो कौन से सन् में आबाद हुए ?

(स्थगित किया गया)

सीलिंग कानून और भूमि का बेचान

620. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में भूमि पर सीलिंग कानून बनने के बाद भूमि का बेचान बड़ी तादाद में हुआ है ? यदि हां, तो कुल कितने एकड़ भूमि का बेचान हुआ और उस बची हुई भूमि की कुल कितनी कीमत है और सरकारी फीस कितनी जमा हुई है ?

(2) क्या सीलिंग कानून पास होने के बाद जो भूमि का बेचान हुआ है, वह रद्द किया जावेगा यदि हां, तो उसका असर कुल कितने काश्तकारों पर पड़ेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस बेचान से सरकार को कितनी रजिस्ट्रियों से कितनी आय हुई है ? जिले वाइज सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(स्थगित किया गया)

शुभ लक्ष्मी मिल्स लि. को लीज पर दी गई भूमि

621. **श्री रिद्धचिन्द पालीवाल** (गंगापुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शुभलक्ष्मी मिल्स लि. को कितनी भूमि मिल बनाने के लिये कब किस हिसाब

(श्री रिद्धीचन्द पालीवाल)

से दी गई तथा लीज के कितने रुपये सलाना सरकार द्वारा लिये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सच है कि लाख गज भूमि पर भिन्न-भिन्न मिलों द्वारा कब्जा किया होने पर भी राज्य सरकार द्वारा रेगुलेराइज की कार्यवाही नहीं हो रही है ?

(3) क्या यह सच है कि जयपुर रोड और हिन्डोन रोड पर भी मनमाने ढंग से कृषि भूमि पर मिलों का निर्माण हो रहा है ?

(4) क्या यह सरकारी नीति के अनुसार हैं या चीफ टाउन प्लानर की सहमति से निर्माण हो रहा है ?

(5) क्या सरकार प्लानिंग से काम करना चाहती है या मनमाने ढंग से ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम सथूर बिजोली फेयर-वेदर सड़क

622. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिण्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बून्दी में ग्राम सथूर से बिजोली जाने वाली फेयर वेदर रोड पर कब और कितने नये पुल व कितनी पुरानी पुलियाओं की मरम्मत व नव निर्माण कराया ?

(2) इन पुलियाओं पर कुल कितना व्यय हुआ ? क्या इस कार्य का ठेका दिया गया ? यदि हाँ तो किसे और कब ?

(3) कितनी पुलियायें वर्षा के कारण टूट गई और कितनी अधूरी पड़ी है और क्यों ?

(4) सरकार इस सड़क को जहाजपुर व भीलवाड़ा से कब तक पक्की बनवाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष 4 पुलियों की मरम्मत व 6 पुलियों का नव निर्माण कार्य कराया गया है।

(2) 47,854) रु० खर्च हुआ है। पुलियों के निर्माण का काम श्री कुन्दनलाल ठेकेदार को जनवरी 69 में दिया गया था।

(3) कोई पुलिया नहीं टूटी है। केवल धनाभाव के कारण 3 पुलियों का काम शेष है।

(4) अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

छीपाबड़ोद-हरनावदा शाहजी सड़क

623. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की छीपावड़ोद तहसील में एक सड़क छीपा-बड़ोद से बन्जारी होती हुई हरनावदा शाहजी जाती है, जो कच्ची सड़क है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर काफी यातायात रहता है ? व इस सड़क की हालत बहुत ही खराब है जगह-जगह रपटें व पुलियायें हैं; जो टूटी हुई हैं ?

(3) क्या सरकार इस सड़क को पक्की करवाने का विचार रखती हैं ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हाँ

(2) जी हाँ । यह मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूत्रों पर नहीं है ।

(3) सड़क को पक्की बनाने की योजना विचाराधीन नहीं है ।

कोटा से कैथून दानाहेडा सांगोद सड़क

624. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा से केथून दानाहेडा सांगोद जाने वाली सड़क का सन् 69-70 का क्या बजट है ?

(2) क्या यह बजट सड़क को पक्की बनाने में बिल्कुल भी खर्च नहीं किया गया ? और न इस सड़क पर मरम्मत ही कराई गई है ?

(3) यदि हाँ, तो क्यों और इस बजट को किस काम में लगाया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

बिसाऊ-चूरू सड़क

625. **श्री रूपसिंह** (सरदारशहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) बिसाऊ से चूरू की सड़क की प्याऊ से आधा मील की दूरी पर सड़क पर जो रेत माह मई-जून सन् 1969 में 70 गज लम्बी सड़क पर 10 फीट ऊँची जम गई थी उसको अभी तक नहीं हटाने का क्या कारण है ?

(ख) क्या यह सही है कि इसमें ट्रकें व बसें भी फंसती रहती हैं और छोटी कारों को ट्रकों से बाँध कर या और किसी जरिये इससे जगह से निकाला जाता है ?

(ग) इस रेत को सड़क से कब तक हटाने का इरादा है ?

उत्तर

(1) सड़क पर आई हुई रेत हटादी गई है ।

(2) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

3. रेता हटा दिया गया है ।

सांगोद राजगढ़ एवं कोटा-बारां सड़क

626. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांगोद-राजगढ़ सड़क पर 69-70 की अगस्त व सितम्बर की बरसात में कितने कितने स्थानों पर कितना-कितना नुकसान हुआ है और उसकी मरम्मत व फिर से बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या कोटा-बारां का रास्ता चालू रखने व परवन व काली सिन्ध के संगम के नजदीक बने सिंचाई के एक्वेडक्टस व नहरों की हिफाजत हेतु तृतीय पंच-वर्षीय योजना में स्वीकृत, भोनरा-राजगढ़ पलायता सड़क को शीघ्र बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हाँ, तो यह सड़कें कब तक बना दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) मील 9 से 10 में का नुकसान हुआ है।

मरम्मत हेतु टैण्डर मांगे जा रहे हैं।

(2) प्रारूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सड़क निर्माण के प्रस्ताव शामिल कर लिये गये हैं। ज्यों-ज्यों धन राशि प्राप्त होगी कार्य कराया जा सकेगा अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

हनुमानगढ़ टी.बी. सड़क

627. **श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ व टीबी दोनों तहसीलात के बीच बड़ा भारी ट्रैफिक रहता है लेकिन फिर भी इन दोनों जगहों को जोड़ने के लिये पक्की रोड बनी हुई नहीं है ?

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस रोड को जल्द बनवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हाँ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कार्य आरम्भ होने की आशा है।

बूँदी में टाउन हाल का शिलान्यास

628. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बूँदी के आजाद पार्क में पं. ब्रज सुन्दर शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा टाउन हाल का शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो किस दिन ?

(2) क्या बूँदी नगरपालिका द्वारा टाउन हाल के लिये योजना तैयार करली गई है ? क्या बजट में इसकी स्वीकृति दे दी गई ? यदि हां, तो क्या कारण है कि अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं किया गया ?

(3) क्या पार्क में जहाँ पर मंत्री द्वारा

(श्री केशरीसिंह हांडा)

शिलान्यास किया गया है वहां पर पी.डब्ल्यू. डी. द्वारा बनाया गया बूंदी की सिंचाई योजनाओं का मानचित्र बना हुआ था ?

(4) क्या उसे तोड़ दिया गया है ? यह कार्य किसके आदेश से किया गया था ? क्या इसका मलवा अभी तक भी वहीं पड़ा है ?

(5) क्या यह सत्य नहीं कि मानचित्र पर जो टिन शेड या उसके चद्दर मंत्री के बूंदी स्थित मकान पर पहुंचा दिये गये हैं ? यदि हां, तो यह आज्ञा किस के द्वारा दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां ।

दिनांक 4-10-68 को ।

(2) जी हां ।

जी हां ।

नगरपालिका द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) यह मानचित्र इस स्थान से कुछ फासले पर जो नगरपालिका की धनराशि से बनाया गया था ।

(4) जी हां ।

प्रशासक के आदेशों से ।

जी नहीं ।

(5) यह सही नहीं है ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नगरपालिका पाली द्वारा जमीन खरीद

629. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने श्री सायरचन्द डागा से कोई जमीन जून, 1969 में ली ? यदि हां, तो कौन सी तारीख को ?

(ख) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व बोर्ड के चेयरमैन ने चार गुना कीमत देकर जमीन खरीद ली ? यदि हां, तो क्या उसको खरीदने का हक था ?

(ग) क्या यह सत्य है कि पिछले बोर्ड ने बिना सक्षम अधिकारी की आज्ञा लिये ही यह जमीन खरीद ली ? यदि हां, तो इसके लिये बोर्ड ने कब प्रस्ताव पारित किया ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो किन-किन भूतपूर्व चेयरमैन ने किस आधार पर खेती की जमीन खरीदी ?

उत्तर

(क) जी हां ।

दिनांक 20-6-69 को ।

(ख) यह कहना कठिन है कि भूमि की कीमत जो दी गई है वाजिब है अतः चार गुना है ।

आपने उक्त भूमि को खरीदने की कार्यवाही नगरपालिका की एक्जीक्यूटीव कमेटी

Page No 48

(स्वायत शासन मंत्री)

द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही की है।

(ग) यह सन्देहजनक है कि किसी नगरपालिका की उक्त सम्पति खरीद करने के लिए किसी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

उक्त भूमि को खरीदने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने सम्बन्धी प्रस्ताव नगर पालिका की एग्जीक्यूटिव कमेटी को दिनांक 15-6-69 को पारित हुआ जिसकी पुष्टि एग्जीक्यूटिव कमेटी की दिनांक 19-6-69 में की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका मण्डल के तत्सम्बन्धी अधिकार एग्जीक्यूटिव कमेटी को हस्तान्तरित कर रखें हैं।

प्रस्ताव को प्रतिलिपि प्राप्त न होने से सदन की मेज पर नहीं रखी गई है।

पाली में कृषि मण्डी की भूमि

630. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि पाली शहर में तिलक नगर में कृषि-मण्डी की योजना कलेक्टर श्री बराया व श्री रमाणी के समय में बनी हुई थी? यदि हाँ, तो उस योजना और लान की कापी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि यह प्लान नजूल कमेटी ने भूतपूर्व चीफ टाउन प्लानर श्री मेवाड़ा की मौजूदगी में बनाया था?

(3) क्या यह सत्य है कि इस प्लान के बनाते समय कलेक्टर पाली, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता चीफ टाउन प्लानर व कृषि विभाग के उप संचालक सभी मौजूद थे? यदि हां, तो उस समय की जो बैठक हुई उसके मिनट्स की कापी सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सत्य है कि बावजूद इस प्लान के भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने तिलक नगर में उन व्यक्तियों को प्लान के खिलाफ भूमि आवंटन कर दिये जिन व्यक्तियों को कानूनन दिये नहीं जा सकते थे? यदि हां, तो किन किन को, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सत्य है कि बावजूद स्वायत्त शासन विभाग के स्टे-आर्डर के भू-खण्ड की रजिस्ट्री भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने करदी? यदि हां, तो किन किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सत्य है कि यह भू-खण्ड उन लोगों को दिये गये जो पाली के निवासी नहीं हैं, जो मर चुके हैं और जो इन्कम टैक्स देते हैं तथा जिनके पाली में मकानात हैं?

उत्तर

1—यह सही है कि पाली शहर में तिलक नगर में कृषि मण्डी की योजना बनी हो।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

योजना के प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

प्लान नगर पालिश में उपलब्ध न होने से प्लान की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

2—जी हां।

3—इस मामले पर नजूल समितिकी सभा दिनाँक 16-5-63 में विचार हुआ। उस सभा में एडिशलन कलेक्टर सहायक इन्जिनियर, चेयरमेन, नगर पालिका एवं ट्रेजरी आफीसर उपस्थित है।

प्रतिलिपि प्रश्न के भाग 1 के साथ पेश करदी गई है।

4—भू-खण्ड कानूनन दिये गये है या नहीं यह जानकारी जांच होने के बाद ही दी जा सकती है।

जिनं को भू-खन्ड दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

5—जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

6—सूचनाएं जांच के बाद ही प्रशासक नगरपालिका द्वारा ही दी जा सकती है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

हरिजनों को भूमि के पट्टे

631. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर के करीबन 6 हजार से अधिक हरिजन परिवारों को जब से बीकानेर आबाद हुआ है तब से लेकर 22 साल की आजादी के बाद भी पट्टे अभी तक नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि हरिजन परिवार समय समय पर नगरपालिका व य. आई. टी. को सस्ती दर पर पट्टा देने का आग्रह करते रहे हैं ? यदि हां, तो कितने हरिजनों को पट्टे दिये गये व कितने हरिजनों को अभी तक पट्टे नहीं दिये गये हैं ? इनको पट्टे कब तक दे दिये जावेंगे।

उत्तर

1—बीकानेर शहर में न्यास द्वारा हरिजनों को पट्टे नहीं दिये गये हैं क्योंकि वे लोग लीज बेसिस पर पट्टा लेना नहीं चाहते हैं। राज्य सरकार की अतिसूचना संख्या एफ 7 (187) एल. एस. जी. 58 दिनांक 9-5-63 के अनुसार भूखन्ड लीज पर ही दिये जाते हैं।

2—राज्य सरकार के आदेश संख्या डी 745/एफ 10 (22) एल. एस. जी/58 दिनांक 27-4-59 के अनुसार जो हरिजन 40 वर्षों से पूर्व उस भूमि पर काबिज हो सिर्फ उन्हीं को एक रुपया की नोमीनल फी के ऊपर पट्टा दिया था। ऐसे पट्टे सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा क्राउन ग्रान्ट्स अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत इस शर्त पर दिया

Page No 50

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

जा सकता है कि ग्रान्टी इस ग्रान्ट को स्थानान्तर नहीं करेगा एवं वह उस जमीन को उसी काम के लिये रखेगा जिसके लिये वह पिछले 40 वर्षों से उठाता जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिलाधीश बीकानेर से तथ्यों की पूर्ण जानकारी की जा रही है व उनका टिप्पण आपेक्षित है। सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

नगरपालिका पाली द्वारा झूलों की खरीद

632. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने पाली में पुरुषार्थी कालोनी के बच्चों के लिये झूले बनवाये थे ? यदि हाँ, तो कब ?

(2) क्या यह सत्य है कि इन झूलों के लिये टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ? अगर हाँ, तो किन-किन के टेण्डर आये ? टेण्डरों की कापियां सदन की मेज पर रक्खें।

(3) क्या यह सत्य है कि वे झूले मुश्किल से चार सौ रुपयों की कीमत के भी नहीं होंगे जबकि नगरपालिका पाली ने 1500) रु० अपने फण्ड में से दे दिये ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस बावत कोई शिकायत स्वायत्त शासन विभाग में पेश की गई और उसके आधार पर जांच शुरू हुई ? यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

(5) क्या यह सत्य है कि टेण्डर-दाताओं ने यह स्पष्ट कहा था कि उन्होंने करीब 500) रु. रिश्वत के दिये हैं ? यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की और नहीं की, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

माह जून, 1969 में बनवाये हैं।

(2) जी हाँ।

निम्न व्यक्तियों ने टेन्डर दिये थे।

(1) श्री मोहम्मद हुसेन वल्द अजमी लुहार, पाली।

(2) श्री अब्दुल सतार पुत्र मोहम्मद हुसेन, पाली।

(3) साइकिल आयरन वर्क्स, सोमनाथ महेन्दर, पाली।

टेन्डरों की प्रतियां प्राप्त न होने से सदन की मेज पर नहीं रखी गई हैं।

(3) नगरपालिका द्वारा झूलों के लिये जो आर्डर दिया गया था वह प्राप्त टेन्डर में न्यूनतम टेन्डर के आधार पर था। सामान जो उक्त झूलों में बताया गया वह टेन्डर के अनुसार है या नहीं इस बाबत जांच, प्रशासक, नगरपालिका, पाली द्वारा की जा रही है।

(4) जी हाँ।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

प्रशासक, नगरपालिका द्वारा जांच की जा रही है। जांच पूर्ण न होने से परिणाम नहीं बताया जा सकता है।

(5) मामला अभी जांच में है, अतः जांच पूर्ण होने पर ही जांच परिणामों के अनुसार कार्यवाही की जाना सम्भव होगी।

नगर न्यासों के अध्यक्ष एवं सदस्य

633. **श्री रूपसिंह** (सरदारशहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में जहां-जहां पर नगर न्यास हैं उनके अध्यक्ष व सदस्य कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) नगर न्यास के अध्यक्ष व सदस्य को नियक्त कौन करता है ? क्या इसकी नियुक्ति के लिये कोई नियम बनाए हुए हैं ?

उत्तर

(क) सूची संलग्न है।

(ख) नगर न्यासों के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार जो अधिनियम 1959 के अन्तर्गत की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

केकड़ी में पब्लिक टेप

634. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या जल-प्रदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी नगर जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत अभी तक कहीं पर पब्लिक टेप नहीं दिए गए हैं ?

(2) केकडी नगर जल प्रदाय योजना में कितने पब्लिक टेप किस आधार पर और कहां-कहां पर दिए जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अनुसूचित जाति के मोहल्लों में भी पब्लिक टेप देने का प्रावधान है या नहीं ?

1—जी हां

2—योजना में कुल 20 सार्वजनिक नल लगाये जाने का प्रावधान है। ये सार्वजनिक नल योजना के अन्य कार्य पूर्ण होने पर नगर पालिका की सहमति में लगाये जायेंगे। अतः सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

3—योजना में अनुसूचित जाति के मोहल्लों एवं अन्य सभी मोहल्लों में सार्वजनिक नल लगाने का प्रावधान है।

गंगापुर में बनस्पति घी उद्योग की स्थापना

635. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री श्रवणलाल)

(1) क्या यह सच है कि गंगापुर सिटी में बनस्पति घी का उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ उद्योगपतियों ने आवेदन-पत्र सरकार को दिये हैं ? यदि हाँ, तो किस-किस ने ?

(2) क्या सरकार ने गंगापुर सिटी में उक्त उद्योग की सम्भावनाओं के बारे में जाँच की है ? यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा यदि जाँच नहीं की है तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

मै० शाहु जैन लि० कलकत्ता ने आवेदन पत्र दिया था।

(2) जाँच करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ?

आन्दोलन में पकड़े गये सत्याग्रही

636. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या कारावास विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला गंगानगर में चल रहे जन आन्दोलन में पकड़े गए सत्याग्रहियों की कुल संख्या कितनी है और उनको किस-किस जेल में रखा गया तथा हस्तांतरित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सत्याग्रहियों को एक जेल से दूसरी जेल में जो भेजा गया वह किस साधनों से भेजा गया और उनको कौनसी श्रेणी में रखा गया ?

(3) किस किस जेल में किस किस सत्याग्रही की मृत्यु हुई और उसका कारण क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जिला गंगानगर में चल रहे आन्दोलन में पकड़े गये बन्दियों की सं० प्रतिदिन उनके स्थानान्तर आदि के कारण घटती बढ़ती रही थी प्रायः सभी बन्दी छोड़ दिये गये हैं।

(2) सत्याग्रहियों को एक जेल से दूसरी जेल पर रेल अथवा बस द्वारा भेजा गया एवं उन्हें उसी श्रेणी में रखा गया जिस श्रेणी में रखे जाने के लिये न्यायालय द्वारा आज्ञा दी गई थी। इसके बाद एक स्टेज पर राज्य सरकार ने सभी बन्दियों को 'बी' श्रेणी दी। बाद में जहां बन्दी का व्यवहार ठीक नहीं रहा उसे नीचे की श्रेणी दी गई।

(3) दिनांक 3-11-69 को जो आन्दोलन आरम्भ हुआ उसमें जो सत्याग्रही गिरफ्तार किये जाकर जेल में भेजे गये हैं उनमें से निम्नलिखित जेलों पर जिन आन्दोलनकारी बन्दियों की मृत्यु हुई और उनके मृत्यु के कारण निम्न प्रकार हैं :—

Page No 53

(मन्त्री, कारावास विभाग)

कारागृह का नाम	बन्दी का नाम जिसकी मृत्यु हुई ।	मेडीकल रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण ।
1	2	3
(1) केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	(1) श्री रामसिंह पुत्र फतेहसिंह ।	Death ocourred due to Bilateral lober neumonia.
(2) केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	(2) श्री हरचन्द पुत्र रामचन्द्रा ।	Death occurred due to syscopa as the result of Asthema.
केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	(3) प्योलाल पुत्र धानसिंह	Death occured due to Syncope as the result of Asthema.
(2) जिला कारागृह, बीकानेर	(4) बखशीससिंह पुत्र मेघासिंह	Death occured due to Cerdio Pnlmonary Thfo-mbosis of 48 to 72 hours duration. In addition to this toxic condition generated due to Branche, Pneumonia and Focul interstitial Hapa-ritis also contributed to death.
,, ,,	(5) काशीराम पुत्र वेजगर	Peticnt died of the excessive bleeding due to erosion of an Artery passing through the flood of a ducdenal Plear.

बीकानेर जेल

637. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या मंत्री कारावास विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जेल का निर्माण कौन से सन् में हुआ था और जेल में कुल कितने कैदियों को रखने का स्थान है ? स्टेट के समय कितने मकान थे व बाद में कितने मकान बनवाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि जेल में कैदियों को रखने के लिए आज के युग के मुताबिक सुविधायें नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जेल में पाखानों का प्रबन्ध ठीक नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो जेल में फ्लश सिस्टम के कितने पाखाने बने हुए हैं ?

(4) क्या यह सही है कि जेल में काफी बैरिके रिजेक्ट कर दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(5) क्या यह सही है कि जेल के मकानों की मरम्मत व कली नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो सन 1952 के बाद कितनी बार मकानों की कली व मरम्मत की गई ? प्रति वर्ष कार्य कितना कितना हुआ ?

(6) क्या यह सही है कि रिजेक्टेड बेरिकों की मरम्मत नहीं होने से बड़ा नुकसान हो रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि जेल में बाथ-रूम का भी कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हाँ, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कितने बाथरूम बने हुए हैं व कितने पेशाबघर बने हुये हैं ?

(8) क्या यह सही है कि जेल में पाखाना व पेशाब-घर तथा बाथरूम की कमी के कारण बड़ी गन्दगी रहने से जहरीले मच्छर व मक्खियों की भरमार रहती है जिससे कैदियों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

(9) क्या यह सही है कि जेल में डिस्पेन्सरी है उसमें दवाइयों का बड़ा अभाव रहता है ? यदि हाँ, तो क्यों ? डिस्पेन्सरी में दवाइयों का कितना बजट है ? स्टेट के समय कितना था और सन् 1950 के बाद आज तक दवाइयों के लिये कितना बजट रखा जाता है ? सन् 1960 से 69 तक रखे गये बजट की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार बीकानेर कारागृह का निर्माण सन् 1890 के लगभग हुआ है। इस कारागृह में कुल 630 बन्दियों को रखने की व्यवस्था है।

स्टेट के समय इस कारागृह में 95 मकान थे जिनमें से 2 बेरिकें गिर गई है और सात अनुपयुक्त करार कर दी गई है। राजस्थान बनने के बाद 10 कोठरियां, 3

(मन्त्री, कारावास विभाग)

स्टोरस रूम और बेरिक नम्बर 1 से 17 तक की दो साईड की कच्ची दीवारों को पक्का बनाया गया है।

(2) कारागार भवन की स्थिति को देखते हुये बन्दियों को रखने की सब सुविधायें प्रदान की हुई हैं।

(3) बीकानेर कारागृह में पखानों की व्यवस्था ठीक है। टी०बी० वार्ड और कारागृह अस्पताल में फर्श की लेटरीन बनी हुई हैं।

(4) बीकानेर कारागृह में 9 बेरिकों को काफी समय से रिजेक्ट किया हुआ है जिनमें से दो बेरिके गिर चुकी हैं।

(5) बीकानेर कारागृह में समय-समय पर मरम्मत और सफेदी का कार्य किया जाता रहा है। यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है और सार्वजनिक निर्माण विभाग से जितनी कली व अन्य सामान दिया जाता है उसके अनुसार यथा सम्भव मरम्मत व कली का कार्य करा दिया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गत वर्ष वार्डों की कच्ची और गिरी हुई दिवारों को ठीक किया गया है जिसका अनुमानित व्यय लगभग 40,000 रु० हो।

(6) रिजेक्टेड बेरिकों की मरम्मत न होने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इन बेरिकों में बन्दियों को नहीं रखा जाता है और न इनमें कोई ऐसी वस्तुएं ही रखी जाती हैं जिनकी खराब होने की सम्भावना हो और खराब होने से राज्य सरकार को हानि होने की सम्भावना है।

(7) कारागृह में बन्दियों के नहाने के लिये पूर्ण व्यवस्था की गई है नहाने के लिये वार्डों में सीमेन्ट की कुन्डियां बनी हुई हैं। जिनमें नल की व्यवस्था की हुई है। अस्पताल में बन्द स्नानघर (बाथ-रूम) की सुविधा बन्दियों को उपलब्ध है। बीकानेर कारागृह में बन्दियों के लिये 27 पेशाबघर बने हुये हैं जिनमें से 23 बेरियों में व 4 कारखानों में बने हुये हैं।

(8) कारागृह में पखानों व पेशाबघरों की पूर्ण व्यवस्था है जिनकी सफाई की ओर पूरा ध्यान दिया जाता है समय-समय पर डी डी.टी. पावडर छिड़कने को व डी.डी.टी. स्प्रे फिनाईल की व्यवस्था की जाती है।

(9) दवाईयां चिकित्सा विभाग द्वारा कारागार विभाग को उपलब्ध कराई जाती हैं और इसका बजट का नियन्त्रण चिकित्सा विभाग द्वारा ही किया जाता है। कारागृह चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से दवाईयां आदि प्राप्त की जाती हैं।

स्टेट के समय दवाइयों का बजट कितना था और 1950 से 69 तक कितना बजट रखा गया इसकी सूचना कारागार विभाग को नहीं हैं। अमरजेन्सी में जेल के बजट शेड अदर पेटी आवंटन में भी व्यय किया जाता है।

नीम का थाना सर्किल में ट्रान्सफोरमर

638. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

की कृपा करेंगे :—

(1) ए. ई. एन. (आर. एस ई. बी.) सर्किल नीम का थाना में विद्युत् के कितनी 2 क्षमता के ट्रान्सफोरमर किस किस ग्राम में कब कब से लगे हुए हैं और चालू है ?

(2) किस किस ट्रान्सफोरमर पर कितने 2 कनेक्शन कितना 2 पावर के कब कब से चालू हैं ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची 'ब' सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ग्राम मलारना डूंगर में बिजली

639. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (वामन-वास) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मलारना डूंगर (तहसील बोली, जिला सवाई मोधो-पुर) जिसकी आबादी 7 हजार के करीब है तथा इस गांव में सिर्फ 1-112 फर्लांग की दूरी पर बिजली सवाई माधोपुर की तरफ गई हुई है ?

(2) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत इस ग्राम को बिजली कब तक दे दी जावेगी।

उत्तर

(1) जी नहीं। मलारना डूंगर की जनसंख्या 1961 की जनगणनानुसार 4077 है। इस ग्राम से 1/2 या 3/4 मील की दूरी से 33 के० वी० सवाई माधोपुर गंगापुरी लाइन अवश्य निकलती हैं।

(2) अभी निश्चित रूप से कुछ नह कहा जा सकता क्योंकि स्कीम रिपोर्ट लाभ प्रद नहीं है।

ग्राम भाडोती में बिजली

640. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (वामन-वास) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भाडोती तक बिजली की लाइन आ चुकी है तथा यह ग्राम सवाई माधोपुर-गंगापुर लाइन पर स्थित है ?

(2 क्या यह भी सही है कि इस ाम से दूरे अन्य ग्राम भी नजदीक हैं। जैसे मलारना चौड. मेडोली, देतूली, उदगांव, मोरड, भिलपुरा एवं बोरदा। यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र का शीघ्र सर्वे करा कर इन गांवों में बिजली देने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम मलारना चौड़, ग्राम भाडोती से 6 मील दूर है। व ग्राम मिश्रपुरा करीब

(विद्युत् मंत्री)

12 मील दूर है। अन्य ग्रामों की दूरी सर्वेक्षण करने पर बतलाई जा सकती है। अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

ऋण एवं अनुदान की राशि

641. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

राजस्थान में हरिजनों व पिछड़ी जाति व जन-जाति के लोगों को मकान बनाने का कुल कितना लोन व अनुदान दिया गया है।

उत्तर

राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति व विमुक्त जाति के लोगों की, वर्ष 68-69 व 69-70 में निम्न प्रकार अनुदान व ऋण दिया गया :—

अनुदान	**रुपये लाखों में**	
	वर्ष	वर्ष
	68-69	69-70
अनुसूचित जाति	4·09	7·83
अनुसूचित जन जाति	0·50	0·25
विमुक्त जाति	=	1·11
ऋण		
अनुसूचित जाति	=	30·00
कुल योग	4.59	39·19

सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र

642. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि विभागीय सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर को आदर्श केन्द्र बनाने हेतु कोई सुझाव विभाग को प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो कब ?

(2) क्या सरकार ने उक्त सुझावों के अनुसार उक्त केन्द्र को आदर्श केन्द्र बना दिया है ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) क्या उक्त केन्द्र में इसी वर्ष से छात्रावास व्यवस्था भी प्रारम्भ की है ? यदि हाँ, तो वर्तमान में कितने छात्र इस योजना का लाभ उठा रहे हैं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान छात्रों को रहने के लिये आवास की व्यवस्था उपयुक्त है ? यदि हां, तो वर्तमान भवन में जिसके अन्दर केन्द्र व छात्रावास चल रहा है उसमें कुल कितने कमरे हैं ? सूची मय पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या सरकार शीघ्र ही इस केन्द्र को आदर्श एवं उत्पादन केन्द्र बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 30, 3, 68 को

(2) जी हाँ। योजना 1669-70 से

(समाज कल्याण मंत्री)
क्रियान्वित की जा रही है।

(3) जी हां। 8 छात्र लाभ ले रहे हैं।

(4) जी हां। वर्तमान भवन में 5 कमरे हैं जिनका नाप व विवरण संलग्न है। रसोई आदि का अलग प्रबन्ध हैं।

(5) कार्यवाही पहले से ही प्रारंभ है।

कृपया परिशिष्ट 12 देखिए।

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

दी रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनैस एक्ट के अन्तर्गत मामले

78. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) दी रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इनडेटेडनैस एक्ट के अन्तर्गत कितने मामले सुलझाये गये और कितने परिवारों को लाभ हुआ ? यह कानून कब से लागू है ?

(2) राजस्थान में कुल कितने ऐसे कर्जदार हैं जो उपरोक्त कानून के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं ?

(3) इस कानून से लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके इसके लिये राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है।

(4) क्या इस कानून के अन्तर्गत बनने वाले नियम बन चुके हैं ? यदि हां, तो कब ? उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(12-3-70)

छूआछूत निवारण कानून के तहत दर्ज मामले

104. **श्री जय नारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के हर जिले में सन् 69 में कितने केस छूआछूत निवारण कानून की तहत दर्ज हुए उनमें से कितने अदालतों को भेजे गये कितनों में सजायें हुई व कितने खारिज हुए ? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि पुलिस छूआ-छूत सम्बन्धी केस दर्ज नहीं करती है और करती है तो केस को इतना कमजोर बनाकर अदालत को देती है कि अक्सर खारिज हो जाते हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में सन् 1969 में छूआछूत निवारण सन्दर्भ कानून के तहत कुल 49 केसेज दर्ज हुए। जिलेवार केसेज के आंकड़े मय इनके डिस्पोजल, का विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(18-3-70)

गंगानगर जिले में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र

249. **श्री परसराम** (परबतसर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगानगर जिले में भूमिहीन अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों की कितनी 2 अर्जियां भूमि आवंटन हेतु तहसील वार आई।

(ख) इन भूमि हीन अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों में से कितनों को कितने 2 बीघा जमीन आवंटित की गई? सूची तहसील वार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) गंगानगर जिले में भूमि हीन व्यक्तियों की कितनी अर्जियां आई उनसे सरकार को स्टाम्प आदि से कितनी से कितनी आमदनी हुई?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(20-3-70)

पटवारियों के तबादले

260. **श्री परसराम** (परबतसर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) एक सरकारी कर्मचारी (पटवारी, तहसीलदार, व एस डी. ओ.) एक स्थान पर कितने वर्षों तक निरन्तर रह सकता है?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग में कई सरकारी कर्मचारी एक ही स्थान पर 10-10 और 12-12 वर्षों से जमे हुए हैं? यदि हां, तो सरकार उनका तबादला क्यों नहीं करती?

(ग) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल से इस प्रकार के कोई नोटिस (हिदायतें) जारी किये हैं कि राजस्व विभाग के ऐसे कर्मचारी जो एक ही स्थान पर पांच सालों से अधिक सेवा में काम कर रहे हैं उनके तबादले कर दिये जावें? यदि हां, तो ऐसी हिदायतों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल ने सन् 1968-69 में भी ऐसा नोटिस जारी किया था? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ड) क्या यह सत्य है कि ऐसी हिदायतें होते हुये भी उनकी अनुपालना नहीं की गई? यदि हां, तो जो अधिकारी उन हिदायतों की अनुपालना नहीं करते उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करती है?

(च) क्या ऐसी हिदायतें जिला नागौर एवं अजमेर में पहुंची है? यदि हां, तो वहां के अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(छ) तहसील परबतसर जिला नागोर

(श्री परसराम)

से सन् 1968-69 में किन किन पटवारियों का तबादला किया गया ? उनकी पोस्टिंग कब से उस पटवार सर्किल में हुई और कितने वर्ष पटवारी उस ग्राम में रहे थे और किन कारणों से उनका तबादला किया गया था का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(ज) ग्राम मगलाना, भकरी, मडसीया व भागोट तहसील परबतसर के पटवारी कितने वर्षों से वहां जमे हुए हैं और उनका तबादला क्यों नहीं किया गया ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(20-3-70)

ग्राम पहाड़ी एवं केलवाड़ा में आवंटित भूमि

264. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुरेन्द्रसिंह पुत्र बीरबल जाट, तेजपालसिंह पुत्र बाबूसिंह जाट, अनन्तसिंह पुत्र होकमसिंह जाट एवं विजयपालसिंह पुत्र बिरखसिंह जाट के तहसील शाहबाद के ग्राम पहाड़ी एवं केलवाड़ा में सन् 1967 में भूमि आवन्टन हुई है ?

(2) यदि हां, तो किस किस तारीख को कितनी कितनी बीघा भूमि किस किस खसरा नम्बर की आवन्टित हुई और किन नियमों के तहत हुई ?

(3) उक्त चारों व्यक्ति किस स्थान के रहने वाले है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि सर्व श्री सुरेन्द्रसिंह तेजपालसिंह एवं विजयपालसिंह को ग्राम पहाड़ी तहसील शाहबाद में सन् 67 में भूमि आवंटित की गई है श्री अनन्तसिंह को उक्त वर्ष में तहसील शाहबाद के प्रतिवेदन के अनुसार भूमि आवंटित नहीं हुई है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) उपरोक्त तीनों आवंटिति उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(25-3-70)

नगर विकास न्यासों के जन प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

340. **श्री जय नारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने नगर विकास न्यास कब से काम कर रहे है ? उनमें कितने ऐसे हैं जिनके जन प्रतिनिधियों व कर्मचारियों पर गबन के केस चल रहे है या साबित हो गया हैं ? हर न्यास की अलग अलग सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने ऐसे हैं जिनकी वसूली की

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कार्यवाही पी. डी. आर. के तहत चल रही हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 11 नगर न्यास कार्य कर रहे हैं। सूची (क) और (ख) संलग्न है। न्यास के किसी भी प्रतिनिधि व कर्मचारी पर गबन का केस नहीं चल रहा है।

(2) पी. डी. आर. के तहत वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची 'क' कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

(सूची 'ख' विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थगित प्रश्न

(25-3-70)

जयपुर में फौजियों के लिए सुरक्षित भू-खण्ड

344. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनू) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर विकास न्यास, जयपुर ने कोई ऐसा निश्चय किया था कि फौजियों के लिये कुछ भू-खन्ड सुरक्षित रखे जायेंगे ? यदि हां, तो कब और कितने कितने भू-खण्ड सुरक्षित किये गये और उनके वितरण के लिये क्या प्रक्रिया निश्चित की गई ?

(2) अब तक कितने फौजियों की दरख्वास्त प्राप्त हुई हैं ? सूची दरख्वास्त प्राप्त होने की तारीख मय पूरे पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिन फौजियों को भू-खण्ड एलाट कर दिये गये हैं उनकी सूची मय पूरे पते के और दरख्वास्त देने की तारीख, भूखण्ड एलाट करने की तारीख तथा भूखण्ड किस साइज का कितने मूल्य में किस स्कीम में एलाट किया है तथा उनको कब्जा देने की तारीख सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(25-3-70)

भूखण्डों का अलाटमेन्ट करने के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया

345. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनू) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वर्ष और पिछले वर्ष में नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा किन किन को कहाँ कहां पर कितना कितना भू-खण्ड अलाट किया गया ? भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र किस किस तारीख से नगर विकास न्यास के पास विचाराधीन थे ? सूची व्यक्तियों के पूरे पते सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नगर विकास न्यास को भूखण्ड

(श्री हरजीराम बुरडक)

अलाट करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किये हुए हों, तो उनकी प्रतियां भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम, उप नियम बनाये हुए हैं? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इस समय भू-खण्ड अलाट करने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(11-3-70 व 25-3-70)

नगरपालिका नागौर द्वारा निर्धारित गृह कर

71. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका नागौर ने जो गृह कर की राशि निर्धारित कर रखी थी इसमें संशोधन करके पूर्व निर्धारित राशि को कम या अधिक किया है? यदि हां, तो 1 जनवरी, 1967 के बाद अब किन किन मामलों में कितनी कितनी राशि पूर्व में थी और कितनी कितनी कम या अधिक किन किन कारणों से किस अधिकारी द्वारा कब कब की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस कार्यवाही को करने वाला अधिकारी उक्त कार्य के लिये सक्षम था?

उत्तर

(1) जी हां।

सूचना सहित सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री लाभचन्द वेद, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1967 को रतनगढ़ थाने में एक हरिजन के कत्ल के मामले को लेकर दिनांक 12 मार्च, 1970 को गृह मंत्रीजी द्वारा हत्या काण्ड के लिये दोषी पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कर देने व उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश करने का जो आश्वासन दिया था उनके सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने कस्बा लूणकरणसर, जिला बीकानेर में राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट अधिकारियों द्वारा पुराने कब्जे के लोगों को रिहायशी जमीन से बेदखल करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है।

(श्री अध्यक्ष)

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में कुछ हरिजन कर्मचारियों की राज्य सेवा से मुक्ति से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री मेघराज पंवार, सदस्य विधान सभा ने बीकानेर जिले के अकाल पीड़ित जनता को रु० 12)50 दिये जाने में भेदभाव बरतने व कई गाँवों में हरिजन किसानों को यह सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री भैरोंसिह, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री महेन्द्रसिंह, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 6 मार्च 1970 को मुख्य मंत्रीजी के निवास स्थान के समक्ष भूख हड़ताल करने के सम्बन्ध में दिनांक 11 मार्च 1970 को राज्य सरकार की ओर से दिए गए वक्तव्य के अनुसार पोकरण नगरपालिका क्षेत्र की जनता को नगद मासिक सहायता न दी जाने तथा जनसंघ के उपाध्यक्ष व अन्य कार्यकर्त्ताओं की पुलिस द्वारा की गई पिटाई की जांच हेतु नियुक्त किए गए अधिकारी के प्रतिवेदन पर तुरन्त अमल न करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त पांचों स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त और जो स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे इस प्रकार हैं—

श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने बारां के जगलात विभाग द्वारा मजदूरों से अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिए खरीद व एकत्रित कराया गया घास का पूरा भुगतान उन्हें न किए जाने व विभाग द्वारा फर्जी कार्यवाही व बोनस बिल्स बनाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना राजवी श्री रूपसिंह, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ व श्री मेघराज पंवार, सदस्य विधान सभा ने बीकानेर शहर में सूरसागर तालाब में शहर का गन्दा पानी इकट्ठा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त दोनों मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाये। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

इनके अलावा दो पेंडिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है :—

(1) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा, ने जोधपुर सर्किट हाउस से

(श्री अध्यक्ष)

एक फ्रांसिसी और एक पाकिस्तानी के फरार हो जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है: उसमें बताया गया है कि ये व्यक्ति जोधपुर सर्किट हाउस से दिनांक 29 मार्च 1970 को प्रातः 3 बजे सर्किट हाउस के बिल का बिना भुगतान किए चले गए और बिल के भुगतान के लिए मैनेजर सर्किट हाउस को लिखित में यह पत्र दे गए कि बिल का भुगतान दिल्ली के पते से प्राप्त कर लिया जावे। इस मामले की छानबीन सी.आई.डी. द्वारा जारी है और केन्द्रीय सरकार के विदेश मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना कोटा नगर में आर.ए.सी. के तीन व्यक्तियों द्वारा आदिवासी महिला के साथ कथित बलात्कार के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार गोयल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा यह बतलाया गया है कि इस मामले की सूचना थाना मंडाना में प्राप्त होने पर केस रजिस्टर किया जाकर तफतीश प्रारम्भ की गई थी। तफतीश में दो आर.ए.सी. के कान्सटेबिल द्वारा यह अपराध किया जाना पाया जाता है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है तथा उन्हें जुडीशल लोक अप में भेज दिया गया है।

ऊपर दिए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि कल दिनांक 7 अप्रैल 1970 को श्री नत्थीसिंह, श्री केदारनाथ, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री विजयसिंह व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने दिल्ली में संसोपा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा 6 अप्रैल 1970 को लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी थीं।

दिल्ली में 6 अप्रैल 1970 को जो घटना हुई और जिन परिस्थितियों में लाठी चार्ज आदि हुआ उसका सीधा सम्बन्ध न तो राज्य सरकार से है और न इस विधान सभा से। अतः मैं लाठी चार्ज किए जाने के औचित्य अथवा अनौचित्य के बारे में यहाँ कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। यह मामला दिल्ली प्रशासन के लॉ एण्ड आर्डर से संबंध रखता है और चूंकि प्रधान मंत्रीजी द्वारा इस घटना की जांच उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा कराए जाने की घोषणा कर दी गई है, और साथ ही इस सम्बन्ध में कल भी मुख्यतः विवेचन हो चुका है अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं देता हूँ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): मेरे स्थगन प्रस्ताव पर, मुझे निवेदन करना है कि आज भी 15,000) मजदूरों को नहीं दिए गए, जंगलात विभाग के अधिकारियों ने फर्जी बिल बना लिए और पैसा ड्रा कर लिया, मजदूरों के बच्चे....

श्री अध्यक्ष: मैंने स्थगन प्रस्ताव

(श्री अध्यक्ष)

अस्वीकार किया है, इसलिए इस पर विवेचन नहीं होगा ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : विभाग से जानकारी....

श्री अध्यक्ष : दूसरे रूप में उठायें, लेकिन यहाँ भी मैंने इसको रिजेक्ट किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है, चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अब इस सदन के माध्यम से उन मजदूरों जिनके फर्जी बिल....

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मजदूरों के बच्चे भूखे मरें....

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए पुनः मैं नम्र शब्दों में निवेदन करता हूँ कि पुनः विचार करके गंभीरता से देखें, मजदूर जब भूखों मर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : निर्णय लें और राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मकराना के अन्दर पानी की कमी के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : लेने का प्रयास करूँगा। कई काल अटेन्शन नोटिसेज़ हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : रतनगढ़ थाने के सम्बन्ध में अदालत में चालान हो गया है। इस मामले में इतनी जानकारी चाहता था कि आप तारीख फिक्स कर दें जैसे मेरी अनुपस्थिति में मैटर डिस्पोज़ आफ न हो जाय जिस तरह से पहले मेरा स्थगन प्रस्ताव डिस्पोज़ आफ हुआ है। इसलिए आप केवल तारीख फिक्स करें, कल करें, परसों करें, मन्डे को करें, मेरा दुराग्रह नहीं, इम्पीजिएट मामला नहीं है कि आज कल में ही लिया जाय लेकिन तारीख फिक्स होनी चाहिए। आपका स्मरण होगा इस सदन में मामला उठ चुका है। मंत्री महोदय ने पुलिस के दोषी अधिकारी, जिनका मर्डर में हाथ था, सस्पेंड करने का, चालान करने का, आश्वासन दिया था, पुलिस के कर्मचारी व अधिकारी फरार हैं, राजस्थान की पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, सीरियस मामला है।

श्री अध्यक्ष : आपकी उपस्थिति का ख्याल रखकर, फिक्स करेंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह जो आपने व्यवस्था दी है, कल इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था। इस सम्बन्ध में कुछ

(श्री नत्थीसिंह)

ऐसे प्रश्न भी है जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या मत है और क्या दृष्टिकोण है, जो जन आन्दोलन के सम्बन्ध में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं और उन पर लाठी चार्ज किया जाय बर्बर रूप से अश्रु गैस का प्रयोग किया जाय और इतना ही नहीं, उसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो, उसके लिए ध्यान नहीं दिया जाय और अस्पताल में जाकर मरे। इसके अलावा इस सदन के एक माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जाय, उस सम्बन्ध में आपको सूचना दी गई, उस पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव अलग है, जिस पर आप कह रहे हैं कि आपकी व्यवस्था सुरक्षित है, उस सम्बन्ध में कल आपने बताया था कि उनको बेल आउट किया गया है, जबकि माननीय सदस्य जो इस सदन में आज आए हैं, उनसे मालूम करने पर पता लगा कि आपको पूरी तरह से गलत सूचना दी है, उन्होंने कोई जमानत नहीं प्रस्तुत की, उनको अनकन्डीशनली रिलीज किया है। इस तरह से गलत तौर से सूचना आपको दी जाय, वहां पर बुरी तरह से लाठी चार्ज किया जाय लोगों पर अश्रु गैस चलाया जाय, महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिये जायें और जहां एक आदिवासी महिला, जो जुलस का नेतृत्व कर रही थी, जो हजारों आदिवासी पहली बार रेल में चढ़कर, अपनी मांगों को लेकर आए। जैसे महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते हुए खर्चे व आमदनी पर सीमा नहीं बांधना, भूमिहीनों को जमीन दिए जाने के लिए और संविधान में 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार और सम्पत्ति पर मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए नई संविधान परिषद् का निर्माण, इस संबंध में जो प्रदर्शनकारी आए थे उनके साथ वीभत्स काण्ड हुआ है जिससे सारा देश दुखी है, सारे जनमानस की धारणा है कि पुलिस की निर्ममता है, यह राजनैतिक षड़यंत्र है। जो शासकों और प्रधान मंत्री के विशेष कटु आलोचक हैं, उनकी जान लेकर उनको शिकार बनाया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी।

श्री नत्थीसिंह : क्या इस तरह से शासन जनतंत्र के माध्यम से चलाया जा सकता है ? हम शासन की कटु आलोचना करें, हमें यह अधिकार है कि हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन करें, विधान सभा के सामने, संसद के सामने और हम देखते हैं कि इस देश में दो तरह की प्रथायें चल रही हैं, एक तो....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इस सदन की व्यवस्था चाहते हैं आपके माध्यम से....

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव था और उस पर आसन ने व्यवस्था दे दी है। उसके बाद में कौन से नियमों के तहत माननीय सदस्य का भाषण हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन नियमों के तहत लोक सभा में हुआ था।

श्री नत्थीसिंह : माननीय सदस्य ने कहा कि किन नियमों के तहत। माननीय सदस्य भूले नहीं कि वह दिन दूर नहीं कि

(श्री नत्थीसिंह)

आपको इधर बैठना पड़ेगा वह दिन दूर नहीं आपको विधान सभा के सामने प्रदर्शन करना पड़ेगा, इसलिए ये मूल सिद्धान्तों का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के पोइन्ट आफ ऑर्डर को डिस्पोज आफ करने दें।

मैंने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया हैं और दूसरा जो विशेषाधिकार का प्रश्न है वह मेरे विचाराधीन है। माननीय सदस्य ने जो सूचना इसमें दी है उसमें एक दो मुद्दे मुझे मेरी जानकारी के लिये मिले हैं जो विशेषाधिकार प्रश्न पर सहायक होते हैं।

(व्यवधान)

आप (श्री परसराम गंगाराम) बैठे बैठे बोल रहे हैं।

श्री परसराम गंगाराम : बाहर झगड़ा हो रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल की दिल्ली में गिरफ्तारी सम्बन्धी मामले पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : इतना महत्व पूर्ण प्रश्न चल रहा है और आपका दिमाग झगड़े में है।

सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होती है। माननीय सदस्य इस पर सहयोग भी देते रहे हैं। यदा-कदा चर्चा माननीय सदस्य उठाते भी हैं जो अनाधिकृत भाषण होते हैं। उनको मैं अंकित नहीं होने देता हूँ और उसमें भी माननीय सदस्य सहयोग देते हैं। यह एक विषम प्रश्न है जिसकी उग्रता कल भी यहाँ प्रदर्शित हुई थी। चूंकि मैंने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया है इसलिये स्वाभाविक है माननीय सदस्यों द्वारा फिर उग्रता प्रदर्शित की जाय। माननीय मुकुटबिहारीलाल आज दिल्ली से आये हैं सम्भवतः वे इस पर कुछ कहेंगे। मेरे आग्रह और निवेदन के विपरीत और मान्यताओं और नियमों के विपरीत भी कुछ कहेंगे। इसलिये मेरा कर्तव्य बड़ा दुरुह है। मैं किस प्रकार आपके संघर्ष से बचूं और मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार संघर्ष में आया जाय जबकि विधान सभा के स्थगित होने के कुछ दिन और बाकी हैं। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे सहयोग दें तो विधान सभा को ठीक रूप से स्थगित कर सकूं। फिर भी माननीय सदस्य कुछ कहना चाहें तो भी मैं, नियमों का उल्लेख नहीं करूंगा केवल मैं मौन रहूंगा। नियम वहाँ के वहां हैं। चर्चा माननीय सदस्य करें तो संक्षेप में नियम और परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए बिना उग्रता का वातावरण पैदा किये करें यही निवेदन कर सकता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : यह बीच का रास्ता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, 6 अप्रेल, 1970 को दिल्ली में संसद् के समक्ष संसोपा द्वारा जो प्रदर्शन आयोजित किया गया और उसमें राजस्थान विधान सभा के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय सदस्य श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल को गिरफ्तार किया गया उसके सम्बन्ध में....

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : मुकुटबिहारीलालजी दिल्ली से लौट आये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियमों में यह लिखा हुआ है कि एक माननीय सदस्य बोल रहा है तो दूसरे माननीय सदस्य को बीच में नहीं बोलना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : नियमों में यह भी लिखा हुआ है कि कोई गलत बात कहे तो उसको रोका जाय।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : नियमों में यह लिखा हुआ है कि बैठे २ नहीं बोलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आपको एक सूचना दिल्ली की पुलिस की ओर से प्राप्त हुई और दूसरी सूचना दिल्ली के मजिस्ट्रेट की ओर से प्राप्त हुई कि माननीय मुकुटबिहारीलाल गोयल को जमानत पर छोड़ा गया है। मैंने कल विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया.उस सम्बन्ध में उस सीमा तक ही अपनी बात कहना चाहूँगा और प्रदर्शन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। विशेषाधिकार के प्रश्न पर आपने निर्णय सुरक्षित रखा है।

अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार का मामला एक टोप प्रायोरिटी का मामला होता है। अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि यही विशेषाधिकार का मामला लोक सभा में भी उठा और उसको विशेषाधिकार समिति के सुपर्द कर दिया गया है। ज्युड़िशियल इन्क्वायरी अलग होगी। प्रिविलेजेज् का जहाँ तक सवाल है, माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हुआ है, वह प्रश्न मर्यादा समिति को आलरेडी सुपुर्द हो चुका है, इस प्रकार के समाचार आपको प्राप्त हुए होंगे। आज विशेष रूप से एक तथ्य सामने आया है। दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने आपको तार से यह सूचना दी थी कि माननीय मुकुटबिहारीलालजी को जमानत पर छोड़ा गया है। मैंने इस सम्बन्ध में मुकुटबिहारीलाल जी से जांच की। वह अपना वक्तव्य सदन में देंगे ताकि इस तथ्य के विषय में और आगे जानकारी आ जाये। उन्हें अनकन्डीशनल रिलीज् किया गया है। जमानत का प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ। जब उन्होंने कोई बेल नहीं ली, उनको अनकन्डिशनल रिलीज् किया गया है तो दिल्ली के मजिस्ट्रेट द्वारा अध्यक्ष महोदय को तार में यह लिखना कि श्रीमुकुटबिहारी लालजी गोयल को जमानत पर छोड़ा गया है सरासर झूठ है, मिथ्या है, भ्रामक है और अध्यक्ष महोदय आपको धोखा दिया है और, मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय को धोखा देना, उनको गलत जानकारी देना इससे अधिक गम्भीर विशेषाधिकार का प्रश्न और कोई हो नहीं सकता। मेरा आग्रह है, माननीय श्री मुकुटबिहारीलालजी के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है, उनके साथ जो कुछ भी किया गया है, बड़ा अशोभनीय है,तार में आर्म्स एक्ट का उल्लेख करना, इस प्रकार की फिजां बनाना, इस प्रकार का वातावरण बनाना कि संसोपा के माननीय सदस्य किसी को मारने जा रहे हैं, हथियारों से लैस हैं,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह डिफेमेटरी है, डिरोगेटरी है और इसके सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही की जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है और सदन के माननीय सदस्यों से भी नम्र निवेदन है कि यह पार्टी बाजी का सवाल नहीं है। भारत सरकार के होम मिनिस्टर ने पार्लियामेन्ट में माफी मांगी है, और प्रधान मन्त्री ने भी ज्युडिशियल कमीशन का अनाउन्समेन्ट किया है। पार्लियामेन्ट में भी नियमों में वहप के सम्बन्ध में ढिलायी बरती गयी है। यह ऐसा मसला है कि जो सदन के माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार से सम्बन्धित है, सभी माननीय सदस्य एक मत से मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने और पुलिस के अधिकारी ने जो भी गलत सूचना दी है विशेषाधिकार के मामले में हाउस काग्नीजेन्स ले और मामला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करे या न करे प्राइमाफेसी केस एस्टेब्लिश हो गया है इसलिये मैं यह प्रस्ताव करना चाहूँगा कि हाउस दस दिन और चलने वाला है, हाउस इमिजियेटली इसका काग्नीजेन्स ले और माननीय मुकुटविहारीलालजी को सुने और दिल्ली के मजिस्ट्रेट और पुलिस को हाउस से वारन्ट जाय और हाउस इस सम्बन्ध में अपना फैसला दे।

श्री अध्यक्ष : मैंने जैसा निवेदन किया दो तार प्राप्त हुए हैं। कल ही मैं इस सम्बन्ध में अपनी कोई व्यवस्था देता तो एक मुद्दा जो बहुत बड़ा था वह रह जाता, जो आज प्रस्तुत हुआ है। मैं इसकी गम्भीरता के सम्बन्ध मे और तार के प्रश्न पर एक तार में तो नाम है और दूसरे तार पर जो आया है उसमें मजिस्ट्रेट का नाम नहीं है।

(विराम)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि दो तार मुझ को प्राप्त हुए हैं। एक पर तो नाम नहीं है। अगर मैं सही हूँ और इसको ठीक तरह से पढ़ता हूँ तो मजिस्ट्रेट भी लिखा हुआ हो ऐसा भी मुझको नहीं लगता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then it seems to be a forgery by some one.

श्री अध्यक्ष : कुछ एम्बीगुएटी इस तार के सम्बन्ध में है। एम्बीगुएटी का सवाल है। इसीलिये विशेषाधिकार के प्रश्न पर यदि कोई निर्णय भी दूं तब भी निश्चित रूप से इन व्यक्तियों को इस तार के माध्यम से नहीं ढूँढ पा रहा हूँ। इसलिये माननीय सदस्यों की व्यग्रता को समझते हुए भी मैं यह उचित समझता हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत छान बीन हो। जहाँ तक इन तारों का प्रश्न है काफी अहमियत का प्रश्न है। मेरी जानकारी पूर्ण रूप से हो जाय तो माननीय सदस्यों को उसमें अधिक सुविधा होगी इस प्रश्न को समझने में। क्योंकि माननीय मुकुटजी आ गये हैं जैसा कि माननीय सतीशचन्द्रजी ने अभी बतलाया है, वे इस तथ्य पर अपनी बात कहेंगे। और विशेषाधिकार के प्रश्न पर भी अधिक प्रकाश वे डाल सकेंगे। उनको सुनने के बाद यह व्यवस्था का प्रश्न, विशेषाधिकार का उस पर निर्णय दिया जाना उपयुक्त होगा। नहीं तो इसमें इम्बीगुइटी रह जायेगी। मैं माननीय सदस्यों की

(श्री अध्यक्ष)

भावना और उग्रता को समझता हूँ। यह सदन का प्रश्न है। इसलिये मैं इस पर विचार करके फिर निर्णय दूंगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, ये दो तार हैं। कौन से पर हस्ताक्षर है और नाम है, गिरफ्तार करने वाले पर या जमानत पर रिहा करने वाले पर। किन पर है-रिलीज्ड आन बेल पर नाम है ?

श्री अध्यक्ष : रिलीज्ड आन बेल पर नाम है।

श्री नत्थीसिंह : गिरफ्तार करने वाले पर नहीं है। याने आपको विधिवत सूचना नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आ चुका है। माननीय सतीशचन्द्र जी ने इस प्रश्न को विशेष रूप से उठाया है। इसमें चुप्पी है परोक्ष से या अपरोक्ष से या वायूं इम्पलीकेशन्स इसको देख लूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ अखबारों के माध्यम से, या दूसरे तरीकों से वहाँ पर जो घटना घटी है, वह आपको मालूम हो गई है। ससोपा का प्रदर्शन किन किन मांगों को लेकर हुआ, क्या उसके उद्देश्य थे, आज उसकी लम्बाई-चौड़ाई में जाने का प्रश्न नहीं है और न मैं जाना चाहूँगा। सिर्फ जो मुद्दे मुख्य हैं और आपने जैसा संकेत किया है उसके बारे में ही मैं अपनी बात यहाँ पर कहना चाहूँगा।

संसोपा के प्रदर्शन पर भाग लेने के लिये संसोपा के दूसरे साथियों की तरह मैं भी भरतपुर से दिल्ली गया। चूंकि मैं लेट हो गया था, मोटर का एक्सीडेंट रास्ते में हो गया, उस आदमी का उपचार जरूरी था, वह घायल हो गया था उसको अस्पताल में ले गया इसलिये देर हो गई। फिर एक कार पकड़ी और उससे करीब एक बजे मैं दिल्ली पहुँचा। जल्दी-जल्दी भाग कर मैं उस प्रदर्शन की तरफ गया तो मुझे रास्ते में हजारों की तादाद में वालन्टियर्स भागे हुए जाते हुए नजर आये, दिखाई पड़े। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ ? उन्होंने कहा अश्रु गैस चला दी गई है और अन्धा-धुंध पिटाई की जा रही है। इसको मैंने देखा। जिस तरह से जानवरों को पीटते कूटते हैं, उस तरह से आदमियों को घेर कर पीट रहे थे। तो अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो करीब 5–6 फर्लांग इधर था तब उनके पीछे पुलिस के बीच में बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पर बुरी तरह से पिटाई कुटाई चल रही थी, मैं एक पेड़ की आड़ में, उसकी ओट में हो गया। पुलिस का दस्ता जो आ रहा था वह आगे निकल गया। मेरे सामने बड़ी बुरी परिस्थिति थी। कुछ साथी मेरे साथ थे। तो मैंने उनसे कहा इस मौके पर क्या करना चाहिये ? तब मैंने वहाँ पर देखा कुछ लोग कांप रहे थे, कुछ के सिर में लगी थी, कोई कहाँ पड़ा था, तो कोई किधर पड़ा था। तब मेरे सामने एक ही रास्ता था कि इन लोगों को उठाऊं। पास में ही एक डिस्पेन्सरी दिखाई दी। भाग कर मैं उसके अन्दर गया। एम्बुलेन्स लेकर आया और लोगों को उठा उठा कर उसमें रखा। लोग बुरी तरह से

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

कांप रहे थे, कराह रहे थे, उनको उसमें उठा कर रखा फिर भी कुछ और आदमी बचे रह गये। तब कुछ संसोपा के लोगों ने हाथ में पट्टी ली और जगह-जगह पर जहाँ पर लगी थी उनके दवाइयां लेकर लगाई और हम लोग उनके जगह-जगह पर पट्टी बांध रहे थे और कुछ जमीन पर लेट गये। ऐसा वहां पर मैं कर रहा था। फिर दुबारा लौट कर आया मैंने देखा जितनों को उठाया है उससे कहीं अधिक घायल वहां पर हैं। इसी दौरान में मुझे पता चला कि मनीराम बागड़ी की हालत ज्यादा खराब है। मैं भाग कर उनकी तरफ गया। एक बंगला, भवन है उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, उसके पास दो कारें थीं उसके बीच में, उन दोनों के बीच में मनीराम बागड़ी पड़े हुए थे और उनके आस-पास ही दो-चार व्यक्ति और पड़े हुए थे। वे बुरी तरह से कांप रहे थे। काफी उनके चोटें आई थी। मैंने उनसे पूछा : बागड़ी साहब हालत कैसी है? एम्बुलेन्स उधर से लोगों को उठवा रही थी, आपके लिये पहले मंगाऊँ, आपको पहले डिस्पेन्सरी पहुँचाऊँ। उन्होंने कहा, मेरी हालत चिन्ता-जनक नहीं है। भाग कर पहले जार्ज का पता लगाओ उनकी हालत कैसी है? मैंने उनसे कहा अभी मैंने रेडियो सुना है, 1·50 की न्यूज मैंने सुनी है, राजनारायण जी, मधु साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तब उन्होंने कहा अब आप जार्ज का पता लगाओ। अध्यक्ष जी, वहाँ का जो दृश्य था वह बड़ा विभत्स था। लोग जगह-जगह पड़े थे, सड़कों पर पड़े हुए थे और दूसरी तरफ पुलिस के दस्ते लोगों पर लाठियां बरसा रहे थे, जो झंडे थे उनको पुलिस वाले फाड़ रहे थे, जो प्रदर्शन पट्ट थे उनको फाड़ा जा रहा था। जो लोग नीचे पड़े हुए थे उनका सामान बिखरा हुआ था, किसी का कम्बल, किसी का दूसरा-दूसरा सामान जगह जगह पड़ा था। पुलिस के लोगों ने झंडों को फाड़ा और उसमें से वह लाठियां निकाल रहे थे, कुछ लोगों की तलाशियां ले रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, जिसको जो मिल गया, वह उस चीज को बटोर रहा था। ऐसी वहाँ की हालत थी, उनकी यह बेबसी की हालत थी और कुछ मेरे सामने था तो इन घायलों को उठाने की बात सोच रहा था। उधर से एम्बुलेन्स आई और मैं उनको उठा-उठा कर रख रहा था। आवाज देने की सी स्थिति नहीं थी। दो-चार वालिन्टियरों को बुला लिया। इसी बीच में मेरे एक साथी ने कहा पुलिस आ रही है और आपको घेर रही है। मेरे सामने कोई स्थान नहीं था और क्या करता? मेरे साथ जो साथी थे, उनमें योगेन्द्र और कुछ दूसरे कमजोर साथी थे। मैंने उनसे कहा तुम जल्दी भागो। वे भागे और सामने फेन्सिग कोर्टयार्ड था। उसमें जाकर वे स्लीप हो गये। मैं सामने खड़ा था। मैं निश्चित तौर पर उस समय यह महसूस कर रहा था कि अब तेतहाशा पिटाई होने वाली है, पर मैं भागा नहीं। भागता तो जाता कहाँ? चारों ओर से घिर चुका था। वे लोग आये, रौब से झंझोड़ा और उन्होंने कहा—भागो। क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जा रहा हूं, तो कहा नहीं। फिर उन्होंने झकझोरा और पूछा कौन हो तुम। इतने में मेरे साथियों ने कहा ये फलां हैं? और शायद वे उस रौब में आ गये या मेरा भाग्य था, या मेरे उस रौब में आ

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

गये कि यह भागा नहीं खड़ा है, उन्होंने मेरी पिटाई नहीं की। यह तो अच्छा दिया परन्तु उन्होंने कहा चलो। उनके साथ मैं चला। अगर वहाँ से भागता तो पिटाई होने की सम्भावना थी। इस तरह का दृश्य मैंने अपनी जिन्दगी में नहीं देखा। मैंने एक नहीं अधिकाधिक प्रदर्शनों में भाग लिया है। भरतपुर स्टेट में कई तरह की यातनाएं मैंने देखी हैं। जबकि वहाँ के राजाओं ने षडयंत्र रच कर मुझे मोटर से कुचल डालने की साजिश की थी, 8 जनवरी, 47 को मेरी चार पसलियां तोड़ी गई थीं। सन् 47 का सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गया। उस दृश्य से भी कहीं अधिक भयंकर यह दृश्य था। मैं हैरत में था। आदमी-आदमी को मारने में कितना पागल होता जा रहा है। मेरे सामने एक-एक आदमी जो घायल पड़ा था, कराह रहा था, खून बह रहा था। उन घायलों को एक वालिन्टियर पानी पिला रहा था और पीछे से 5–7 पुलिस वालों ने आकर उसके डंडे लगा दिये और वह लोट पोट हो गया। मैं खड़ा था और पुलिस वाले आगे निकल गये। वे 30–40 सिपाही थे और उनके साथ एक बड़ा अधिकारी पुलिस का था। उसके साथ वे एक झपाटे से आगे निकल गये और हम 5–7 साथी खड़े रह गये। हमने सोचा क्या करना चाहिये। या तो भाग जायें और किसी तरह से बच निकलें। फिर मेरे दिमाग में यह बात आ गई कि अब लोगों को देखना चाहिये। अब इन सिपाहियों के साथ जाने में क्या फायदा ? मैं वहाँ से बच कर, निकल कर डिस्पेन्सरी की तरफ गया और वहाँ जाकर जार्ज की तलाश की। दस मिनिट का फासला मेरे और उनके बीच में हो गया था। इसी बीच उनमें से एक सिपाही ने, उसने इधर देख लिया और फौरन 5–10 सिपाही आ गये और उन्होंने कहा : कहाँ जाते हो ? डंडे को हूँस दिया और मुझे वहाँ से थाने में ले गये। थाने में ले जाकर बन्द कर दिया। काफी देर तक वहाँ बैठा रहा। उन्होंने नाम पूछा नाम बता दिया। पता बता दिया। उन्होंने कहा यहाँ बैठो और वहाँ बैठा रहा। इसके बाद रात के 9 बजे के करीब हम लोगों को कहा गया मजिस्ट्रेट आपको बुला रहे हैं। आप मजिस्ट्रेट के सामने एपीयर होने के लिये चलिये। फिर पता नहीं, इसी बीच में बहुत से संसद सदस्य, मैं समझता हूं 15–20 के करीब होंगे आ गये। उनमें जनसंघ पार्टी के सदस्य थे, स्वतंत्र पार्टी के भी सदस्य थे पीलू मोदी वगैरह और दूसरे वगैरह, कुछ इन्डीपेन्डेन्ट थे, कुछ कांग्रेस वाले भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। सभी तरह के लोग वहाँ पर आकर देखने लगे। वहाँ पर 100-200 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से बहुत से घायल थे, किसी का पैर टूट चुका था तो कोई खड़ा नहीं हो सकता था महिलायें चीख रही थीं। किस दफा में हमें गिरफ्तार किया गया हम उसमें लग गये। आदिवासी लोग जिनको बेतहाशा मारा गया था उनकी चीख पुकार जोरों से चल रही थी उनको जितना भी पीटा जाय थोड़ा है यह पुलिस वाले अनुभव कर रहे थे। उनमें से 13 आदमियों को बाँध दिया गया। इधर यह हालत हमारी हो रही थी उधर से आचार्य कृपलानी, सुचेता जी और अन्य एम. पी. आये। हमने उनसे कहा कि आप और कुछ नहीं तो इतना

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

तो करवा दीजिये कि जो आदमी तड़प रहे हैं उनके लिये प्राथमिक चिकित्सा का तो प्रबन्ध करवाइये। आचार्य जो हमारी हालत देखकर बहुत द्रवित हुये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तभी तो समय दिया गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरा मतलब आचार्य कृपलानी से।

श्री अध्यक्ष : मेरी पत्नी तो मुख्य मन्त्री नहीं रही है।

एक माननीय सदस्य : उम्मीद तो करती हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : पत्नी की हिम्मत नहीं है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : इस बीच हम लोग मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे। मुझे वहां की हालत देखकर बड़ी गैरत हुई। एडवोकेट साहब खड़े थे वे बहस कर रहे थे। मेरे साथ पांच एम. पी. थे उनमें सुचेताजी भी थी, पीलू मोदी भी थे, वे मेरे पास आये और दूसरे संसद सदस्य भी थे। हमने मजिस्ट्रेट से कहा हमें बतलाइये हमें किन धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है, हमारे ऊपर क्या आरोप लगाये गये हैं। उन्होंने कहा कि आप एक हजार के बोण्ड पर दस्तखत कर दो आपको रिहा कर दिया जायगा फिर कहा 200 रुपये पर ही कर दो। मैंने कहा हम न तो कोई बोण्ड देने वाले है और न हमारा इरादा है आप हमें जल्दी से जल्दी जुडिशियल लोक अप में दे दीजिये। मजिस्ट्रेट ने कहा कि रिहा करने की बात हो रही है अब सवाल यह है कि हम कैसे रिहा करें। मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट हूं जब तक केस विथड्रा नहीं हो तब तक रिहा करने की बात नहीं हो सकती। मैंने मजिस्ट्रेट महाशय से पूछा कि आपने कौन से साल में एल. एल. बी पास किया है। इतने में सुचेताजी ने कहा कि ये राजस्थान के सीनियर एडवोकेट्स में से हैं और विधान सभा के सदस्य हैं। मैंने देखा उन मजिस्ट्रेट साहब की आंखें मेरी तरफ गड़ी हुई थीं उनकी उम्र करीब 60–65 के करीब होगी। मैंने कहा मैं सन् 52 से लेकर आज तक क्रिमीनल साइड में वकालात करता रहा हूं। मैंने उनको बताया दफा 307 व 127 आर्म्स एक्ट वाली दफा लागू नहीं होती। उन्होंने कहा आपको गिरफ्तार किया गया है 147, 148, 149, 353, 186, 188 ये धारायें सुना दीं। मैंने कहा ये तमाम बेलेबल हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा कोग्नीजेन्स ले लिया है मुझे यह देखकर गैरत हुई। कुछ एम. पी जिनको मैं शक्ल से जानता हूं मैंने कहा मजिस्ट्रेट साहब कोग्नीजेन्स कब लेते हैं? वह तो 190 सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट के अन्तर्गत ली जाती है। प्राइवेट कम्पलेण्ट्स को 190 (ए) के तहत सुओ मोटो अधिकार है सी के अन्तर्गत सी को इनवोक नहीं किया है। तो कहने लगे अभी कोग्नीजेन्स नहीं बल्कि माइण्ड एप्लाई कर रहा हूं। बेल मेटर एजीटेट हो रही है। मैंने कहा इसके लिये

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

दरख्वास्त किसने दी है। पुलिस ने अपनी तरफ से एक एडवोकेट को गवाह बनाकर खड़ा कर दिया जो अंग्रेजी में बोल रहा था। मैंने उनसे कहा आपको वकील किया किसने है ? उन्होंने कहा कि बागड़ी साहब कह गये हैं। उनकी पावर आफ अटोर्नी होगी ? वे कहने लगे जब एजीटेशन होता है मैं एजीटेटर्स की तरफ से वकालात किया करता हूँ मुझे पुलिस वाले बुला लेते हैं। वह यह बातें गिड़गिड़ाकर कह रहे थे कि बेल तो एक्सेप्ट कर लीजिये। मैंने कहा आपको बेल के लिये कहा किसने है, आप वकील किसके है। मैंने कहा मजिस्ट्रेट साहब आप किस बात पर माइण्ड एप्लाई कर रहे हैं। मुझे इस बात का अख्त्यार है कि रिमाण्ड टाइम पर होगा। अभी तक किसी को सामने पेश नहीं किया। दूसरे संसद सदस्य जो हमारे साथ खड़े थे वे यह कह रहे थे कि यह तो केवल नाटक रचा जा रहा है। दुबारा हमें बताया गया तुम्हारे पर 307 और 127 की धारा भी लगी है। यह सुनकर आचार्य जी वगैरह बहुत ज्यादा एजीटेट हो गये। वे यह कहने लगे आखिर चव्हाण साहब अपने आपको क्या समझते हैं क्या इन लोगों ने हथियारों से कत्ल करने की इरादे से ये चीजें की है। टेलीफोन पर चव्हाण साहब से ये बातें हो रही थी उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरह से देख लूंगा। इनसे बोण्ड दिलवा दीजिये। जब चव्हाण साहब ने कहा कि मै सुविधा के अनुसार देख लूंगा इस पर आचार्य जी को रोष आ गया और उन्होंने टेलीफोन बन्द कर दिया। मैंने उनसे कहा न तो हमारा इरादा बोण्ड देने का और न जमानत देने का है। बेल मेटर को एजीटेट करना चाहता हूँ। मैंने साथियों को बुलाया उन्होंने सबने एक स्वर से कहा कि न तो हम बेल देना चाहेंगे और न जमानती बोण्ड ही देना चाहते हैं। दूसरे साथियों ने कहा कि 200 रुपये का बोण्ड दे दिया जाय। मैने देखा उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने 14 तारीख लगायी थी। मैं तो हाजिर हो सकता हूँ लेकिन आज अगर कोई आदमी 'बोण्ड पर दस्तखत कर देता है वह 14 तारीख को हाजिर नहीं हो सकता जैसे केरल का कार्य-कर्ता है या आसाम का आदिवासी है जिसकी हड्डी पसली टूटी हुई है वह बोण्ड भर दे और हाजिर नहीं हो तो। इसलिये हमें देखना यह है कि हम 14 तारीख को उन सब लोगों को हाजिर भी करवा सकेंगे या नहीं। इसलिये हमने यही तय किया कि हम बोण्ड भी देने के लिये तैयार नहीं हैं। इतने चव्हाण साहब का टेलीफोन आया एक पुलिस के सीनियर आफीसर आचार्यजी के पास आये और कहने लगे चव्हाण साहब बात करना चाहते हैं लेकिन आचार्यजी पहले तो नाराज हुए और कहने लगे मैं भी सुविधा के अनुसार बात कर लूंगा। उधर हम लोगों को चोटें आयी थीं उनकी हालत को देखकर काफी एम. पी. चव्हाण साहब से मिलने के लिये रश-अप हुये। वहाँ लोगों को न पीने के लिये पानी है, न कोई खाने का इन्तजाम है सब को लेट्रिन्स के बगल में डाला हुआ है। यह देखकर स्वतन्त्र पार्टी के एम. पी. साहब ने कहा चव्हाण साहब का हुक्म हो गया है बोण्ड वगैरह नहीं दिया जायगा।

आचार्यजी को यह सब देखकर मानसिक पीड़ा हो रही थी सुचेताजी वहाँ मौजूद थीं,

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

जब पुलिस के आफिसर ने आकर कहा चव्हाण साहब लाइन पर है आपसे बात करना चाहते हैं एक बार तो इन्कार होगये । फिर जब पुलिस वाले गिड़गिड़ाये और कहने लगे कि मैं उनको क्या निवेदन करूं । तब उनको दया आयी उन्होंने कहा यह बेचारे पुलिस वाले गरीब लोगों का सवाल है । अच्छा मैं बात करता हूँ ।

फिर बात करके आये और आचार्य साहब भी आये, कोई भी बोन्ड का सवाल नहीं, कोई जमानत का सवाल नहीं है । मजिस्ट्रेट ने कह दिया आप पधारिये । रात को डेढ़ बजे करीब हम लोगों को बैठाकर जहाँ हमारा केम्प लगा हुआ था वहाँ छोड़ दिया । इस तरह का घटना चक्र घटा है । मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि मूल भूत तरीके पर जो मुद्दे पैदा हुये हैं वह यह है कि देश के अन्दर शान्तमय प्रदर्शन करने का अधिकार है या नहीं । कोई भी संसद का सदस्य बुरी तरह पीटा जाय । वह अपना प्रमाण पत्र दिखाये, वह अपना आईडिनटिटि कार्ड दिखाये किन्तु पुलिस ने उसकी कोई परवाह नहीं की ! अश्रु गैस का खुलकर प्रयोग किया । बेतहाशा लोगों की पिटाई की गई । निर्मम तरीके से पिटाई की । खून बहाया जाय संसद के प्रागंण में जहाँ पटेल साहब की मूर्ति लगी हुई है, उन पटेल साहब की मूर्ति के चारों तरफ खून फैला हुआ था । आज हम क्या परम्परायें इस देश को दे रहे हैं । आज मूल भूत प्रश्न यह है कि संसद के सदस्य अपनी भावनाओं को लेकर अपनी ग्रिवेन्सेज को लेकर जा सकते हैं या नहीं । संसद के प्रागंण में संसद सदस्य और विधान सभाओं के प्रतिनिधि गरीब लोगों को लेकर आदिवासियों को लेकर कैसे भी लोग हों, जुलूस बनाकर ऐजीटेशन के रूप में मिल सकते हैं या नहीं या प्रदर्शन करके मिल सकते हैं या नहीं यह मूल भूत सवाल है । दफा १४४ का लगाना और उसके तोड़ने का प्रश्न नहीं । पहले हमें परमीशन दे दी कि मीटिंग कर सकेंगे और फिर बिना चेतावनी के लाठी प्रहार, बेतहाशा तरीके से पिटाई शुरू कर देना, अश्रु गैस का खुलकर प्रयोग करना, तीन हजार सिपाहियों ने बेतहाशा तरीके से मारना, पीटना शुरू कर दिया । एम० पीज० को पीटने का एक पाइन्ट बनाया जार्ज फर्नान्डज के गहरी चोट आई है, मधुलिमये की बुरी तरह से पिटाई की गई, राज नारायण साहब के फ्रेक्चर हो गया, भदौरिया साहब सख्त रूप से घायल हुये हैं । सैकड़ों की तादाद में घायल अवस्था में पड़े हैं । हमारे स्वयं के १०२ आदमियों में से ८४ लोग करीब घायल थे । किसी का कमीज फट गया, किसी का जूता टूट गया, किसी का कम्बल गिर गया, किसी का कान कट गया, किसी के नांक के चोट आई । इस प्रकार का दृश्य था अध्यक्ष महोदय मैंने मेरे जीवन में नही देखा । मैं यहाँ पर स्व० बिहारी की बात कहूँ उनको अचेतन अवस्था में अस्पताल ले जाया गया और उनको अस्पताल में जाने के बाद भी कोई फर्स्ट ऐड नहीं दी गई ।

अध्यक्ष महोदय, आप हमें पीटिये, मारिये चाहे कुछ भी करिये लेकिन अचेतन होने और अस्वस्थ होने पर अस्पताल तो कम से कम पहुँचाने की व्यवस्था कीजिये । पुलिस को मारने, पीटने का अधिकार है

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

लेकिन कोई प्राथमिक चिकित्सा की तो व्यवस्था उस मरने वाले आदमी को तुरन्त देनी चाहिये अध्यक्ष महोदय। कोई हमारी ओर से बल प्रयोग नहीं किया गया, कोई गैर कानूनी कार्य हमारी ओर से नहीं किया गया। महीने पहले से हमारी यह प्लान थी। एक आदमी जैसा झंडा हिलाये और सारे पुलिस के जवान हम पर टूट पड़ें। बेहताशा तरीके से सदस्यों की पिटाई की गई, महिलाओं की पिटाई की गई, बच्चों को मारा गया, आदिवासियों को मारा, गरीब काश्तकारों को मारा गया—इस प्रकार का काण्ड दिल्ली में संसद भवन के सामने कभी नहीं देखा गया। अध्यक्ष महोदय एक कहावत भी है विनाश कालेन विपरीत बुद्धि—विनाश काल में बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। अब ऐसा लगता है यह पाप का घड़ा फूटने वाला है। यह संसदीय परम्परा कायम रह सकेगी या नहीं इसकी बड़ी भारी आशंका खड़ी हो गई है। जो लोग शान्त मय तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको डिमोरलाईज किया जाय। मेरे राजनैतिक जीवन में जान बूझकर कीचड़ उछाला गया है कि मैं बान्ड भर कर आया हूँ, क्या आवश्यकता थी मैं बान्ड देकर आता। झूँठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह कराना चाहते हो। पुलिस यातनाओं से हम नहीं घबराते, हम तो अन्यायों का मुकाबला करना चाहते हैं, उससे डरकर पीछे भागने वालों में से हम नहीं हैं। हम तो चाहते हैं जितना यह पाप का घड़ा जल्दी भरेगा उतना ही यह पाप का घड़ा जल्दी फूटेगा। हम अन्यायों के आगे झुकना नहीं सीखे हैं और न ही हम अन्यायों से घबराकर भागना सीखे हैं। जनता के लिये पानी चिकित्सा की सुविधा की मांग करना क्या यही आपके ३०७ की दफा में आता है? शान्त प्रदर्शन करना क्या यही आर्म्स एक्ट की धारा में आता है? मुझे अब ज्यादा नहीं कहना है परन्तु......

श्री रामचन्द्र आर्य : यह समाजवाद का प्रसाद बांट रहीं हैं इन्दिराजी। ७ जनवरी को हमको बाँटा था और परसों आपको बांट दिया।

श्री मुकुटबिहारी गोयल : आज जिन परम्पराओं को लेकर हम चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के माननीय सदस्यों से चिन्तन के लिये निवेदन करूँगा, वे इस विषय पर चिन्तन करें कि देश के नेता देश को किधर ले जा हैं। हमारी संसदीय परम्परायें कायम रह सकेंगी या नहीं, प्रदर्शन करने का हमें मौलिक अधिकार रहेगा या नहीं. संसद के प्रागंण में दफा १४४ लगाना और जन प्रतिनिधियों से नहीं मिलने देना......

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

गिरफ्तारी के बारे में कैसे सूचना दी जाय, इस तरह से ये तमाम चीजें हैं। और मैं अन्त में आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय यह निवेदन करना चाहूँगा कि मैं इस सदन का एक छोटा सा सदस्य हूं। मेरी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। मैं पिट जाऊँ तो मैं समझता हूँ कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है पर माननीय सदस्यों ने जिस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जिस प्रकार की उग्रता दिखाई है चाहे वे इधर

Page No 77

(श्री कुकुटविहारीलाल गोयल)

बैठने वाले हों और चाहे वे उधर बैठने वाले हों वह मैं समझता हूं एक मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इस सदन का सदस्य हूँ। सदन की मान मर्यादा सभी चीजों को देखते हुये आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है। मैं समझता हूँ निश्चित तरीके से इस सदन के माननीय सदस्य जनतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं के बारे में कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय रामानन्द जी देश की डेमोक्रेसी के बारे में बोलना चाहते हैं। श्री मुकुट बिहारी जी माननीय सदस्य ने जो वक्तव्य दिया है उससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि...it is prime facie a case of breach of privilege and the case should be referred to the Privilege Committee. No further enquiry is necessary.

कोई बॉण्ड इन्होंने नहीं भरा है, यह बात बिलकुल गलत है। 307 दफा की कोई सरकमस्टान्सेज़ नहीं थी। इन्होंने किसी बेल बॉण्ड का एक्जीक्युशन नहीं किया है। रिलीज आन बेल वाली बात मिस-गाईडिंग है। यह अपने आप में फाल्स बात है। मैं समझता हूँ जिस मजिस्ट्रेट ने इत्तला दी है वह बिलकुल गलत है टेक्निकल कोई ग्राऊन्ड नहीं है, रूल्स का कहीं वायोलेशन नहीं हुआ है। कोई भी इत्तला हो, पहले हमारे विधान सभा में आकर अध्यक्ष महोदय को दी जानी चाहिये—यह व्यवस्था हमारे नियमों में है। इसकी सेक्टिटि है। हमारे संविधान की धारा 208 के अन्तर्गत यह नियम है—कान्स्टीट्यूशन की सेक्टिटि है—रूल्स का कहीं वायोलेशन हो—these have been violated by the officers of the Central Government posted in Delhi मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कोई सिरीयस बात नहीं हो सकती है। मुकुट-बिहारी जी के वक्तव्य को मैं भी सुनना चाहता था, जो कुछ जानकारी उन्होंने (मजिस्ट्रेट) दी है वह गलत दी है। बॉण्ड पर रीलीज हुये हैं वह नितान्त गलत है। इसी स्पेसिफिक पाइन्ट पर इमीजियेटली आप इस हाऊस की प्रिविलेज़ कमेटी को रेफर कर दें। प्रिविलेज़ कमेटी उनके सारे डाक्यूमेंट्स को तलब करके जांच पड़ताल करे। आवश्यकता हो तो यहाँ पर तलब करें और आवश्यकता हो तो दिल्ली में जाकर तलब करें। आज 8 तारीख हो गई है, सदन की बैठक 17 तारीख तक चलने को है। कमेटी चाहे तो जयपुर में सीटिंग करें और चाहे तो दिल्ली में सीटिंग करें। मैं प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन से निवेदन करना चाहूँगा तुरन्त इसकी जानकारी करके इसी सत्र में 17 तारीख के पहले-पहले इसकी पूरी रिपोर्ट पेश की जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

मैंने जैसा निवेदन किया जहाँ तक पहले मजिस्ट्रेट के नाम का सम्बन्ध है, उसकी जानकारी है। दूसरे मजिस्ट्रेट के नाम की जानकारी नहीं है। फिर भी इस प्रश्न को आज ही मनन करके, इसका अध्ययन करके यदि आप यह चाहें तो इसका निर्णय दिया जाय दूसरे मजिस्ट्रेट कौन हैं? पहले तो नामांकित हैं। इसलिये मैं चार बजे फिर माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूँगा।

(1 म. प.)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना दिल्ली के अन्दर हुई उसमें यद्यपि वह बात केन्द्रीय प्रशासन से सम्बन्धित है परन्तु भारत का हर एक नागरिक, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक जो समस्यायें केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित होती हैं उनके सम्बन्ध में प्रदर्शन करने का, उनके सम्बन्ध में अपना असन्तोष जाहिर करने का सारी देश की जनता को और राजस्थान देश का भाग होने के नाते राजस्थान की जनता को अधिकार था। केन्द्रीय सरकार की नीतियों के कारण देश के अन्दर जो भयंकर बेरोजगारी या भयंकर महंगाई, या भयंकर भ्रष्टाचार या भयंकर और जो आर्थिक समस्यायें पैदा हो रही हैं देश की जनता को और उस नाते राजस्थान की जनता को उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार था।

अध्यक्ष महोदय, आज यह प्रश्न उत्पन्न होता जा रहा है कि यह सरकार जो जनता की इन मौलिक समस्याओं को हल करने में नाकाबिल साबित हो रही है वह सरकार आज जनता को अपने संवैधानिक अधिकार नहीं दे पा रही है....

श्री अध्यक्ष : मैं यह कहूंगा कि थोड़ा संक्षेप में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अपना असन्तोष व्यक्त करने का जो अधिकार है उससे भी वंचित करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुकुटबिहारी लाल जी ने अपना वक्तव्य देते हुए बताया है कि वह कुछ लेट पहुँचे थे। कल वहाँ से प्रदर्शनकारी भीलवाड़ा को गये थे और वापिस लौटे हैं उनसे मैंने बातचीत की और उनसे पता लगाया कि आखिर यह घटना क्यों हुई, क्या धारा 144 तोड़कर प्रदर्शनकारियों ने लोक सभा में प्रवेश करने का प्रयत्न किया था? लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बताया कि सरदार पटेल की जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ सर्किल है और वहाँ पर मीटिंग करने की घोषणा पहले ही दिन कर दी थी। पहले सरकार की तरफ से यह समझा जाता था कि गोल्फ क्लब पर प्रदर्शन होगा लेकिन उन्होंने सूचना दी कि पटेल स्क्वायर के अन्दर करेंगे। उनका कहना था पटेल स्क्वायर तक उनकी धारा 144 लगती है लेकिन एस.एस.पी. के लीडर्स ने बताया कि वह घोषणा कर चुके हैं और इसलिए वह मीटिंग वहीं करना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : आप जुडीशियल इन्क्वायरी को भी सामने रख कर फरमायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि लोकसभा की तरफ आगे बढ़े, पार्लियामेंट स्ट्रीट के अन्दर जाकर लोक सभा के अन्दर एन्टर होना—इस तरह का इरादा नहीं था और केवल वहाँ पर पब्लिक मीटिंग पटेल स्क्वायर में करने का था और 3 बजे तक वह मीटिंग खत्म हो जायेगी यह भी नेताओं ने आश्वासन पुलिस आफिसर्स को दे दिया था और मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस प्रकार की इजाजत दे दी थी कि 3 बजे तक आपने मीटिंग खत्म कर ली तो हमें एतराज

Page No 79

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि यह होने पर भी और फिर वहाँ जबरदस्त लाठी चार्ज तथा अश्रु गैस हो और इस तरह से नेताओं को मारा जाये, पीटा जाये। आज जिन नेताओं के साथ यह ज्यादती हुई है हमें भूलाना नहीं चाहिये और इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि यह नहीं भुलना चाहिए कि आगे इस वैकल्पिक सरकार के हिस्से होने वाले ये लीडर्स हैं। जिन लीडर्स के साथ आज जिस तरह का व्यवहार किया गया है और उनके जो जो वैधानिक अधिकार प्रदर्शन करने का है उनसे वंचित करके अश्रु गैस, लाठी चार्ज, उनकी जिन्दगी को खतरे में डाला गया और जैसी सूचना मिली है एक प्रदर्शनकारी बिहारीलाल नाम के तो वहाँ शहीद भी हो गये हैं। तो इस प्रकार से प्रदर्शनकारियों पर क्रूर लाठी चार्ज किया जाये तो क्लियरली यह प्रश्न पैदा होता जा रहा है कि सरकार ऐसी नीति अपना रही है जो कि देश की वर्तमान समस्याओं का हल नहीं कर सकती। जो माइनोरिटी हैं, जो असेम्बली या पार्लियामेंट में अल्पतम में हैं उनको विरोध प्रकट का राइट भी नहीं देना चाहती है। यह जनतांत्रिक प्रश्न देश के सामने खड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज कुछ लोगों को सिर्फ, पीटने का ही सवाल नहीं है, कुछ लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने का सवाल ही नहीं है—सवाल यह है कि यह सरकार इस देश के अन्दर इस प्रकार के ट्रेडीशन्स को स्थापित करना चाहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि अगर केन्द्रीय सरकार इस तरह का व्यवहार करती हैं तो नेचुरली और स्टेट्स के अन्दर उससे बैटर बिहेवियर की उम्मीद नहीं की जा सकती। और यही कारण है कि आज राजस्थान की सरकार भी भारत सरकार से प्रेरणा लेकर उससे भी क्रूर रास्ता जनता का दमन करने के लिए उनके प्रति अपनाती है।

(1·05 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों को भर्तस्ना करनी चाहिए, निन्दा करनी चाहिए जो भी कुछ घटना वहाँ पर हुई है उसके सम्बन्ध में। हम यह उम्मीद करते हैं कि कम से कम हमारी प्रधान मंत्री ने अफसोस जाहिर किया और गृह मंत्रीजी ने बहुत ही खेद प्रकट किया है। मुझे यह खेद है कि कल इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कम से कम ट्रेजरी बेन्चेज ने कोई सहानुभूति की बात भी नहीं की और किसी प्रकार का कोई खेद भी प्रकट नहीं किया और न उसकी कोई भर्त्सना की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह सदन अपनी भर्त्सना की भावनाओं को केन्द्र तक पहुँचायें ताकि केन्द्रीय नेताओं को मालूम हो कि राजस्थान की जनता एक माननीय सदस्य सदन के गिरफ्तार हुए, या उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ उनकी ही बात नहीं है बल्कि सारे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जनतांत्रिक अधिकारों को छीनने की बात है जिसका हम घोर विरोध करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली की घटना को लेकर सारे देश में जिस प्रकार का रोष प्रकट किया जा रहा है यह बहुत ही स्वाभाविक है। उपाध्यक्ष महोदय, देश में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों की नीतियों का जब भी जनता विरोध करती है तो सबसे पहले अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के समक्ष उनकी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में कई प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता के अन्दर समस्याओं का निराकरण व्यक्तित्व रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से नहीं करा पाते तो इन समस्याओं को मौलिक रूप से सरकार के समक्ष किस प्रकार से रखा जाये उस प्रकार के मार्ग अपनाये जाने की चेष्टा करते हैं। जिस समय केन्द्रीय सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया सारे देश में उस बजट के विरोध में और विशेष तौर पर जिस प्रकार के कर लगाये गये हैं उन करों के विरोध में जन मानस ने अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी उस महंगाई के विरोध में सारी जनता ने भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों से निवेदन किया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज गरीब जनता पिसती जा रही है उसी प्रकार से बेकारी की समस्या को लेकर सरकार के समक्ष कई प्रकार से समय-समय पर जनता ने अपना प्रतिनिधित्व किया लेकिन उसके बावजूद भी उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। यह सारे रोष की प्रतिक्रिया थी जो कि समय-समय के ऊपर लोक सभा और विधान सभाओं के सामने प्रकट की जाती है। दिल्ली में उपाध्यक्ष महोदय आपको याद होगा कि कुछ इस प्रकार का ट्रेडीशन बनता जा रहा है कि लोक सभा के समक्ष प्रदर्शन नहीं किये जायें और यह उसी ट्रेडीशन की एक कड़ी है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट के अन्दर घुसने के बाद एक सीमा तक प्रदर्शनकारियों को जाने दिया जाता है। कई बार इस बात के अवसर आये हैं कि निर्धारित सीमा में बाहर प्रदर्शनकारियों ने जब भी कोई मंच लगाया पुलिस ने उस मंच को उठाकर फेंका और इसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं आज के 6 वर्ष पहले गौ हत्या के विरोध में सारे हिन्दुस्तान की जनता के लाखों लोगों और लोगों का अनुमान है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में लोक सभा के समक्ष इतना बड़ा कोई भी प्रदर्शन नहीं हुआ।

इस प्रकार की इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वहाँ उपस्थित हुए तो किस प्रकार से सुनियोजित ढंग के द्वारा उस प्रदर्शन को दबाने के लिए लाठी चार्ज किया गया, किस प्रकार से फायरिंग किया गया, किस प्रकार से अश्रु गैस के गोले छोड़े गये? इस सारी घटना की प्रतिक्रिया जो सारे देश में हुई, उस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप तत्कालीन गृहमंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा को त्याग पत्र देना पड़ा। आज लोक सभा के सामने हुई जिस घटना को लेकर जिक्र किया जा

(श्री भैरोंसिंह)

रहा है उस घटना में शामिल और सारे देश में इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई है और अधिकांश लोगों का इस प्रकार का अनुमान है कि यह जो सारा लाठी चार्ज हुआ है, संसोपा के नेताओं की गिरफ्तारी हुई, महिलाओं को पीटा गया, जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल में फर्स्ट एड नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये सब बातें इस बात की कड़ी को साबित करती हैं कि भारत सरकार धीरे-धीरे इस प्रकार के पथ और इस प्रकार की नीतियों का अनुसरण कर रही हैं जिन नीतियों के आधार पर लोकतंत्र का जनाजा निकाला जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह स्वीकार करेंगे कि सविधान में जिस प्रकार से लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई है उनके माध्यम से हम अपनी आवाज को सरकार के समक्ष लोक सभा या विधान सभा के समक्ष रखने के लिए कानून के अन्तर्गत अधिकृत हैं। यदि इस अधिकृत परिभाषा के अन्दर लोग अपनी बात लेकर सरकार के समक्ष जायं तो उनकी समस्याओं का निराकरण तो नहीं हो, बल्कि उनके ऊपर लाठी और गोलियां चलाई जायं, तो इसकी प्रतिक्रिया जनता पर निश्चित रूप से होगी। आज की जनतान्त्रिक परम्पराओं के अनुसार समस्याओं का निराकरण कराना चाहते हैं तो निराकरण यदि नहीं हो सका और यदि इस प्रकार का प्रयास किया गया तो महंगाई महंगाई के स्थान पर रहेगी, टैक्स-टैक्स के स्थान पर रहेगा, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वे अपने स्थान पर सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। कई लोग मरेंगे, कई लोग अपाहिज होंगे, और कईयों का किस प्रकार से क्या होगा। आज आवश्यकता इस बात की थी कि लोगों के कष्टों का निराकरण किया जाय, लेकिन सरकार ने उनके कष्टों का निराकरण करने के बजाय इस प्रकार के काण्ड करके लोकतंत्र पर आघात किया है।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि गृहमंत्री ने लोक सभा में खड़े होकर खेद प्रकट किया है। वह किस बात का खेद प्रकट किया गया है ? दो आदमियों की मृत्यु हो गई इस बात का खेद प्रकट किया गया है, या कुछ व्यक्ति घायल हो गये हैं इस बात का खेद प्रकट किया है, या संसोपा के नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, इस बात का खेद प्रकट किया है ? खेद इस बात पर प्रकट किया है कि गृह मंत्रीजी जिसका नेतृत्व करते हैं उस पुलिस ने लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि गृह मंत्रीजी यह चाहते हों कि प्रदर्शनकारी शान्त रूप से अगर प्रदर्शन करें तो उनके साथ में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाय और पुलिस के अधिकारियों ने गृह मंत्रीजी के आदेश की अवहेलना करके वहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर सकें कि जिस स्थिति के कारण वहां पर लोगों के ऊपर डडेबाजी हो और उनके साथ में अभद्र व्यवहार हो। मेरी तो यहां तक मान्यता है कि यह सरकार का षड़यंत्र है। सरकार यह चाहती है कि प्रदर्शनकारी लोक सभा के सामने नहीं आयें। पुलिस अधिकारियों को पूरा दोषी ठहरायें जायं इस बात की आवश्यकता नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह)

स्वयं हिन्दुस्तान के गृह मंत्री जिन्होंने खेद प्रकट करके जनता को मुगालता देने की कोशिश की लेकिन जनता की यह मांग है कि गृह मंत्रीजी त्याग पत्र दें यदि सारी स्थितियों का निराकरण करना चाहते हैं तो वे यह कहकर दूर नहीं हो सकते कि जुडिशियल एन्क्वायरी कराना चाहते हैं। हमने जुडिशियल एन्क्वायरी देखी हैं। हमने जुडिशियल एन्क्वायरी के जयपुर में परिणाम देखें। गंगानगर, चूरू, संगरिया और भादरा में जुडिशियल एन्क्वायरी की किस प्रकार से हैठी हो रही है वह हम अपनी आँखों से देखते आ रहे हैं। बेरी कमीशन ने जिस प्रकार के निर्णय दिये उन निर्णयों की किस प्रकार की अवहेलना की गई है, यह हमारी हिन्दुस्तान की सरकार का नहीं राजस्थान सरकार का नक्शा है। इतना ही नहीं हिन्दुस्तान में आज तक जितनी भी जुडिशियल एन्क्वारियाँ हुई हैं भारत सरकार ने उन एन्क्वायरीज़ की रिपोर्ट्स को दबाया है, उनको पब्लिश नहीं किया है। जहाँ पर फायरिंग हुआ है उनकी रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं किया गया है, जहाँ पर दंगे हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं किया गया है और जो दोषी व्यक्ति थे उनको दण्ड नहीं दिया गया है। जुडिशियल एन्क्वायरी के नाम से जन-भावनाओं को इस प्रकार से दिया जाय इससे जनता दबने वाली नहीं है। लोक सभा और विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने का जो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है, उस अधिकार को कुचलने की दृष्टि से पुलिस का, कहीं पर मजिस्ट्रेट का, कहीं पर किसी का दोष नहीं है, सारा दोष केन्द्रीय सरकार का है और आज देश में जिस प्रकार की गलत और अव्यवस्था है उसका दोष केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री पर है। गृह मंत्री ने न केवल लोक सभा का अपमान किया है, बल्कि गृह मंत्रीजी ने हिन्दुस्तान के लोकतंत्र पर भयंकर आघात पहुँचाया है और इस आघात की सजा जैसी गुलजारीलालजी नन्दा को आज से 6 वर्ष पहले दी गई थी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान की जनता इस सदन के माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों से और लोक सभा के सदस्यों से निवेदन करना चाहती है कि जुडिशियल एन्क्वायरी यह तो हिन्दुस्तान की सरकार का आज इस प्रकार का आडम्बर बन गया है कि उफनती हुई आग के अन्दर पानी डाल डालकर उसको ठंडा करने की चेष्टा की जाती है। जुडिशियल एन्क्वायरी में हमारी पैठ है, लेकिन जुडिशियल एन्क्वायरी के फाइन्डिंग्स को न मानकर वह स्वयं जुडिशियल एन्क्वायरी को फार्स बनाती है सरकार। उसके ऊपर जुडिशियल एन्क्वायरी का निर्णय हो जायगा और उसका अच्छा परिणाम निकलेगा यह हम आशा करके नहीं चलते हैं। बड़े पुरजोर शब्दों के साथ मैं हिन्दुस्तान की जनता खड़ी होकर गृह मंत्रीजी से त्याग पत्र की मांग कर रही है तो उस वक्त तक सन्तोष नहीं होगा जब तक कि केन्द्रीय गृह मंत्रीजी त्याग पत्र नहीं देंगे। उन्होंने खेद प्रकट किया है लेकिन खेद प्रकट करने के साथ-साथ वे शिष्टाचार के नाते हिन्दुस्तान के गृह मंत्रालय से अलग न हो जायं।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल वाले लोग बोल चुके थे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ ताकि यह सदन में जो भ्रम फैल रहा है उस भ्रम का निराकरण हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना जो आपके सामने ६ तारीख की है उसमें अखबारों से एक बात जाहिर हो रही है, उसमें जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैं और ऐसी परम्पराएं जो चल रही हैं और हर इन्सान में भ्रम फैल रहा है कि संसोपा के जुलूस ने जाकर पुलिस वालों के तीर लगाये। इस तरह का यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है यह भ्रम बिल्कुल गलत है। यह हमारी पार्टी को कुचलने के लिए सारा षड्यन्त्र हिन्दुस्तान की सरकार और पुलिस ने किया है। सही मायने में हमारा जुलूस परेड ग्राउन्ड से २-३ मील लम्बा जुलूस जा रहा था तो उसमें चान्दनी चौक या उसको क्या कहते हैं वहां पर १४४ धारा लगा रखी थी तो हम लोगों ने यह तय किया था कि किसी भी हालत में १४४ को नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए नहीं तोड़ना है कि आज हम जनवाणी दिवस मनाने के लिए गरीबों के कष्ट बताने के लिए, गरीबों पर जो देश के अन्दर कष्ट ढाये जा रहे हैं, जो उनकी परिस्थितियां हैं कि गरीबों को तीन—तीन दिन तक खाना नहीं मिलता है, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता है, जो नंगे और भूखे हैं उसकी तस्वीर ले जाकर वहां पर एक प्रदर्शन के रूप में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए गया था और उसको दिखाया। इस तरह से हम लोग गये और जाकर वहां पर हमारे नेता अगवानी कर रहे थे। मगनीराम बांगड़ ने प्रदर्शनकारियों को कहा है कि आप लोग सब बैठ जायं और सिर्फ आदिवासी लोग हैं उनको जो उनका पुराने रिवाज का डान्स है वह करें। यह कहा गया तो वहां पर आदिवासियों के अलावा कोई भी गैर-आदिवासी नहीं रहा और सब इधर-उधर आस पास में बैठ गये। उन्होंने डान्स शुरू कर दिया। वे अपने पुराने जमाने के डान्स को दिखा रहे थे। वे पुराने जमाने से तकलीफें भुगतते आ रहे हैं और आज भी भुगत रहे हैं तो उसको शकल देश की सरकार को बताना था कि ये लोग किस तरह से नंगे हैं और खाली लंगोट लगाये हुए हैं।

वहां पर डोरी बन्धी हुई थी तो डोरी के अन्दर हमारा एक भी आदमी नहीं घुसा है, और जितना मैदान छोड़ा था उसी मैदान में हम लोग यह कर रहे थे। पुलिस वाले हमारी तरफ नहीं आ रहे थे तो अफसरों ने पुलिस वालों को धक्का देकर उधर दौड़ाया। पुलिस वाले वापिस लौट गये तो उस वक्त कोई एस. पी. या उनका आफिसर था तो उन्होंने दूसरों को इशारा किया और दूसरों को बुलाया आवाज दी तो वे एकदम आकर टूट पड़े। माननीय उपाध्यक्ष जी उन्होंने ही १४४ धारा तोड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे चारों तरफ मुझे पता नहीं कि उसको क्या कहते हैं डाकघर का एरिया था जहां कि हमारी मीटिंग होने वाली थी वहां पर कुछ लोग इधर से आये, कुछ लोग उधर से आये, १०० इधर से आये, ५० उधर से आये,

(श्री हीराभाई)

२०० इधर से आये इस प्रकार से आकर उन्होंने जुलूस को घेर लिया। वे जो आदिवासियों का डान्स देख रहे थे उनको घेर लिया और चारों तरफ से पिटाई करना शुरू किया और पिटते-पिटते कई घायल हो गये। आज आप थोड़ीसी संख्या घायलों की बता रहे हैं वह गलत है। मैं जानता हूँ कि उस मजमे में संख्या हजारों की थी तो उस वक्त कम से कम एक हजार आदमियों को बुरी तरह से चोटें आई हैं। १००० आदमी घायल हो गये हैं। मेरी जानकारी आपके सामने निवेदन करूं कि एक आदमी जो मरा है है वह तो सिर्फ अस्पताल में जो ले जाया गया था वह मरा है। लेकिन दो आदमियों को गिरा दिया गया था, उनको पानी भी पिलाया। लेकिन पानी गले के नीचे नहीं उतरा। उनका सिर फट गया, नाक फट गई, जुबान खोलकर पिलाने की कोशिश की तब भी पानी नहीं उतरा। तब पुलिस वाले आये। उन्होंने हम को धक्का दिया और पुलिस वाले हम से उनको छीन कर ले गये। मेरा ख्याल है वह आदमी मर गये होंगे। दो-चार आदमी मर गये हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह अन्दाजा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : १५० आदमी लापता हैं।

श्री हीराभाई : यह मेरी जानकारी से मैं कह रहा हूँ। यह हमारा अन्दाजा है। मेरी आंखों देखा अन्दाजा है। मेरा ख्याल है, एक हजार से कम आदमी घायल नहीं हुए होंगे। जयपुर का एक आदमी बजाज है। उसको भी मारा है। एक मिलेटरी वाला आदमी आया उसने कहा मार दो साले को। मेरे पर पता नहीं क्या क्या मार पड़ी। घुमा घुमाकर पता नहीं क्या मारा। मेरी भी पिटाई हुई है। यह जलियांवाला बाग से बढ़ कर हमारे हिन्दुस्तान में हुआ है। हमारे शिविर में यह हुआ था। मैंने यह देखा है। आदिवासियों की इतनी बड़ी समस्या है। यह मौजूदा सरकार उनको दूर भी नहीं कर सकती है। इसके बारे में 6 तारीख को प्रदर्शन था। 7 तारीख को डेप्यूटेशन लेकर हम राष्ट्रपति को मिलने जाने वाले थे।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी समाप्त करता हूँ। उनको बताने को हम जाने वाले थे। लेकिन उसके बीच में हमारी यह परिस्थिति पैदा की है। हम यह नहीं कहते हैं कि यह हमारे संसोपा के साथ होना चाहिए। यह तो हर एक के साथ हो सकता है। यह तो अन्याय हम को खत्म करे या हम अन्याय को खत्म करें। क्योंकि कोई प्राणी हम को मारे, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा बाप मर जाये या हमारी मां मर जाए, तो भी हम को आंसू नहीं आता है। लेकिन आज आँसू आता है। सदियों से जो पीड़ित है, हरिजन है, सही मानें में वह कभी राष्ट्रपति नहीं बनेगा। सही माने में जो गिरा हुआ है वह राजस्थान का मुख्य मन्त्री कभी नहीं बनेगा। पुराने समय में हम 8-8 दिन में काम करते थे, उनके खेतों में काम करे थे, उनका अनाज और व्यवस्था हम लोग

(श्री हीराभाई)

करते थे, एक जमाना वह था। उनके बारे में हम लोगों ने किया है। उनको भी डूबना पड़ा है। वह राज छोड़कर चले गये हैं। अब यह सरकार आयी है तब भी उन कमजोर लोगों की वही हालत है अब क्या होगा ? मैं यह नहीं मानता हूँ कि इन्द्रा गान्धी की सरकार आ गई तो सब ठीक हो गया। कैसी भी हालत आ जाऐ, तो भी, संसोपा की सरकार आ जाए तो भी यही हालत रहेगी। गान्धीजी ने एक रास्ता निर्माण किया था। उस रास्ते पर चलकर, डाक्टरों की तरह दवा करके, आगे बढ़ना है। वह रास्ता कांग्रेस वाले खत्म कर रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री हीराभाई : खत्म करने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आप पढ़े लिखे हैं। सदन में आप बताएं। यह जूडिशियल इन्क्वायरी हो न हो ? आज जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है। सुखाड़ियाजी के पास कोई दुरबीन नहीं लगी है। इन्द्राजी के पास कोई दुरबीन नहीं लगी है। लेकिन वहां उनके प्रांगण तक, उनके शासन तक हमें अगर उस परिस्थिति को वहां ले जाना है तो उपाध्यक्ष महोदय, आप हम को बतायें कम से कम, इस तरह से कांग्रेसी सदस्य हैं, कांग्रेसी सदस्य उछल उछल कर जो कहते हैं, डागाजी जो सदन के सदस्य हैं, मुझे यह नहीं कहना चाहिए था, वह जो कहते हैं। 107-307 तो यह नहीं कहना चाहिए था। हमने उनको कहा कि यह आपको नहीं कहना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हीराभाई : उन्हें भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपका यह नारा विकेन्द्रीकरण कर दिया जाये, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत ज्यादा खराब है। हम इन्द्राजी के पास जाने के लिए थे, हम राष्ट्रपति के पास जाना चाहते थे। लेकिन यह कांग्रेसी हुकूमत के गुण्डे बैठे हैं। वह लौंडे, गुण्डे हमारी आवाज दबाने के लिए लाठियों और अश्रु गैस से हमको रौंदते हैं। इसके बारे में मैं चाहूँगा कम से कम हमारा सदन इस रास्ते को साफ करे। नहीं करेंगे तो मुझे भय है, मिलेटरी शासन हो जाएगा तो मैं अकेला ही पीड़ित नहीं होऊंगा। अगर मैं एक आंख से देखूंगा तो एक आंख में तीर लग गया तो दोनों ही मरेंगे। इस तरह से हम लोगों की स्थिति होगी। विरोधी दल की भी वही स्थिति होगी। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें भय है, नेताहीन होकर, उधर जिधर बचाव होगा, सहारा होगा उधर ही जाकर अपनी जान भी बचाएंगे और इस प्रकार सरकार पर बुरी तरह सीधा हमला कर देंगे। मुझे यह भी भय है कि सौ सालों से हमारे लोग कुर्बानी कर रहे हैं, सौ सालों से वह प्रजातंत्र के निर्माण के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उन्होंने अपना खून दिया है उस खून के बदले में वापिस खून लेने की बात से कहीं एकतंत्र, मिलिट्री शासन देश पर हावी न हो। क्या मुझे दुःख नहीं होगा, अगर हरिदेव जोशी मर जायं ? क्या इससे मुझे मजा आयेगा ? नहीं क्योंकि वह

(श्री हीराभाई)

भी हमारे भाई हैं। इनमें पथ प्रदर्शन की बुद्धि नहीं हो सकती है, इनमें धीरज नहीं हो सकता है लेकिन इससे हमारा मतलब पूरा नहीं होता है। इसलिए इनकी बातों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए मैं यह बात कहता हूँ और जो कुछ कहता हूं वह इनके मुँह पर कहता हूं। इन पर कोई जुल्म हो जाय तो यह भी हमारे भाई हैं, इसलिए इनको भी नहीं मरना चाहिए। जिस तरह का ध्येय उनका है, वही ध्येय हमारा भी हो सकता है। मैं नहीं कहता कि उनका ध्येय नहीं है। मेरी अपील तो यह है कि प्रजातंत्र को कायम रखना है, अब प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए आप प्रदर्शन बन्द करना चाहें तो फिर दूसरा रास्ता हमको बतायें। आखिर हम आम रूप में आम शिकायत को सरकार के सामने कैसे पहुंचायें। मैं नहीं कहता कि यह कांग्रेस हुकूमत में ही होता है, सब हुकूमतों में यही होगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ था, उसे आप न भूलें। वहाँ पर मिश्रा साहब ने नोटिस दिया था मध्य प्रदेश सरकार को। उस वक्त वहाँ पार्टी ने मिलकर यह तय किया था कि सत्याग्रह को कैसे फेल किया जाय, उस समय मामा बालेश्वर दयाल थे उन्होंने कहा था कि कोई भी ज्यादती की तो तत्काल जो एक मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर वहाँ सरकार में बैठे हैं वह सरकार से बाहर आ सकते हैं। यह नहीं चाहते थे मिश्रा कि कांग्रेस वालों पर गोलियाँ चलें और लाठी चलें। उस समय समाजवादी दल के मामा बालेश्वर दयाल उस कार्यक्रम में गये थे और उन्होंने सत्याग्रहियों पर हमला करने के बजाय शांति से समस्या को हल करने का निर्णय लिया था। आज यह सरकार गांधीजी की दुहाई देती है, गांधीजी की दुहाई देकर आदिवासी महिलाओं की घाघरी खोल कर, लहंगा लूगड़ी खोल कर मारा, उनके लहू निकलते रहे और उनको मारा और वह आज अस्पताल में पड़ी हैं। इस प्रकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के साथ दिल्ली में घटना घटी है। मेरा जो निवेदन है वह मैं दिल्ली वाले मामले को लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं तो दिल्ली वाली घटना का केवल उदाहरण दे रहा हूं। इस घटना के आधार पर यह साबित होता है कि इस सरकार के द्वारा किस प्रकार गलत कार्यवाही होती हैं। इस सरकार के द्वारा ही अध्यक्ष महोदय को गुमराह किया गया है। माननीय सदस्य का जो विशेषाधिकार प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य! भाषण समाप्त हुआ।

श्री हीराभाई : उसके ऊपर सरकार द्वारा झूठा बयान दिया गया है। हमारे माननीय अध्यक्ष का यह भी प्रिविलेज है कि उनको सही बयान दिया जाय। ऐसी हालत में इसकी जांच करवाई जाय। और कायदे से तो समाजवाद का नारा लगाने वाले नन्दाजी है उनको तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : नन्दा नहीं है चव्हाण हैं।

श्री हीराभाई : गृह मन्त्री श्री चव्हाण को नन्दा कह दिया। उनको इस्तीफा देकर जनता में चले आना चाहिए।

श्री हंसराज आर्य (मादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गुण्डा शब्द का इस्तेमाल किया है उसको एक्सपंज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! श्री आदित्येन्द्रजी। भाषण सभी छोटे होंगे। माननीय सदस्यों से यह निवेदन है।

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परसों दिल्ली गया हुआ था। रात को कोई सात या साढ़े सात बजे पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि आज एस. एस. पी. का प्रदर्शन था, जनवाणी दिवस के रूप में, उसमें लाठी चार्ज, अश्रु गैस और तरह तरह की कार्यवाही की और जो कुछ भी लोग थे उनको दूर दूर तक मार मार कर भगाया गया। इस तरह की बात सुनने को मिली। मैं शायद पूरा विश्वास भी नहीं करता लेकिन विश्वास इसलिए करना पड़ता है कि रुलिंग कांग्रेस के तीन पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स है उनसे एक जगह पर, तीन जगह पर मेरी बातचीत हुई और उन्होंने स्वयं ने यह कहा कि एस. एस. पी. का जुलूस अब की बार पूर्ण शांत था और शांतिपूर्ण ढङ्ग से ही सब लोग आगे आगे बढ़ रहे थे और वहां, जहां पर उनको रोका गया, वहां पर एक घण्टे तक मीटिंग भी चलती रही। मैंने कहा थोड़ी उत्सुकता में, उसमें एक हमारे राजस्थान के भी थे मेम्बर, उनसे कि मुकुट बिहारी लालजी यहां पर आये हैं या नहीं आये हैं क्योंकि मुझे ज्यादा चिन्ता इनकी थी कि यह कहीं ज्यादा आगे न चले गये हों। मैंने पूछा कि सबको ज्यादा चोट तो नहीं लगी, तो लोगों ने कहा कि चोट तो लगी है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई आदमी बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं और कल फिर मालूम हुआ कि एक यू. पी. के जो पहले विधान सभा के सदस्य रहे हैं, उनकी मृत्यु भी हो गई। इसमें बड़े बड़े जो वरिष्ठ एस. एस. पी. के नेता थे, राजनारायण, मधुलिमये, जार्ज फर्नाडीज—इन सब लोगों के भी बड़ी भारी चोट आई। यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है।

श्री विजयसिंह : किसको कह रहे हैं, मन्त्री तो कोई है नहीं।

श्री आदित्येन्द्र : आज जनता को कम से कम इतना हक तो है ही, जब प्रशासक वर्ग जनता की आवाज को न सुनें तो कम से कम प्रेस के जरिये, प्लेटफार्म के जरिये, प्रदर्शन के जरिये शांतिपूर्ण ढङ्ग से अपनी शिकायतें को रख सकें। इसकी इजाजत १९४७ के पहले भी थी, कांग्रेस जो उस समय काम कर रही थी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसके नेताओं ने भी बार बार यह बात कही थी, स्वयं गांधीजी ने भी इस बात को कहा था कि अगर कोई मानलें गवर्नमेंट जनता की जनता की शिकायत न सुने तो पूरा इस बात का हक है। इसके अलावा आज सभी जगह इस बात की चर्चा है कि देश में हिंसात्मक वातावरण है, उस हिंसात्मक

(श्री आदित्येन्द्र)

वातावरण को कैसे समाप्त किया जाय। इस बात से सभी लोग चिंतित हैं लेकिन जब सरकार ही मान लें कि हिंसा पर उतारू हो जांय तो इसका मतलब यह है कि हमारी सरकार जनता को हिंसा करने के लिए और बढ़ावा देती हैं। बङ्गाल में या दूसरी जगहों पर तो हम सुनते भी हैं कि वहाँ पर हिंसा के काण्ड होते है, हिंसा की घटनायें होती हैं, वहां पर सोडा वाटर की बोतलें भी फेंकी जाती हैं, बम्ब भी फेंके जाते हैं और बन्दूक भी चलाई जाती है, गोली भी चलाई जाती हैं। लेकिन ऐसी कोई बात दिल्ली में नहीं थी। हां, यह बात जरूर है कि यह ठीक है, आदिवासी जो जुलूस में जा रहे थे उनके पास कुछ लोगों ने कहा कि तीर कमान थे...

श्री हीराभाई : तीन कमान नहीं थे। वह पुरानी रिवाज के तीर कमान नकली बनाकर बता रहे थे, सही मायने में तीर कमान नहीं थे।

श्री आदित्येन्द्र : थोड़ी बहुत मान लें कि तीर कमान लेकर चल रहे थे तो इस तरह के और भी जुलूस निकले हैं जिनमें लोगों को हथियार ले जाने की इजाजत मिली है, हथियार बांध कर लोगों ने जुलूस निकाला है। लेकिन यह बात जरूर है कि इधर से कोई घटना नहीं घटी, ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे लोगों को इस प्रकार से प्रावोकेशन किया गया हो जिससे कि पुलिस इस तरह का व्यवहार करती।

लोगों ने बहुत सों ने, देखने वालों ने भी इस तरह की बातें कहीं कि जिस समय अश्रु गैस के गोले छोड़े गये थे, दो घंटे तक क्या पालियामेंट हाउस, क्या पालियामेंट स्ट्रीट्स, क्या केनाट प्लेस, क्या गोल डाकखाना, दूर-दूर तक, चार पांच फर्लाङ्ग तक भीड़ को भगाया जा रहा था और वहां भी भीड़ को डंडों से बुरी तरह से पिटाई की गई। खून बरस रहा था, बहुत सों के सिर में खून आ रहा था, किसी के पैर से खून टपक रहा था, किसी के नाक से खून निकल रहा था, कपड़े भीग रहे थे खून से, इस तरह की बात 6 तारीख को हुई। चार पांच साल पहले जब इस तरह का जलूस निकला था, उस समय गुलजारीलाल नन्दा को त्याग पत्र देना पड़ा, उस समय वे होम मिनिस्टर थे। हालां कि सरकार ने गलती मानी है, और गलती मानते कैसे नहीं क्योंकि वे जानते थे कि वास्तव में इस प्रकार की बात हुई है, वह हमारी जानकारी में आ गई। प्राईम मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर के बोलने से पहले ही न्यायिक जांच के लिये घोषणा भी कर दी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, आसन द्वारा इस प्रश्न को एडमिट किया गया है, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, पर हमारी ट्रेजरी बेंचेज कितनी उदासीन है कि केवल पानी वाले मंत्रीजी, सिंचाई वाले मंत्रीजी बैठे हैं या डिप्टीजी बैठे हैं, और कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि ट्रेजरी बेंचेज ने फैसला कर लिया है कि लाठी चलाना, डंडे चलाना, गोलियाँ चलाना, अश्रु गैस चलाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है वे जनतंत्र में इसके विरुद्ध बातें रखी जायं तो उन बातों को

(श्री नत्थीसिंह)

सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री नत्थीसिंह : सही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बिलकुल गलत है।

श्री शंकरलाल : जो कुछ माया है वह तो पानी को ही है।

एक माननीय सदस्य : चोट लग जाय तो पानी पिलाने वाले तो बैठे हैं।

श्री आदित्येन्द्र : सब लोग मानते हैं कि हमारे केन्द्र के गृह मंत्री यदि इस प्रकार का उदाहरण पेश करें कि वे स्वयं त्याग पत्र दे दें तो बहुत बड़ी चीज होगी और इस बात को थोड़ा बहुत भुलाया भी जा सकेगा। पहले भी जब रेल्वे मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्रीजी थे और रेल्वे में एक्सीडेन्ट्स की घटनाएं हुई तो उन्होंने त्याग पत्र दिया, दूसरों ने भी त्याग पत्र दिये। डाक्टर राम मनोहर लोहिया जो एस. एस. पी. के....

श्री रामचन्द्र आर्य : ये त्याग पत्र देने वाले नहीं है, इनसे तो त्याग पत्र दिलवाये जायेंगे तब देंगे। ये तो त्याग पत्र नहीं देंगे, इनसे तो जबर्दस्ती त्याग पत्र लिये जायेंगे तब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, भाषण में बाधा नहीं डालें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : चव्हाण स्तीफा नहीं देंगे। उनको स्तीफा नहीं देना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय वृद्धिचन्द्रजी यदि आप दिल्ली की हवा सुनते और पढ़ते तो आपको पता चलता। आज आपकी केन्द्रीय सरकार विरोधी दलों के बल पर ही टिकी हुई है। आप जल्दी ही देख लगे कि चव्हाणजी स्तीफा दे रहे हैं।

श्री आदित्येन्द्र : डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी सरकार को त्याग पत्र देने के लिये बाध्य कर दिया। यहाँ तक बाध्य किया कि पार्टी के दो टुकड़े हो गये लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। इसका मतलब यह है कि एस. एस. पी. के बारे में आम धारणा है कि, पार्लियामेंट के मेम्बर भी कहते सुने गये कि एस.एस.पी. के जुलूस पहले तो इस तरह के नहीं निकलते थे, पर अबकी बार बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से निकला। फिर भी ऐसी घटना घटो, यह चिन्ता का विषय है।

हमारी इस भावना को जरूर केन्द्रीय सरकार तक पहुँचाया जाय कि हम लोग क्या चाहते हैं। यह भावना केवल विरोधी पार्टियों की ही नहीं है बल्कि वस्तु स्थिति का ज्ञान जब हमारे साथियों को हो जायगा जो लोग कांग्रेस के सदस्य हैं तो वे भी जरूर इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह बात बड़ी गलत हुई है। वहाँ के पार्लियामेंट के मेम्बर्स ने भी इस बात को मंजूर किया और कोई एक, दो या दस आदमियों ने ही नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स की बहुत बड़ी

(श्री आदित्येन्द्र)

संस्था है जो मानती है कि यह घटना बहुत ही बुरी घटना घटी है और इसके व्यापक परिणाम होंगे जो सबको भुगतने पड़ेंगे ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में अधिकार है कि विरोधी पार्टियाँ अपने हकूकों के लिये, अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करें और वे शान्तिपूर्ण संघर्ष कर सकती हैं, वे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भी कर सकती हैं, इस बात को तो हर एक प्रजातांन्त्रि पार्टी मान्यता देगी। परन्तु प्रदर्शन में अगर अशान्ति हो तो उस अशान्ति को रोकने के लिये पुलिस को भी अधिकार है और राज्य को भी अधिकार है। परन्तु मैंने यह देखा है कि जितनी भी घटनाएँ हो रही हैं, देश में, यह पाया गया है कि जो प्रदर्शन करते हैं, उनकी तरफ से भी त्रुटि होती है, लेकिन पुलिस अपनी शक्ति का अधिक प्रयोग करती है और अधिक प्रयोग करने के कारण ही इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। जितने भी मामले आये हैं चाहें राजस्थान में गोली-काण्ड का मामला हुआ, चाहे देश में अन्य जगहों पर इस प्रकार के मामले हुए, उनमें यह पाया गया है कि पुलिस अपनी शक्ति का अधिक उपयोग करती है और इससे वह स्थिति यहां तक आ जाती है कि वह बदले की भावना से अपनी शक्ति का सख्ती से उपयोग में लाना शुरू कर देती है और जब बदले की भावना आ जाती है तो जो प्रदर्शन होते हैं, उनका सख्त विरोध कर के मार पीट करती है, अश्रु गैस और अपनी शक्ति का अधिक प्रयोग करती है। तो हमें इसके लिए कुछ परम्पराएँ बनानी पड़ेंगी। अब यह स्थिति तो नहीं है कि हमारे देश में बहुमत की सरकार हो, आज हमारे देश में बहुमत की सरकार नहीं है। प्रजातान्त्रिक जितनी भी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, कांग्रेस के विरोध में हैं उन सबको बैठ कर नियम बनाने चाहिये, कोड आफ कन्डक्ट बनाना पड़ेगा। यद्यपि पीनल कोड में प्रोविजन हैं पर सब पार्टियों को एकत्रित हो कर कुछ नियम बना कर चलना होगा। अगर नियम बनाकर नहीं चलेंगे और हम कोई भी प्रदर्शन करें, विरोधी पार्टियाँ प्रदर्शन करें, गलतियाँ भी करें पुलिस और उसके कारण राज को नुकसान पहुँचे, इसको हमें रोकना होगा। मैं तो यह चाहता हूं कि जो जूडिशियल एन्क्वायरी का निर्णय लिया है, जो जूडिशियल एन्क्वायरी होने के बाद निर्णय हों उनका पूरी तरह से इम्प्लीमैंन्टेशन हो, जिन्होंने गलती की है, उनको दड दिया जाय, अगर दंड दिया जाता है तो फिर ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि चव्हाणजी स्तीफा दें। वे देश के गृह मंत्री हैं, जूडिशियल एन्क्वायरी करा दें, उसकी रिपोर्ट आने पर जो लोग दोषी हों उनको कड़ा दंड दें। आज यह कह दिया जाता है कि पुलिस हमारी रक्षा करती है, उसको दण्ड देंगे तो हमारी रक्षा नहीं कर पायेगी, अगर वह दृष्टिकोण आता है तो बड़े दुख

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

की बात है। यह भ्रम है, हमें इस भ्रम को निकाल देना चाहिये और कोई भी उद्दंडता पुलिस करती है तो उसको सख्ती से दण्ड देना चाहिये।

मैं तो कहूंगा कि चण्हाण जी स्तीफा नहीं दें, जिन्होंने दोष किया है, उद्दंडता की है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिये। विरोधी पार्टियों को पूर्ण अधिकार है अपने प्रदर्शन करने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो घटना पार्लियामेंट स्ट्रीट्स में संसोपा के आन्दोलन के दौरान में हुई उसकी कोई भी जिम्मेदार नागरिक निन्दा किये बिना नहीं रह सकता। उपाध्यक्ष महोदय, जनतन्त्र की परम्पराएँ हुआ करती हैं और हर एक नागरिक को अपने अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों के अन्तर्गत अगर कोई नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो वह नाजायज नहीं कहा जा सकता। यह घटना एक असाधारण घटना थी और इस सम्बन्ध में जो चर्चा का प्रस्ताव रखा गया वह सब रूल्स को रिलेक्स कर के और 5 मिनिट में एडमिट किया गया और सारे सदन की ओर से, गृह मंत्री की ओर से इस सम्बन्ध में चिन्ता और दुख प्रकट किया गया।

मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि अगर जनतन्त्र को रखना है तो जनतन्त्र की की मान्यता और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, को जनतन्त्र की परम्पराओं को रखे बिना, जनतन्त्र नहीं चल सकता और विरोधी पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी तो है ही लेकिन उससे अधिक जिम्मेदारी शासनारूढ़ दल की भी है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जनतन्त्र की परम्पराओं को निभायें और अपने आचरण को पवित्र रखे बिना वह इन परम्पराओं को कभी भी नहीं निभा सकता यह भी मैं एक निर्विवाद सी बात मानता हूँ।

यह विषय चूंकि जुडीशियल इन्क्वायरी से सम्बन्धित है, जो कुछ घटना हुई, उस सम्बन्ध में, मैं आपको कुछ भी निवेदन नहीं करना चाहूँगा किन्तु यह कहे बिना भी मैं नहीं रह सकता, उपाध्यक्ष महोदय, कि आजकल जो जुडीशियल इन्क्वायरी करने की परम्परा है, वह परम्परा ऐसी प्रतीत सी होती है मानो कतई सम्भवतः निष्पक्ष न हो। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शासनारूढ़ दल को स्थापित रखने के हेतु बहुत सारे मुद्दों पर सम्भवतः लीपा पोती की जाती है। मैं समझता हूँ, मैं मेरे अधिकार से आगे जा रहा हूँ लेकिन मैं विवश भी हूँ क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि अगर यह बात मैं नहीं कहता हूँ तो मैं अपने कर्तव्य को भी पूरा नहीं करता और मेरे ख्याल से इस सदन के सदस्य के नाते मैं अपने अधिकारों का भी पालन नहीं करता।

मैं इतना ही कहूँगा कि जुडीशियल

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इन्क्वायरी होगी लेकिन जुडीशियल इन्क्वायरी के परिणाम आने पर ही कहना पड़ेगा कि यह जुडीशियल इन्क्वायरी निष्पक्ष है या नहीं । अभी अभी माननीय सदस्य जो शासनारूढ़ दल से आए हैं, वह भी यह अनुभव करते हैं । शासन का मापदंड दोषी को दंड देना है । अगर जुडीशियल इन्क्वायरी अमुक मुद्दों को साबित भी करती है तो उसका महत्वपूर्ण अङ्ग सरकार पर इस रूप में आधारित है कि उसके निर्णयों को क्रियान्वित किया जाय । अगर वह क्रियान्वित नहीं होते तो मेरे खयाल से जनतन्त्र की एक बड़ी भारी अवहेलना होगी । मैं इस सम्बन्ध में इससे अधिक नहीं कहना चाहूँगा ।

रहा सवाल प्रिविलेजेज् का, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने अभी कहा कि दिल्ली से तार आदि आये हैं, उस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् ४ बजे जो कुछ उनको इस सम्बन्ध में कहना होगा वह कहेंगे, लेकिन मैं यहां पर निवेदन करूं कि यह प्रिविलेजेज् का प्रश्न है, अवश्य है, इस सदन को इस सम्बन्ध में चर्चा करने का अधिकार है । एक माननीय सदस्य इस सदन के दिल्ली गये हुए थे, उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में भी कई बातों की धारणायें हैं, उन्होंने भी स्पष्टीकरण किया । ये सब प्रश्न मिलाकर एक प्रिविलेजे का प्रश्न अवश्य बनता है और प्रिविलेज के प्रश्न के सम्बन्ध में अध्यक्षीय व्यवस्था जो कुछ होगी, उसके पश्चात् मैं निवेदन कर सकूंगा कि वास्तविक रूप से हम लोगों के विचार क्या हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए । अभी केवल मात्र इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जनतन्त्र को कायम इस देश में रखना है, तो शासनारूढ़ दल को अपने उत्तरदायित्व को समझकर निष्पक्ष रूप से दोषी को दंड दिये बिना अगर वह शासन प्रक्रिया चलायेंगे तो न तो जनतन्त्र रह सकता है न नागरिक ही रह सकता है, न संवैधानिक परम्परायें ही रह सकती हैं, कुछ न रहकर, मुझे आशङ्का है, देश में अराजकता और केयॉस हो जायगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अभी अभी माननीय सदस्यों ने यह मांग की कि इस अत्यन्त दुखद घटना पर गृह मन्त्री को त्यागपत्र देना चाहिए । मैं यह मांग पत्र इसलिए नहीं करता कि यह मांग करना पतों को सींचना होगा, इसके मूल में जाना होगा । जबसे आजादी आई, गांधीजी का रास्ता छोड़ा, उसका परिणाम यह हुआ कि गांधी शताब्दि वर्ष समाप्त होते ही यह घटना हुई और किसके साथ हुई ? जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कन्धे से कन्धा मिलाकर काम किया था । इस घटना पर कृपलानी को बहुत दर्द हुआ । भगवान ने कृपा की कि उनको दिल का दौरा नहीं पड़ा । गांधीजी की शिष्या डा. सुशीला नायर रो पड़ी लेकिन यह होना ही था क्योंकि जिस तरह से हम कमाई कर रहे हैं, जिस तरह से कमाई करके काम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम यही आना था ।

शुद्ध कमाई रीत की काम करावे शुद्ध,
जो न कमाई शुद्ध तो रखे न सूंली बुद्ध ।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

जब कमाई शुद्ध नहीं तो बुद्धि शुद्ध कैसे रहेगी ? जो भारत सरकार शराब और जूए की आमदनी पर चल रही है, जो इन्दराजी ने नारा लगाया कि वह समाजवाद ला रही हैं लेकिन सच्च बात तो यह है कि इन्दराजी के हाथ सर्वनाश आएगा, और उनके समय में आकर रहेगा। इसलिए ऐसी घटनाओं से सबक लेना है तो गांधीजी के बताये हुए रास्ते को पकड़ना है, नहीं तो यह छोटीसी घटना है, सबको ठोकर खाकर सम्भलना है और नहीं सम्भले तो इंदराजी को सर्वनाश का यश मिलना है, यह सर्वनाश होकर रहेगा, इसको कौन रोक सकता है ?

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, 6 अप्रेल को दिल्ली में संसोपा के जुलूस पर पुलिस का जो हमला हुआ, उसकी हम घोर निंदा किए बिना नहीं रह सकते। प्रजातांत्रिक तरीके से जो लोग अपनी बातों को दुनियां को और सरकार को बताना चाहते हैं, उनको रोकने का षड़यंत्र सरकार ने दिल्ली में जो किया, उसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही हमारे साथी सतीशचन्द्रजी द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार का मैं समर्थन करता हूं और आसन से मांग करता हूं कि जो घटना दिल्ली में हमारे संसोपा के विधान सभा सदस्य श्री मुकुट बिहारीलाल के साथ घटी, उसका विवरण जो सदन में प्रस्तुत किया और उसका जो समर्थन हमारे दूसरे विधान सभा सदस्य हीराभाई के शब्दों में मिला, उन तथ्यों से और जो तथ्य मिले हैं प्राइमा फैसी मामला साबित है। मैं मानता हूं कि विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में हमारे जो विधान सभा अध्यक्ष हैं और विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं, विचार कर उचित निर्णय करेंगे। परन्तु ऐसे मामलों में शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाने चाहिए। ताकि इस समय की गरिमा और सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं उनका हनन न हो। इस तरह का जो खेद प्रकट किया जा रहा है पुलिस बर्बरता के खिलाफ उसके लिये तो जैसा दूसरे साथियों ने कहा, चव्हान साहब को स्तीफा देना चाहिये और उस काण्ड की सारे सदन को भर्त्सना करनी चाहिये।

हम यह महसूस करते हैं कि जिस देश में अनुशासनहीन पार्टी के द्वारा शासन किया जा रहा हो तो ऐसी बातें कहीं जा सकती हैं। श्री वृद्धिचन्द्रजी ने जो ऐसे शब्द कहे जो पार्टी को सुशोभित नहीं हो सकते हैं। अनुशासनहीन पार्टी शासन करती हो तो उसके द्वारा इस प्रकार की घटनायें करना स्वाभाविक बात है। इसलिये मैं अपने स्वयं की तरफ से और अपने दल की तरफ से विशेषाधिकार प्रश्न का समर्थन करता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि सदन का इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूँ, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न तो मुझे तथ्यों की जानकारी है और न ही उसके लिये मुझे बाध्य होना पड़ेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प.) : आप चेयरमेन हैं विशेषाधिकार समिति के। आप अभी कुछ कह दें और फिर इस पर निर्णय देने लायक न रहें। मैं

(श्री भगवानदास शास्त्री)

पोइन्ट ग्राउट कर रहा हूँ ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ग्रापस में बात करने पर) ग्रापस में कृपया बात न करें ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं क्या बोलने जा रहा हूं ग्रापने उसके पहले ही दखल दे दिया । न मैं उन तथ्यों पर प्रकाश डालूँगा ग्रौर न ही विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे सामने है । रात दिन की जो घटनायें होती हैं, पुलिस ग्रौर जनता में जो मुठभेड़ें होती हैं....

श्री भगवानदास शास्त्री : शिव सेना बनेगी वहाँ ऐसा इन्तजाम होगा ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिव सेना बनी, ग्रार० एस० एस० बना, जनसंघ में मिलिटेंन्ट ग्रूप हो गया । देश में जो हालात हो रहे हैं वह जनतन्त्र को समाप्त करने की बातें हो रही हैं । सदन में बैठे हैं तो हमें कुछ नोर्म्स तय करने पड़ेंगे कि जनतन्त्र कैसे कायम रहेगा । बीस वर्ष की ग्राजादी के बाद सबसे पहला प्रश्न मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि पुलिस चोर डकैतों ग्रौर गुंडों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है । उसको विधान सभा के सदस्यों के साथ, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का क्या तरीका होना चाहिये, विद्यार्थियों के द्वारा किये गये प्रदर्शनों के सम्बन्ध में पुलिस को किस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये ग्रौर क्या हमने पुलिस को इस प्रकार की शिक्षा देने का तय किया था ? इस स्थिति से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जनतन्त्र में पब्लिक प्रोटेस्ट किये जांय, प्रदर्शन किये जांय । कोई चीज ऐसी नहीं है कि जनतन्त्र में सहज हो सके । प्रोटेस्ट करें सरकार के सामने लायें किस सीमा तक उसके लिये सदन को तय करना पड़ेगा । हमारे लॉ कमीशन ने जिस समय पुलिस एक्ट पर निर्णय दिया, मैंने एक दिन पांच मिनिट के लिये यह इजाजत चाही थी ग्रध्यक्ष महोदय से । 1861 का पुलिस एक्ट है । वह 1857 के गदर के बाद किस लिये बना ? हमने ग्राज तक इस पर सोचा नहीं । भारत की जनता को दबाने के लिये 1857 के गदर के बाद उठी भावनाग्रों को कुचलने के लिये पुलिस एक्ट 1861 में बनाया गया । ग्राज भी ग्रगर पुलिस लोक सभा के सदस्यों ग्रौर विधान सभा के सदस्यों ग्रौर समाज के वी० ग्राई० पीज़० के सम्बन्ध में वह डाकुग्रों ग्रौर चोरों जैसा व्यवहार करती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों करते हैं ? हमें यह तय करना पड़ेगा कि क्या हम पुलिस के साथ ग्राइडेन्टीफाई करें । जनतन्त्र भावनाग्रों से चलेगा ग्रौर नेशनेलिटी को ग्रख्तियार करना पड़ेगा । हमें यह निर्णय लेना होगा । तान ग्रागयी, भावनाग्रों में बह गये ग्रौर कुछ बातें तय कर लीं ग्रौर यह दोष देने लगे शासन हमें इस प्रकार से ग्राइडेन्टी-फाई करता है । शासक दल से कहना चाहता हूँ जब घटनायें घटती हैं तो विरोधी

श्री यशवन्तसिंह नाहर)

दल यह कहता है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से निर्णय नहीं चाहिये किन्तु ज्युडिशियल से चाहिये । क्यों ? शासन में आस्था खत्म हो गयी है । जिस दिन शासन में आस्थायें खत्म होगयी जनतन्त्र का दिवाला मानिये ।

श्री रामसिंह कुड़ी : जनतन्त्र का तो जनाजा निकल चुका है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: आप हम यहाँ बैठे हैं । जनतन्त्र का जनाजा तो खुद के कन्धों पर लेकर जावेंगे । शासक दल कुछ बातों को लेकर पक्षपात करता है तो जनतन्त्र को भुला दिया गया है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में जो कुछ घटनायें हुई हैं उसके सम्बन्ध में मेरे पास कहने को कुछ नहीं है । न ही मैं कहना चाहता हूँ । अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि जनतन्त्र कायम रहे, हम आप भी चाहते हैं कि जनतन्त्र कायम रहे, तो भावनाओं में नहीं बहना है । बीस वर्ष की आजादी के बाद जिस कगार पर हम खड़े हैं, अब वक्त आगया है हम यह सोचें की उस कगार से बच कर सही रास्ते पर चलना है या नहीं, और वह सही रास्ता है नेशनेलिज्म का । यदि कगार से नीचे गिरे तो न नेशनेलिज्म रहेगा, न जनतन्त्र रहेगा और न ही आप हम रहेंगे । कौन रहेगा ? यही कह कर समाप्त करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । (मा. उद्योग मंत्री जी)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री हरजीराम बुरड़क : ग्रोन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर । उपाध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर अधिसूचनायें रखी जा रही हैं । कुछ अधिसूचना तो 65 की हैं और कुछ 66 की । इतने लम्बे समय तक सदन की मेज पर नहीं रखना, जब कि पहले से ही आसन से व्यवस्था हो चुकी है और ताड़ना दी जा चुकी है, फिर भी आज रख रहे हैं यह सोचनीय है. और आपकी व्यवस्था का सवाल है ।

श्री भीमसिंह (उप मंत्री उद्योग) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भगवानदास शास्त्री : उसको क्लीयर तो किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह तो उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री भीमसेन : टेबल पर रखे जाने में विलम्ब जरूर हुआ है । सरकार की जानकारी में यह कल ही आयी हैं । रीजन्स क्या हैं उसकी जानकारी लेकर हाउस में बता दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 65 की रख रहे हैं । यह नहीं रख सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : खेद प्रकट कर दीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : खेद प्रकट करने से क्या होगा ? घोटाला है।

श्री भीमसेन (उपमंत्री उद्योग) : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि सन् 67 के बाद की जो अधिसूचनाएं हैं वे इस चतुर्थ विधान सभा में पेश की जानी चाहिये। उनको यहां पर रखा जाना चाहिये और इसका आपको अधिकार है। लेकिन आज जो अधिसूचनाएं रखी जा रही हैं वे तृतीय विधान सभा के सम्मुख रखी जानी चाहिये थीं। यह प्रिवीलेज तृतीय विधान सभा का था। उसके सामने आपको रखना चाहिये था। इस तरह आपने विधान सभा के विशेषाधिकार का हनन किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इजाजत देने से फायदा ही क्या है ? अब इसकी उपयोगिता क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह आपको मंत्री महोदय बता देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का निराकरण हो जाना चाहिये। पहले भी यह प्रश्न यहां आया था और हरिदेवजी ने खड़े होकर खेद प्रकट कर दिया था और ऐसा ही अब भीमसेन जी कर रहे हैं।

श्री भीमसेन : हम जांच कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इन कारणों की जांच कर लेंगे यह मंत्री महोदय ने कह दिया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : इस जांच का क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : किस के पास रह गया है : यह देख लेंगे। ऑर्डर प्लीज्।

मंत्री महोदय।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय मैं उद्योग विभाग (क) की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको पढ़ने में समय क्यों नष्ट करते हैं। आप कह दीजिये 1 से 12 सूचनाएं रखता हूँ।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक से 12 तक की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ जो इस प्रकार है :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ 29 (33) इण्ड/ए/64 दिनांक 14 जून, 1965

(2) अधिसूचना संख्या एफ 29 (5) इण्ड/ए/63 दिनांक 30 अप्रेल, 1966

(श्री भीमसेन)

(3) अधिसूचना संख्या एफ 28 (11) इण्ड/ए/66 दिनांक 5 जुलाई, 1966

(4) अधिसूचना संख्या एफ 28 (31) इण्ड (ए) 67 दिनांक 22 दिसम्बर, 1967

(5) अधिसूचना संख्या एफ 28 (6) इन्ड (ए) 68 दिनांक 20 मई, 1969

(6) अधिसूचना संख्या एफ 28 (12) इण्ड (ए) 66 दिनांक 24 अगस्त, 1968

(7) अधिसूचना संख्या एफ 28 (24) इण्ड (ए)65 दिनांक 8 नवम्बर, 1968

(8) अधिसूचना संख्या एफ 28 (58) इण्ड (ए) 68 दिनांक 8 नवम्बर, 1968

(9) अधिसूचना संख्या एफ 28 (59) इण्ड (ए) 68 दिनांक 18 नवम्बर, 1968

(10) अधिसूचना संख्या एफ 28 (24) इण्ड (ए) 65 दिनांक 2 जनवरी, 1969

(11) अधिसूचना संख्या एफ 28 (29) इण्ड (ए) 69 दिनांक 12 मार्च, 1970

(12) अधिसूचना संख्या एफ 7 (17) इण्ड (ए) 63 दिनांक 12 मार्च, 1970

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन।

....उद्योग मंत्री।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री भीमसेन (उप-मंत्री, उद्योग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सांभर साल्ट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1967-68 सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहूँगा कि क्या 68-69 का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को नहीं मिला है ?

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : मैं अभी तत्काल नहीं कह सकता हूँ। वैसे यह राज्य सरकार के पास जैसे ही आती है वह मेज दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास 68-69 की बैलेन्स शीट नहीं आई है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं कोई भी बात कह दूँ अन्दाज के आधार पर, यह ठीक नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : यह सदन की उपेक्षा नहीं है ? जहां जहां भी सरकार का विनियोजन है, उनकी रिपोर्ट्स सदन की मेज पर टाइम पर रखी जायेगी। कई बार इस पर रूलिंग हो चुकी है और सरकार की तरफ से हर बार इसकी उपेक्षा की जाती है।

(श्री भैरोंसिंह)

67-68 की रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जा रही है जबकि 68-69 की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। अब दो साल पहले की रिपोर्ट पेश नहीं करें तो अच्छा है। यह सदन की उपेक्षा करना है। इस तरह तो इस फार्मेलिटी को भी पूरा नहीं करना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रोसीजर है उसको सभी जानते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आती है, गवर्नमेंट उसको प्रकाशित करके विधान सभा सचिवालय को भेज देती है और जब विधान सभा की कार्यवाही सूची में वह आती है उसको सदन की मेज पर रखा जाता है। अब वे कौनसी हैं इसको मैं जबानी याद नहीं रख सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप उद्योग मंत्री हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : राज्य सरकार का जिन जिन संस्थाओं में नियोजन है, जहां जहां उसका पैसा लगा हुआ है, उनकी रिपोर्ट आती है? इसके लिये किसी न किसी विभाग की जिम्मेदारी होगी ?

श्री हरिदेव जोशी : वह जिम्मेदारी है। राज्य सरकार का फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट और जो दूसरा सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट है, वे लोग और जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में हैं, इसको देखते हैं। जहां तक टेबुल पर रखने का सम्बन्ध है, तात्कालिक, इस समय मैं बगैर कोई चीज देखे हुए बोल दूं तो गलत है।

श्री दौलतराम सारण : आप महसूस नहीं करते हैं, इससे इनका महत्व कम हो जाता है।

श्री हरिदेव जोशी : डिले किस रूप में हुई है, यह नहीं कह सकता हूँ। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ........

श्री दौलतराम सारण : अगर यह नहीं होता है तो और गैर जिम्मेदारी की बात क्या हो सकती है। इस तरह राज्य सरकार की उपेक्षा करके कोई कम्पनी, कन्सर्न रिपोर्ट नहीं भेजती है तो राज्य सरकार को आगे कायदे के मुताबिक कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें लेट कहां हुई है अथवा क्या स्थिति है इसको जब तक मैं देखूं नहीं कि क्या है, क्या कह सकता हूँ। सवाल यह है कि कम्पनी से देर से भेजा है अथवा हमारे सेक्रेटेरियेट से लेट आया है अथवा विधान सभा में पहुँच गई और अब लेट हुई है। तो इन सारी चीजों को जब तक मैं देखूं नहीं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री दौलतराम सारण : हर समय जब जब रिपोर्ट रखी है यह प्रश्न पैदा हुआ है। हर बार यह कहा जाता रहा है। माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करके आते तो इस सदन में आज उनकी अच्छी पोजीशन होती।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास आने में और हाउस की टेबुल पर ले करने में, इसके बीच में बड़ा गेप रहता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बात बताइये। अगर कोई रिपोर्ट नहीं भेजता है तो आप कोई कोग्नीजेंस नहीं लेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : निश्चित तौर पर। मगर आज यह डिले क्यों हुई इसको तत्काल नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : 68-69 की पेश क्यों नहीं की गई है।

श्री हरिदेव जोशी : सवाल यह है कि बोर्ड से आ गई हो और स्टेट गवर्नमेण्ट से देरी हो गई हो, आया यह भी हो सकता है कि कम्पनी ने देर से भेजा और स्टेट गवर्नमेंट, ने अर्थात् सेक्रेटेरियेट ने देरी से भेजा, या वहां से समय पर भेज दी गई हो और यहां देर से टेबुल पर रखी हो, इन सब में बड़ा डिफरेंस है। जब तक इसको मालूम नहीं कर लूं, कुछ नहीं कह सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको यह मालूम कर लेना चाहिए था कि नेचुरली यह प्रश्न अराइज होगा।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी कर लेंगे, मन्त्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के जिस जिस कम्पनी में इनवेस्टमेन्ट हैं उन सारी कम्पतिनियों के प्रवेदन सदन की मेज पर रखे जाने चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक सांभर साल्ट का सवाल है इसकी मीटिंग 15-4-69 को हुई है। इसके बाद में यह आई है। इसलिए यह लेट हुई है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जिस जिस प्रकार राज्य सरकार का विनियोजन जहां-जहां हुआ है राजस्थान विधान सभा में उनका वार्षिक प्रतिवेदन निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कईयों के कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है और स्टेट गवर्नमेन्ट उनके वार्षिक प्रतिवेदनों को विधान सभा की मेज पर रखेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सचिवालय के उद्योग विभाग की तरफ से स्टेट इन्टरप्राइज की तरफ से और बाकी के विभागों की तरफ से जहां जहां भी सरकार का विनियोजन है या उद्योग धन्धे हैं, जो उद्योग धन्धे चल रहे हैं, उनकी सूची बनाकर राजस्थान विधान सभा को भेजी जाये और उस सूची के अनुसार कितने प्रतिवेदन आज तक विधान सभा में प्रस्तुत कर दिए गए हैं और कितने बाकी हैं प्रस्तुत होने के लिए और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या व्यवस्था की है, मैं समझता हूँ सरकार कल तक इसकी व्यवस्था कर लेगी कि कौन से प्रतिवेदन राज्य सरकार ने प्रस्तुत नहीं किए हैं ? मैं समझता हूं बार-बार सरकार की शिकायत करने से यह अच्छा होगा कि एक अधिकृत सूची बन जाय और उसके आधार पर सभी प्रतिवेदन

(श्री भैरोंसिंह)

सदन की मेज पर प्रस्तुत होते रहें। इस प्रकार की व्यवस्था शासन की तरफ से हो जाए तो अच्छी रहेगी।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उद्योग मंत्री।

प्रतिवेदन का उपस्थान—सांभर साल्ट....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री समाज कल्याण मंत्री।

श्री बी० एन० जोशी (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सत्रहवीं रिपोर्ट वर्ष 1967-68 को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री गंगानगर शुगर मिल्स लि० से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजकीय उपक्रम समिति को कितने और प्रतिवेदन उपस्थापित करने हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब तक कार्य करते रहेंगे सदन में समिति के प्रतिवेदन इस प्रकार उपस्थापित होते रहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सदन में यह नवां प्रतिवेदन है और कितने होंगे यह डिसक्लोज़ किया जाये।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कई सीक्रेट्स हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें कोई सीक्रेट्स नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : यह अननेसेसरीली बनाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-सांचोर तहसील में अकाल राहत कार्यों सम्बन्धी

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान अकाल राहत कार्य सिंचाई विभाग द्वारा जो जिला जालोर में, विशेषतः सांचोर तहसील में चल रहे हैं उस बारे में आकर्षित करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में मेरे विचार से माननीय मंत्रीजी के सामने सारे तथ्य स्पष्ट रूप से नहीं आये हैं। यह मेरी जानकारी है। इसलिये मैं कुछ तथ्य उनके सामने रखना चाहता हूं। जिस पर माननीय मंत्रीजी विशेष रूप

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

से ध्यान दें।

उपाध्यक्ष जी, सांचोर तहसील में ज्यादातर अकाल राहत कार्यों के रूप में सड़कों का कार्य शुरू न कर के सिंचाई विभाग का कार्य सरकार ने शुरू किया है। इस बारे में सिंचाई कार्य ज्यादा रूप में किये जा रहे हैं, इसके लिये मैं सरकार का तो ध्यान दिलाऊंगा लेकिन सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी है और उनके द्वारा जो कार्य-वाही चल रही है और जिसके फलस्वरूप वहां के लोगों की इतनी तकलीफें हैं कि जिस सम्बन्ध में कई लिखित दरख्वास्तें सिंचाई मंत्रीजी को पहले भी कई बार पेश कर चुका हूं। ऐसे गम्भीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाये गये हैं। वहां के मेट्स को हटाने के बारे में लेबरर्स को एम्प्लोय करने के बारे में, सिंचाई के काम शुरू करने के बारे में जिस प्रकार की अनियमितता हुई है, भयंकर भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त हैं। इसी कारण से पेमेण्ट की एजेन्सी को तबदील किया गया। सिंचाई विभाग द्वारा लोगों को तंग किया जा रहा है। इस बारे में आज भी मुझे दो तीन रजिस्ट्रीयां मिली हैं। इसके अलावा भी मैंने स्पष्टतया मंत्री महोदय को बताये हैं वहां के लोगों को अकाल राहत के मजदूरों को तीन-तीन चार-चार महीने से पेमेण्ट नहीं मिला है। मेरी जानकारी के अनुसार दो महिने से ज्यादा समय हो गया पेमेण्ट नहीं दिया। मैं इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जनवरी से लेकर मार्च तक जो मजदूर इन बांधों पर लगाये गये हैं जैसे टिकरिया बांध, पीलासरा (सुरचन्द), चितलवाना इन बांधों पर दिसम्बर से लेकर मार्च तक के मजदूरों के पेमेण्ट में जिसमें 20–30 गैंग लगी हुई हैं। एकदम पेमेण्ट को एजेन्सी चेन्ज हो जाने के बाद योजनाबद्ध तरीके से परेशान करने की स्कीम बनायी गई है। हालांकि हरेक बांध पर स्टाफ कम करने के बारे में मैंने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया था उसके बाद काफी स्टाफ लगा दिया एक-एक ओवरसीयर हर बंधे पर लगाया गया है फिर भी पेमेण्ट उनका हो नहीं पाता है। मैं 23–24 तारीख को सांचोर में था स्थानीय कलेक्टर महोदय भी सांचोर में थे मेरे विशेष आग्रह करने के बाद मुख्य मंत्री महोदय भी वहां पधारे थे। उनके सामने भी विशेष तौर से शिकायतें की गई थीं, सिंचाई विभाग का जो स्टाफ लगा रखा है उनके द्वारा बराबर पेमेण्ट नहीं किया जाता, वहां के मजदूरों को इस कारण बड़ी भारी परेशानियां हैं। उन्होंने उसी समय सुपरिण्टेंडिंग इन्जीनियर को स्पष्ट आदेश दिया था कि फौरन मजदूरों का पेमेण्ट हो जाना चाहिये। उस पर कलेक्टर ने भी आदेश दिया। होली के रामा सामा के रोज उन्होंने स्पेशल पार्टीज़ लगाकर वहां के मजदूरों को पेमेण्ट कराने की व्यवस्था की। पहले तो पंचायत समिति की एजेन्सी द्वारा दो-दो महीने का पेमेण्ट भी नहीं हुआ जब वे पेमेण्ट करने आये तो लोगों को पता चला कि उनकी मजदूरी में से किसी में 70 परसेण्ट तो किसी में 60 परसेण्ट और किसी में 90 प्रतिशत तक कटौती की हुई है। मालासरा का बांध खेजड़ियाली बांध में 80 प्रतिशत तक कटौती की हुई है। दो महीने बाद

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पेमेण्ट होने पर भी कटौती की गई है। जब कि हालत यह है कि मजदूर सारा अपने परिवार सहित वहीं पर डेरे डाले हुए हैं। रात दिन में ओवरसियर की डाइरेक्शन के मुताबिक अपना काम करते हैं फिर किस कारण से उनकी इतनी कटौती की गई। यह भी जब चार हफ्ते के बाद पेमेण्ट के लिये जीप गयी तब मालूम पड़ा। इस पर वहाँ के मजदूरों ने पंचायत समिति की जीप को घेर लिया, ओवरसियर ने कहा कि पंचायत समिति ने यह पैसा काटा है। लेकिन बी०डी०ओ० ने कहा कि ये पंचायत समिति और बी०डी०ओ० की लिस्ट को मानते ही नहीं हैं। जब मजदूर लोग भिड़क गये और ओवरसियर को मारने पर उतारू हो गये तो पंचायत समिति की जीप में जाकर विकास अधिकारी ने मस्टररोल के बारे में कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने खुद ने बांध पर जाकर जो फेमिलीज पड़ी थीं उनको देखा। काम उनका किया हुआ मौजूद था, यह उन्होंने भी माना कि इरिगेशन विभाग के लोगों द्वारा बदमाशी की गई है और जान बूझ कर लोगों को परेशान किया गया है। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर मेजरमेण्ट करवा कर पेमेण्ट कर दूँगा। उन्होंने यह बात एडमिट की है कि कटौती गलत हुई है। लोगों को आश्वासन दिया दुबारा सही मेजरमेण्ट करवाकर पेमेण्ट करेंगे। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बीस पच्चीस रोज हो गये दो महीने का पेमेण्ट अभी तक रुका हुआ है। आज दिन तक वापिस मेजरमेण्ट किया जाकर पेमेण्ट को व्यवस्था नहीं हुई है। कलेक्टर से सूचना मिली है कि यह पेमेंट का काम सिचाई विभाग के ही अधीन है उसमें अकाल का महकमा कुछ नहीं कर सकता। पंचायत समिति की एजेन्सी कुछ नहीं कर सकती। यह पेमेंट सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा ही कराया जावे। उस पर सुमेरपुर एक्स० इ० एन० को कलेक्टर ने टेलीफोन किया, अजमेर टेलीफोन किया माननीय मंत्री महोदय को लिखित में मैंने आठ दस दिन पहले दरख्वास्तें दीं उस पर आदेश भी हुए, उसके लिये मैं बराबर आग्रह करता रहा हूँ कि वहाँ पर बड़ी भारी गड़बड़ियाँ हैं। यह मैं तथ्यों के साथ कहता हूं कि वहाँ पर लेबर लगवाने के दो रुपये मेट लोग वसूल करते हैं, एक रुपया तो पहले ले लेते हैं और एक रुपया जिस समय पेमेंट होता है उस समय लिया जाता है। पेमेंट उनके हाथ से चले जाने के बाद लोगों को परेशान करना शुरू किया। बाड़मेर से लोगों को लाकर दो रुपया उनसे मजदूरी पर लगवाने का लिया जाता है यहाँ के मजदूरों को रखा नहीं जाता क्योंकि यहाँ के मजदूर दो रुपया प्रति मजदूर नहीं दे सकते और बाड़मेर वाले आसानी से दे सकते हैं। बेचारे बाडमेर के मजदूर पैसा देकर भी मजदूरी के लिये आ जाते हैं इस तरह से हरेक मेट को 100 रुपया पचास रुपया मिल जाता है। यह सब पंचायत समिति की एजेन्सीज होने के बाद में मालूम पड़ा। पैसा ले ले कर गैंग्ज को लगाया जाता है। मस्टर रोल पक्के होते हुए भी कच्चे भरे जाते हैं उसके बाद में उनको पक्के में लिखा जाता है। आखिर यह तो किसी को भी मानने में बात आने वाली नहीं कि

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

वहां पर मजदूर अपनी फैमिलीज के साथ रहते हुए भी काम नहीं करें और इस तरह से 80 प्रतिशत 90 प्रतिशत मजदूरी काट ली जावे । यह संभव नहीं दिखाई देता । मैं खुद कलेक्टर एस० डी० ओ० और तहसीलदार को ले गया हूँ वे खुद मानते हैं कि मजदूर यहां इन लोगों से परेशान हैं । पंचायत समिति का बी० डी० ओ० और तहसीलदार मिल कर अपोइण्ट-मेण्ट्स करते हैं तो उसको वे नहीं मानते । बी० डी० ओ० के आदेश को नहीं मानते । यह तो उन्होंने जनरल रूल बनाकर रखा है प्रत्येक मजदूर को पहली भरती के समय एक रुपया लेना और बाद में पेमेण्ट के समय एक रुपया ले लेना ।

इसी तरह से सूराचन्द खेजड़ियाला में एक बेरे को 6 रुपये के हिसाब से लगाया गया । वहां तो जो बेरी खोदी जाती है जिससे पानी लाया जाता है वह 6 रुपये में ही खुद जाती है । फिर भी उनसे 6 रुपया प्रतिदिन देने का मस्टररोल में इन्दराज होता है । उसमें दो जोड़ी बैल की लगाओ और पानी का स्टाक करो तो भी 6 रुपया अधिक है । पांच पांच रुपये में तो बेरी बनती है । इस तरह से कई आरोप स्पष्ट रूप से लगाये हुए प्रार्थना पत्र आपको दिये हैं इतना होने के बावजूद भी उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और 90-80 परसेण्ट की कटौती हुई है । इससे जनरल वहां का मजदूर इतना परेशान हो गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता । कलेक्टर के इस आश्वासन के बाद भी कि उनका पेमेण्ट हो जायगा वह भी नहीं हुआ । असरदार लोगों की एडवाइजरी कमेटी बना दी जाय । मैं तो यह भी कह सकता हूँ इस धान्धली के बारे में असरदार आदमियों की भी सुनने वाला नहीं है । वहां के असरदार लोगों को कोई मान्यता नहीं है । पी० डब्लू० डी० में ऐसी कमेटी बनायी उसका असर जरूर हुआ है कम शिकायतें हैं। मजदूर लगाने में धान्धली बाजी कैसे चले । ओवरसीयर कुछ परवाह नहीं करें। मर्जी माफिक करवा देते हैं । बड़ा भारी लोगों को परेशान किया है । 4–5 दरख्वास्ते आज आई है, मैं माननीय मंत्री जी को पेश कर दूंगा । एक बार मैंने दरख्वास्तों का पुलन्दा का पुलन्दा सैक्रेटेरियेट में मंत्री जी को दिया था । आपने वह चीफ इन्जीनियर को दे दिया था । क्या उसमें एन्क्वायरी हुई, यह अभी तक पता नहीं ? माननीय उपाध्यक्ष जी मैं अगर बार-बार दरख्वास्त देता हूँ तो कहते हैं एम. एल. ए. के पास अप्रोच मत किया करो । बीतलवाड़ा में काम बंद होने के बाद दूसरे बन्धों का काम टेक्निकल स्वीकृति होने के बाद भी एक महीने तक काम शुरू नहीं किया गया अभी माननीय मंत्री महोदय ने टेलीफोन किया तब काम शुरू हुआ है । इस तरह अकाल राहत कार्यों में परेशानी हो तो बड़े भारी खेद की बात है । देरी से मजदूरी का पेमेण्ट होता है । प्राईवेट लोग दुकान लेकर बैठते हैं तो डेढ़ रुपया किलो आटा बेचते हैं—पेमेण्ट उनसे मजदूरों से परवारा ले लेते हैं । मेरा निवेदन यह है कि सरकारी दुकान लेकर विभाग बैठे तो मजदूरों की काफी परेशानी दूर हो सकती है और पैसे भी मजदूरों में एडजस्ट कर लें । यह भी नहीं कर सकते हैं तो उपाध्यक्ष जी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

यह जो तथ्य दिये हैं इस बारे में पूर्ण रूप से चाहूंगा कि मंत्री जी एन्क्वायरी करायेंगे और दोषी व्यक्तियों को सख्त सजा देंगे।

जिन बान्धों पर विशेष रूप से पेमेन्ट नहीं हुआ है वे इस प्रकार हैं—जाजूसण, खेजड़ी पाली का बन्धा, मालास का बन्धा, ठीकरिया, सेड़िया, सांकर, सरनाऊ, केसूरी इन पर 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कटौती की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यह कटौती लोगों को परेशान करने के लिये की है—पैसे लेने के लिये की है ताकि लोग शिकायत न करें। शिकायत करने में वहाँ के लोग ज्यादा होशियार हैं। ए० इ० एन, सांचोर मेजरमेंट करते हैं तो खुद जांच करके वेरीफाई करें। सांचोर में ए० इ० एन० ने कुछ नहीं किया इसलिये यह मालूम पड़ता है सब मिले हुये हैं। 90 प्रतिशत कटौती, इसका मतलब काम ही नहीं किया लोगों ने? कलेक्टर महोदय से पूछ लीजिये—यह कहते हैं सिचाई विभाग का कोई इमानदार आदमी या इमानदार आफिसर लगवा कर जांच करवा लें तो सारे तथ्य सामने आ जायेंगे लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्यों नहो कर सकते हैं क्योंकि मेजरमेंट का सवाल है। मेजरमेंट सिचाई विभाग कर सकता है। 90 प्रतिशत लोग कैसे काम नहीं कर सकते हैं इसका मतलब तो यह है कि वे ऐसे ही बैठे है उनकी सारी फैमिली बैठी है—3-3 आदमी उनकी फैमिली के काम पर लगे हुये हैं। पहले हफ्ते में वे खुद पेमेन्ट करते थे तो सेन्ट पर्सेन्ट का पेमेन्ट था और व अब इतना फर्क पड़ गया। कलेक्टर खुद कहता है बेईमानी की है ये कलेक्टर के खुद के वर्ड्स हैं। वे कहते हैं गवर्नमेंट लेबल पर मामला होगा तो होगा, नहीं तो यह मामला नहीं सुलझ सकता है। स्टाफ मेरे कन्ट्रोल से बाहर है। इस बारे में उपाध्यक्षजी मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन लोगों की जो कटोतियां हुई हैं उसका मेजरमेंट एक्स. इ. एन. के द्वारा करवाया जाय। उसकी पूरी तरह से जांच करवाई जाय। गरीबों का भला कीजिये। उसके बाद एक खेजड़ी पाली का बाँध है उसमें एक आदमी भूख से मर गया। वहाँ पर दुकान की कोई व्यवस्था नहीं, पेमेन्ट की कोई व्यवस्था नहीं, कोई सरकार की दुकान नहीं है। एक हफ्ते के बाद ही आप कम से कम पेमेन्ट की व्यवस्था करवा दीजिये। माननीय उपाध्यक्षजी माननीय मंत्रीजी को मेरा सुझाव है कि वहाँ से स्थानीय ईमानदार लोगों की—जो असरदार व्यक्ति हैं, उनकी एक एडवाइजरी कमेटी बनाइये और उनकी सलाह से ऊंट लगायें, उनकी सलाह से मेट लगायें। आज वहां कोई देखने वाला नहीं है। अपने ही ऊंट लगा देते हैं, अपने ही मेट लगा देते हैं, अपने ही आदमियों को काम पर लगा देते हैं तो मेरा निवेदन है एक ऐडवाइजरी कमेटी बनाकर उसकी सलाह से ही मेट लगायें, उसकी सलाह से ही ऊंट लगायें, उनकी सलाह से ही घेरे लगायें। एक बार एस. डी. ओ. ने खुद ने कहा था 4-4 हफ्ते से उसी घर का मेट, उसी घर का ऊंट और उन्हीं की लेबर बाकी किसी का नाम ही नहीं है। इतनी गम्भीर समस्या है, इतनी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भयंकरता से भ्रष्टाचार वहां मुंह बाये खड़ी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। माननीय उपाध्यक्षजी मैं माननीय मन्त्रीजी से आग्रह करूंगा आप स्वयं इन बन्धों पर पधारें और आप समरी रूप में उनकी एन्क्वायरी करें तो सारी स्थिति का आपको पता लग जायगा। मेरा निवेदन है कि आप बेहद बढ़े हुए इस भ्रष्टाचार का अन्त कीजिये—इस भ्रष्टाचार का और प्रचार होने से रोकिये। मैंने सैकड़ों रिपोर्ट की हैं आप उनसे वापिस रिपोर्ट मगवाइयें, आप उन पर ऐक्शन लेंगे तो सुधार होगा वरना ये किसी प्रकार भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकते हैं।

सुमेरपुर की टेक्निकल स्वीकृति तीन बच्चों की हो गई, इरिगेशन विभाग का काम है लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं कर रहे हैं। टेक्निकल स्वीकृति को एक एक महीना हो जाता है, काम शुरू ही नहीं होता है। आप कम से कम सुमेरपुर से जो वर्क्स सेक्शन हुए हैं उनको तो जल्दी से जल्दी शुरू करवा दीजिये जिसमें अरनाम, केरिया, जैतपुरिया, बड़गाव नहर, खारचियापुर आदि है जिनका आपने आश्वासन भी दिया है। 10 हजार लेवर लगाने की बात है। सारे लोग वहां के बेकार बैठे हुए हैं। जो बांध सर्वे करके तखमीने सुमेरपुर में भेजे हैं उसकी टेक्निकल स्वीकृति दिलवाकर काम शुरू करवाइये और उसमें अच्छा स्टाफ लगायें वरना जो पृष्ठभूमि मैंने दी है वह सब बेकार हो जायगी। इस बारे में जो दरख्वास्तें आपको भेजी हैं उन पर आप रिपोर्ट मंगवायें। आप चाहेंगे तो मैं रेड़ हेन्डेड मामले पकड़वा सकता हूं। ओवरसीयर इतने बदमाश हैं कि दारु पीते हैं, कई तरह की हरकतें करते हैं। लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है आप उनको रोकिये ताकि भविष्य में लोग ऐसी हरकतें नहीं करें। ठीक तरह की कोई व्यवस्था कीजिये—अकाल एक गम्भीर समस्या है।

उपाध्यक्षजी 5–6 महीने पहिले आप भी पधारे थे। आपने भी वहां के लोगों को देखा है। कलेक्टर से जांच करवाई गई थी एक पाव आटा उनके घर में नहीं मिला—दो दिन से उनके घरों में चूल्हें नहीं जले। ऐसी गम्भीर स्थिति है। गवर्नमेंट का जो सरक्यूलर है उसमें आप ओवरसीयर को इन्स्ट्रक्शन्स दीजिये। आप इस बारे में कोई व्यवस्था अवश्य कीजिये काफी काम अकाल राहत विभाग का पड़ा है वे कहते हैं सिचाई विभाग का कन्ट्रोल हमारे पास नहीं है। हम तो मंजूरी दे सकते हैं, पेमेन्ट की व्यवस्था में काफी गड़बड़िया हैं। काफी भ्रष्टाचार रुके अगर आप जांच करवायें तो। एक एक महीने तक मस्टर रोल दफ्तर पड़े रहते हैं। मस्टर रोल किस जगह कितने दिन पड़े रहने चाहिये यह भी आप नियम बना दीजिये। पेमेन्ट ही नहीं आता है और पेमेन्ट नहीं आने की सूरत में मजदूर भूखा मर जाता है। उपाध्यक्षजी जालोर में इस वर्ष सिचाई विभाग का कार्य ज्यादा चल रहा है इसीलिये मैंने अध्यक्ष महोदय को आग्रह करके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखवाया है। जो मैंने तथ्य रखे हैं उसमें भविष्य में जालोर में सिचाई विभाग की ओर से कोई बदमाशी न हो, पेमेन्ट में कोई दिक्कत न हो, लोगों

Page No 106

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

को सही ढङ्ग से काम मिल सके यही मेरा मकसद है। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री आइदानसिंह (भीनमाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ राज्य सरकार ने पिछले फेमीन में यह सबक लिया था कि काम कराने की ऐजेन्सी एक और पेमेन्ट कराने की ऐजेन्सी एक। इस तरह अलग अलग ऐजेन्सीज के बारे में कहा था ताकि काम और पेमेन्ट में कोई शिकायत न रहे। इसलिये मेरा निवेदन है कि दोनों ऐजेन्सियाँ अलग अलग रखी जायं इन्होंने यह धारणा कर रखी है कि आपके वहाँ के स्टाफ को खास तौर से तहसीलदार को या पंचायत समिति जो भी पेमेन्ट एजेन्सी है उनको बदनाम करवाया जाये। इसमें यहाँ तक हुआ है कि जालोर के तहसीलदार का घेराव भी किया और तगारी और फावड़े भी फेंके गये। तो मेरा निवेदन यही है कि इनका समन्वय करके यह करो कि इनसे ज्यादति मत करवाओ। इस पेमेंट की गड़बड़ी की वजह से सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। काम आपके स्टाफ ने करवाया, मेजरमेंट आपके स्टाफ ने किया, कटौती आपके स्टाफ ने की और मारा गया तहसीलदार क्योंकि पेमेंट वह करता रहता है। तो इसके पीछे राज यही है कि किसी तरह से इन एजेन्सीज को बदनाम करवाओ। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप ऐसी व्यवस्था करो ताकि उसमें गड़बड़ियाँ नहीं हों और जैसे हमारी मारवाड़ी में कहावत है भैंसे भैंसे लड़ती हैं तो खेत बरबाद होता है। है आपके स्टाफ का झगड़ा और मारा जाये बेचारा मजदूर। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि मजदूरों की सहूलियत के लिए राज्य सरकार कोई कदम उठाये।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मंत्री।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने सांचोर तहसील में जो अकाल राहत काम चल रहे हैं उनके सिलसिले में कुछ कठिनाइयों का और ज्यादतियों का जिक्र कर उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया। माननीय सदस्य ने तीन चार तरह की कठिनाइयां बताई। एक तो यह कि जो पेमेंट किया जाता है उसमें कुछ बंधों की सूची देते हुए यह कहा कि वहाँ पर कटौतियां काफी हद तक की गयी हैं। यहाँ तक कि कई जगह कटौतियां चुकाये जाने के आदेश कर्मचारियों ने दिये। एक तो कटौती का सवाल और दूसरे कई काम ऐसे हैं कि जो स्वीकार किये जा चुके हैं लेकिन उनको शुरू नहीं किया गया। जो लेबर को भर्ती करते हैं वह ज्यादतियां करते हैं। कटौती के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ दिनों पहले माननीय सदस्य ने मुझे प्रार्थनापत्र दिये थे और साथ ही साथ इन कटौतियों के बारे में भी कहा था और उसके ऊपर मैंने तारीख 1 अप्रैल, 1970 को दुबारा इनकी नापतौल करने के लिए और सही स्थिति का पता लगाकर उसका मेजरमेंट करके चुकारा करने के लिए उस पर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आदेश दिये थे। साथ ही साथ कुछ शिकायतें कीं। जो दरख्वास्तें दी थीं उनके ऊपर भी जांच करने के लिए आदेश दिये थे और उस आदेश की पालना में आज तक क्या कार्यवाही हुई है उसकी मुझे स्वयं को सही जानकारी नहीं है लेकिन माननीय सदस्य के कहने से यह पता लगा है कि अभी नाप में फर्क आ कर नये नाप से पेमेंट करने की स्थिति वहाँ नहीं आई है। मैं इस समय यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जो काम लगभग 28 काम गये महीने में जालौर जिले में चालू थे। मैं स्टेटमेंट सदन के सामने रख रहा हूं जिससे यह जाहिर होगा कि कब कब तक के पेमेंट के लिए किस किस तारीख को हमने चेक्स इश्यू करके पेमेंट के लिए भेज दिये हैं। उससे यह जाहिर होगा कि सिंचाई विभाग की कितनी गलती है और कितनी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसी हैं—माननीय सदस्य ने कई तालावों के नाम बताये लेकिन मेरी सूचना के अनुसार बेदा लियाई और हागड़ी यह दो ऐसे बांध हैं कि जहां 75 प्रतिशत कटौती करके पेमेंट करने के लिए रकम भेजी गयी और उन्होंने वह रकम नहीं ली और नहीं लेने की वजह से पेमेंट में देरी होना कहा जाता है। तो अब जो यह कटौती की गयी है यह सही है या गलत है इसको दुबारा जैसा माननीय सदस्य ने कहा है अब हमने जालौर जिले के लिए नये एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की पोस्ट क्रियेट करके उसको नियुक्ति कर दी है। तो उसी एग्जक्यूटिव इन्जीनियर को या दूसर को तत्काल ही आदेश देकर भेज देंगे ताकि जिन जिन जगहों पर कटौती के प्रश्न हैं अपने मैंज़रमेंट से तस्दीक करके जो वास्तविक स्थिति है उसके मुताबिक पेमेंट कराने की कार्यवाही करायें और यह सारी कार्यवाही सप्ताह में हो जाये इस तरह की व्यवस्था करने के लिए मैं आदेश दे दूंगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : और संबंधित ओवरसीयर को ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरे जो वहाँ पद ईरिगेशन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं। जिनके बारे में इस तरह की शिकायतें की जाती हैं उनके तबादले के लिए हमने आदेश दे दिये हैं और इसका मतलब यह नहीं हैं कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो वही एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर इस बारे में भी जानकारी और छानबीन और इन्क्वायरी करेगा ताकि जिन लोगों ने इस तरह की गड़बाड़ियां की हैं उनको सजा दे सकें और आइन्दा इसका रिपीटेशन नहीं होगा।

(2.47 म. प.)

(श्रीमती कान्ता कथूरिया, सभानेत्री पदासीन)

तो इसकी भी व्यवस्था कर दी जायेगी। जिन कामों को अभी शुरु नहीं किया गया है उनकी माननीय सदस्य को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो पुरानी स्थिति थी उसमें काफी तब्दीली आ गयी है और अब काफी काम शुरु हो गये हैं। दो तीन काम शुरु नहीं हुए हैं उसमें जेतपुरा वाला बड़ा काम है उसके लिए पहले बातचीत हुई

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

थी और आज ही इस संबंध में आदेश दिये जा रहे हैं कि इस काम को तत्काल शुरु करा दें। और भी जो काम मन्जूरशुदा हैं और शुरु नहीं हुए हैं उनको भी तत्काल शुरु कराने की व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ जो मजदूरों की भरती के सिलसिले में राज्य सरकार के आदेश हैं। उनकी भी पालना नहीं हुई है तो उनकी भी पालना करें और उन आदेशों के अनुसार मजदूरों को काम पर लगायें इसकी भी हिदायत कर देंगे। तो मैं माननीय सदस्य से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो देरी हुई है उसकी तो हम इन्क्वायरी कराके सही नाप करके पेमेन्ट कर देंगे और आगे से समय पर चुकारा रकम का हो, सही नाप लें और सही तरह से पेमेन्ट हो इसकी व्यवस्था करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य को उनके द्वारा उठाये गये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में कह सकता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री बृजसुन्दर शर्मा

औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि औद्योगिक विवाद

(राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970

को विचारार्थ लिया जाये।

श्रीमती सभानेत्री : इस विधेयक पर निम्नांकित सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (वि० सं० 164)
(2) श्री मूलचन्द डागा (वि० सं० 113)
(3) श्री कृष्णकुमार गोयल (वि० सं० 16)
(4) श्री शिवनाथसिंह (वि० सं० 158)
(5) श्री देवीदत्त गाड़िया (वि० सं० 52)
(6) श्री रामनारायण चौधरी (वि० सं० 133)
(7) श्री यशवन्तसिंह नाहर (वि० सं० 120)
(8) श्री केदारनाथ (वि० सं० 20)

} क्रमश: प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:—

1. "औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को तीन माह/एक माह/तीन माह/ छः माह/एक माह के लिए परिचालित किया जाये।"

(1) श्री श्रवणलाल (वि० सं० 161)
(2) श्री रामचन्द्र आर्य (वि० सं० 130)
(3) श्री रामानन्द अग्रवाल (वि० सं० 137)
(4) श्री रघुनाथ विश्नोई (वि० सं० 121)
(5) श्री शंकरलाल जाट (वि० सं० 153)
(6) श्री किशनलाल वर्मा (वि० सं० 19)
(7) श्री भगवानदास शास्त्री (वि० सं० 93)

ने क्रमशः प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :—

2. "औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह/सात दिन/तीन दिन के अन्दर/एक सप्ताह/एक माह/पन्द्रह दिन/तीन माह में प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (वि० सं० 86) ने प्रस्ताव किया कि :—

5. "औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"

श्रीमती सभानेत्री : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं बोलना चाहता हूँ।

सभानेत्री महोदया, जो आप अमेन्डमेन्ट्स ला रहे हैं उनमें से कुछ का मैं स्वागत करता हूँ। लेबर मिनिस्टर साहब जो अमेन्डमेन्ट लेकर आये हैं उसकी बाबत मैं कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार मजदूरों के प्रति जागरूक है या नहीं। जब आप पूंजीपतियों से कहते हैं आप के समझौते में आयें या नहीं आय, सबसे बड़ा सवाल कन्सीलियेशन आफिसर का आता है। जब कोई मजदूर अपनी समस्यायें लेकर आते हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के नुमाइन्दे जो अपना काम चलाते हैं वह कब आ जाते हैं। ऐसा कई बार मालूम हुआ है कि राजस्थान सरकार जिस कानून का पालन कराना चाहती है उस सरकार में काम करने वाले लोग स्वयं पालन नहीं करते इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। एक बात है जो मैं बतलाना चाहता हूँ। बीकानेर के अन्दर जो वुलन मिल है उसके मामले में कई बार आपके लेबर डिपार्टमेन्ट

(श्री मूलचन्द डागा)

के आफिसर्स ने सरकारी अधिकारियों को निमंत्रित किया और बुलाया। मैं समझता हूँ कि वह आये नहीं और आज तक उनकी बात को वह तय नहीं कर पाये उसके मामले में सरकार क्या कदम उठाती है।

कई बार हमने इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अन्तर्गत मामले उठाये हैं और जो कन्सोलियेशन आफिसर आप मुकर्रर करते हैं तो आपकी मयाद क्या है? कितने दिनों के अन्दर वह समझौते की बात समाप्त होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपके जो अधिकारी होते हैं वे सत्ता और धन दोनों चीजें दुनिया में बड़ी शक्तिशाली हैं और धन होता है मिल-मालिकों के पास मिल मालिकों के पास धन होता है उसके कारण से कई बार प्रभावित हो जाते हैं, और मजदूर चाहे सही बात को लेकर जाता है तो उनकी उन बातों की सुनवाई नहीं होती है, और आपके कन्सोलियेशन आफिसर महीनों तक और सालों तक मुकद्मात को और उस डिमाण्ड को लेकर बैठे रहते हैं पाली के महाराजा श्री उम्मेद मिल्स की बात कहना चाहता हूँ कि हमने कई बार यह विवाद खड़ा किया कि पाली मिल में 2700 मजदूर काम करते हैं तो कितने मजदूरों को परमेनेन्ट अभी तक कर दिया गया है। आज भी वहाँ पर एक हजार मजदूर बदली पर काम करते हैं, और 3-4-5 वर्ष से मजदूर निरन्तर मिल में काम कर रहे हैं और काम करने के बाद जब मजदूर अपनी मांग लेकर जाते हैं कि हमें परमेनेन्ट किया जाय तो वे उसको दो-दो, तीन-तीन महीने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर देते हैं। आज भी जितनी पोस्टें हैं, जितनी जगहें हैं वहाँ पर उनको परमेनेन्ट किया जाय।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अन्तर्गत कितने मामले ऐसे हैं जो महाराजा श्री उम्मेद मिल्स के मजदूरों की यूनियनों ने उठाये हैं और उनका समझौता आपने समय पर किया है?

एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि समाजवाद का जो हमारा कदम आगे बढ़ रहा है, हम देश में जो नीचे का वर्ग है उसको ऊपर लाना चाहते हैं तो वूलन मिल्स के मामले में राणावत कमीशन ने जो फैसला किया है कि 60 रु. पगार और 71 रुपया महंगाई होगी, तो क्या आपने उसमें वह लागू कर दिया है? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने लागू किया या नहीं? आज हनुमानगढ़ के अन्दर पी० डब्ल्यू० डी० के लोग हड़ताल पर हैं। कितने लोग हड़ताल पर हैं और कितने दिनों से हड़ताल पर हैं? वहाँ के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने लिखा है कि जगहें खाली हैं और 50 आदमी लगाये जायं, लेकिन आप उन आदमियों को काम नहीं दे रहे हैं। तो आप मजदूरों की मांगों के बारे में कहाँ तक जागरुक हैं? पाली में कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर 12-15 मजदूर काम करते हैं, और जितने पावर लूम किशनगढ़ और पाली के अन्दर काम कर रहे हैं तो उन मजदूरों के मामलों में कितने जागरुक हैं और कितने मुकद्मात आपने रजिस्टर्ड किये हैं।

एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मजदूरों की

(श्री मूलचन्द डागा)

बात करने से पहले हमें सोचना होगा कि एक तरफ तो सत्ता है और एक तरफ धन है तो दोनों से मुकाबला करना पड़ता है और धन है वह सत्ता को भी करप्ट कर देता है। इस मामले में लेबर आफिसर ऊँचे लोगों का मुँह देखता है कि क्या रुख है, क्या करना चाहिए। कांग्रेस की नीति बिल्कुल एक बात पर पहुँच चुकी है कि हमें मजदूरों को आगे बढ़ाना है। मैंने कई बार मजदूरों के डिस्प्यूट्स पाली के मामले में उठाये हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ श्रम मंत्री महोदय से कि कितने डिस्प्यूट्स खड़े किये और उनमें कन्सीलियेशन आफिसर ने निर्णय कितनों को दिया? कन्सीलियेशन आफिसर जोधपुर में रहता है और कई दफा मुकद्मात तय करने के लिए जोधपुर बुलाते हैं। यूनियन के लोगों के पास कितना पैसा होता है? मिल मालिक तो अपनी मोटर में बैठकर चला जाता है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब मिल मालिक और मजदूर साथ-साथ बैठते हैं तो कन्सीलियेशन आफिसर को इतना शक्तिशाली और मजबूत होना चाहिए कि वह मिल मालिक से प्रभावित न हो, लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि अक्सर करके हमारे लेबर अधिकारी प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित हो जाने के कारण वे दोनों को इक्वल स्टेटस से ट्रीट नहीं करते हैं। मैंने यह बात आपके सामने रखी है।

सरकार के जितने भी उपक्रम हैं और सरकारी कारखाने जितने भी काम कर रहे हैं तो कितनी बार आपके आफिसर ने सरकारी कर्मचारियों को बुलाया है और कब कब वे गये? इस फेक्ट को रखें। मुझे मालूम है कि बीकानेर के अन्दर जो वूलन मिल है उसमें जो आपका अधिकारी है उसको बुलाया था लेकिन वह नहीं आया तो क्या कदम उठाया आपने?

आज आपको यह संशोधन लाना पड़ा। कई दफा वेज बोर्ड के फैसले आप लागू कर देते हैं समझौतों के द्वारा लेकिन उन समझौतों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको तकलीफ पैदा हुई तो आपने कहा कि आर्डर निकालेंगे, और आर्डर निकाल कर हम कानून के द्वारा उनको बाध्य करेंगे कि हमारी आज्ञाओं और समझौतों का अनुपालन करें। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने समझौते कराना चाहते थे तो समझौतों के मामले में क्या ऐसा कदम उठाया और क्या आज तक मुसीबतें पैदा हुई? हमारे संजीवैया साहब ने कहा था कि सरकार की जो फैक्ट्रीज् हैं, उपक्रम हैं उनके अन्दर मजदूरों का प्रतिनिधित्व मैनेजमेंट में है या नहीं। एक भी आप बतलायें। एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि मैनेजमेंट में मजदूरों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो आप बताइये कि आपकी सरकार के जितने भी उपक्रम हैं उनके अन्दर मजदूरों का प्रतिनिधित्व कोई बैठा है या नहीं मैनेजमेंट में? एक तरफ तो आप मजदूरों की बात कहकर देश में यह कहते हैं कि देश का निर्माण वे करने वाले हैं, देश को ऊँचाई पर लाने वाले हैं और दूसरी तरफ आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं इस बारे में?

मैंने कई बार कहा है कि मजदूरों के जो क्वार्टर्स पाली के अन्दर बने हुए हैं वे

(श्री मूलचन्द डागा)

ऐसे बने हुए हैं कि कोई वहां पर नागरिक नहीं रह सकता है। वे इस प्रकार के गन्दे मकानात हैं। मैंने कई बार कहा है कि वहां पर फ्लश लेट्रिन्स नहीं हैं और एक ही लेट्रिन्स 25–50 फेमिलीज काम मे लेती हैं। जब आप मजदूरों को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहते है तो आपने इसके बारे में क्या कदम उठाया है? मजदूरों के मकानों के पास गटर बहती हैं, गन्दे पानी का नाला बहता है जहां पर बदबू और सड़ान्ध के कारण मजदूरों को सोने मे कितनी तकलीफ होती है। क्या मालूम कि आप पर मिल मालिक का असर है या पूंजीवाद का असर अभी तक चला आ रहा है? अब तो वह खत्म होना चाहिए और जल्दी ही होना चाहिए।

यह बात बड़ी जरूरी है कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सम्बन्ध में जब मजदूर छोटी से छोटी मांग लाते हैं तो आप कानून की बारीकियों से उसको देखना चाहते हैं। मजदूर कानून जो एक जाल है उसमें फंस जाता है और मिल मालिक निकल जाता है। वह जाल ऐसा है लेबर डिपाटमेंट के अधिकारियों का कि उसमें छोटी मछली तड़पती रहती है और जो बड़ी मछली है वह निकल जाती है। चेरिटी बिगिन्स एट होम। घर से काम शुरू होता है। हमारे जितने उपक्रम हैं उनमें मजदूरों का प्रतिनिधित्व, मैनेजमेंट में हिस्सेदारी होना चाहिए। क्या स्टेंडिंग ऑर्डर है, बीकानेर में स्थाई आदेश आपका है या नहीं? यह प्रश्न आपके सामने हैं। कई दफा प्रगतिशील कानून बनाना चाहते हैं। एक आपने कानून बनाया है दो साल पहले मान्यता के प्रश्न पर यह ऐसा प्रश्न है कि इसके सम्बन्ध में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात है कि मान्यता देने का प्रश्न भी बाई बैलट होना चाहिए जहां पर आप मजदूर संस्थाओं को मान्यता देना चाहते हैं वहां पर बाई बैलट होना चाहिए कि हम मजदूरों की किस संस्था को मान्यता देते हैं। उससे हमें लाभ मिलता है कि मजदूर लोगों को सही प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन कई बार बाई बैलट नहीं होता है। कुछ पार्टियां राजनैतिक आधार पर कुछ अपने तरीकों से गलत पार्टीसिपेशन करने लग जाते हैं। यह कई सालों से रखा जाता है। वह मेरे खयाल से लोकतान्त्रिक तरीके से ठीक नहीं है। आप चाहते हैं कि इस प्रकार का दृष्टिकोण ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह तरीका भी बिल्कुल ठीक नहीं है।

मैंने कई दफा कहा है मिनिमम वेजेज के बारे में। आप उसके बारे में सोचते हैं लेकिन उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स हैं।

(3 म. प.)

उन लोगों का क्या जो गुमाश्ता हैं, मुनीम हैं। यह लेबर डिपार्टमेन्ट उनकी ओर कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा। जो छोटे-छोटे बच्चे 12 वर्ष के कम उमर के बच्चे काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, आठ-आठ, दस-दस घन्टे काम करते हैं। उनकी ओर क्या लेबर डिपार्टमेन्ट को कभी तरस आएगा। मैं इसको अच्छा समझता हूँ कि आप आर्डर के द्वारा उनके बारे में

(श्री मूलचन्द डागा)

कुछ सोचते। लेकिन नहीं सोचते हैं तो मेरा मतभेद है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गोयल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको कोई एतराज नहीं है।

सभानेत्री महोदया, औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं अधिक न कहकर संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा, सभापति महोदया, राजस्थान में पिछले 15-20 सालों में इस सदन में मैंने कई बार चर्चा की है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ राजस्थान सरकार की श्रमनीति नाम की कोई चीज नहीं है। राज्य सरकार ने आज तक भी, राज्य सरकार की श्रमनीति क्या है, इस सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की है और न राज्य सरकार ने कोई श्रमनीति बनाई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह लेवर का नहीं है।

राज्य सरकार की जो नीति अब तक रही है, वह मिल मालिकों का पोषण करने की नीति रही है। मिल मालिकों का पोषण और मजदूरों का शोषण करने की नीति रही है। न लेवर पालिसी है, न इण्डस्ट्रियल पालिसी है और उसके अभाव में जहां औद्योगिक उत्पादन घटता है तो दूसरी ओर मजदूरों में असन्तोष बढ़ता है। महीने महीने भर मजदूरों की लगातार हड़ताल, यह इस बात का सबूत है कि राज्य सरकार की नीति से मजदूर असन्तुष्ट हैं। राज्य सरकार मिल मालिकों की ओर देखती है। उनकी रीति नीति क्या है, वह इस बारे में क्या सोचते हैं— उनके आधार पर सरकार फैसला लेती है। सभापति महोदया, मैं दो चार तथ्य सदन के सामने रखूंगा। माननीय श्रम मन्त्रीजी ने श्रम केन्द्र के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव देखा होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास आया नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास आया नहीं है। इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। सभापति महोदया, राजस्थान में 3 हजार फैक्टरीज हैं। उनमें लगभग 1500 फैक्टरीज बिना लाइसेंस की हैं जिनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है। 600 फैक्टरीज ऐसी हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं हैं। माननीय मन्त्री महोदय सदन में आंकड़े देगें, सदन को यह जानकारी देंगे कि कितनी फैक्टरी ऐसी हैं जो बिना लाइसेंस रिन्यूल के चल रही हैं ? कितनी ऐसी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वैसे ही चल रही हैं ? मेरी जानकारी में कुल फैक्टरी 3000 हैं। फैटल एक्सीडेंट्स होते है, दूसरे और एक्सीडेंट होते हैं इन फैक्टरीज में। माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ, शुरू से आज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तक क्या सूचनाएं हैं, बताने की कृपा करेंगे। मेरी जानकारी में फेटल एक्सीडेंट्स से के केसेज में कोई प्रासीक्यूशन हुआ हो, ऐसा नहीं है। किसी भी फेक्टरी मालिक का आज तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। आज तक राजस्थान को बने हुए 21 साल हो गए हैं, इन 21 साल मे लगभग 400 मजदूर मौत के घाट उतर गये हैं। 400 मजदूर फैटल एक्सीडेंट्स के कारण मौत के घाट उतर गये हैं। आज तक किसी मिल मालिक का कन्विक्शन नहीं हुआ है। कितने हुए हैं, यह तो मन्त्री महोदय जानकारी देंगे। मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं हुआ है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज फैक्टरीज में सेफ्टी का कोई प्रबन्ध नहीं है। सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्टरी की चर्चा की थी। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आज ओवर टाइम काम लिया जाता है। पेमेंट सिंगल किया जाता है। सभापति महोदया, आज जो छुट्टियां मजदूरों को दी जाती हैं, उसके पैसे काट लिये जाते हैं। इन्स-पेक्टरों की समुचित व्यवस्था नहीं है। जो इन्स-पेक्टरों की समुचित व्यवस्था राजस्थान में होनी चाहिए वह नहीं है। श्रम मन्त्री महोदय को ध्यान होगा कि यहां इनटक का कन्वो-केशन हुआ है। 150 फेक्ट्रियों में इन्सपेक्टर रखने को कहा गया था। 30 होने चाहिए, आज लगभग 9 काम कर रहे हैं। प्ररिणाम उसका यह निकल रहा है कि फैक्टरी इन्सपेक्टर नहीं होते हैं। ओवर टाइम काम लिया जाता है। वेजेज मिलता है। फैटल एक्सीडेण्ट्स होते हैं। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जो व्यवस्था की जानी चाहिए वह लेबर डिपार्टमेंट ने नहीं की है। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय गम्भीरता से विचार करेंगे।

मै निवेदन करना चाहता हूँ, बोनस एक्ट के तहत कुछ केसेज खड़े हुए थे। बोनस एक्ट के तहत सेंक्शन लेनी पड़ती है, वह राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में सेंक्शन लेनी पड़ती है। जनवरी, फरवरी 67 में माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में जानकारी देंगे, और उनको जानकारी नहीं है तो स्वयं जानकारी हासिल करेंगे कि बोनस एक्ट के तहत सेंक्सन का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उस समय के तत्कालीन श्रम मंत्री थे, उस समय आप श्रम मंत्री थे या दूसरे श्रम मंत्री थे, लेकिन बोनस एक्ट के तहत जो सेंक्शन गवर्नमेंट की होती है उसके लिए कागज उन्होंने अपने पास मंगवाये, सेंक्शन जब कि नीचे के लेवल पर हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने वह कागज अपने पास मगवाये, उनको दाब कर बैठ गये और आम चुनाव के समय मेरी जानकारी के अनुसार, उस समय के श्रम मंत्री ने बोनस एक्ट के तहत सेंक्शन देने के पहले मिल मालिकों से, फैक्ट्री मालिकों से पैसा लिया, और उस कारण से ही उन कागजों को अपने पास दाब कर रखा। यह एक गम्भीर मसला है। मेरा निवेदन है कि माननीय श्रम मंत्री जी इस मामले की जान-कारी करें कि 1967 के अन्दर बोनस एक्ट के तहत कितने मामले सेंक्शन के लिए गवर्नमेंट के पास आये, वह कितने दिनों तक पड़े रहे उन पर जल्दी सेंक्शन क्यों नहीं दी गई, और क्यों उनको दाब कर रखा? इस तरह की बर्गेनिंग राजस्थान सरकार के मन्त्री,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह राज्य सरकार करे—तो यह निन्दनीय बात है।

सभानेत्री महोदया, इसी सिलसिले में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्दर संशोधन करने जा रहे हैं, मैं माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान एक प्रसिद्ध केस की ओर दिलाना चाहता हूं और वह प्रसिद्ध केस है अनुसुइया प्रसाद का। सभापति महोदया, आपको सुन कर ताज्जुब होगा और सदन को सुन कर ताज्जुब होगा, यह प्रश्न इसी सदन में पहले भी उठाया था, यह अनुसुइया प्रसाद कौन हैं ? यह जयपुर के एक दैनिक समाचार पत्र में काम करते थे। जो 7 मार्च 1967 को जयपुर के जौहरी बाजार में गोली काण्ड हुआ, जिसकी जांच करने के लिए बेरी आयोग बैठा, उसके सामने एक पत्रकार के नाते इन्होंने बयान दिये, क्योंकि उस समय 7 मार्च की घटना का उल्लेख इन्होंने दैनिक नव ज्योति में किया था, बहुत डिटेल में इस फार्यरिंग के सिलसिले में किसी समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ तो वह इस दैनिक नव ज्योति में हुआ क्योंकि यह आन द स्पाट, शुरू से लेकर आखिर तक जौहरी बाजार में उपस्थित थे, उस समय और भी पत्रकार आये थे और उन्होंने समाचार दिये थे लेकिन अगर विस्तृत समाचार छपा तो इस समाचार पत्र में छपा और आन दी स्पाट आई विटनेस के नाते सारी घटना को देख कर विवरण छापा और इस बेरी आयोग के सामने गवाही दी। उस समय, समापति महोदया, नव ज्योति के जो प्रबंधक हैं, मालिक हैं, ओनर हैं उन्होंने इनको नौकरी से हटा दिया, कानून का उल्लंघन करके हटा दिया। इस मसले पर इल्लिगल आर्डर के खिलाफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन ने, श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रस्ताव पास किया, इस सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया, मंत्री महोदय से अलग से मिला गया। सभापति महोदया, इतना ही नहीं आखिर में एक कदम राजस्थान के श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस सीमा तक उठाया कि एक मौन प्रदर्शन मुख्य मंत्री जी के सामने किया, श्रम मंत्री जी से उनका एक शिष्ट मंडल मिला, श्रम मंत्री जी से यह मांग की कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत इस विवाद को कोर्ट को रेफर कर देना चाहिए। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कोई व्यक्ति सच्ची बात बोले, कमीशन के सामने गवाही दे तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाय। यह मसला राजस्थान सरकार के सामने आया, जो राजस्थान सरकार और श्रम मन्त्री मजदूरों के हितैषी होने का दावा करते हैं. उनको मै कहता हूँ कि इस मामले को कोर्ट को रेफर कर दिया जाय—इसके लिए क्या जवाब है आपका ? मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का जो आपका रुख है वह मजदूरों के हित में नहीं है मालिकों के हित में है। राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार की नीति पूंजीपतियों की पोषक है, पूंजीवाद की पोषक है, मालिकों को पोषक है और आज मजदूरों का शोषण यह राज्य सरकार की नीतियां कर रही हैं। मुझे बड़ा खेद हुआ, सभापति महोदया, इससे ज्यादा क्या कदम उठाया जा सकता है, इस सदन में प्रस्ताव लाये गये, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया, कटौती प्रस्ताव लाया गया, श्रमजीवी पत्रकार संघ का शिष्टमंडल मंत्री

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

महोदय से मिला, लेकिन इस सरकार के ऊपर मालिकों का हित इतनी बुरी तरह से हावी है कि मजदूर और श्रम जीवी मजदूरों के हित में यह राज्य सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। अभी पाली से आने वाले सदस्य ने बीकानेर की वुलन मिल का मामला उठाया था। मैं इस सम्बन्ध में सभापति महोदया, ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, बीकानेर की वुलन मिल की बात आप छोड़िये, माननीय मंत्री जी, क्या आप कह सकते हैं कि यह फैक्ट्री एक्ट, यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यह मिनिमम वेजेज एक्ट, यह बोनस एक्ट—यह श्रम से सम्बन्धित, मजदूरों के हितों से सम्बन्धित जितने भी कानून हैं क्या आज राजस्थान गवर्नमेंट की पब्लिक अंडरटेकिंग में लागू हैं? मेरी जानकारी तो यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट के किसी पब्लिक अन्डरटेकिंग में यह श्रम कानून लागू नहीं हैं, अगर लागू हैं तो उनका पालन नहीं होता है, इन कानूनों की घोर अवहेलना होती है, फ्लेगरेंट वायोलेशन आफ लेबर लॉज इन ओल पब्लिक अन्डरटेकिंग्स आफ राजस्थान गवर्नमेंट है। मैं समझता हूँ कि यह सरकार समाजवाद की बात करती है, बम्बई के अधिवेशन में समाजवाद के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करती है है लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट के पब्लिक अन्डरटेकिंग में यह श्रम कानून लागू नहीं हैं और लागू हैं तो वह कानून कार्यान्वित नहीं होते हैं। सभापति महोदया, इन श्रम कानूनों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पावर हाउसेज हैं, वाटर वर्क्स हैं, पी० डब्ल्यू० डी० का वर्कशाप है, एग्रीकल्चर वर्क शाप है, रसायन शाला है, डिस्टीलरी है—और बहुत सारे हैं जिनमें लाइसेन्स लिये नहीं गये हैं और लाइसेन्स लिये हैं तो उनका रिन्यूअल नहीं हुआ है, और रिन्यूअल हो गया है तो मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चैकिंग नहीं है, कोई इन्सपेक्शन नहीं है। तो यह लेबर लॉज इस सोशलिस्टिक सरकार के द्वारा चलाये जाने वाले पब्लिक अन्डरटेकिंग में लागू होने चाहिए। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज राजस्थान सरकार स्वयं अपने संस्थानों में ही अपने मजदूरों से सम्बन्धित कानूनों का खुल कर उल्लंघन कर रही है, इन कानूनों की उन संस्थानों में अवहेलना हो रही है, लेकिन उसके चैकिंग और इन्सपेक्शन को कोई व्यवस्था नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदया, इस सिलसिले में राज्य सरकार की इस मजदूर विरोधी नीति की मैं घोर निन्दा करता हूँ और मांग करता हूँ कि राजस्थान सरकार मजदूरों के सम्बन्ध में एक डेफीनेट लेबर पालिसी घोषित करे इस सदन में और उसके अनुसार राजस्थान में इन लेबर लाज का फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन सारी फैक्ट्रीज में हो, विदाउट एक्सेप्शन हो। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय आश्वासन दें और आश्वासन देने के बाद काम करके दिखायें। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री कृष्ण कुमार गोयल!

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभानेत्री जी, औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९७० के बारे में अगर में यह कहूं कि राजस्थान के मजदूरों के ऊपर यह काला कानून लागू किये जाने का प्रयास किया जा रहा है तो में समझता हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे बिल को पेश करते समय मंत्री महोदय ने, जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स दिया है, उसमें सहारा लिया है इंडियन लेबर कौंसिल और इंडियन वेज बोर्ड का। श्रम मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंडियन वेज बोर्ड की सिफारिशों को कारखानों के मालिक नहीं मान रहे थे तथा उससे सहमत होकर मजदूरों को किसी प्रकार की राहत नहीं देना चाहते थे, तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने इस बिल की मन्शा को लेकर १८-१२-६९ को आर्डिनेन्स पारित किया था, जब दिसम्बर ६९ में आर्डिनेन्स पारित किया तो में आपसे पूछता हूं कि उस आर्डिनेन्स की शरण लेकर कितने कारखानों के मालिकों को आपने बाध्य किया कि जो कुछ एवार्ड दें, जो कुछ सिफारिश हैं उनके लिए आप बाध्य करें? इसके लिए आपने कितने कारखानों के मालिकों को मजबूर किया और कारखानों के मालिकों के खिलाफ ३३ (सी) लैंड रेवेन्यू एक्ट के अधिकार के तहत कलेक्टर्स को लिखा कि इतनी रकम मजदूरों को बकाया है, वह चुकवाई जाय। जहां तक मेरा ज्ञान है, जहां तक मेरी सूचना है, सभानेत्री जी, दिसम्बर १९६९ में यह आर्डिनेन्स पारित किया था, तब से लेकर आज तक राज्य सरकार के श्रम विभाग ने किसी कारखाने के मालिक को बाध्य नहीं किया कि वह वेज बोर्ड की सिफारिशों को माने। आज आप इस बिल को लेकर सामने आये हैं और बिल के द्वारा आप माननीय सदस्यों और सदन से सहानुभूति लेना चाहते हैं, कि इंडियन वेज बोर्ड की सिफारिशों को कुछ मालिकों ने माना है और कुछ ने नहीं माना है, मानने से इन्कार कर दिया है। इससे यह स्थिति पैदा हुई कि कारखानों में झगड़े पैदा हुए—इसलिए सरकार के लिए आवश्यक हो गया कि ऐसा कानून लाये या कानून में ऐसा संशोधन लाये जिससे मजदूरों और मालिकों को बाध्य कर सके उन शर्तों को मानने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ आपकी मन्शा यहां तक ही होती कि इंडियन वेज बोर्ड की सिफारिशों के लिए या अन्य सिफारिशों के लिए, जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के द्वारा फैसले होते हैं, उनको मनवाने के लिए इसको उपयोग में लेना चाहते हैं तो मैं इसका स्वागत करता लेकिन, सभानेत्री महोदया, इस संशोधन विधेयक के अन्दर क्लाज ६ के द्वारा एक नई धारा १० (K) इन्ट्रोड्यूज करना चाहते हैं, उसके द्वारा होगा क्या? उसके द्वारा यह प्रश्न पैदा होगा, जब जब मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, या कभी अपने अधिकारों के लिए मिल मालिक को नोटिस देंगे और जब उस नोटिस से मिल मालिक के कान पर जूं नहीं रेंगेगी तो लोक आउट के द्वारा या स्ट्राइक के द्वारा मजदूर अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ायेंगे, तो जो राज्य सरकार हमेशा से पूंजीपतियों को शरण देती आई है, मेरा इस सरकार पर आरोप है कि कभी श्रमिकों को इसने कोई राहत दी है, या श्रमिकों को राहत देने के लिए पूंजीपतियों को बाध्य किया है—ऐसा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एक भी उदाहरण नजर नहीं आता है। अब जब मजदूर मजबूर होकर अपनी मांगों को लेकर लोक आउट करने के लिए या स्ट्राइक करने के लिए आगे आयेंगे तो राज्य सरकार इस १०(K)की शरण लेगी और इसकी शरण लेकर मालिकों पर डण्डे नहीं चलायेगी, बल्कि मजदूरों के सामने आकर खड़ी हो जायेगी। सभापति महोदया, आपकी आज्ञा से जो यह बिल लाया गया है, इसमें जो धारा १०(K) रखी गई है, वह पढ़ना चाहूंगा। यह १०(K) इस प्रकार है:—

"The State Government may lay down terms and conditions of employment and prohibit strikes etc. (1) Notwithstanding anything contained in the Act if in the opinion of the State Government, it is necessary or expedient so to do for securing the public safety or convenience or the maintenance of public order or supplies and service ordinarily to the life of the community or for maintaining employment or maintaining industrial peace, it may by a general or special order make provision for requiring employers, workmen or both to observe for such period as may be specified under the order such terms and conditions of employment as may be determined in accordance with the order and for prohibiting subject to provision of the order strikes or lockout in connection with any industrial dispute."

क्या तात्पर्य हुआ इसका ? बिल्कुल स्पष्ट है कि जब भी मजदूर अपनी मांगों को मनवाने के लिये, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये अपना आखिरी हथियार स्ट्राइक का अपनायेंगे तो राज्य सरकार इस धारा के तहत आदेश निकाल देगी कि वे स्ट्राइक नहीं कर सकते। फिर भी वे नहीं मानते हैं तो आपने 7 के तहत 30 ए. में इस प्रकार का प्रावधान किया है :—

"Penalty for contravention of an order made under section 10K—Any person who contravenes an order issued by the State Government in persuance of Section 10 K of the Act shall on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees or with both."

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

यह ठीक है कि आपने एम्प्लोयर के दृष्टिकोण को सामने रखा है पर आज तक आप अपना शिकंजा एम्प्लोयर पर नहीं डाल सके हैं, आपने हमेशा अपना शिकंजा मजदूरों पर ही डाला है। सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल का उदाहरण हमारे सामने है। राज्य सरकार ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये एम्प्लोयर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की उल्टे मजदूरों पर अपना शिकंजा डाला। राज्य सरकार ने, राज्य सरकार की पुलिस ने, एम्प्लोयर की मदद की और मजदूरों पर 144 धारा लगा कर उनकी हड़ताल को खत्म करने का प्रयास किया, इस बात का यह सदन और राजस्थान की जनता साक्षी है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इससे अधिक काला कानून मजदूरों के हकों को, मजदूरों के अधिकारों को कुचलने के लिये और नहीं लाया जा सकता जो इस संशोधन के द्वारा इस सदन में लाया गया है।

एक क्लाज़ इसमें और जोड़ा गया है। एक यूनियन मालिक की मन चाही हो, मालिक के इशारे पर नाचती हो तो उसको राज्य सरकार मान्यता दे देती है और अगर कोई दूसरी यूनियन उस मालिक की कठपुतली यूनियन के खिलाफ अभियान चला कर अपने को रिकोग्नाइज कराना चाहती है तो उसको राज्य सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यह आज हम राजस्थान में देख रहे हैं। आज सरकार एक संशोधन द्वारा इस प्रकार का काला कानून लाना चाहती है कि एक यूनियन को मान्यता प्राप्त हो गई है तो दो साल तक उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरी यूनियन बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि मजदूरों की मेजोरिटी हमारे साथ है तो भी उसको दो साल के लिये मान्यता नहीं दी जायगी, न उसकी मांग पर किसी तरह का विचार ही किया जायगा। दो साल बाद मे उसकी मांग पर विचार किया जायगा। तो आप इस संशोधन के द्वारा मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। आज आप कहते हैं कि कानून बनाकर मजदूरों को राहत देना चाहते हैं। पर जहां तक मजदूरों को राहत देने का सवाल है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में जितने भी निजी उद्योग हैं, पूंजीपति जितने कारखानों के मालिक हैं उनसे यह आशा की जाय कि वे ईमानदारी से मजदूरों की मांगों को स्वीकार कर लेंगे, मजदूरों की कन्डीशन्स को इम्प्रूव करेंगे, मजदूरों को बोनस दे देंगे, मजदूरों के साथ न्याय करेंगे तो यह आशा करना बिलकुल गलत होगा। राजस्थान की सरकार जो समाजवाद का नारा लगाती है, मजदूरों की हामी होने का दावा करती है पर क्या यह सरकार एक भी ऐसा उदाहरण रख सकती है कि एक भी उद्योग में मजदूरों को मिनिमम वेजेज मिलते हैं, उनके ग्रीवेन्सेज़ को सुनने के लिये कोई माकूल प्रोसीजर बने हुऐ हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिये कहीं कमेटियां बनी हुई हैं? एक भी ऐसा उदाहरण आप पब्लिक सेक्टर का पेश नहीं कर सकते।

मशीन टूल्स कारपोरेशन अजमेर में है, 69 में उसकी स्थापना हुई। कम से कम

Page No 120

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

15 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं पर इन दुर्घटनाओं में ग्रस्त हुए मजदूरों को आज तक किसी भी प्रकार का कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया है। उन दुर्घटनाओं को आज छुपाया जा रहा है। क्या आप एक भी दृष्टान्त पब्लिक सेक्टर का सामने रख सकते हैं जिसमें मजदूरों को मिनिमम वेजेज मिलते हों, मजदूरों के ग्रिवेन्सेज को सुनने के लिये कमेटियां बनी हुई हों, उनके हितों की रक्षा के लिये कोई कार्यवाही की गई हो ? नहीं। बल्कि स्थिति यह है कि उनकी ग्रीवेन्सेज को सुनने सरीखी चीज को भी आपने नहीं अपनाया है जिससे कि मजदूरों को राहत मिल सके। वहां ग्रीवेन्सेज के सुनने का कोई प्रोसीजर नहीं है, न कमेटीज हैं।

मन्त्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप यह सोचकर नहीं चलें कि पब्लिक सेक्टर में जितने कारखाने चल रहे हैं, सेन्टर द्वारा जो चलाये जा रहे हैं, उनमें आपका श्रम विभाग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इनमें हस्तक्षेप करने के लिये राजस्थान का श्रम विभाग, सक्षम है। पर आपके श्रम विभाग ने आज तक अजमेर मशीन टूल्स कारपोरेशन के खिलाफ कोई भी कार्यवाही की हो या कोई रिपोर्ट की हो तो बताइये आप नहीं बता सकते।

इनमें जो नियुक्तियां होती हैं, उनके लिये केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के स्पष्ट स्टेन्डिग आर्डर्स हैं कि राजस्थान के लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाय। आस पास के लोगों को नौकरियां दी जायं। यह केन्द्रीय सरकार के आर्डर्स हैं पर क्या इन आर्डर्स की आज तक कभी पालना की गई है ? पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के सम्बन्ध में जो इन्स्ट्रक्शन्स केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये हैं उनको मैं सदन के समक्ष पढ़ना चाहूंगा।

"It will be advantageous to the units in various directions if person who came from areas near about the place of location of the project secure appointment to posts in the lower scales. In the case of unskilled worker even without any special efforts they are generally drawn from the locality where the project is situated. In the case of skilled worker, clerks and of the non-technical staff whose scales are comparatively low, so long as the basic qualification and experience are forthcoming.

All vacancies of the kind referred to in para above should be communicated to the Employment Exchange close to the project.

Recruitment of staff in lower ranks carrying a basic salary upto Rs.500/- through Employment Exchange/Advertisement in local papers.

Page No 121

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

All such vacancies should be notified to employment exchange in the manner and from prescribed in rule 4 of the Employment Exchange Rule 1960 and to recruit staff against such posts only through the National Employment Service and other sources of recruitment only if the Employment Exchange issues non-availability certificates.

To take steps to bring to the notice of local administration in advance matter relating to future recruitment if any, so that they in their turn can initiate action and see that more of local people get themselve registered with local Employment Exchange.

The selection of person to posts in lower scales should not be left entirely to the Head of public Sector enterprise He should constitute a recruitment committee with the nominee of the State Government within which the unit is located as a member of the said committee."

सभानेत्रीजी, केन्द्रीय सरकार का स्पष्ट निदेशन है राज्य सरकार को कि पब्लिक सेक्टर में चलने वाले कारखानों में, इन्डस्ट्रीज में नियुक्तियां आसपास के राजस्थानियों को दी जायं। एम्प्लोयमेंट के लिये रिक्विजिशन एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज को भेजा जाय और एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज द्वारा नोन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया जाय तो 500 तक की नौकरियों के लिये अखबारों में एड्वर्टाइज किया जाय। मैं पूछना चाहूँगा कि आज तक कितनी नौकरियों के, कितनी नियुक्तियों के लिये इस प्रोसीजर को अपनाया गया ?

1968 में अजमेर मशीन टूल्स कारपोरेशन ने रिक्रूटमेंट के लिये एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के पास रिक्विजिशन भेजा। वहाँ से नान-अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल गया, रिक्विजिशन डायरेक्टर एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के पास नहीं भेजा गया, मिस्चीव यह की गई कि जो एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के पास रिक्विजिशन भेजा गया उसमें 5 साल के एक्सपीरियेन्स का लिखा। 5 साल के एक्सपीरियेन्स वाले लोग मिले नहीं इसलिये एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज ने नोन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया। पर बाद में इन्होंने 5 साल के एक्सपीरियेन्स को रिलेक्स करके पांच साल से 3 साल का एक्सपीरियेन्स का स्वय ही कर दिया और रिक्रूटमेंट कर लिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने पब्लिक सेक्टर में कारखाने हैं, इन्डस्ट्रीज हैं, उनमें जो नियुक्तियां होती हैं, उनकी तरफ कोई भी ध्यान देने वाला

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नहीं है। केवल यह अजमेर के मशीन टूल्स का सवाल नहीं है। चाहे जिंक स्मेल्टर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे कोटा का इन्सट्रूमेंटेशन हो, चाहे राजस्थान में बनने वाला एटामिक पावर प्रोजेक्ट हो—जितने भी पब्लिक सेक्टर संस्थान हैं, उनमें राजस्थान के व्यक्तियों को रोजगार मिलें, प्राथमिकता मिले, इस बात की सरकार को चिंता नहीं, श्रम विभाग सोया हुआ है। जितने राजस्थान में कारखाने चल रहे हैं, क्या किसी के खिलाफ आपने कार्यवाही की है? किसी ने आपके पास किसी पोस्ट के लिए रिक्विजिशन भेजा है और अगर यह नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक्ट के अधीन जो आपको अधिकार हैं, उनमें क्या कार्यवाही की है?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

राजस्थान एटामिक पावर प्रोजेक्ट के अन्दर झगड़ा हुआ, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यद्यपि मैंने इंटक की बुराई की है, स्थगन प्रस्ताव में कहा है, इंटक के लोगों ने अत्याचार किए हैं, जांच हो रही है लेकिन साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि आरम्भ से ही उनकी मांग थी कि नियुक्तियों के सम्बन्ध में, तरक्कियों के सम्बन्ध में, प्राथमिकता राजस्थानियों को दी जाय। उनकी मांग थी कि अगर छटनी की जाय तो सीनियोरिटी के आधार पर की जाय। ऐसा न हो कि इसके अन्दर भी साउथ और नार्थ की बात को देखा जाय। इस मांग को लेकर लड़ रहे थे लेकिन राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया, परिणाम यह हुआ कि दूसरी यूनियन बनी। उसके बाद टकराव हुआ और इससे अधिक बुरा टकराव राजस्थान के इतिहास में नहीं मिल सकता।

राजस्थान एटामिक पावर प्रोजेक्ट पर जो कुल स्ट्रेंथ है उसमें राजस्थानियों को कितने स्थान मिले हैं? टेक्नीशियन्स की बात मैं नहीं कहता, आफीसियल्स की बात नहीं कहता, आपसे केवल जो थर्ड और फोर्थ क्लास सर्विसेज हैं, उनकी बात कहता हूं। जो थर्ड व फोर्थ क्लास लेबर है इनकी नियुक्ति में राजस्थानियों को प्रपोर्शन का ध्यान नहीं रखा जाता। वर्कशाप के अन्दर थर्ड ग्रेड कुल व्यक्ति है 673, उनमें से राजस्थानियों के केवल 148 स्थान हैं। इसी प्रकार से फोर्थ ग्रेड की 514 स्ट्रेंथ है, उसमें से राजस्थानी केवल 181 हैं। रेग्यूलर सर्विसेज में थर्ड ग्रेड की स्ट्रेंथ है 438, राजस्थानियों को 107 स्थान हैं। फोर्थ क्लास में टोटल स्ट्रेंट है 80, राजस्थानी केवल 28 हैं।

क्या यह आधार है जिस पर राजस्थान में औद्योगिक विकास हो? उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में चलें, निजी क्षेत्र में चलें मैं इनका स्वागत करता हूं लेकिन उनमें काम करने वाले मजदूरों के साथ इन्साफ नहीं होता, रहने की सहूलियत मुहैया नहीं होती, हरेक उसकी आलोचना करेगा। इसलिए कहता हूं कि आप उद्योगों को लोन देते हैं, कारखानों के विकास के लिए, नई मशीन्स मंगवाने के लिए, उनको डूबने से बचाने के लिए लेकिन मैं पूछना चाहता हूं श्रम विभाग ने लेबर कोलोनीज बनाई? मजदूर नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, मालिकों को काफी पैसा दिया गया, क्या उद्योगपतियों को आपने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

बाध्य किया कि सरकार आपको इतने पैसे देती है, आप अपनी तरफ से इतना पैसा लगायें ? इस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं। आप बिल में संशोधन लेकर आए हैं, केवल इंजिनियरिंग उद्योग में वेज बोर्ड की सिफारिशें मानने के लिए लेकिन यह डंडा आगे जाकर उनके अधिकारों पर पड़ेगा कि मजदूर हड़ताल व तालाबंदी न करें और वार्गेनिंग द्वारा मालिकों को मजबूर न करें अपनी मांगें मनवाने के लिए। यह कदम खतरनाक होगा।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभानेत्रीजी, राजस्थान में औद्योगिक विवादों की शुरुआत है। यदि इस समय से ध्यान नहीं दिया तो वह दिन देखना पड़ेगा जैसे बंगाल में है। बंगाल में जो हिन्दुस्तान का बड़े से बड़ा उद्योगपति है, आज उनके दफ्तरों पर कर्मचारियों ने कब्जा कर रखा है। तो इसी समय हमें ध्यान देना पड़ेगा कि राजस्थान में औद्योगिक विवाद न हों। औद्योगिक विवाद क्यों बढ़ रहे हैं ? आज मजदूरों की हालत क्या है ? पब्लिक सेक्टर में देखिए, एग्रीकल्चरल लेबर देखिए, उनकी मूलभूत आवश्यकतायें होती हैं उनकी पूर्ति नहीं होती है जैसे रहने के लिए स्थान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं. बच्चों के लिए पढ़ने की सुविधा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है—तो ये सुविधायें प्राप्त करने के लिए वे अपनी मांगें रखते हैं मालिकों के पास और वहाँ से झगड़ा शुरू होता है। पब्लिक सेक्टर है, उसमें सरकारी मुलाजिम हैं उनकी ओर देखें, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को और पब्लिक सेक्टर में काम करने वालों को। प्राइवेट सेक्टर वालों ने क्या गुनाह किया है ? वह भी तो राजस्थान के नागरिक हैं। एक बात और देखनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, दोनों के मुनाफे को देखें, तो कम्पेरीजन में पब्लिक सेक्टर में कम मुनाफा होता है फिर भी उनके कर्मचारियों की ज्यादा केयर करने की कोशिश की जाती है। वैसे नहीं जैसे पब्लिक सेक्टर में मिनीमम गारंटी सरकारी नौकरी में मिलती है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी बाध्य करें ? मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि 15-20 सालों में जो बढ़ावा प्राइवेट सेक्टर को मिला है, पहले कभी नहीं मिला। उसके बाद भी, उनको लोन की सुविधा देते हैं, रा मेटीरियल्स की सुविधा और परमिट्स देते हैं और सब तरह से सरकार उनका प्रोटेक्शन करती है फिर भी प्राइवेट सेक्टर सरकार को गाली निकालता है कि सरकार ने बरबाद कर दिया। तो आप सोचें जिसको इतनी सहूलियतें मिलें वह सरकार को गालियां निकालें, उसके बाद लेबर का शोषण करें।

इस समय हमें देखना पड़ेगा कि लेबर को मिनिमम गारंटी क्या मिलनी चाहिए ? क्या स्टेंडर्ड हो ? वह यदि हम मजदूर को नहीं दे पायेंगे तो जो औद्योगिक विकास हुआ है उसमें रुकावट आएगी। बंगाल का उदाहरण सामने है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित हुआ और वह स्टेज अब आ गई कि थोड़ा रुक गया और पूरे देश को इस बात कि चिंता है कि वहाँ औद्योगिक विकास रुक रहा है लेकिन मैं एक तरह से यह उचित मानता हूं कि जहाँ लेबर को क्रश किया,

(श्री शिवनाथसिंह)

उनके साथ जो व्यवहार किया गया, वह अपने पैरों पर खड़ा है, मांग पेश कर रहा है, हो सकता है कि कुछ मांगें गलत हों जैसे घेराव है। सभी बातें लेबर की सही हों, वह नहीं है लेकिन मरता क्या नहीं करता। मरने वाले को जो कुछ हाथ आता है, वह लेता है।

यह जो संशोधन विधेयक रखा गया है, उसमें कुछ दृष्टिकोण रखा गया है लेकिन उसके बाद भी पूरी नीति को देना जरूरी है। क्या दृष्टिकोण हो, क्या नीति हो और प्राइवेट सेक्टर को किस तरह बाध्य करें कि जो सरकार से उसको सुविधायें मिलती हैं उनको लेकर वह लेबर के लिए मिनिमम गारंटी दे। जब झगड़ा होता है तो इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बीच में आता है, वह कितना इफेक्टिव है या नहीं, उसको देखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मजदूरों का मालिकों से मुकाबला नहीं हो सकता। मालिकों के पास साधन हैं, सामान है, वह एक महीने तक लाकआउट कर सकते हैं लेकिन मजदूर एक दिन भी हड़ताल पर नहीं रह सकता। फिर भी मजदूर संघर्ष करते हैं। इस बात की ओर सरकार ध्यान दे क्योंकि आज सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती। जब मालिक और मजदूर में झगड़ा होता है तब सदन के माननीय सदस्य अपनी भावनाओं को यहां रखते हैं। सरकार उद्योगपतियों का पक्ष लेती है, मजदूरों का नहीं लेती। जो वीकर सेक्शन होगा वह सफर करेगा। जो मजदूर....

श्री रामानंद अग्रवाल : आप इस राय से सहमत हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : जो मैं कह रहा हूँ उससे आप निष्कर्ष निकालें। महीना दो महीना हड़ताल होती है, उनकी मांगें मजबूत होते हुए भी आर्थिक स्थिति के कारण मजदूरों को दबना पड़ता है, बीच में बीच बचाव होता है। इसलिए मजदूरों के साथ में वे न्याय नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। रामानंदजी कह रहे हैं, उनसे और सदन में और बाहर जितने राजनैतिक दल हैं उनसे निवेदन है कि वे अपनी पोलिटिकल एन्ड्स के लिए मजदूरों का शोषण न करें। मजदूरों को मजदूर रहने दें। उसकी कोई पार्टी नहीं है। उसकी एक ही क्लास है और वह है मजदूर। चाहे वह खेती करता हो, चाहे कारखाने में काम करता हो वह सब मजदूर हैं। उनमें आप भेदभाव न करिये। एम्पलोइज और वर्कर्स में आप एन्टर करते हैं। एक कहता है जन संघ के हैं, दूसरा कहता कम्युनिस्टों के हैं, तीसरा कहता है कांग्रेस के हैं। पोलिटिकल पार्टीज इसमें पदार्पण न करें। मजदूरों में फूट न डालें। कुछ कहेंगे जनसंघ के हैं, कुछ कहेंगे कांग्रेस के और कुछ कहेंगे कम्युनिस्टों के हैं और कुछ कहेंगे कि स्वतन्त्र पार्टी के हैं तब जाकर झगड़े पड़ेंगे, मजदूरों को युनाइटेड रहने दीजिये।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य इन्टरफियरेन्स के लिये माफ करेंगे। सवाई माधोपुर में सीमेन्ट फैक्टरी के केस में 40 दिन हड़ताल चली। आपकी यूनियन थी। एक भी दफा आप बोले नहीं। आपकी गवर्नमेन्ट ने पुलिस को दमन करने

(श्री रामानंद अग्रवाल)

के लिये भेजा। यह आपकी गवर्नमेन्ट करती है और यूनियन के लीडर्स की पालिसी है। हमें आप कहते हैं कि पार्टी बाजी करते हैं। वहां तो पार्टीबाजी नहीं है मजदूरों के प्रति आप लोग इस प्रकार का दृष्टिकोण रखेंगे तो मजदूरों का भला कैसे होगा ?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं यह नहीं कहता कि किसने अच्छा किया और किसने बुरा किया। मजदूरों को युनाइटेड रहने दीजिये। 144 धारा लगायी और अन्याय हुआ इसमें कहां तक असत्यता है मैं इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन ऐसी बात हुई है तो मैं उसका समर्थन करने के लिये तैयार नहीं हूँ। अधिक से अधिक मजदूरों का भला हो हम तो यह चाहते हैं। पोलिटिकल पार्टीज एन्टर करती हैं तब ही यह स्थिति पैदा होती है।

इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के एग्रीमेंट्स आदि को मनवाने के लिये कोई ताकत नहीं है। कोई भी सहूलियत हो। सिफारिश के लिये एग्रीमेन्ट हो गया है तो उसको फुल्ली इम्पलीमेन्ट करना चाहिये। मिल ऑनर्स मान नहीं रहे हैं और हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तब झगड़े पैदा होते हैं। वाजिब एग्रीमेन्ट हो जाता है तो उसको फोर्सफुल्ली इम्पलीमेन्ट कराइये। नहीं करता है तो दूसरा एक्शन जो आपके हाथ में है लीजिये। मजदूरों के पेमेन्ट के लिये प्रावधान रखा गया है। कलेक्टर का सर्टिफिकेट होगा। एक मजदूर को तनख्वाह बारह महीने नहीं मिलती है। एग्रीमेन्ट को न मानें। इन्डस्ट्रियलिस्ट को मजबूर कर दें ताकि उसको मानना पड़ेगा।

मेरे पूर्व वक्ता पब्लिक सेक्टर के लिये कह रहे थे। पब्लिक सेक्टर की जो हालत है, जितने एम्पलोयमेन्ट होते हैं, कुछ स्टेट के और कुछ सेन्टर के, उदाहरण के लिये खेतड़ी प्रोजेक्ट के लिये कहना चाहता हूं, अलग बोर्ड बना हुआ है। जितने भी एम्पलोयमेन्ट होते हैं वह राजस्थान के बाहर के होते हैं और उस जिले के बाहर के होते हैं। यह कहा जाता है कि इतने लेबर को एम्पलोयमेन्ट मिलेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितना एम्पलोयमेन्ट हुआ है बाहर के लोगों का हुआ है, लोकल का नहीं। वहां का कुछ नहीं। न एम्पलोइज और न ही मजदूर। लेबर तो लोकल एरिया के भी मिल सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, मैं इन बातों को निवेदन करता हुआ कहूंगा कि सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को एग्रीमेन्ट्स को मनवाने के लिये मजबूर करे। सरकार का यही दृष्टिकोण होना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री देवीदत्त गाड़िया,

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी

(अनुपस्थित)

श्री यशवन्तसिंह नाहर

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ (गंगानगर) **:** सभा-नेत्रीजी, यह हम सब मान कर चलते हैं कि

(श्री केदारनाथ)

केन्द्रीय सरकार की श्रम नीति के आधार पर राज्य सरकार श्रम नीति का निर्माण करती है फिर भी राज्य सरकार को अधिकार है कुछ नवीनता लाना चाहे, अपनी ओर से कोई कन्वेन्शन पैदा करना चाहे तो कर सकती है। इस अमेन्डमेन्ट के जरिये मैं श्रम नीति पर बोलना चाहूंगा।

इससे पहले सदन में श्रम नीति पर विश्लेषण हुआ मूलभूत बातों पर चर्चा उठी तो राज्य सरकार की ओर से एक जवाब मिलता रहा कि देश के आधार पर एक श्रम कमीशन बैठा हुआ है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम फन्डामेंटल प्रिन्सिपल्स के बारे में जवाब देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स कायम रहें, अमन रहे, सही तरीके से जिस यूनियन की ताकत है उसको मैनेजमेंट में हिस्सा मिले और मैनेजमेंट और यूनियन आपस में बैठकर फैसला कर पाये रेगुलेराइज कर पाये, इस सिद्धान्त को मान कर चलते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि किस यूनियन को मान्यता मिले और किस यूनियन को मान्यता न मिले। यह सिद्धान्त डेमोक्रेटिक बेसिस पर लिया जाय जिसके पीछे बहुमत है, 60 परसेन्ट मजदूर हैं उस यूनियन को मान्यता मिले। सरकार और मालिक की मंशा की बात न हो, कानूनी रुकावटें न हों, डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स को इन्ट्रोड्यूस कर पायें, इन्डियन लेबर कमीशन यह तय नहीं कर पाया। रिपोर्ट में यही कहा गया कि स्टेट लेवल पर इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स कायम हों, यूनियन की मान्यता बेलेट के जरिये दें। आजादी के बाद कितनी स्ट्राइक्स हुई, कितने झगड़े हुए, कितनी सेमीनार्स हुई, कितनी ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्सेज हुई उनमें यह मसला उठाया गया। स्टेट लेवल पर आकर यह छोड़ दिया गया। इस अमेंडमेंट में यह बात कही गयी है कि राज्य सरकार की ओर से जिस यूनियन को मान्यता दी जाय वह दो साल काम करे जब तक रजिस्ट्रार उसके रिप्रिजेन्टेटिव करेक्टर को खत्म न कर दे उसकी अहमियत वैसी रहेगी। पहले हमारा सेक्शन है कोई राइवल यूनियन चैलेन्ज करना चाहे, क्लेम पेश कर दे, वेरिफिकेशन हो जाय, मजदूरों की उचित संख्या उसके साथ नहीं है तो उसका रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर कैंसिल कर दिया जाय। मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारे श्रम मंत्रीजी खुद मजदूरों में काम करते हैं और यह मान कर चलते हैं कि मजदूर हमारी अपनी ताकत पर काम करते आये है उस ताकत के कारण वेज बोर्ड और कानून में परिवर्तन आये और जहां कानून रुकावट में आया तो वहां ताकत पर हासिल किया। मजदूर के संगठन में विश्वास कर रहे हैं, मैं यह मानता हूँ कि इस बात को मान कर चलेंगे कि एम्पलोयर को नुमाइन्दगी दे देते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि एम्पलोयर के हाथ मजबूत कर रहे हैं। जो यूनियन सेटेलाइट का काम करती हो, उनको इच्छा के मुताबिक काम करती हो, उनको स्टेबिलाइट कर दें तो मैं नहीं समझता कि आप इन्डस्ट्रियल लेबर रिलेशन्स को कायम करना चाहते हैं।

मैंने इस बिल के ओबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स पढ़े हैं। यह स्वागत योग्य है। वेज बोर्ड की

(श्री केदारनाथ)

सिफारिशों को समझौते के बेसिस पर मजदूर और मालिक के नुमाइन्दा पर फैसला होता है। इसको मालिक माने और न माने तो हमारे पास क्या रास्ता है। सरकार की मंशा हो तो किसी मालिक की हिम्मत नहीं है कि समझौता न मानें। इसमें कानून की कमी है और ढिलाई है, उसका मालिक हमेशा फायदा उठाते हैं। उसकी खाना पूर्ति सरकार हमेशा कर सकती है। क्योंकि सरकार के सहारे के बिना कोई मालिक बतौर एम्प्लोयर यह कभी इनकार नहीं कर सकता कि वह समझौते को न माने। संशोधन करते हैं, उसकी मंशा यही है कि जितने वेज बोर्डस आये हैं उनकी सिफारिशें सही तौर से मानी जायें। जितने ट्रीपारटाइट के फैसले हैं, कान्फ्रेंसेज के फैसले हैं उनको आप मानें, जितने लेबर स्टेन्डिंग कमेटिज के फैसले हैं उनको आप लागू करें। अगर आप यह सोचते हैं और यह जो संशोधन है उसको आप इस तक कन्फाइन करते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। इसकी मारफत आप राज्य सरकार को एम्पल पावर्स दें और हर मसले के बारे में आप दखल दें तो मैं समझता हूं कि यह एक खतरनाक ट्रेन्ड हो जायेगा। जो आपकी मंशा है वेज बोर्ड की, उसके पीछे जो उद्देश्य है, और वह जो रिपोर्ट दे दें, फैसला दे दें उस पर आप कायम रहें, आपको आप लागू करें तो इसको आप कानूनी रूप दें। अगर वेज बोर्ड के फैसले जो होते हैं, वे लागू होते रहते तो मैं सोचता हूँ आज आपको यह अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं होती। इसको आप कानूनी शक्ल दे दें। मालिक को मजबूर होकर इसको मानना पड़ेगा और उस फैसले को लागू करना पड़ेगा।

एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। आज हमारा लेबर आर्गनाइज्ड है। परन्तु फिर भी उसकी हालत क्या है। हमारी जो वर्कर्स कमेटी हैं, उनकी जो ज्वाइंट कमेटीज हैं, आज उनका हाल क्या है? क्या हम इनको देखते हैं। हमने यह फैसला किया था कि पब्लिक सेक्टर में, उसके मेनेजमेंट में मजदूर का शेयर होगा। हमारा जो इन फैक्टरियों में लेबर है उनमें से एक बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में नामजद होगा। क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम यह कर पाये हैं। हम यह मान कर चले हैं कि जिस यूनियन का बहुमत होगा उसका बोर्ड-आफ डाइरेक्टर्स में स्थान होगा। जितने पब्लिक सेक्टर है उनमें आप मजदूरों को स्थान देगें। ज्वाइंट कौंसिल की आपने हालत देखी। तो सभानेत्रीजी मैं आपकी मारफत सरकार को यह कहना चाहता हूं कि कभी आपकी यह मंशा रही है कि मजदूर भी मेनेजमेंट में हिस्सा लें और वे सही तौर पर फंक्शन कर पायें। जितने भी डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, उसको रेफर करने में आप डिले करते हैं। हम यह जानते हैं कि ट्रिब्युनल के फैसले में देरी होती है और इसके फैसले इतने कास्टली होते हैं कि मजदूर उनको फेस नहीं कर सकते। जो आपकी कन्सीलिएशन मशीनरी है। जो आपकी नेगोशिएसन्स की मशीनरी है उसमें डिफेक्टस् हैं। उसके पास में पावर्स नहीं हैं, हैं, उसका कोई स्कोप नहीं है। मैं यह मान कर चलता हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट की मारफत गवर्नमेंट इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूटस को हल नहीं

(श्री केदारनाथ)

कर सकता है। क्योंकि उसका कोई असर नहीं है। उसके पास में पावरस् नहीं है। अगर सरकार इसको करना चाहती है तो इसमें हिम्मत की जरूरत है। उसको नये नार्म्स, स्टेन्डर्ड पैदा करने चाहिये...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जितने भी आपके पास, चाहे वह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेंट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, उन सब में इनको उचित स्थान मिलना चाहिये। बीकानेर में आपकी दो ऊनी मिल्स हैं। उनमें करीब 250/300 मजदूर काम करते हैं। वहां कोई स्टेन्डिंग आर्डर आपका नहीं है। 60 रुपया मीनिमम वेज है। जो काफी कम है। इसके बाद कई कमेटीज् की रिपोर्टस् आ गई। लेकिन उनको आप वहां पर लागू नहीं करना चाहते हैं। न माथुर कमेटी की रिपोर्ट आप वहां पर लागू करना चाहते हैं, और कई हमारी कमेटिज् की रिपोर्टस् है उनको आप वहां पर लागू नहीं करना चाहते हैं। और कन्सीलिएशन के वक्त सरकार का नुमाइंदा उपस्थित नहीं रहता है। ऐसी हालत में सरकार से प्रश्न पूछता हूं क्या आप चाहते हैं कि लाखों लोग स्ट्राइक करें और स्ट्राइक के बाद आपकी आंखें खुलें और उसके बाद आपकी कन्सीलिएशन की मशीनरी हरकत में आवे। आप इसको इन्डस्ट्रियल बना कर रेफर करें। क्या यह आपकी मन्शा है। पीसफुली मजदूरों की बातें सुनकर वहां की हालत को सुधारें तो लाजिमी तौर पर आपको हिम्मत के साथ में काम करना पड़ेगा। इसके अलावा सारे राजस्थान में काफी ऐसे मसले लेबर के हैं। जो काम करते हैं, जो आर्गनाइज्ड लेबर है वह उसकी 2 परसेन्ट है। बहुत-सी ऐसी लेबर है जो दुकानों पर काम करती है, खेतों में काम करती है, घरों में काम करती है। इसके लिये कोई सिक्युरिटी की बात नहीं है। ये वर्क चार्ज के रूप में काम करते हैं। पी डब्ल्यू. डी. म्युनिसिपैलिटीज् में इनकी बुरी हालत है। आज रोडवेज में असन्तोष है म्युनिसिपैलिटीज् के लोगों में असन्तोष है। आप कोई न कोई फैसला इनके लिये भी करिये। मैं आपकी मारफत निवेदन करना चाहूंगा सभानेत्रीजी कि यदि सरकार का विश्वास कलेक्टिव बारगेन में है तो लेबर यूनियन्स को मान्यता देने के लिये जो नया सब सेक्शन आप इन्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप वापिस ले लें। पहले का ही सेक्शन इसमें अच्छा साबित हुआ है। बाकी जो वेज वोर्ड के बारे में है, उसके बारे में यह निवेदन है कि वेज बोर्ड को आप किसी सीमा तक सीमित रक्खें। किसी न किसी फैसले तक वह सीमित रहे, और जो उसकी रिकमण्डेशन हो उसको आप लागू करें और आपके आर्डर को जो मालिक नहीं मानें, तो उस रूप में मैं इस संशोधन का स्वागत करूंगा या सिर्फ एम्पल पावर्स् आप लेकर लेबर की हर बात में दखल दें और गवर्नमेंट उनकी स्ट्राइक का पावर छीन लें तो मैं इसका विरोध करूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : समानेत्रीजी, यह जो बिल माननीय श्रम मन्त्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसको प्रवर समिति को भेजने के लिए मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है।

सभानेत्रीजी, इस बिल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन और उनको मान्यता किस अरसे तक दी जाती रहे इस बारे में है। और दूसरा वेज बोर्ड के फैसले को मालिक लागू नहीं करे, नहीं माने तो उसको कैसे बाध्य किया जाये? समानेत्रीजी, पिछले दिनों जो यह फैसला लागू करने के सम्बन्ध में जो एम्पलायर्स से बातचीत हुई थी, इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज के मजदूरों की, उसमें से कुछ छोटे एम्पलायर्स ने इस फैसले को नहीं माना है और उस पृष्ठभूमि में इस प्रकार के कानून की आवश्यकता पड़ी, परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है जिस परिभाषा में इस सारे बिल को बनाया गया है उसमें जैसा अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जिस दृष्टिकोण से वेज बोर्ड के फैसले को लागू करने की दृष्टि से, मालिकों को मजबूर करने की दृष्टि से, यदि इस कानून को लिया जाता है और इस हद तक इसको सीमित रखा जाता है तो यह स्वागत योग्य है परन्तु इस बात की कम्प्रेहेंसिव पावर गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है और मजदूरों का जो बुनियादी अधिकार है स्ट्राइक का उसको खतम करना चाहती है तो मैं समझता हूँ यह एक डेन्जरस बात होगी। अगर माननीय श्रम मन्त्रीजी का मुद्दा यह नहीं है, अगर उनका उद्देश्य यह नहीं है तो उनके अपने इस मौजूदा बिल में संशोधन की आवश्यकता है और इसलिए हमने इसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया है। जो आपने आब्जेक्टस् और रीजन्स में कहा है उस तक सीमित रहने के दृष्टिकोण से आप को इसे वापिस संशोधित करने की आवश्यकता है। जहाँ तक रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन के बारे में मामला है, उसमें अभी तक जो स्थिति थी उसमें तब्दील करके आप इन यूनियन्स् को येन केन प्रकारेण आपने जिन यूनियन्स् को रिप्रेजेन्टेटिव यूनियनस् मान लिया उनकी उम्र आप दो साल तक रखना चाहते हैं, यह स्थिति आप इस बिल के जरिये पैदा करना चाहते हैं। समानेत्रीजी, इस सम्बन्ध में हम लोगों का बहुत ही कटु अनुभव है। यदि आप यूनियन्स् को रिप्रेजेन्टेटिव मानने के बारे में मेजोरिटी, जिन यूनियन्स् वर्कर्स की मेजोरिटी है, उनको ही आप मान्यता दें, इस सिद्धांत को आप प्रतिपादित करते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। इस बात के लिए आप भी इस सिद्धांत को स्वीकार करें। कोई एक बेस होना चाहिए। इन्क्वार रावलरी जो खतम करने के लिये, इस दृष्टि से पीस फुल रिलेशन लेबर में आपस में कायम करने की दृष्टि से, यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लें कि मेजोरिटी यूनियन को ही मान्यता दी जायेगी और मेजोरिटी को मेनुपलेशन द्वारा नहीं बल्कि सीकरेट बैलट के जरिये मेजोरिटी किसको है यह डिसाइड किया जाये और उसी को मान्यता दी जाय तो यह सर्वमान्य सिद्धान्त हो सकता है, इसमें किसी को शिकायत नहीं रहेगी। अगर आप इसमें संशोधन करना ही चाहते हैं इस दृष्टिकोण से संशो-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

धन करें। जैसा कि दूसरी गवर्नमेंट ने किया जैसे केरल सरकार ने यूनियन को रिकगनीशन के लिए इस प्रकार का कानून बनाया है सिकरेट बेलेट के आधार पर मेजोरिटी यूनियन की डिसाइड की जायगी। इसके बिना आप जबरदस्त डिसक्रिमिने न कर रहे हैं। इन्टक की मेजोरिटी नहीं होते हुए भी हर चीज में उसी को मान्यता दे रहे हैं और उसके द्वारा अपनी बातें मजबूरो पर इम्पोज करवा रहे हैं, उन्हीं के जरिये एन्टीलेबर एग्रीमेन्ट्स करा कर अपना स्टूज बनाने की जो नीति है उसके अन्दर आप यह संशोधन के जरिये खतरनाक स्थिति पैदा करना चाहते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है आज किसी भी स्टेट सेक्टर में चाहे कोई भी इन्डस्ट्री को ले लीजिये रोडवेज कोरपोरेशन को लीजिये पी० डब्लू० डी० को ले लीजिए आपने हर जगह इन्टक की यूनियन को इन्टक के फेडरेशन को इम्पोज करके उसको मान्यता देकर के उनके द्वारा एग्रीमेंट करके मजदूरों को तबाह करना चाहते हैं। इस तरह से इण्डस्ट्रीयल पीस कायम करने के बजाय अनरेस्ट का कारण बनते जारहे हैं। श्रम मन्त्री महोदय आप सही लेबर रिलेशन्स कायम करना चाहते हैं एम्पलोयर से कलेक्टिव बार्गेनिंग द्वारा मजदूरों की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो डिसक्रिमिनेटरी ट्रीटमेन्ट इन्टक और दूसरी यूनियनों के प्रति जो है, उसको त्यागना होगा। तभी सही रूप में ट्रेडयूनियनिज्म पैदा हो सकेगा।

सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज भी जिस तरह से इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट आरहे हैं और इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट को लागू कर रहे हैं उससे नारा असन्तोष है। आज किसी डिसप्यूट के सुलझने में कितना लम्बा अरसा लग जाता है अफसोस की बात तो यह है कि जहां पब्लिक सेक्टर को आदर्श एम्पलोयर होना चाहिये, उसमें समाजवादी दृष्टिकोण आना चाहिए उसका आज यह हाल है कि पब्लिक सेक्टर डोमिनेटिंग फेक्टर इकोनोमी का बन सके इस ओर कोई ध्यान नहीं। उसी के अनुसार आप प्राइवेट उद्योग धन्धों को भी उस दिशा में मोड़ सके ऐसा कोई आदर्श पब्लिक सेक्टर में भी उपस्थित नहीं कर सके। अगर पब्लिक सेक्टर में जो आपके कोरपोरेशन्स हैं उनका एक प्रकार से यह दृष्टिकोण बन गया है कि जितने पुराने मजदूर काम कर रहे हैं उनको तो निकाल दिया जाय और नये लोगों को भरती किया जाय। जैसे आपने एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन बनाया है। जिसके अध्यक्ष चन्दनमल वेद को बनाया है। उनकी यह नीति रही है कि वे पुराने मजदूरों को तो निकाल रहे हैं वे तो आज सड़कों पर रोते फिर रहे हैं। आज जिन्होंने यह नारा दिया था हमारा एग्रीकल्चर वर्कशाप नेशनेलाइज होना चाहिये। और जब कोरपोरेशन बन गया आज उन लोगों को क्या नतीजा मिल रहा है वे सड़कों पर फिर रहे हैं और उनकी जगह नये लोगों को क्यों भरती कर रहे हैं। कोई भी कोरपोरेशन बनता है उसका चेयरमैन पुराने लोगों को पसन्द नहीं करता। वे यह देखते हैं नयी नयी हकूमत आयी है इस समय में भी नये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नौकरों को मौका नहीं मिलेगा हकूमत पाने का क्या फायदा हुआ ? आज उनके सामने होना तो यह चाहिये वे पब्लिक सेक्टर में इस प्रकार के उदाहरण पेश करें ताकि प्राइवेट सेक्टर वाले उसका अनुकरण कर सकें।

आज रोडवेज के अन्दर भी आप देखिये लेबर्स को आप बोनस नहीं दे रहे हैं। बोनस एक्ट के बावजूद भी यह हो रहा है उसके लिए आप कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर पर यह लागू नहीं होता बिजली घर पर यह लागू नहीं होता। अच्छे एम्प्लोयर के नाते जो मजदूरों का हक है वह उनको मिलना चाहिए, यह तो वेजेज का हिस्सा है बोनस दिया जाना चाहिये यह देने के बजाय आप उसके लिए कह रहे हैं कि हम इसके बारे में दूसरी स्टेट्स से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं।

सभानेत्री महोदया, वुलन मिल बीकानेर का मामला ले लीजिये उसके लिये माथुर कमेटी बनी थी उस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट की तरफ से लेबर डिपार्टमेण्ट के इन्स्ट्रक्शन्स निकले हैं जिसके पहले पैरा में लिखा गया।

"In the case of Government industrial undertakings and public sector undertakings of the State Government, other those covered by the Wage Board decisions, orders of the Covernment to link D. A. with the price index have already been issued.

मैं निवेदन करता हूँ कि पब्लिक सेक्टर के बारे में आपने खुद ने डिसीजन लिया है वूलन मिल वेज बोर्ड के अन्दर कवर्ड इण्डस्ट्री है या नहीं ? आप उसमें माथुर कमेटी का फायदा क्यों नहीं देते ? डीअरनेस अलाउन्स नहीं देते। यह कहां का न्याय है केवल साठ रुपया मिनीमम वेज देते हैं जबकि साफ तौर से माथुर कमेटी ने कहा है कि मिनीमम वेजेज के साथ डीअरनेस-अलान्स दिया जाय। आप अपने अन्डरटेकिंग में ही उसको लागू नहीं करते तो दूसरों से क्या उपेक्षा कर सकते हैं। आपका लेबर-डिपार्टमेण्ट क्या कर रहा है ? वूलन मिल्स के मेनेजमेण्ट वाले बातचीत करने ही नहीं आते। या तो श्रम मंत्रालय इन कानून को लागू नहीं करवा सकता या आपको उन पर भरोसा नहीं कि वे रेफ्रेन्स कर दें।

आप यह नया कानून बनाने चले हैं इसमें अधिकारों को लेने की बात है। उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपके यहाँ जयपुर में जयपुर मिनेरल डेवलपमेण्ट सिण्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड है जो श्री गोलेछा की है जिसके बारे में बहुत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कम्पलेण्ट्स है इनकी माइन्स के अन्दर पहले से मामले चले आ रहे हैं श्रमिकों और मालिक दोनों की तरफ से फैसले के लिए एक आरबीट्रेटर मुकर्रर हुआ। उसने फैसला दे दिया वह मेनेजमेण्ट मानते को तैयार नहीं। मेनेजमेण्ट वाले इसको सेट असाइड करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में गये वहां भी वे हार गये हाईकोर्ट की सिंगल बैंच में भी हार गये, डिवीजनल बैन्च में भी हार गये लेकिन आज भी मजदूरों को वह फायदा नहीं दे रहे हैं। बोनस के बारे में जो रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दी है यह रिपोर्ट सन् 67 की इसके अन्दर शेयर होल्डर्स को बताया है।

Bonus for the year 1965 as Per Arbitration Award.

Rs. 73,985.22

यह उन्होंने अकाउण्ट में इन्क्लूड किया है लेकिन उनको पेमेण्ट नहीं किया जा रहा है आखिर मजदूर अब क्या करें। मजदूरों ने हड़ताल की और ओर आरबीट्रेशन मुकर्रर हुआ उसने फैसला दिया लेकिन मेनेजमेण्ट वाले मन्जूर नहीं करते सारी अदालतों से मजदूर जीत गये फिर भी बोनस उनको नहीं मिल रहा है आपकी सरकार क्या कर रही है ? अब मजदूर वहां पर खान पर बैठे हैं माल बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। सरकार उसके लिये क्या कर रही है। गृह मन्त्री जी ने वहां अपनी पुलिस भेज दी है। आखिर मजदूर बेचारा क्या करे ? गृह मन्त्री मालिक को मदद भेजे मजदूरों की मदद कोई नहीं करता। वहां जाकर पुलिस वाले लाठियां चलायें तो मालिक को ही फायदा होगा। आखिर आप यह बतलाइये ऐसी स्थिति में मजदूरों को क्या करना चाहिये। यह एक मोडल केस है मजदूर सारे अदालतों में जीत गये फिर भी कुछ नहीं होरहा है। इस कानून के तहत आप फौरन एक्सन ले सकते हैं आपकी नीयत हो तब ना। इस सम्बन्ध में आप फौरन एक्शन लेंगे। और मजदूरों का पेमेन्ट करायेंगे

सभानेत्री जी, में यह निवेदन करना चाहता हूं, कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में श्रम मन्त्री जी सवाई माधोपुर सीसेन्ट फैक्टरी का आपको खुद को अनुभव है वहां की माइन्स में फलौदी में मेनेजमेण्ट ने कितने ही वर्किंग कमेटी के मेम्बरों को निकाल फेंका है। ४० दिन तक मजदूर शान्तिपूर्वक हड़ताल पर रहे। एग्रीमेण्ट हुआ और एग्रीमेण्ट उनका गला दबाकर हुआ, आपके पुलिस के जोर से हुआ। आपने एडजोनमेंट मोशन पर भी यह मुनासिब समझा कि आप ऐबसेन्ट रहे। आप बोलना नहीं चाहते थे मालिक के पक्ष में मुख्य मन्त्री के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे इसलिये गायब होगये। यह तो आपकी शिवालरस बात है। उस एग्रीमेंट करने के बाद भी ४० दिन की हड़ताल रही इन्टक जिसके आप लीडर रहे हैं उस हड़ताल की सारी तनख्वायें कटवाई और कहा एकदम शीघ्र वार्ता शुरू कर दी जाय। आज दो तीन महीने हो गये मालिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बातचीत करने को तैयार नहीं। जितना डिस्प्यूट था मामला वैसा का वैसा पड़ा रहा। साहू जैन उसको रिकागनाइज नहीं करता है। वे कहते हैं जब तक साहू जैन का कोई स्टूज अध्यक्ष नहीं चुना जायगा कितना ही जोर लगा लें कोई निगोशिसेसन्स नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ श्रममन्त्रीजी से आप यह श्रमिकों की सेवा कर रहे हो? इसी तरह श्रमिकों के हितों की रक्षा करना चाहते हो। सभानेत्री जी मैं यह निवेदन करूंगा आज का श्रम मंत्रालय, चाहे श्रम मन्त्री जी की निजी राय कुछ भी हो वह सरकार के दबाव के नीचे हैं। सरकारी दबाव के कारण अपना सिर नहीं उठा रहा है मैं यह निवेदन करूंगा इस बिल के जरिये जो आप संशोधन करना चाहते हैं उसमें कुछ बातें मजदूर विरोधी हैं, कुछ डिसक्रिमिनेटरी हैं और जो सरकार के तौर तरीके और रवैये हैं वह सस्पीशन और डाउट पैदा करते हैं इसलिये हम प्रिन्सिपलों इस सारे बिल के विरोध में हैं। हमें खतरा लगता है कि सरकार मजदूरों के हित में ध्यान नहीं दे रही है इसलिये हम सीमित अधिकार देना चाहते हैं वह सीमित अधिकार इस हद तककि जो डिसिजन वेजबोर्ड में, ट्रिपाटाईट कान्फ्रेंन्स में मजदूरों के हक में हुये हैं उनको लागू करने के लिए कुछ कदम उठाइये इस हद तक हम आपको अधिकार देते हैं आप कोई आर्डर न निकाल सके जिसमें मजदूरों की ऐग्जिस्टिंग जो अमेनेटीज हैं, जो टर्म्स एन्ड कन्डीशन्स एम्पलायमेंट की हैं उससे कम न दे इस प्रकार के पावर्स आपको नहीं मिलने चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जिस प्रकार के पावर्स आप लेना चाहते हैं वह कम्प्रीहैन्सिव हैं। आप किसी भी तरह के आर्डर्स उसमें निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं श्रम मन्त्री जी आप इस कुर्सी पर हों, यह कोई पता नहीं है। यह श्रम मंत्रालय न जाने किसके हाथ में चला जाय इस लिये आप कानून इस तरह के बनाइये जो श्रमिकों के हित में हो। इसलिये इस बिल को मैं सलैक्ट कमेटी को भेजने की दृष्टि से अपना प्रस्ताव पेश करता हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल जाट।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभानेत्री जी

श्रीमती सभानेत्री : आप नहीं श्री शंकरलाल जाट।

श्री शंकरलाल : सभानेत्रीजी शंकरलाल तो मैं हूँ ही। जाट नहीं हूँ तो क्या हुआ?

श्रीमती सभानेत्री : श्री किशनलाल वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है, सभानेत्रीजी । अध्यक्ष महोदय ने विशेषाधिकार प्रश्न पर अपनी व्यवस्था चार बजे देने के लिये कहा था, और अब सवा चार बज रहे हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : मैं अभी अध्यक्ष महोदय को कहलवा देती हूं ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सभानेत्रीजी, आज सदन में जो विधेयक मजदूरों के बारे में और उनके टर्म्स और कंडीशन्स और विशेष तौर से उनको जो सुविधाएँ और अब तक अपनी मांगों को लेकर जो राज्य सरकार के समक्ष आये या सेठ साहूकार के समक्ष, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे पब्लिक सेक्टर में, उनके समक्ष आये उनके उस अधिकार को खत्म करने के लिये यह बिल लाया जा रहा है । मैं श्रम मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बड़े-बड़े सेठ हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हों, चाहे पब्लिक सेक्टर में जहां मजदूर अपने परिवार की आजीविका कमाने के लिये काम करता है और श्रम करता है, ऐसे बड़े-बड़े उद्योग और बड़े-बड़े उद्योगपति जब कोई भी उद्योग शुरू करते हैं तो उनके साथ एक एग्रीमेंट और शर्त रहनी चाहिये कि जितने लेबरर्स हैं वे उस सेक्टर में लें । उनके आवास की व्यवस्था, उनके रहन-सहन की व्यवस्था, उनके मनोरंजन की व्यवस्था रहनी चाहिये । सभानेत्रीजी विशेषकर ये मजदूर वर्ग एक मध्यम श्रेणी से भी कम शक्ति का परिचय देते हैं । इधर-उधर से 5 मील दूर हो तो उनको जहाँ तक, मेरे पास एक लेटर है आदित्य मील का, उन्होंने रोडवेज के चेयरमैन को लिखा है कि अजमेर से किशनगढ़ और किशनगढ़ के आस-पास जो स्टेशन हैं रोडवेज उनको कन्सेशन रेट पर सहायता देने की शक्ति प्रदान करें । इसमें कम से कम 100 लेबरर्स के दस्तखत हैं वह मैं सदन की मेज पर प्रस्तुत करूंगा । जहाँ मजदूर चिल्लाते हैं, अपनी माँगों के लिये सरकार के समक्ष आते हैं तो जिस प्रकार अभी एस. एस. पी. वालों के साथ दिल्ली में जो घटना हुई, उन पर लाठी चार्ज और अश्रु गैस के बल का प्रयोग किया गया वही घटना की आशंका हमेशा मजदूरों को रहती है क्योंकि सुनने में आया है कि डन्डे के जोर पर राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर में काम करती है । इतिहास इस बात का साक्षी है, इतिहास में जब जब भी राज्यकर्ताओं ने पब्लिक सेक्टर पर आक्रमण किया है, उनका राज्य शासन समाप्त हुआ है—इस बात का इतिहास भी साक्षी है । इस इतिहास में मुगल आये, नाना प्रकार की शक्तियाँ आईं, उनकी शक्ति समय के अनुसार समाप्त हुई है । सभानेत्रीजी अभी कुछ दिन पहले की बात है अजमेर में लेबर आफिसर और वहाँ के नगरपरिषद के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के बारे में एक संशोधन वेतन मान की मांग की और उन्होंने बिलकुल शान्त मय जूलूस निकालकर सारे नगर में भ्रमण करके अपनी मांगों के लिये विधिवत् राज्य सरकार से प्रार्थना की और राज्य सरकार को दूसरे दिन हड़ताल की सूचना दी । 8 घन्टे की हड़ताल होने वाली थी और उस 8 घंटे में सारे शहर में कीचड़ फैल जाता और बीमारी

(श्री भगवानदास शास्त्री)

फैल जाती लेकिन राज्य सरकार के कानों में जूँ तक नहीं रेंगी। राज्य सरकार तो मजदूरों के प्रति षड़यन्त्र रचकर उनका गला घोटने को तैयार है। मैं सभानेत्रीजी आपके द्वारा श्रम मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं उन मजदूरों के प्रति, जहां उनकी मांगों को लेकर कुछ हो सकता था लेकिन अभी एक उदाहरण देता हूं कोटा में नाना प्रकार की शक्ति का प्रयोग उनके साथ किया गया। आपको डर था माननीय प्रधान मन्त्री को आपका ट्रंक काल था कि इनकी मांगें पूरी न की जाय।

तो ऐसी बातों से तो आप डर जाते हैं। जहां राजनैतिक शक्ति आपको प्रहार करती है वहां राज्य सरकार झुक जाती है और जहां शक्ति नहीं वहां गरीबों की चटनी बनाकर उनका सत्यानाश करते हैं। जहां तक कम्प्यूटर्स की बात है वहां हिन्दी का प्रचार करते हैं। आप कहते हैं कि समाजवाद आयेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कम्प्यूटर्स लाते हैं। वहां के चेयरमैन हैं उन्होंने प्रेस को स्टेटमेन्ट दिया था कि कम्प्यूटर्स के आने से इंग्लिश में प्रिन्ट देंगे और 150 आदमियों की छटनी होगी। अगर आप लेबर को नष्ट करना चाहते हैं तो सभानेत्रीजी जो समाजवाद का नारा लेकर चलते हैं वह मजदूरों की सुनाई नहीं करते। अजमेर में रामगंज देखें, जोन्सगंज देखें या भगवानगंज देखें वहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था नहीं है। नगर की सीमाओं को बढ़ाने की योजना नहीं है। आपके लेबर आफिसर्स एशोआराम करते हैं। शाम को 5 बजे के बाद किसी भी आफिसर को साथ ले लिया और बस एशोआराम की दो तीन वस्तुएं ले ली और चल दिये। मेरे पास एलीगेशन्स के सबूत बहुत हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके यहां मजदूरों की सुनाई नहीं की जाती और उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता।

सभानेत्रीजी मेरे पास दो-चार पाइन्ट्स हैं जिन्हें मैं कहना चाहता हूँ....

श्रीमती सभानेत्री : बिल पर रिलेवेन्ट हों तो कहिये और नहीं तो फिर दुबारा भी बोलने का मौका आपको मिलेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरा प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्रीमती सभानेत्री : बिल से ताल्लुक ही है तो कहिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : तो सभानेत्रीजी जहां तक राजस्थान सतर्कता आयोग की पुस्तक मिलने के बाद उद्योग विभाग के अधिकारी ने 1 लाख रुपये का गबन किया। यह श्रम विभाग से सम्बन्धित है। उद्योग तथा रसद

(श्री भगवानदास शास्त्री)

विभाग के उप-निदेशक ने राजस्थान नमक शोध के महा प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए 1 लाख रुपया भ्रष्ट उपायों से प्राप्त किये। तो मेरे कहने का सभानेत्री जी यह अनुरोध है कि जो बड़े बड़े हाथी हैं वह चाहे नगर को निगल जायें और आपके राज्य सरकार की और श्रम विभाग की नजर मजदूरों पर ही आकर पड़ती है। राज्य सरकार ने तय कर रखा है कि मजदूरों से घृणा करो और वह मजदूर जिससे यह राज्य सरकार अपने नाना प्रकार के साधनों से तरक्की कर सकती है प्रोडक्शन के जरिये उसको तो आप ठुकरा देते हैं। ब्यावर की घटना एडवर्ड मिल, लक्ष्मी मिल और तोशनीवाल इन्डस्ट्रीज़ में क्या हुआ। मैंने गृह मंत्री जी को टेलीफोन किया कि आप लेबर कमिश्नर को बात करो, लेबर आफिसर को बात करो— 25 दिन होगये मजदूर भूखों मर रहे हैं। उसके मजदूर रिटायर्ड थे रेलवे से वह मेरे पास आये तो गृह मंत्री जी ने लेबर आफिसर को टेलीफोन किया कि इसको जल्दी समाप्त किया जाये। तो नगर से चार-पांच मील दूरी पर कोई इन्डस्ट्री है तो चाहे वह प्राईवेट सेक्टर में ही हो आपकी इस प्रकार की कन्डीशन होनी चाहिए कि लेबर की सुरक्षा हो और उनके लिए एक सुन्दर नगर बसाना चाहिए। उनकी सुरक्षा तब ही हो सकती है जब कि उनके मकान मिल के पास ही हों। आप जो उसको तनख्वाह देते हैं डेली वेजेज़ पर वह उस पैसे में खिला नहीं सकता और वह बेचारा आत्म हत्या करने लगता है। ऐसे काफी केसेज़ अजमेर में हुए। एक कर्मचारी रेल के रास्ते पर गिर गया और मर गया। बहाना यह हुआ कि जंगल में जा रहा था। वह 28 वर्ष का जवान था और पीछे से उसके बच्चे और घर वाले रो रहे हैं श्रम मंत्री जी यह विश्वास नहीं है कि आगामी सत्र तक यह डिपार्टमेन्ट आपके पास रहेगा या नहीं। अगर आप इसको संभाल नहीं सकते, आप सक्षम नहीं हैं तो इस विभाग को या तो मुख्य मंत्री जी को सौंप दें या फिर किसी अपने साथी को दे दें ताकि तीन चार वर्षों से जो मजदूर हैं उनकी जो मांगें हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा सके। हमारे अजमेर में एच० एम० टी० की फैक्टरी है उसके लिए एक लिपिक का टैस्ट लिया जाता है और उसको कह दिया जाता है कि तुम्हारे साथी ने कहा कि तुम तो कहीं और काम कर रहे हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब उसकी 40 से ज्यादा की स्पीड है तो उसको लिया जाना चाहिए। पांच-पांच सौ रुपया एक एक क्लर्क को लेने में और एक एक मजदूर को लेने में रिश्वत ली जाती है। यह राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है। आप अजमेर के उत्थान की बात करते हैं तो एच० एम० टी० का जिक्र करते हैं और वहां पर वही मजदूर जो पहले कारखाने में काम करते थे। पहले वहां एंजिन बनते थे, नये डिब्बे बनते थे और वह वैस्टर्न रेलवे का सेन्टर था। अब वहां केवल रिपेयर का काम होता है। तो सभानेत्री जी मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो मजदूर हैं यह अपना खून पसीना बहाते हैं। चीन आपके शासन से डरने वाला नहीं था। यही भारतीय

(श्री भगवानदास शास्त्री)

नागरिक थे, यह सब पालिटीकल पार्टीज़ थीं जिन्होंने घोषणा की कि हम सब एक हैं। इस नारे को सुनकर चीन अपनी सीमा को दबाकर वहीं तक सीमित रहा। तो सभानेत्री जी मैं विशेषकर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि आपने इस बिल को जिस रूप में लाना चाहा है ठीक है यूनीयनें काम करती हैं। यूनियन में कोई पोलीटीकल पार्टीज़ नहीं हैं।

आप इस प्रकार से इस विधेयक को जिस रूप में लाना चाहते हैं तो ठीक है। यूनियन्स काम करती हैं तो यूनियनों में जो भेदभाव है तो पोलिटिकल पार्टी तो उसमें है नहीं। यदि कोई गलती किसी व्यक्ति ने की है या किसी अधिकारी ने की है और वह उसमें कमजोरी लाता है तो उसका कारण यह नहीं है कि वह पोलिटिकल पार्टी के शह पर है या उस पर उसकी मोहर लग चुकी है। आज आप देखिये कि लेबर की सुनाई नहीं होती है अगर आप लेबर को नजरअन्दाज करें तो आखिर उसको किसी न किसी की शरण में जाना पड़ता है।

सभानेत्री जी, माननीय मंत्री जी, जिनके बारे में मुझे विश्वास है कि जो टेम्पोरेरी बेसिस पर काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में विचार करेंगे, एक सप्ताह पूर्व मैं इसी विधान सभा में टेम्पोरेरी और परमेनेन्ट रोडवेज़ में काम करने वालों को नामावली पूछी थी। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें 10 पर्सेन्ट भी परमेनेन्ट नहीं हैं। इसके मायने यह हुए कि इस राज्य में कोई मजदूर अपने को स्थाई नहीं मानता है, परमानेन्ट नहीं मानता है, और वह दिन दूर नहीं कि क्रान्ति आयेगी। क्रान्ति इसी से तो आती है कि जो मजदूर हमारी नींव हैं, जो मजदूर हमारी जड़ है राज्य की और मजदूरों के आधार पर आगे बढ़ाकर मनुष्य को अपने देश और समाज को ऊंचा स्थान प्राप्त करा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभानेत्रीजी, नाना प्रकार की जो उनकी मांगें हैं विशेष कर उद्योगों के बारे में कि जो यूनियन्स मालदारों से यानी प्राइवेट व्यक्तियों से और निजी सम्पत्ति वालों से मिलना चाहती हैं तो वहां के अधिकारी उनको नहीं मिलने देते हैं। राज्य सरकार उससे फायदा लेना चाहती है इस प्रलोभन में। हम विधान सभा में आते हैं तो सेवाओं के लिए। अगर कोई सेक्टर पर वहां पर हमला हो जाय तो हम आपको सूचना दें। सूचना देने के बाद आप लेबर आफिसर को कहें। हम लेबर आफिसर को कहें तो वह साहूकार की शरण में जाता है। लेबर आफिसर विशेष करके यह ध्यान नहीं देता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि एम० एल० एज० की कोई ट्रेण्ड बोडी नहीं है। हम प्रशासन में कमियां देखकर चुप रहने वाले नहीं हैं। यह हमारी शक्ति है आपके अधिकारी हमको रोक नहीं सकते। हर सेक्टर और हर समय लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन होती है तो राज्य सरकार के सामने जनता की मांगों को लेकर रखते हैं।

सभानेत्री जी, दूसरा प्रश्न सुपरवीजन के बारे में है। आपका लेबर

(श्री भगवानदास शास्त्री)

आफिसर किसी भी सेक्टर में जाकर नहीं देखता है कि मजदूरों के साथ में क्या होता है। एक मजदूर एक कारखाने में था तो वहां से उसको चोरी का कलंक लगाकर निकाल दिया कि तुमने 50 रुपये लिये हैं। शर्म की बात है इस राज्य के लिए। उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। इसको जान बूझकर नहीं लिया गया। ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस के नाम से बोलते हैं कि विधान सभा के बस में नहीं था....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : सभानेत्री जी, मैं अन्त में कुछ शब्द कहकर समाप्त करना चाहता हूँ वह अकाल राहत के सम्बन्ध में है। सभानेत्री जी, हम बराबर अपनी अकाल राहत समितियों में कार्य करने बैठते हैं। यह तो ठीक है कि अधिकारी इस समय जागरुक हैं, लेकिन राज्य सरकार सजग है या नहीं वह आपके समक्ष है। अधिकारी ठीक हैं क्योंकि सब पोलिटिकल पार्टीज सक्रिय हैं। वहां डेली वेजेज़ पर झूठे दस्तखत लिये जाते हैं, लेबर से मजबूरन। अजमेर जिले में उनको मजबूरन एक-एक लाटरी दी जाती है जिसको प्राचीन सभ्यता के अनुसार जुआ कहते हैं जहां पर गरीब को खाने का पता नहीं वहां लाटरी का तीन लाख रुपया लेकर क्या करेगा ? (हंसी) आज तक किसी को नहीं आई है।

कई माननीय सदस्य : आई है।

श्री भगवानदास शास्त्री : कहीं सौभाग्य से आई है। जहां लाखों की संपदा है वहां लाखों के टिकिट बिकते हैं। बिकने के पश्चात् किसी व्यक्ति को तीन लाख आये तो वह सौभाग्य होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभानेत्री जी, उद्योगों की जो बाबू लोगों और लेबर की कालोनीज हैं वहां पर लेवेट्री की सुविधा नहीं है। यह पुराना जमाना नहीं है कि जंगल में खुले में जायं। जंगल भी नहीं हैं। तो सरकार के द्वारा उन कालोनीज में जिन कालोनीज में मजदूरों ने कच्चे मकान बना रखे हैं और लेवेट्री की सुविधा नहीं है और परदा पूरा रखने की सुविधा नहीं है वह सुविधा दी जाय। उनके शरीर पर तीन कपड़े भी नहीं हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली के हरिजन कर्मचारियों के लिये बड़ी-बड़ी कालोनीज बनाई गई हैं। चार-चार मन्जिलों के फ्लेट बनाये गये हैं। इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति को आप खुद देखें कि उनकी स्थिति क्या है। कितने ऊँचे भाव बढ़ चुके हैं। आपको जो सूचना देते हैं तो उन पर आप ध्यान नहीं देते हैं।

अन्त में मंत्री महोदय का ध्यान जो मैंने प्रस्ताव रखा है कि तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय उसे स्वीकार किया जाये। इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : श्रम मंत्रीजी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट है। केवल दो बातें कहना चाहता हूँ....

कई माननीय सदस्य : वह अभी नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह जनरल स्पीचेज जनमत में भेजने के बारे में और प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय उसके लिए सब साथ हो जाती है तो दोनों एक साथ पेश हो सकते हैं। कोई डिफिकल्टी नहीं है मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : पाइंट आफ आर्डर। मैंने कल सिलेक्ट कमेटी में सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव भेजा था लेकिन वह आज के बिजिनेस में नहीं आया जब कि वन डे प्रायर दे दिया था। इसके बारे में आप व्यवस्था देंगे कि क्यों नहीं आया ?

(4·36 म॰ प॰)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्यवस्था का सवाल क्या है ?

श्री शंकरलाल : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को प्रवर समिति को सौंपने के लिए कल मैंने एमेंडमेंट मूव किया था वह आज बिजिनेस में आया नहीं तो क्या कारण है When I have already moved the amendment.

श्री अध्यक्ष : टाइम पर मूव किया है ? Whether it was in time ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस टाइम दिया था ?

श्री शंकरलाल : रूल्स में वन डे प्रायर है।

श्री अध्यक्ष : यहाँ रखने के पेशतर सेटिसफाई कर लेते।

श्री शंकरलाल : ठीक है। मुझे दो मिनट बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : वह अलग बात है।

श्री शंकरलाल : इसके साथ ही जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वह व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं है।

श्री शंकरलाल : मैं ज्यादा भाषण नहीं दूँगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये। श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : 5 मिनिट।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह व्यवस्था हो जाय।

श्री नत्थीसिंह : आपकी व्यवस्था 4 बजे होने को थी और साढ़े चार से ज्यादा हो गये।

श्री शंकरलाल : औद्योगिक विवाद विधेयक 1970...

अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : 6 अप्रैल, 1970 को दिल्ली में संसोपा प्रदर्शन के सिलसिले में श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल, सदस्य, विधान सभा, के बन्दीकरण तथा उनकी रिहाई के सम्बन्ध में जो सूचना तार द्वारा मुझे दिल्ली से सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त हुई थी उन पर कल श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने सदन में चर्चा उठाई थी और आज इस प्रश्न को लेकर उन्होंने विषद रूप से सदन में अपने विचार व्यक्त किये हैं।

नियम 158 के अन्तर्गत श्री अग्रवाल ने आज इस मामले पर विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट श्री बल्देव कपूर व पुलिस अधिकारी के बारे की भी दी है। श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल के आज के वक्तव्य को सुनकर और इस सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचनाओं के अध्ययन के बाद मेरा यह मत है कि इनमें निस्सन्देह ही बेल यानी जमानत दिए जाने के बारे में मतभेद है। अन्य भी मतभेद तार से प्रकट होते हैं। अतः मैं नियम 157 के अनुसार श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल को प्रस्थापित विषय उठाने की अनुमति देता हूं। गिरफ्तारी के बारे में जो तार आया था, उसका कन्फर्मेट्री लेटर श्री अशोकनाथ एस०डी०एम० नई दिल्ली का आया है। इन दोनों में गिरफ्तारी के कारण नहीं दिये गये हैं।

मैं श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल को विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने के लिए सदन से अनुमति मांगने की इजाजत देता हूँ, इस सम्बन्ध में संक्षेप में रखेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट श्री बल्देव कपूर एवं उन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो प्रशासनिक अधिकारियों ने सूचना भेजी है, जिनकी सूचना मैंने प्रस्तुत मांग के विचारार्थ प्रेषित की है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, श्री बल्देव कपूर ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट एवं दूसरे मजिस्ट्रेट जो श्री अशोकनाथ जी हैं, इन दोनों ने विशेषाधिकार भंग किया है। अतः मैं इसे प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि अनुमति दिये जाने के प्रश्न पर किसी भी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं है। अतः मैं इस विशेषाधिकार प्रश्न को नियम 162 के अधीन विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसन्धान और प्रतिवेदन के लिए सुपुर्द करता हूँ।

श्री शंकरलाल।

श्री भैरोंसिंह : चीफ मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट होने वाला था ?

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में श्री केदार, श्री सतीशचन्द्र जी ने सब ने मिलकर मुझे अवगत किया था कि 10 तारीख को ले लिया जाए।

श्री भैरोंसिंह : 10 तारीख को ?

श्री अध्यक्ष : हां वही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 9 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब को गवाही में जाना है। इसलिए स्टेटमेंट हो नहीं सकेगा। परसों की तारीख दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल। केवल 5 मिनिट।

श्री रामचन्द्र आर्य : 10 तारीख को तो निश्चित है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। स्थान ग्रहण करें।

औद्योगिक विवाद राजस्थान (संशोधन विधेयक), 1970 पर अग्रेतर विचार

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव रखा था। इसमें जो नई धारा जोड़ी गई है, उसमें मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार समाप्त होते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र में मजदूरों की हड़ताल करने का अधिकार न हो यह उचित नहीं है।

(4.44 म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

कहा गया है कि भारत सरकार का 1947 का जो विधेयक है उसके सन्दर्भ में लाना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत सरकार की कोई ऐसी धारा जो मजदूर हड़ताल करे, मालिक रोक लगाये, अगर वह नहीं माने तो सजा दी जाए, इस पर मैं समझता हूं कि हमको विचार करना पड़ेगा। आज जो बड़े बड़े उद्योग वाले हैं, वह मजदूरों का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए मजदूरों को जनतंत्र में अधिकार हैं। हमारे कान्स्टीट्यूशन में फ्रीडम आफ स्पीच करने का अधिकार है। इसी तरह से मजदूरों की भी मिल मालिक बात नहीं मानता है। उनके अधिकारों को नहीं मानता है। तो उन्हें हड़ताल करने का अधिकार है। क्लाज 6 के अन्दर वह बताते हैं कि उसके अन्दर यह क्लाज जोड़ दी जाए :—

10-के. राज्य नियोजन की शर्तें और निबन्धन अधिकथित कर सकेगी और हड़ताल आदि का प्रतिषेध कर सकेगी—(1) अधिनियम में कोई बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की राय में, लोक सुरक्षा या सुविधा सुनिश्चित करने अथवा लोक व्यवस्था, या समुदाय के जीवनार्थ आवश्यक प्रदाय तथा सेवाओं के अनुरक्षण के लिए, अथवा नियोजन या औद्योगिक शान्ति के अनुरक्षण के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा—

(क) नियोजकों, कर्मकारों या दोनों से ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जा सकेगी नियोजन की ऐसी शर्तों और निबन्धनों का पालन करने की अपेक्षा करने के लिए जो उक्त आदेश के अनुसार, अवधारित की जाएं, और

(ख) आदेश के उपबन्धों के अध्यधीन, साधारणतः हड़तालों या ताला बंदियों का अथवा किसी औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में किसी हड़ताल या तालाबन्दी का प्रतिषेध करने के लिए,

यह अधिकार सरकार अपने पास लेना

(श्री शंकरलाल)

चाहती है। कोई हड़ताल या लॉक आउट हो, वह कैद करने के लिए कर दिया जाएगा। आपने क्लाज लगा रखा है :—

"30-ए. धारा 11-के, के अधीन दिये गये आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति कोई व्यक्ति जो धारा 10-के, के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश का उल्लंघन करता है, दोष सिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से; जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।"

इसका मतलब यह है कि हड़ताल करने वाला मजदूर अनडेमोक्रेटिक हो। आप प्रजातन्त्र के अन्दर मजदूरों का यह अधिकार नहीं ले सकते हैं। इसलिए यह धारा जो स्ट्राइक करने का अधिकार है, जिसके लिए आपने यह पुनः रखा है, यह हटा देना चाहिए। दूसरा जो रखा है वह तो एक हद तक ठीक है। पहले 9 वीं धारा थी वह तो ठीक है। मजदूर यूनियन की मान्यता के सम्बन्ध में जो अवधि रखी गई है, 2 वर्ष की, इसका मतलब है कि आप बोगस यूनियन्स को मान्यता देंगे।

कोई यूनियन ऐसी है जिसकी तीन महीने तक पन्द्रह पर्सेन्ट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए मेम्बरशिप है, अगर वह नहीं रहती है तो मैं समझता हूँ कि तीन महीने तो क्या, एक महीने के बाद ही उस यूनीयन की एक्जिस्टेन्स नहीं रहती है। आप बोगस यूनियन को हटायें और हम चाहते हैं कि उन्हीं यूनियन को आप रिकगनाइज करें जिनकी वास्तव में मेम्बरशिप रिकार्डेड है। इसलिए जो यह पन्द्रह पर्सेन्ट मेम्बरशिप का प्रावधान है यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जो बोगस यूनियन हैं उनको दो साल तक धकाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि बहुत सी बोगस यूनियन बनेंगी, क्योंकि जिनकी रिकार्डेड मेम्बरशिप भी होगी तो उनको भी आप दो साल के बाद मे रिकगनाइज करेंगे। इससे आप एक डाउट पैदा कर रहे हैं। जो कोई यूनियन हैं, जो जिनाइन यूनियन हैं, जिनके पीछे मजदूरों का बल हैं उनको आप रिकगनाइज करें, जिसकी सदस्यता पन्द्रह पर्सेन्ट है उसको आप रिकगनाइज करें। जैसा पहले प्रावधान था, उसमें तीन महीने का प्रावधान था, वह ठीक था। अब आप दो साल तक बोगस यूनियन को आगे चलाना चाहते हैं—यह ठीक नहीं है। इन दोनों बातों के अलावा आप जो प्रावधान करना चाहते हैं उसमें एतराज नहीं है, लेकिन यह जो दोनों प्रावधान हैं यह मजदूरों के हितों को ठेस पहुँचाने वाले हैं, उनके अधिकारों के ऊपर कुठाराघात करने वाले हैं और यह मजदूरों के हितों के खिलाफ पड़ते हैं। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जो केन्द्र का बना हुआ है उसके अनुरूप इसको करने के लिए आप इसके उद्देश्य और कारणों में बात रखते हैं, दूसरी तरफ आप यह पीनल क्लाज लगाते हैं—यह कतई उचित नहीं हो सकता है। इसका भयंकर विरोध होगा अगर इसको पास कर दिया। इसलिए इस धारा को हटायें और रजिस्ट्रेशन के लिए पहले धारा रखी थी वही रहने दें।

श्री सभापति : श्रम मंत्री !

श्री देवीदत्त गाडिया : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया था लेकिन तब....

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, बिजनेस के अनुसार जिस ढंग से बिजनेस चलना चाहिए था वैसा नहीं चला और दूसरे बिजनेस में समय काफी लम्बा ले लिया गया, उस कारण से मुझे विलम्ब हो गया । मैं चाहूंगा जैसी आपने कल व्यवस्था दी थी....

श्री सभापति : वह ठीक है, माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है, लगभग दस मिनिट का समय शेष है, दो विधेयक पारित करने हैं। पहला विधेयक चल रहा है, इसको पारित करना है, फिर दूसरा विधेयक रहता है। दो विधेयक पहले से ही डेफर्ड हैं। पार्टी की तरफ से तीन चार सदस्य बोल चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपसे विशेष अनुरोध है कि चार पांच मिनिट में कोई खास बात नहीं कह सकते। इस बिल को डेफर करेंगे तो दूसरा बिल भी डेफर होगा और दो पहले से ही डेफर्ड हैं। इस पर काफी सफीशियेन्ट डिबेट हो चुकी है। इसलिए अब मंत्री महोदय का उत्तर हो जाय, रिप्लाई में जो बात आप पूछेंगे वह कह देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, आपने फर्माया वह ठीक है लेकिन मैं एक मुद्दे के लिए पांच मिनिट चाहूंगा, सिर्फ एक मुद्दे के लिए पांच मिनिट का समय चाहूंगा !

श्री केदारनाथ : आपका टाइम गोयल जी ने ले लिया।

एक माननीय सदस्य : पांच मिनिट बराबर पन्द्रह मिनिट !

श्री सभापति : मैंने निवेदन किया, समय के बारे में मैं कजूसी नहीं करता, साधारणतया हर विधेयक पर काफी समय दे देता हूँ, लेकिन इसे जल्दी डिस्पोज़ आफ कर दें तो अच्छा रहेगा। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। वैसे भी समय के मामले में आसन उदार रहता है।

मंत्री महोदय, सूक्ष्म में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के बारे में भी कह दें।

श्री सभापति : प्रश्न के रूप में पूछ लीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सदन को उन हालात से अवगत कराना चाहता हूं कि जिन हालात का मुकाबला करने के लिए इस आर्डिनेन्स को पास करने की जरूरत पड़ी थी। माननीय सदस्यों को शायद यह अच्छी तरह से मालूम हो कि भारत सरकार ने इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए एक वेज बोर्ड की स्थापना की थी। उस वेज बोर्ड की सिफारिशें भारत सरकार के पास आई। और उन सिफारिशों में बहुत बड़ा मतभेद

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

था और इसलिए उस वक्त भारत सरकार ने उन सिफारिशों को मंजूर नहीं किया। राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योगों में काम करने वाले दस-बारह हजार श्रमिकों ने एक आन्दोलन चलाया और उसमें उन्होंने हड़ताल की। उस हड़ताल के दौरान में यहां के उद्योगपतियों से बात चीत की गई और हमने अपनी बातचीत का यह आधार माना कि इंजीनियरिंग वेज बोर्ड में जो स्वतंत्र उसके चेअरमैन थे उनकी सिफारिशों को आधार मान कर बातचीत की जाय। कुछ लोगों ने इस आधार के ऊपर बातचीत की, समझौते हुए, लेकिन राजस्थान में जयपुर में और अजमेर में कुछ उद्योग ऐसे थे कि जिन्होंने उस समझौता वार्ता में शामिल होकर और जो आधार हम मानकर चलते थे उस आधार पर समझौता करने से इन्कार कर दिया। उनके यहां पर जो मजदूर काम करते थे उनकी काफी लम्बी हड़ताल हुई और वह हड़ताल करीब पचास दिनों तक चली। जब ज्यादा दिनों तक हड़ताल चलती है तो मजदूर या तो कुछ हिंसा की प्रवृति की तरफ बढ़ता है या वह निराश हो जाता है और इस कारण शांति, औद्योगिक शांति में बाधा उत्पन्न होती है। अमन-आमन में फर्क पड़ता है और फिर उसका कुछ अंत नहीं होता और इसलिए श्रमिक नेताओं से बातचीत करने के बाद राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि वास्तविक रूप में अगर वेज बोर्ड की सिफारियों को कोई कानूनी रूप नहीं दिया जाता है, और भारत में भी एक विवादग्रस्त बात हो रही है कि वेज बोर्ड बनते हैं, उनकी सिफारिशें आती हैं और उनकी सिफारिशों के आधार पर, यद्यपि उन सिफारिशों के बारे में निर्णय तक पहुंचने में एम्प्लायर्स भी होते हैं और एम्प्लाइज भी होते हैं लेकिन फिर भी कोई समझौता उनमें हो नहीं पाता है और झगड़ा वैसा ही बना रहता है। तो यह विवादग्रस्त बात चल रही थी कि किसी प्रकार से इस प्रकार के फैसले हो जाते हैं तो उनको कानूनी रूप से कोई शकल दी जाय तो मान सकते हैं लोगबाग, उद्योगपति. और अगर कानूनी शक्ल नहीं दी जाय तो वह वालियन्ट्री एक चीज रहेगी, उसको मानना और नहीं मानना उन पर निर्भर रहेगा चुनाचे हमने भारत सरकार से इस बारे में राय ली और भारत सरकार ने इस प्रकार से हमको यह राय दी कि अगर हम इस प्रकार का संशोधन कर देते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एकट में तो उसमें जो समझौते होते हैं, एवार्ड होते हैं उनको मान्यता दी जा सकती है, उनका पालन कराया जा सकता है, अगर इस प्रकार के अवसर आयें तो। अब अवार्ड होने के पहले भी ऐसी शक्ल पैदा हो जाती है जिसमें कहीं लोक आउट हो जाता है, कहीं हड़ताल हो जाती है और वह काफी दिनों तक चलती है इसलिए जब तक फैसला नहीं हो, स्टेटस को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि आॅर्डर आफ एम्प्लायमेंट कन्डीशन ले डाउन करके इस तरह का बना दिया जाय जिससे लोक आउट रुक सके और स्ट्राइक रुक सके और कुछ मुद्दों के बारे में, जो मुद्दे हों स्ट्राइक के या लोक आउट के मुद्दे हों उन मुद्दों पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर आर्बिट्रेटर या किसी से फैसला करा

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कर उनको लागू करने की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए यह ग्रार्डिनेन्स राजस्थान में लागू किया गया। उसके बाद जैसा माननीय सदस्यों का इसमें प्रस्ताव ग्राया, इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के लिए भेजा जाय, तो मैं समझता हूँ, ग्रार्डिनेन्स को राजस्थान में लागू किये हुये काफी ग्रर्सा हुग्रा ग्रौर ग्रब तक इस ग्रार्डिनेन्स से सब लोग परिचित हो चुके हैं। ग्रभी तक एक माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि क्या कोई क्लेम दाखिल हुग्रा? उसका फैसला हुग्रा? तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो इसमें प्रावधान किया गया है वह प्रावधान इस बात का है कि ग्रगर मजदूर कोई क्लेम पेमेन्ट ग्राफ वेजेज के बारे में या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के एवार्ड के बारे में फाइल करेगा तो उसका फैसला कराया जायगा। लेकिन ग्रब एवार्ड का क्लेम, एवार्ड के पालन के बारे में कोई क्लेम दाखिल नहीं हुग्रा, इसलिए फैसला करने की नौबत नहीं ग्राई ...

एक माननीय सदस्य : टाइम खत्म हो रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरा इस बारे में....

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोई ग्रार्डर ग्रार्डिनेन्स के तहत इश्यू किया गया?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ग्रार्डिनेन्स के तहत ग्रार्डर इश्यू कर दिया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : किन-किन इन्डस्ट्रीज को भेजा है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए लागू किया गया, ग्रार्डर निकाला गया इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किन-किन इंडस्ट्रीज को लिख कर भेजा है कि ग्रमुक ग्रमुक ग्रार्डर है इस प्रकार का?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह सारी इंडस्ट्रीज पर लागू होता है, सब जितनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो वेज बोर्ड के तहत ग्राती हैं, उन सब पर वेज बोर्ड की सिफारिश लागू होती है।

श्री सभापति : सदन की ग्रनुमति से ग्राधे घण्टे का समय ग्रौर बढ़ाया जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरे जो माननीय सदस्यों की इस बारे मे शंका है. मैं एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि ग्रब तक श्रम नीति यह रही है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक ग्रापसी समझौते के जरिये, या पंच फैसले के जरिये या फिर जुड़िसियल कोर्ट्स के जरिये ग्रौद्योगिक विवादों का निपटारा कराया जाय। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि जब रेफरेन्स करने में टाइम लगता है ग्रौर स्ट्राइक या लोक ग्राउट चलता है, तो मैं यह मानकर चलता हूँ कि मजदूर ग्रौर मालिक इन दोनों के ग्रलावा भी राष्ट्र एक ऐसी चीज है, जिसका हित हमें सर्वोपरि रख कर चलना पड़ता है। ग्रगर ज्यादा

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

दिनों तक हड़ताल चलती है तो हमारे उद्योगों की हालत खराब हो जाती है. मजदूरों की हालत खराब हो जाती है, उत्पादन घटता है और इस कारण से जहां लम्बी स्ट्राइक हो—मैं मानता हूँ कि हमें उसमें इन्टरफिअर करना चाहिए। ठीक है, हमारी नीति है कि हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिये, सामूहिक सौदेबाजी के जरिये मजदूरों और मालिकों के झगड़े का निपटारा करना चाहिए, उसमें कितने अर्से तक कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का मौका दिया जाय, कितने अर्से तक स्ट्राइक करने का या लोक आउट करने का अधिकार उनको मिले ? हम यह मान कर चलते हैं, ठीक है, दस दिन, पन्द्रह दिन इसमें ले लिया जायं, लेकिन अगर उससे औद्योगिक शांति में खतरा उत्पन्न होता है तो उस वक्त केऊपर इस प्रावधान के जरिये राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है।

(5. म. प.)

मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसी कि माननीय सदस्यों को शङ्का है कि यह सरकार इसका दुरुपयोग करेगी, ऐसा नहीं है, यह उसी स्थिति में लागू किया जायगा, आर्डर पास किया जायगा जबकि बहुत ही आवश्यक हो जायगा, जब औद्योगिक शान्ति को खतरा पैदा हो जायगा, उद्योग को खतरा पैदा हो जायगा, घेराव की स्थिति या और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायगी, जिसकी कि आज हम बात नहीं कर सकते। अवार्ड्स और फैसलों के अलावा भी इमर्जेन्सी की या ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिये इस मामले का अध्ययन करके, सभापति महोदय, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यू० पी० इन्डस्ट्रियल एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान है। यू पी. के इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को इन्डस्ट्रीज के मालिकों ने चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट तक वह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिंग्स इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के थे, उन्हीं वर्डिंग्स को हमने इसके प्रावधानों में दर्ज किया है, जिससे कि आगे जाकर कोई चैलेंज नहीं कर सके, आगे कोई खतरा कानून के सम्बन्ध में नहीं रहे। इसलिये जो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेस्ट किया जा चुका है, उन्हीं वर्डिंग्स को इसमें इन्ट्रोड्यूस किया गया है।

दूसरी बात माननीय सदस्य द्वारा कही गई कि यह कुछ ही बातों के लिये लागू किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि खाली अवार्ड्स, एग्रीमेंट्स टू पार्टाइट, बाई पार्टाइट हैं, उन्हीं में लागू करना चाहिये। सरकार ने जो यह ओवर हालिंग पावर्स अपने हाथ में ली हैं वह नहीं लेनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और भी स्थितियां होती हैं, स्ट्राइक या लोक आउट इन्डिफिनीट पीरियड के लिये चलता है और हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग आदि की सारी चीजें समाप्त हो जाने के बाद भी मामला नहीं निबटता है तब गवर्नमेंट इसको उपयोग में लायेगी। यह नहीं मानना चाहिये कि गवर्नमेंट इसका दुरुपयोग करेगी या इसका मालिकों के हक में उपयोग करेगी। यह आशा नहीं की जा सकती कि आज के युग में कोई विधेयक या कानून बनाते हैं तो वह

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मालिकों के हित में काम में आयेगा। अगर हमें जिन्दा रहना है, लोगों को सोशियल जस्टिस दिलाना है तो चाहे वह मजदूर हो, उसके लिये काम में लेना पड़ेगा और आज यह आवश्यक भी है। कोई डिस्आर्डर होता है, हिंसा होती है तो उस वक्त भी इसको काम में लेने की आवश्यकता होती है तो मैं समझता हूँ कि इस विधेयक में जो प्रावधान किये गये हैं वे साफ हैं और उचित हैं।

दूसरा मुद्दा आया है रिकोग्नाइज्ड यूनियन की दो साल तक मान्यता रहनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल लेबर कमिशन ने भी अभी तक रिकोग्निशन का झगड़ा तय नहीं किया है हमारे एक्ट में जो प्रावधान है वह रिकोग्निशन का नहीं रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन को मान्यता देने का है। 15 प्रतिशत जिस यूनियन के सदस्य होंगे, उसको रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर की यूनियन मान लिया जायगा। जब उनको काम करने देने का सवाल आता है तो 15 प्रतिशत के ऊपर भी झगड़ा आ जाता है। जिसके 15 प्रतिशत भी मेम्बर्स नहीं वह क्या काम कर सकेगी। हमारे यहां अभी रिकोग्निशन के सिद्धान्त को माना नहीं है, रिप्रेजेन्टेटिव कलेक्टर का सिद्धान्त है, उसको माना है। 15 प्रतिशत को बिगाड़ने के लिये मालिक आ जाते हैं इसको रोकने के लिये यह रखा गया है कि 15 प्रतिशत तक जिस यूनियन की मेम्बरशिप है वह दो साल तक रह सकती है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये। 15 प्रतिशत मेम्बरशिप वाली एक, दो, तीन यूनियनें भी हो सकती हैं। मेजोरिटी का सवाल तो इससे अलग है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका मतलब यह हो गया कि 15 प्रतिशत के आधार पर जिसने यूनियन बनाली, उसको आपने यूनियन मान लिया, दो साल के लिये उसकी मोनोपोली हो गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 15 प्रतिशत मेम्बरशिप वाली रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर की दो तीन यूनियनें हो सकती हैं। रिकोग्निशन का सवाल दूसरा है। इसमें तो रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन मानने का सवाल है। रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर की यूनियन है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है रिकोग्निशन का सवाल नेशनल लेबर कमीशन के पास है।

तो सिद्धान्ततः इस बारे में किसी प्रकार की गलती नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे सवालात यहाँ उठाये गये, मैं दो तीन मुद्दों का जवाब देना चाहता हूँ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पब्लिक सेक्टर में इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज़ हैं, उनमें इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अपने यहां इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज़ नहीं हैं।

दो तीन मुद्दे उठाये गये। जो राष्ट्रीयकृत उद्योग राजस्थान में लगे हैं, उनके बारे में माननीय सदस्य ने भावना व्यक्त की कि भारत सरकार के आदेश हैं कि जहाँ पर जो भी उद्योग स्थापित किया जाय, उनमें एम्प्लोयमेंट के लिये वहाँ के रहने वाले लोगों को

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

प्राथमिकता देनी चाहिए। मैंने रावतभाटा के बारे में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, अजमेर के बारे में भी भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात के लिये निरन्तर भारत सरकार से कहते रहेंगे, लड़ते रहेंगे कि अगर राजस्थान में औद्योगिक शान्ति रखनी है तो सन्स आफ दी सोइल को उन उद्योगों में रखने के निश्चय का पालन करना पड़ेगा। वरना झगड़े होते हैं उनमें मुख्य कारण यह होता है कि जो आफीसर्स बाहर से आकर काम करते हैं वे बोसिंग करते हैं, वे समझते हैं कि वे राजस्थान में और दृष्टि से आये हैं और राजस्थान के मजदूर उनसे असंतुष्ट रहते हैं। इसलिये हमने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि लेबर को डीलविथ करने वाला लेबर आफीसर राजस्थानी होना चाहिये, भर्ती डिस्क्रिमिनेट तरीके से न होकर भर्ती करने वाले लोगों में राजस्थान के लोगों का एक प्रतिनिधि होना चाहिये। इसके बाद मेरे पास रिपोर्ट आई है। हमारे एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के जरिये ही उन्हें अब भर्ती करनी पड़ेगी। हो सकता है कि पहले जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा वैसा हुआ अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के रूल्स को उन्हें मानना पड़ेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह इन्स्ट्रक्शन्स आपके पास सेन्टर से कब आई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लेबर कमिश्नर्स की मीटिंग हुई तब यह निर्णय हुआ था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इन इन्स्ट्रक्शन्स के माफिक अपोइन्टमेंट्स नहीं हुए ? क्या कोई रिविजिशन एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के पास भेजे गये हैं अगर नहीं भेजे गये हैं तो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : करीब 6 महीने पहले की बात है। जब मैं कोटा गया था तो तलाश की थी तो रिक्वीजीशन्स उनके आ रहे थे।

एक प्रश्न आपने किया था। राजस्थान सरकार की इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्री नहीं है लेकिन भारत सरकार की दो इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज हैं यहाँ पर—एक तो इन्स्ट्रूमेंटेशन और एक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारपोरेशन। उन दोनों में जो मिनीमम तय किया है और जो वेज बोर्ड ने मिनीमम तय किया है, उससे उनको ज्यादा मिल रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अजमेर के अन्दर नहीं हुआ है। अजमेर में परमानेन्ट पोस्ट्स के अगेन्स्ट वे लोग वर्कचार्ज पर रख रहे हैं किसी को सवा रुपया, किसी को दो रुपया जब कि 115) मिनीमम फिक्सड सैलेरी देनी चाहिए, ऐसी इन्जनियरिंग वेज बोर्ड की सिफारिश है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सही है लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, जैसा मुझे बताया गया है, वह वेज बोर्ड की सिफारिश से ज्यादा देते हैं एक दो महीने से वहाँ यूनियन्स बनी हैं, झगड़े होने लगे हैं, सारे

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मामले यूनियन्स में लायेंगे तब निपटारा होगा।

दूसरी बात फैक्ट्री इन्सपेक्शन के बारे में उठाई गई कि स्टाफ की कमी है। हम स्टाफ बढ़ा रहे हैं और इस साल दो फैक्ट्री इन्सपेक्टर बल्कि तीन रिक्रूट किए हैं और दो भर्ती हो जायेंगे। मैं समझता हूं, 9 और 2=11 इन्सपेक्टर्स हो जायेंगे। हर साल ज्यों-ज्यों स्थिति बढ़ती जायगी, हम स्टाफ बढ़ाते जायेंगे।

रजिस्ट्रेशन आफ फैक्ट्रीज है। 2,019 मुझे बताया गया है, 1,585 रिन्यूअल्स हो चुके हैं और डेट आफ रिन्यूअल तक आगे करते रहते हैं।

माननीय रामानन्दजी ने माइन्स और क्वीरीज के बारे में कहा। रामानन्दजी जैसे माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि माइन्स हमारे क्षेत्र में नहीं आती हैं और उसका जवाब मुझसे पूछना कहां तक उचित है?

फेटल एक्सीडेंट्स के बारे में मैंने रिपोर्ट मांगी है। आम तौर पर 16,17,18 काम्पेन्सेशन केसेज हमारे यहां से डिसाइड होते हैं। जहां तक फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट का ताल्लुक है, अदालतों में क्या फैसले होते हैं, मुझे मालूम नहीं। अलबत्ता वर्कमेन काम्पेन्सेशन एक्ट के जो केसेज आते हैं, उनमें हमारे फैसले होते हैं।

यहां पर और कई जनरल सवाल उठाए गए। जो भी सवाल उठाए गए हैं, अगर मैं उन सबका जवाब देने लगूं तो शायद ज्यादा समय लगेगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर माननीय सदस्य श्रमिकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लें और मैं हरेक बात के बारे में उनको संतोष दिलाने का प्रयास करूंगा, हरेक श्रम समस्या के बारे में निदान करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा जीवन इसके साथ है और जीवन भर यह काम करता रहा हूं। इसलिए अभी जवाब नहीं दे सकूंगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनका जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करके आपसे इस बारे में बात करूंगा।

श्री सभापति (श्रम मंत्री से) : श्री अनसोया प्रसाद—रेफरेंस टु कोर्ट?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : थोड़े दिन पहले निर्णय हुआ था नवज्योति के बारे में मेडिएशन कराकर जो कुछ निर्णय दूंगा दोनों पार्टीज को स्वीकार हो जायगा। तो अभी तक टाइम न होने से मैंने नहीं लिखा है लेकिन निर्णय ले लिया है कि इस विवाद को सलटाने के लिए श्री अनसोया प्रसाद को 4300) की रकम और श्री गुरू को 2300) की रकम नवज्योति वाले अदा करेंगे। मैं लिखकर मुख्यमंत्री को भेज दूंगा।

मैं समझता हूं कि मेरा इतना कहना काफी होगा और आवश्यकता नहीं है कि इसको जनमत जानने के लिए या सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री सभापति : कोई भी माननीय सदस्य जिन्होंने जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा हो अथवा

(श्री सभापति)

प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा हो, उन पर मतविभाजन के लिए, वोट लेने के लिए आग्रह न हो तो सीधा विचारार्थ प्रस्ताव लेता हूं।

(प्रवर समिति में भेजने अथवा जनमत हेतु प्रसारित करने के लिये किसी ने आग्रह नहीं किया)

प्रश्न यह है कि राजस्थान औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 1970 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, व 4 पारित किए जायं।

आपका (श्री रामानन्द अग्रवाल) कोई संशोधन नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन तीन और चार पर मैं बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : I am prepared to accammodate you.

श्री रामानन्द अग्रवाल : खंड 3, 4 व 5 एक जैसे हैं, तीनों को एक साथ....

श्री सभापति : दो बातें हैं—अपोजीशन करना चाहते हैं वह रजिस्टर हो जाय। दूसरा यह कि मैंने निवेदन किया था कि 5॥ बजे तक बढ़ाया गया है इसलिए मंत्री महोदय ने कुछ बातें कही हैं, आप चाहें तो बाद में वोट ले लें, सीरियस क्वेश्चन हो, रास्ता निकलता हो मत्री संशोधन मंजूर करने को तैयार हों तो मुझे एतराज नहीं।

सरकार को एतराज नहीं तो I would permit you to speak.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा कहना है कि इन तीनों क्लाजेज 3, 4 व 5 में यह है कि रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स की दो साल की उम्र करना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप अगर बहस को सुनते तो पता लग जाता कि रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन व रेकग्नाइज्ड यूनियन में फर्क है।

श्री सभापति : उत्तर दे दिया है मंत्री जी ने। आप उपस्थित नहीं थे, माइन्स का भी उत्तर दिया है।

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 व 4 पारित किए जायं।

(स्वीकृत)

खंड 2, 3 व 4 पारित किए गए।

खंड 5। श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा संशोधन है खंड 5 में कि इस खण्ड का भाग (d) विलोपित किया जाय। इसमें प्रोवीजन है....

श्री सभापति : श्रम मंत्री ने जो उत्तर दिया है डिबेट का....

श्री पी० के० चौधरी : वह नहीं आया है। मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि एक उद्योग में तीन रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स हो सकते हैं, वह स्टेटमेंट गलत है। एक्ट की यह मन्शा नहीं है। एक्ट में है रिकग्नाइज्ड यूनियन्स चाहे 10 हो जाय लेकिन रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन 1 रहेगी। मंत्रीजी ने कहा है रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स 3 भी हो सकती हैं। यह हो नहीं सकता है। खंड 5 की मन्शा यह हो जाती है कि एक रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन बनने के बाद....

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक मिनट। मंत्री जी ने अपने उत्तर में रिकग्नाइज्ड यूनियन व रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन को डिस्क्रिमनेट किया है और आप कह रहे हैं कि रिकग्नाइज्ड यूनियन की पालिसी को फोलो नहीं कर रहे हैं। हम केवल रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स को लेकर चल रहे हैं इसका मतलब 15 की सदस्यता' हो तो रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स हो सकती है और एक उद्योग के अन्दर दो तीन रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स हो सकती हैं।

श्री पी० के० चौधरी : No that is not the intention of the act.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं पढ़ता हूँ 9 (डी) : Any union which has for the whole of the period of three months next preceding the date of its so applying under this section a membership of not less than fifteen percent of the total number of workmen employed in unit of an industry may apply in the prescribed form to the Registrar for registration as a Representative Union.

9F-On receipt of an application from a Union for registration under sec. 9D and on payment of the fee prescribed the Registrar shall, if, after holding such inquiry as he deems fit, he comes to the conclusion that the conditions requisite for registration specified in the said section are satisfied and that the Union is not otherwise disqualified for registration, enter the name of the Union in the appropriate register maintained under sec. 9C and issue a certificate of registration in such form as may.

श्री सभापति : That clarifies the position.

श्री पी० के० चौधरी : नो सर मन्शा यह नहीं है। वाट डज रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन मीन ? इसका मतलब यह होता है।

Thst is the only union which is not to be negotiated:...

आप एक ही रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन

Page No 152

(श्री पी० के० चौधरी)

करते हों तो फिर रेकग्नाइज्ड यूनियन और रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन में फर्क क्या रहता है ? 3–3, 4–4 रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स बनाए जाते हैं यूनियन्स के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, यह तरीका नहीं है। आपका लॉ कहता हैं कि एक उद्योग में 4 रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स रहेंगी। आप कहें कि एक कान्सटीट्यूएंसी से तीन एम० एल० ए० आयेंगे, यह कैसे हो सकता है ? यह प्रिन्सिपल है कि एम्पलायर एक यूनियन से बात करेगा, बारगेनिंग होगा, जो कान्ट्रैक्ट होगा दोनों पर लागू होगा। तीन रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स रहेंगी तो किससे वह बात करेगा ? इसका मतलब क्या है ? आपका सेक्शन 9 (जी) है इसमें लिखा है :

9G. Regisiration of another Union in place of existing registered Union—(I) If at any time any Uhion (hereinafter In this section referred to as 'applicant Union') makes an application to the Registrar for being registered in place of the Uniou (hereinafter in this section referred to as 'representative Union') for a unit of an industry on the ground that it has a larger membership of workmen employed in such unit of the industry, the Registrar shall call upon the representative Union by a notice in writing to show cause within one month of the receipt of such notice why the applicant Union should not de registered in its place. An application made under this sub-section shall be accompanied by such fee as may be prescribed.

आपकी मेम्बरशिप' उनकी मेम्बरशिप से ज्यादा होती है तो मानी जावेगी। आपकी मंशा यह हो कि तीनों रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन रहे तो 9 (डी) और (जी) है : There is a contradiction उसका क्या मतलब रहता है, 9 जी) में यह कहते हैं कि मेम्बरशिप ज्यादा होती तो उनको माना जावेगा । तीनों रहें तो चौथी किसको करें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपके डाउट को रिमूव कर देता हूँ। तीन यूनियन्स आयीं, तीनों कहती हैं कि रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन है । रिकग्नीशन उसको दिया जावेगा जिसके पास मेजोरिटी ओफ मेम्बरशिप है। मालिक उससे समझौता करेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह क्यों कहते हैं कि दो साल तक रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन बनाने के लिये एप्लाई नहीं कर सकेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप इसको पढ़ें :

Provided two or more Unions fulfilling the conditions necessary for registration under this Act apply for registration in

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

respect of the same unit of an industry, the Union having the largest membership of employees employed in the unit of the industry shall bc registered; and....

श्री पी. के चौधरी : वही एक होगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रिप्रेजेन्टेटिव के लिये तो सब ही हो सकती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप जो अमेन्डमेन्ट लेकर आये हैं उसको एक बार फिर पढ़ लीजिये।

"Once a union has been registered as a representative under this Act, the registration of the union shall be held valid for a period of two years from the date of its registration and shall continue to hold valid unless the registration is cancelled under sec. 9 (F) of this Act or another union is registered in its place according to section 9 (G) of this Act."

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस दिन रजिस्टर में दर्ज हुई और 9 (जी) के तहत एप्लीकेशन दे दी तो वह रहेगी।

श्री पी. के. चौधरी : रिकाग्नाइज यूनियन रहेगी। बात नहीं समझ रहे हैं मंत्री महोदय। रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन तीन रहेंगी तो कानून बनाने से क्या फायदा होगा?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस यूनियन को रिकाग्नाइज एक बार कर दिया तो दो-दो महीने में बदलते रहेंगे क्या?

श्री पी. के. चौधरी : रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन का कन्सेप्शन है, एम्पलोयर किससे नेगोसियेशन करे। चार छः यूनियन्स होती हैं। एक से नेगोसियेशन किया तो दूसरी उसको माने नहीं। कोर्ट माने नहीं। रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन को ही माना जावेगा और उसको माना जावेगा जिसके साथ बारगेनिंग होगा और रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन का प्रतिनिधि दस्तखत कर देगा तो सबके लिये लागू होगा। तीन रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स कैसे हो सकती हैं? एक ही हो सकती है। ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट डेवलप नहीं किया है। 15 परसेन्ट मेम्बरशिप हो तो रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन का दावा नहीं कर सकती। किसी का 20 परसेन्ट, किसी का 30 परसेन्ट, जिसका मेक्सिमम नम्बर होगा वही रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन मानी जावेगी। जब आपका इतना ट्रेड यूनियन नहीं फैला है तो आप दो साल के लिये अनचैलेन्जेबल रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन बना दें तो उचित नहीं होगा। 50 परसेन्ट है उसको मानेंगे। लेकिन 15 परसेन्ट पर रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन बन जाती है और जैसी आपने शंका जाहिर की कि एम्पलोयर रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन बना दें तो वह दर्जा ले लेगी और दो साल तक उसको चैलेन्ज नहीं कर सकेंगे। हमारी बदकिस्मती यही रही है कि उस प्रिन्सिपल को नहीं माना है। लेबर फ्रन्ट पर बीस साल से है लेकिन इम्पेक्ट ट्रेड यूनियन पर नहीं होता है।

(श्री पी० के० चौधरी)

छः छः पोलिटिकल पार्टीज़ की यूनियन हैं। कांग्रेस, संविद की, कम्युनिस्ट पार्टी की और जनसंघ की यूनियन हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जनसंघ की कोई यूनियन नहीं है। भारतीय मजदूर संघ का एफिलियेशन किसी पार्टी स नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : जरूरत इस बात की है कि ट्रेड यूनियन डेवलप करें। सेक्शन 9 (जी) और (डी) दोनों ही कान्ट्राडिक्टरी हैं। 50 परसेन्ट को रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन का दर्जा दीजिये न कि 15 परसेन्ट को। जिसकी ज्यादा मेम्बरशिप हो एनी टाइम उसको चैलेन्ज कर सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, टाइम बढ़ा दीजिये।

श्री सभापति : Do you accept the amendment ?

माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। आज का बिजनिस पारित करना है। क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय आधे घंटे के लिये और बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधे घंटे के लिये और बढाया गया।

श्री बृजसन्दर शर्मा : एक्जिस्टिंग प्रोविजन में तब्दिली नहीं की जा रही है।

श्री पी. के. चौधरी : Hon'ble Minister, I am right and the Hon. member is right but you are wrong.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं जो कुछ भी निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है। मान लीजिये कोई झगड़ा आ गया। यह यूनियन नहीं कर सकती और हम रिप्रेजेन्ट कर सकते हैं। उसमें टाइम लिमिट नहीं रहती है कि फिर झगड़े में रहेगी। एक यूनियन बन गयी दो वर्ष तक उसको काम करने दें। टाइम लिमिट लगायी गयी है वह इसी गरज से लगायी गयी है। कभी मालिक ने कह दिया कि इस यूनियन को नहीं मानते हैं। सवाई माधोपुर में क्या होता है। इसको नहीं मानता उसको मानता हूं। दो साल तक तो यूनियन को काम करने का मौका मिले। जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी होगी वह प्रोविजो में आ जावेगी। दो साल तो रेस्ट रहे। वरना दो महीने हुए और फिर झगड़ा। कम से कम दो साल तक तो काम करने का मौका दें। जब मेम्बरशिप नहीं रहेगी तो कैंसिल हो जावेगी।

श्री पी. के. चौधरी : दो साल तक चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं Uuless the Registrar suomoto does.

श्री सभापति : Do you withdraw your amendment, or I should put it to vote ? प्रश्न यह है कि खंड 5 में जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किया था, उसको स्वीकार किया जाये।

(श्री सभापति)

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 के खण्ड 5 को स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

खंड 5 स्वीकार किया गया ।

खंड 6 श्री रामानंद अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खंड 6 में जो संशोधन श्री रामानंद अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है, वह इस प्रकार है ।

केन्द्रीय अधिनियम 14 सन् 1947 की धारा 10 J के पश्चात् जो नई धारा 10 K निविष्ट की जानी है उसकी उपधारा (1) विलोपित की जाकर इस प्रकार प्रतिस्थापित की जाय :—

"(1) Notwithstanding anything contained in the Act, if any application is made on behalf of trade unions representing majority of workers in a particular industry or industrial & commercial establishment to which this Act is applicable, for implementation of the recommendations of a wage board or a Committee appointed by the Central or State Govt. or the decisions of tripartite bodies consisting of employers, employees and the Central or State Govt. awarding certain more benefits to the workmen in the existing terms and conditions of employment the State Government shall by a general or special order make provision for requiring employers, workmen or both to observe for such period as may be specified in the order such terms and conditions of employment as may be determined in accordance with the order :

Provided that such terms and conditions of employment shall in no way be less favourable to the workmen than under the existing terms and conditions of employment."

उसको स्वीकार किया जाये ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड 6 को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड 6 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड 7 व 8 को स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

खंड 7 व 8 स्वीकार किये गये ।

(श्री सभापति)

खंड 9 संशोधन प्रस्ताव । मंत्री महोदय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, चूंकि आर्डिनेन्स पहले इश्यू हो चुका था, इसलिये यह संशोधन करना पड़ रहा है....

श्री सभापति : मैं संदन को पढ़कर सुना देता हूँ ।

वर्तमान खण्ड 9 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये :

"9. Saving--(1) Notwithstanding the lapse of the Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Ordinance, 1969 (Rajasthan Ordinance 13 of 1969) and Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Ordinance, 1970 (Rajasthan Ordinance 2 of 1970) anything done or any action taken by rounder the said ordinances shall be deemed to have been done or taken by or under this Act.

2. The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act 8 of 1955), which shall apply to the expiry of the Laws mentioned in sub-section (1).

3. Notwithstanding anything contained in this Act, no person shall be convicted of an offence under section 30-A of the Principal Act for having committed the same on or after the Twenty Sixth day of February, 1970 and before the day of Publication of this Act."

यह संशोधन खण्ड 9 में माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है । प्रश्न यह है कि इसको स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 संशोधित रूप से स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

खण्ड 9 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया ।

मन्त्री महोदय, खण्ड 1,

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, यह इसको लागू करने के सम्बन्ध में है, यह है ।

(क) वर्तमान खण्ड, उप खण्ड ।

(1) संख्यांकित किया जांय ।

(ख) पुनः संख्यांकित उप खण्ड ।

(1) के पश्चात् उप खण्ड ।

(2) जोड़ा जाय :—

(2) It shall be deemed to have

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

come intoforce on the Twenty Sixth day of February, 1970.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड । में संशोधन स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

खंड । में संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड । को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

खण्ड । संशोधित रूप से स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि प्रिएम्बल, टाइटिल इत्यादि स्वींकार किये जायें ।

(स्वीकृत)

प्रिएम्बल, टाइटिल इत्यादि स्वीकार किये गये ।

मन्त्री महोदय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को पारित किया जाये ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को, जैसा कि संशोधित किया गया है, पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को जैसा कि संशोधित किया गया है, संशोधित रूप से पारित किया गया ।

सहयोग के लिये धन्यवाद ।

मजदूरी संदाय (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969.

श्री सभापति : एक दूसरा बिल और है । इसमें कोई संशोधन नहीं है और यह बिल ऐसा है कि कोई कोर्ट फी नहीं देनी पड़ेगी । मजदूरों को जो देनी पड़ती है वह न देनी पड़े । फैसला होने के बाद जो मालिक पर डिग्री होगी वह फी उससे वसूल की जायेगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को बाधा भी नहीं होगी । इसलिये सदन की अनुमति से यह रख देता हूं । मन्त्री महोदय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मजदूरी संदाय (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री सभापति : प्रश्न यह हैं कि मजदूरी संदाय, (राजस्थान संशोधन) बिधेयक, 1969 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृति दी गई)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मजदूरी संदाय (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969 को पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मजदूरी संदाय (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बज कर 35 मिनिट पर दिनांक 9 अप्रैल, 70 प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 589 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

सूची

क्र०सं०	मिसल नं०	खरीददार का नाम	उपनगर	प्लाट नं०	रकबा ब० ग०	विक्रय रकम
1	2	3	4	5	6	7
1	56–1969	श्री महेन्द्रसिंह वल्द गोविन्दसिंह	तिलकनगर	116	375	847–75
2	57/ ,,	,, फूलचन्द हस्तीमल ,, ,,	,,	24	600	1354
3	58/ ,,	,, गोबिन्दराम रामकरण	,,	70	300	679–00
4	59/ ,,	,, लक्ष्मीशंकर बी० एल० ओझा	,,	17	700	1354–00
5	60/ ,,	,, आशारानी जोज डाक्टर इन्द्रसेन	,,	46	600	1354–00
6	61/ ,,	श्रीमती शान्ति माथुर पुत्री दयामाथुर	,,	19	600	1354–00
7	62/ ,,	श्री श्यामलाल सेवाराम	,,	100	300	679–00

1	2	3	4	5	6	7
8	63/ ,,	,, श्यामलाल मांगीलाल	,,	52	300	679-00
9	64/ ,,	,, रामाग्रवतार तुलसीराम	,,	158	600	1354-00
10	65/ ,,	,, सौमदत्त सरदार मजली	,,	96	300	679-00
11	66/ ,,	,, नोजी जोजे मूलाजो	,,	55	300	679-00
12	67/ ,,	,, तेजसिंह भूरसिंह	,,	102	306	,,
13	68/ ,,	,, सूरजप्रकाश दौलतराम	,,	72	,,	,,
14	69/ ,,	,, श्रीमती कलादेवी रवीलाल	,,	20	600	1354-00
15	70/ ,,	,, शंकरसिंह कुन्दनसिंह	,,	121	375	847-75
16	71/ ,,	श्रीमती सावत्रीदेवी जोजे वदरीप्रसाद	,,	107	375	,,
17	72/ ,,	श्री गोरधनदास राजातल जी	,,	67	300	679-00
18	73/ ,,	,, मांगीलाल शिवदत्त जी	,,	27	600	1354-00
19	74/ ,,	,, दयाकिशन ग्रमरनाथ जी	,,	78	300	679-00
20	05/ ,,	,, गणपतलाल बालूराम	,,	22	600	1354-00
21	77/ ,,	,, मदनगोपाल वल्द शंकरलाल ग्ररोडा	,,	94	300	679-00
22	78/ ,,	,, रामचन्द्र राधाकिशन	,,	28	300	,,
23	79/ ,,	,, हंसराज वल्द लजी	,,	118	375	847-75
24	80/ ,,	श्रीमती जमुना जोजे बी० ग्रार० विश्नोई	,,	81	300	687-00
25	81/ ,,	श्री गोविन्दलाल वरदीराम	,,	62	300	,,
26	82/ ,,	,, मुकनमल वल्द केवलमल	,,	29	600	1354-00

1	2	3	4	5	6	7
27	83/ ,,	श्रीमती शारदा पुत्र हरीवल्लभ जी	,,	131	600	,,
28	84/ ,,	,, मोहनीदेवी जोजे शिवदत्तजी	,,	137	,,	,,
29	85/ ,,	श्री गुलाबपुरी भभूतपुरी	,,	111	370	847–75
30	86/ ,,	,, सुरेशचन्द्र वल्द हणवतराज	,,	67	300	649–00
31	87/ ,,	,, वदरीलाल निरीक्षक आडिट	,,	15	600	1354–00
32	88/ ,,	,, विजयसिंह दलपतसिंह	,,	30	600	1304–00
33	89/ ,,	,, ओमप्रकाश किरतलाल	,,	10	,,	,,
34	90/ ,,	,, हीरालाल गुलाराम	,,	18	600	1354–00
35	91/ ,,	,, ललिता ओमें सुरजराम	,,	48	,,	,,
36	92/ ,,	,, चन्द्रकान्त दोलतगल	,,	117	375	807–35
37	93/ ,,	,, चन्द्रप्रकाश जुगलकिशोर	,,	130	600	1354–00
38	94/ ,,	,, श्री ज्योतिप्रकाश कालूलाल	,,	123	375	847–75
39	95/ ,,	,, ,, रामेश्वर राधावल्लभ	,,	134	600	1354–00
40	96/ ,,	,, ,, इब्राहीम करीमनी	,,	56	300	679–00
41	97/ ,,	,, ,, जवानसिंह मगनसिंह	,,	44	600	1354–00
42	98/ ,,	,, ,, गुमानसिंह फतेहसिंह	,,	119	375	847–75
43	99/ ,,	,, ,, प्रभा जोजे विजयचन्द्र	,,	82	300	679–00
44	100/ ,,	,, मुरलीधर मन्नालाल	,,	63	300	,,
45	101/ ,,	,, देवीचंद भेरूलाल	,,	61	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
46	102/ ,,	,, मनोहरलाल मांगीलाल	,,	43	600	1354–00
47	103/ ,,	,, श्री जेठमल ज्ञानचन्द स्वरूप	,,	11	,,	,,
48	105/ ,,	,, गंगाकिशन रामकिशन	,,	136	,,	,,
49	105/ ,,	,, शिवराज पेमाराम	,,	113	375	847–00
50	106/ ,,	,, गिरधारीलाल रामपाल	,,	135	600	1354–00
51	107/ ,,	,, किरणमल शंभूमल	,,	86	300	679–00
52	108/ ,,	,, बरुटलाल राधावल्लभ	,,	133	600	1354–00
53	109/ ,,	,, रघुवीरसिंह शिवदानसिंह	,,	33	,,	,,
54	110/ ,,	,, श्री धनराज चुन्नीलाल	,,	122	975	847–75
55	111/ ,,	,, मोहनलाल रामजी	,,	132	600	1354–00
56	112/ ,,	,, मदनलाल भूरामराम	,,	90	300	870–00
56	113/ ,,	,, सोमागमल दुलीचन्द	,,	32	600	1354–00
58	114/ ,,	,, सज्जनकुमारी जोजे बी० सी० माथुर	,,	129	,,	,,
59	115/ ,,	,, गिरधारीलाल ताराचन्द	,,	72	300	679–00
60	116/ ,,	,, रामस्वरूप रामप्रसाद	,,	99	300	,,
61	117/ ,,	,, लक्ष्मीनारायण रामेश्वर	,,	21	600	1354–00
62	118/ ,,	,, श्री चेतनकुमार कुम्भाराम	,,	88	300	679–00
63	119/ ,,	,, मांगीलाल सुन्दरलाल	,,	23	600	1354–00

Page No 163

1	2	3	4	5	6	7
64	120/ ,,	,, श्री गणपतलाल किशदलाल	,,	89	300	679-00
65	121/ ,,	,, मेघराज़ चंपालाल	,,	11	375	847-75
66	122/ ,,	,, चैनमल भभूतमल	,,	98	300	679-00
67	123/ ,,	,, प्रकाशमल सायरचन्द	,,	34	600	1354-00
68	124/ ,,	,, आईदान लच्छूरामजी	,,	45	600	1354-09
69	125/ ,,	श्री किशनलाल सेवाराम	,,	101	300	689-00
70	126/ ,,	,, नेनजी हीरा	,,	84	,,	,,
71	127/ ,,	,, रूपसिंह घोकलसिंह	,,	53	,,	,,
72	128/ ,,	,, छेली जोजे मुरलीधर जी	,,	37	600	1354-00
73	129/ ,,	,, उमरचन्द चौरूलाल	,,	180	375	847-00
74	130/ ,,	,, प्रहलादराज कुशलदास	,,	93	300	679-00
75	131/ ,,	,, देवी जोजे मदनलाल	,,	134	375	847-75
76	132/ ,,	,, नेमीचन्द शंभूमल	,,	87	300	679-00
77	133/ ,,	,, शीतलाल चंपालाल	,,	85	,,	,,
78	134/ ,,	,, गणेशलाल भैरूंलाल	,,	64	,,	,,
79	135/ ,,	,, शिवलाब दुर्गालाल	,,	140	600	1354-00
80	136/ ,,	,, देवनारायण शिवलाल	,,	75	300	679-00
81	137/ ,,	,, दिग्विजय बसंतलाल	,,	95	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
82	138/ ,,	,, आशकरण नथमलजी	,,	41	600	1354-00
83	139/ ,,	,, पारसमल चंपालाल	,,	74	300	1354-00
84	140/ ,,	,, कमला जोजे एम० एम० मोहनोत	,,	47	600	1354-00
84	141/ ,,	,, मोग़रमजान दीदारवक्ष	,,	57	300	679-00
86	/ 63	,, सुमराम भंडारी	,,	127	600	1354-00
87	75/ 69	,, मोहनसिंह देवीसिंह	,,	106	375	847-75
88	152/ ,,	,, अजीतसिंह नारायणसिंह	,,	42	600	1354-00

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 592 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची)

Appendix-'A'.

Statement showing the Staff Admissible as per Staffing Petterns and the Staff Existing at Present in the Balotra Sub-Division.

S No.		No. of posts admissible as per staffing petterns.	Staff Existing
1	2	3	4
1.	Asstt. Engineer	1	1
2.	Junior Engineer	3	3
3.	Account Clerk	1	—
4.	Upper Division Clerk	2	—
5.	Lower Division Clerk	13	13
6.	Class IV	6	4
7.	Bill Distributor	3	3
8.	Meter Reader	3	—
9.	Wire Men II	4	—
10.	Line Men I	2	—
11.	Line Men II	12	1
12.	S. S. A. II	2	—
13.	S. S. A. III	6	—
14.	Estimater	3	—
15.	Artisan II	3+3=6	—
16.	Helper I	20+7=27	10

Page No 166

1	2	3	4
17.	Helper II	20+12=32	20
18.	Casual	12	107
19.	Driver II	11	5
20.	Fireman II	3	1
21.	S. B. A. III	1	—
22.	Filter II	3	1
23.	Electrician II	2	1
24.	Driver I		4
25.	S. B. A. III		2
26.	Fitter I		1
27.	Electrician I		1
28.	Mechanic		1
29.	Chowkidar		3
30.	Work Charge		36
		168	218

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं 258 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची)

वर्ष	खर्चा
1958–59	3,829
1959–60	1,321
1960–61	39,154
1961–62	1,26,525
1962–63	1,26,581
1963–64	13,223
1964–65	29,466
1965–66	47,605
1966–67	52,850
1967–68	72,339
1968–69	88,045
1969–70 (फरवरी 1970 तक)	81,739
योग	6,82,677

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 296 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची)

क्र. सं.	केस नम्बर	अपराध अन्तर्गत धारा	पंजीबद्ध की दिनांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
१	61/62	161 भा. द. स. व 5(1)(डी)(2) पी. सी. एक्ट	7-8-62	श्री जसवन्तसिंह उप निरीक्षक आरक्षी व श्री गिरधारीलाल खण्डेलवाल, निरीक्षक आरक्षी सुमेरपुर, जिला पाली	विचाराधीन है
2	51/64	,, ,, ,,	30-7-64	श्री देवराज, उप-निरीक्षक आरक्षी, व श्री वैशाखासिंह, उप-अधीक्षक आरक्षी, जोधपुर।	,,
3	21/68	5(1)(डी)(2) पी. सी. एक्ट	6-4-68	श्री विनोदचन्द चतुर्वेदी, थानेदार, थाना भीमगंज मन्डी कोटा।	,,
4	26/68	161 भा. द. सं. व 5(1)(डी)(2) पी. सी. एक्ट	7-4-68	श्री नाथूराम उप-अधीक्षक आरक्षी, जालौर।	,,

1	2	3	4	5	6
5	35/68	161/165 ए/218/120 बी भा. द. सं. व 5(1)(डी)() पी. सी. एक्ट	15–5–68	श्री जमील अहमद काजी उप-अधीक्षक आरक्षी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, अजमेर व श्री मोड़सिंह थानेदार।	विचाराधीन है
6	6/63	161 भा. द. सं. व (5)(2) पी. सी. एक्ट		श्री गुरुचरण दास चढ्ढा, पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।	न्यायालय में विचाराधीन है।
7	39/68	161 भा. द. सं. व 5(1)(डी) (2) पी. सी. एक्ट	9–1–69	श्री शोभरणसिंह, अभिभाषक, अलवर।	,, ,,

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 319 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

सूची दिनांक 12 - 2 - 70 को ग्राम सोनगर तहसील गंगरार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को भूमि आंबटन की गई उसकी]

क्रम सं०	नाम व्यक्ति	खा. नं.	रकबा (बीघा में)
1	2	3	4
1	श्री चुन्नीलाल पिता भेदराम मीणा, लक्ष्मीपुरा	3	10)
2	,, छोगा पिता नन्दा चमार, सोनगरा की खेड़ी	221	5)
3	,, घीसा पिता भेरू भील, ,,	80	8)
4	,, भेगा पिता नारू भील, सोनगर	27/2	10)
5	,, मंगनीराम पिता गणेश खटीक ,,	,,	5)
6	,, भेरू पिता नाथू बलाई ,,	,,	5)
7	,, मगना पिता उदा बलाई ,,	97/1	5)
8	,, देवा पिता हेमा बलाई ,,	,,	5)
9	,, कसना पिता उदा बलाई ,,	97/2	5)
10	,, देवा पिता भेरू जी मीणा, लक्ष्मीपुरा	3	10)
11	,, हरीराम पिता देवा मीणा ,,	3	10)
12	,, काना पिता हजारी मीणा ,,	3	5)
13	,, मोहन पिता रामा मीणा ,,	3	0)
14	,, राम पिता जेसिंह ओडव दही खेड़ा	74/2	10)
15	,, भोजा पिता जयसिंह ओड़ ,,	,,	10)
16	,, लखमा पिता पिथा मीणा हारिया खेड़ी	,,	10)
17	,, हजारी पिता केडा मीणा ,,	,,	5)
18	,, नागा पिता पिथा मीणा ,,	,,	8)
19	,, श्यामा पिता पन्ना चमार गोसुन्डी	166	5)
20	,, जयराम पिता भूरा चमार दुबाड़ा	74/2	5)

1	2	3	4
21	,, गोमा पिता जयराम ओड़ दही खेड़ा	7 5/2	10)
22	,, नालू पिता नारू भील लक्ष्मीपुरा	3	5)
23	,, मांगीलाल पिता लक्ष्मण खटीक बस्सी	1	5)
24	,, सोहनलाल पिता नाथू खटीक ,,	1	5)
25	,, मगनलाल पिता नाथू खटीक ,,	1	5)
26	,, कन्ना देवा भील गोसुन्डी	166	10)
27	,, दीपा पिता नाथू रेगर बस्सी	97/1	4)
28	,, माना पिता रूपसिंह ओड़व दहीखेड़ा	74/2	10)
29	,, जरीनी पिता रामा कंजर नि. बस्सी	1	10)
30	,, हजारी पिता बालू बलाई ,,	97/1	4)
31	,, रामपाल पिता मोती मोची ,,	,,	4)
32	,, कस्तूरचन्द पिता सोनस मोची ,,	,,	4)
33	,, मूलचन्द पिता गोमा सोनगर	97/1	4)
34	,, नारू पिता रामा मोची बस्सी	97/2	4)
35	,, मदनलाल पिता रामलाल मोची बस्सी	,,	4)
36	,, गोमा पिता रामा चमार ,,	221	5)
37	,, कासीराम पिता नाथूजी चमार ,,	87	5)
38	,, माधू पिता गणेश कंजर ,,	1	8)
39	,, मेरू पिता नारू बलाई ,,	97/2	4)
40	,, चेनराम पिता हीरालाल वेला ,,	,,	4)
41	,, देवीलाल पिता गणेश चमार ,,	,,	4)
42	,, नन्दलाल पिता रतना बलाई ,,	,,	4)
43	,, नन्दलाल पिता श्रीकिसन बलाई ,,	97/2	4)
44	,, बालू पिता रतना खटीक ,,	99/1	4)
45	,, लादूलाल पिता मोती मोची ,,	,,	4)
46	,, जगन्नाथ पिता रामा खटीक ,,	,,	4)
47	,, मोहनदास पिता गुलाब हरीजन ,,	,,	4)
48	,, होकमा पिता हेमा रेगर ,,	97/2	5)
49	,, गिरधारी पिता रतन खटीक ,,	97/1	5)
50	,, देवी पिता देवाजी खटीक ,,	,,	5)
51	,, गोपी पिता नाथू खटीक ,,	,,	5)

1	2		3	4
52	,, किसोर पिता नन्दा मीणा	लछमीपुरा	3	5)
53	,, देबी पिता गोकल खटीक	बस्सी	99/1	5)
54	,, ऊंकाय पिता माना खटीक	,,	,,	5)
55	,, कन्हैयालाल पिता चम्पालाल खटीक	,,	,,	5)
56	,, मोहनलाल पिता चम्पालाल खटीक	,,	,,	5)
57	,, देवीलाल पिता नाथू खटीक	,,	,,	5)
58	,, उदा पिता लछमण खटीक	,,	,,	5)
59	,, भैरू पिता नाथू खटीक	,,	97/2	4)
60	,, भूरा पिता गंगाराम खटीक	,,	,,	4)
61	,, नानू पिता देवा खटीक	,,	97/1	4)
62	,, काना पिता रूपा रेगर	,,	97/2	4)
63	,, नानू पिता उदा नट	,,	97/1	4)
64	,, माधूदास पिना चुन्नीदास बलाई	,,	,,	4)
65	,, मगनालाल पिता उदा बलाई	,,	78	4)

Page No 173

परिशिष्ट 6

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये लाने वाले तारांकित प्रश्नों के उत्तर)

अकाउन्टेन्ट्स का सलेक्शन

595. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत् मण्डल द्वारा अकाउन्टेन्ट्स के सिलेक्शन हेतु कमेटी बैठाई गई थी और उस कमेटी द्वारा अकाउन्टेन्ट्स का सिलेक्शन किया गया था जिसमें गिरधारीलाल कौशिक, प्रथम नम्बर पर सिलेक्ट हुए थे, श्री एस. एल. जोशी लिस्ट में 10 वें नम्बर पर थे, श्री कन्हैयालाल 20 नम्बर पर तथा श्री एम. एम. ग्रोवर का नम्बर 27 वां था ?

(2) क्या सही है कि उक्त अकाउन्टेन्ट्स की लिस्ट में से बाद में असिस्टेन्ट अकाउन्ट्स आफिसर्स तथा अकाउन्टेन्ट्स आफिसरों के पदों पर प्रमोशन बिना किसी सिनियोरिटी के ध्यान में लाकर किए गए हैं।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रमोशन के लिए एक्जामिनेशन का प्रावधान किया गया था लेकिन कोई एक्जामिनेशन नहीं लिए गये और एडॉहॉक प्रमोशन कर दिए गए ?

(4) क्या यह सही है कि प्रमोशन के सम्बन्ध में बोर्ड के इन आर्बीट्ररी डिसीजन्स के खिलाफ बहुत से लोगों की सीनियोरिटी मारी गई जिन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किए हैं लेकिन बोर्ड ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ?

उत्तर

(1) जी हां।
(2) जी नहीं।
(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) मण्डल ने असिस्टेंट अकाउन्ट्स आफीसर्स के प्रमोशन को प्रावधान किया था व परीक्षा दिनांक 18-9-1964 को फिक्स की थी परन्तु कोई भी कर्मचारी इस में नहीं बैठा। अत: समय-समय पर काम चलाने हेतु अस्थाई प्रमोशन किये गये जिसमें श्री गिरधारीलाल कौशिक भीशामिल है।

मण्डल में सीधी भर्ती के अलावा समय-समय पर काम चलाने हेतु अस्थाई प्रमाशन किये गये जिससे सिनियोरिटी नहीं मारी गई है मण्डल ने लेखाकारों की एक अस्थाई सिनियोरिटी लिस्ट निकाली, उस पर आये रिप्रेजेन्टेशन पर विचार करके फाइनल लिस्ट भी निकाल दी है।

सुरक्षित भू-खण्डों का आवंटन

596. **श्री जयनारायण** (लसाड़िया): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर एवं उदयपुर के नगर सुधार न्यास द्वारा अब तक कितनी आवास योजनाऐं बनाई गई हैं और उनमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत के हिसाब से कितने भू-खण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं ?

(2) गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में जयपुर नगर सुधार-न्यास द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को आवास हेतु कितने भू-खण्ड आवंटित किये गए ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(3) गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में जयपुर में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को छोड़कर अन्य वर्गों के लोगों को आवास हेतु कितने भू-खण्ड आवंटित किए गए ?

(स्थगित किया गया)

भूमि अतिक्रमण के मामले

597. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि राज्य के आदेश व कानूनों के बावजूद भी देहातों में भूमि अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(2) सांगोद तहसील के ग्राम कांगला व विनोद खुर्द में क्या अतिक्रमणकारियों द्वारा नदी के किनारे मवेशियों के चरने व पानी पीने को आने जाने के रास्ते व दूसरी सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है ? यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों ने व कितने क्षेत्र में ? इन्हें बेदखल करने की क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या सरकार आगे के लिए अतिक्रमणकारियों को रेग्यूलराइज करने का आदेश फिर से जारी नहीं कर देगी ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-3-69 को राज्य में अतिक्रमण के मामले 2, 24, 268 विचाराधीन थे, जब कि दिनांक 28-2-70 को यह संख्या घटकर 1, 71, 390 रह गई है। अतः यह स्पष्ट है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और स्थिति में पहले से सुधार हुआ है।

(2) जी हां, तहसील सांगोद के ग्राम कांगनियां में सम्वत् 2025-26 में 31 व्यक्तियों ने 35 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर व ग्राम विनोद खुर्द में 16 व्यक्तियों ने 33 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिनको बेदखल करने की कार्यवाही जारी है। मवेशियों के चरने व पानी पीने के लिये आने जाने का रास्ता चालू है।

(3) ऐसा प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बूंदी में प्रदर्शन

598. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली):

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बूंदी में दिनांक 21-4-1969 की रात्रि को जहां पर कवि सम्मेलन समारोह हो रहा था उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे वहां कोई प्रदर्शन किया गया था ? यदि हां, तो यह प्रदर्शन क्यों किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि प्रदर्शनकारियों की शिकायतें मंत्री महोदय ने नहीं सुनकर पुलिस द्वारा जनता की उचित मांग को भी उग्र भीड़ का स्वरूप देखकर तितर बितर करने के लिये अश्रु-गैस छोड़ा और लाठी चार्ज किया ?

(3) जनता पर अश्रु गैस का प्रयोग व लाठी चार्ज करने के आदेश किसके द्वारा दिया गया था और लाठी चार्ज में कितने आदमियों के चोट आई ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सत्य है कि जनता अपनी उचित मांग को मनवाने के लिये जिलाधीश के निवास स्थान पर गयी थी पर वहां पर भी कोई सन्तोष-जनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ?

उत्तर

1. बूंदी में दिनांक 21-4-69 को कोई कवि सम्मेलन नहीं हुआ। दिनांक 21-5-69 को रात्रि में हुआ था। उसमें श्री बृजसुन्दर शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान मौजूद थे और वहां प्रदर्शन भी किया गया था। प्रदर्शनकारी कवि सम्मेलन का विरोध कर रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि इस प्रकार कवि सम्मेलन हो। दूसरे उनके द्वारा भूतपूर्व अधीक्षक आरक्षी मण्डल बूंदी पर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा श्री जगसिंह आरक्षी के साथ मारपीट किये जाने व इसके बाद भी उसका उपचार न होने देने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी।

2. यह सही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान ने दिनांक 20-5-69 को प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा सारी बातचीत सुनी थी और उचित जांच करवाने का आश्वासन दे दिया था। इस पर भी दिनांक 21-5-69 को प्रदर्शनकारी एक मशाल जलूस कवि सम्मेलन के स्थान पर लेकर आये और कवि सम्मेलन के स्थान पर प्रवेश करना चाहा। जब पुलिस द्वारा मशाल जलूस को कवि सम्मेलन के स्थान पर प्रवेश होने से द्वार पर रोका गया, तो जलूस ने उग्ररूप धारण कर लिया और पुलिस पर भारी पथराव भीड़ द्वारा किया गया। इस पथराव में 43 पुलिस अधिकारियों के चोटें पहुँची जिस पर एस० डी० एम० साहब बूंदी ने इस जलूस की भीड़ को गैर कानूनी घोषित करके तीतर बीतर हो जाने का आदेश दिया। इस पर भी जलूस की भीड़ द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और बुरी तरह पथराव जारी रहा तो एस० डी० एम बूंदी ने पहिले गैस का प्रयोग करने का आदेश पुलिस को दिया। अश्रु गैस का भी भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ तो एस० डी० एम० बूंदी ने भीड़ को तीतर बीतर करने हेतु हल्का लाठी प्रहार किये

(गृह मंत्री)

जाने के आदेश दिये जिस पर हल्का लाठी प्रहार किया गया था।

3. अश्रु गैस का प्रयोग व लाठी चार्ज करने के आदेश एस० डी० एम०, बूंदी द्वारा दिये गये थे। लाठी चार्ज में निम्नलिखित व्यक्तियों के चोटें आई थी—

(1) श्री बिहारीलाल ।
(2) ,, रघुनन्दन ।
(3) ,, रामावल्लभ ।
(4) ,, भंवरलाल ।
(5) ,, सत्यनारायण ।
(6) ,, वीरकुमार ।
(7) ,, युधिष्ठरसिंह
(8) ,, घनश्यामलाल लाडला ।
(9) ,, महावीर
(10) ,, नन्दबिहारी
(11) ,, तिलकराज ।
(12) ,, रामकल्याण

4. यह सही है कि एक जन समूह एस० पी० को बरखास्त करने की मांग को लेकर जिलाधीश के निवास स्थान पर गया था और जिलाधीश ने इस मांग के लिए राज्य सरकार को निवेदन कर देने का आश्वासन दिया था।

5. जी नहीं।

कृषि फ़ार्म उम्मेदगंज के मजदूरों को सहायता

599. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि फार्म उम्मेद गंज जिला कोटा में कितने मजदूर कार्य करते हैं और उनके रहने के लिये कृषि फार्म की ओर से क्या व्यवस्था है ? यदि नहीं है, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि फार्म के मजदूरों के रहने की घास की झोंपड़ियों में गत वर्ष मध्य रात्रि को आग लगी ? यदि हाँ, तो कितनी झोंपड़ियां जल कर भस्म हो गई ? इन झोंपड़ियों को बने कितने दिन हो गये थे तथा कितने परिवार इन में निवास करते थे ?

(3) झोंपड़ियां जलने के सम्बन्ध में जांच किसने की और कब, और अब तक किस-किस परिवार को कितनी-कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई ? यदि नहीं, तो दी गई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) साधारणतया 30 से 35 अस्थाई मजदूर कार्य करते हैं तथा पीक सीजन में इनकी संख्या 100 से 150 तक हो जाती है। स्थाई श्रमिकों के लिये आवास गृह व अस्थाई के लिये झोंपड़ियों का प्रबन्ध है।

(2) जी हाँ। 27 झोंपड़ियां जल गई। इनको बने पांच वर्ष हुऐ तथा इनमें 17 परिवार निवास करते थे।

(3) झोंपड़ियां जलने की जांच की गई थी और इसका सत्यापन तहसीलदार लाडपुरा ने किया। जिला कार्यालय द्वारा 150) रु० की राशि वितरण करने के लिये विकास अधिकारी लाडपुरा को स्वीकृति दी गई।

गोलबाग स्कीम में प्लाटों का आवंटन

600. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट भरतपुर की गोल बाग स्कीम में पिछले कई साल से लोगों के आवेदन-पत्र प्लाटों के आवंटन हेतु पड़े हैं ? यदि हाँ, तो साल वार सूची सदन की टेबिल पर रखी जाये ?

(2) क्या यह सही है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भरतपुर द्वारा प्रार्थना-पत्र को आवंटन करने हेतु मांगे गये थे ? यदि हाँ, तो अब प्लाट क्यों नीलाम किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हाँ। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हाँ। गोलबाग स्कीम में आवंटन दिये जाने वाले प्लाट नीलामी द्वारा न्यास ने विक्रय नहीं किये हैं।

नगर सुधार न्यास भरतपुर में पड़े आवेदन पत्रों की सूची।

वर्ष	आवेदन पत्र
66–67	5
67–68	95
68–69	73
69–70	38
	योग 211

सड़क संकेत बोर्डों की खरीद

601. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली, जोधपुर, चित्तौड़, जालौर (आदि) जिलों के लिये, विभाग द्वारा 'सड़क संकेत बोर्ड' बनवाये गये थे ? अगर हाँ, तो कितने बोर्ड बनवाये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त बोर्ड सप्लाई करने हेतु टेन्डर मांगे गये थे ? अगर हाँ, तो कितने टेन्डर विभाग के पास आये, व किस-किस फर्म व ठेकेदार ने दिये व उनकी रेट क्या थी ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त बोर्ड एक ही फर्म द्वारा सप्लाई किये गये थे ?

(4) क्या यह सही है कि जिस फर्म से माल खरीदा गया है उसके लोएस्ट टेन्डर नहीं थे ?

(5) क्या यह सही है कि जो माल सप्लाई किया गया वह माल टेन्डर में लिखी शर्तों के मुताबिक नहीं था ?

(स्थगित किया गया)

बंजड़ काबिल काश्त भूमि का आवंटन

602. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले की तहसील छीपाबड़ोद के अन्तर्गत आने वाली घास बीड़ जैसे उतावली की बड़ी लीड काजल्या नाथद्वारा बांसखेड़ी

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
आदि जो बंजड काबिल काश्त है को सरकार भूमिहीन काश्तकारों का अलोट करना चाहती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

तहसील छीपाबड़ोद की बीड़ घास उतावली की बड़ी बीड़, काजल्या, नाथद्वारा, बीड़ बांसखोदसी की कुछ भूमि काबिल काश्त है जिसको आवंटन करने का प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मेड़ता में बिजली की व्यवस्था

603. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता नगरपालिका पावर हाउस द्वारा करीब 1 माह पूर्व से रात को रोड़ लाइट नहीं जलाई जाती जिससे सड़कों पर अन्धेरा रहता है ?

(2) क्या यह सही है कि घरों में भी रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली बन्द रहती है ?

(3) क्या यह सही है कि पावर की कमी के बावजूद भी मशीनों व चक्कियों के लिये पावर दी जा रही है एवं नये कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो गत 1 माह में जिन लोगों को कनेक्शन दिये उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) बिजली के बारे में मेड़ता के नागरिकों की परेशानी के लिये कौन जिम्मेदार है ?

(5) क्या यह सही है कि लगातार 3 वर्षों से सरकार का ध्यान स्थानीय पावर हाउस की दुर्दशा की ओर आकर्षित किया जाता रहा है फिर भी जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(स्थगित किया गया)

मीटर टेस्टिंग कार्य

604. **श्री गङ्गासहाय** (कठूमर सु.) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व जिन किसानों के बिजली के मीटर खराब हो जाते थे उनके स्थान पर नये मीटर लगवाने पर मीटर टेस्टिंग अलवर ही में हो जाया करता था ?

(2) क्या सही है कि आजकल इस मीटर टेस्टिंग का कार्य अलवर से हटाकर जयपुर कर दिया गया है ? क्या इस व्यवस्था से किसानों को असुविधा नहीं होगी ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हां। कोई असुविधा नहीं होनी चाहिये।

सब-इन्सपेक्टरों की नियुक्ति

605. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 1966 के

(श्री श्रवणलाल)

रूल्स जारी होने के बाद में कितने सब-इन्सपेक्टर (एस. आई.) सीधी भर्ती के द्वारा और कितने विभागीय लिये गये हैं ?

(2) क्या इनकी सीनियरिटी लिस्ट रेन्ज वाईज विभाग के पास है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सच है कि समस्त ऐसे लोगों को जिन्होंने सब-इन्सपेक्टर की ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है उन्हें प्रमोशन न देकर उन्हें अवनत किया गया है ?

(4) क्या यह भी सच है कि अनट्रेन्ड लोग जिन्होंने उक्त पद के लिये ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की इस पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(5) क्या उपरोक्त पदोन्नति के विभागीय नियम हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

ग्राम खेड़ी में भूमि का आवन्टन

606. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के ग्राम खेड़ी के तन में खसरा नं० 124 रकबा 50 बीघा भूमि का सन् 1968 में सरपंच व तहसीलदार द्वारा आवन्टन किया गया था ?

(2) क्या उक्त आवन्टन के बाबत आवन्टन सलाहकार समिति के अन्य सदस्यों को भी सूचना दी गई थी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि पुलिस इन्सपेक्टर श्री देवीदत्त शर्मा व उनके भाई श्री ओमप्रकाश के नाम पर 15-15 बीघा व 20 बीघा तहसीलदार के सगे भाईयों के नाम पर आवन्टन की है ? अगर हाँ, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त आवन्टन की बाबत प्रधान पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ ने राज्य सरकार को शिकायत की है ? अगर हाँ, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त भूमि चरागाह में से थी जिसमें हजारों की संख्या में कैर के वृक्ष थे ? यदि हाँ, तो क्या उनकी रकम नियमानुसार सरकारी खजाने में जमा हुई है ? अगर नहीं, तो रकम क्यों नहीं जमा कराई गई ?

(6) क्या सरकार उक्त नाजायज आवन्टन को रद्द कर दोषी अधिकारिकों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हाँ. आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों को इस आवंटन के बाबत सूचना दी गई थी।

(3) ग्राम खेड़ी के तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 124 (रकबा 50 बीघा)

(राजस्व मंत्री)

आवन्टन सलाहकार समिति द्वारा निम्न व्यक्तियों को आवन्टित की गई थी :—

(1) श्री देवीदत्त शर्मा सर्किल आफिसर पुलिस 15 बीघा फतेहपुर।

(2) श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री जयनारायण जांगीड़ ब्राह्मण निवासी रिवाली तहसील बहरोड़ हाल फतेहपुर। 15 बीघा

(3) श्री महावीरप्रसाद पुत्र श्री देवीदत्त निवासी राधाकिशनपुरा तन सीकर—5) बीघा।

(4) श्री रघुवीरप्रसाद पुत्र श्री देवीदत्त शर्मा, निवासी राधाकिशनपुरा तन सीकर—15 बीघा।

ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(5) यह भूमि रेकार्ड में (बंजड़ जोहड़) दर्ज थी इसकी किस्म बारानी में तब्दील करदी गई थी। कैर के वृक्षों की कोई किमत सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई है।

(6) नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ठेकेदारों को दी गई गाड़ियाँ

607. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बोर्डर रोड प्रोजेक्ट में क्या सरकार द्वारा सरकारी कोटे से फर्मों से नई जीप ट्रक एवं ट्रेक्टर बोर्डर रोड प्रोजेक्ट के ठेकेदारों को वेची गई या किराये पर दी गई थी ? यदि हां, तो किस ठेकेदार को कब कब कौन कौन सी गाड़ी, ट्रक या ट्रेक्टर दिये गये, एवं किन किन शर्तों पर ? प्रत्येक ठेकेदार का नाम व्हीकलस् व शर्तों के विवरण की सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या बोर्डर रोड प्रोजेक्ट में मिलिटरी डिस्पोजल की कोई गाडियां इन ठेकेदारों को दी गई थीं ? यदि हां, तो गाड़ी का विवरण, देने की तारीख व ठेकेदार का नाम मय वल्दियत, कोमियत व सकूनत दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त प्रश्न के भाग (1) व (2) में अंकित व्हीक्लस में से किस-किस व्हीक्लस ने किस-किस सड़क पर काम दिया ? क्या इस बावत कोई रेकार्ड सरकार के पास उपलब्ध है ? यदि नहीं तो सरकारी मदद देने में ऐसी शर्त की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) बोर्डर रोड परियोजना में सरकार द्वारा नई जीप, ट्रक, ट्रेक्टर आदि मशीनें खरीद कर ठेकेदारों को परियोजना के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिये हायर परचेज (पेची) पर दी गईं तथा हायर (किराये) पर दी गई उनकी सूची व (1) और अ (11) संलग्न हैं इन सूचियों में प्रत्येक मशीन का विवरण ठेकेदार को देने की तारीख, कीमत अथवा प्रतिदिन किराये की दर व जिस काम के लिये दी गई दिखलाया गया है, इन

(सार्वजनिक नि. मंत्री)

ठेकेदारों से अनुबन्ध हायर परचेज (बेचने) पर देने के लिये और हायर (किराये) पर देने के लिये किये गये उनके प्रारूप संलग्न है।

(2) बोर्डर रोड परियोजना में सरकार द्वारा मिलिट्री डिसपोजल की गाड़ियां जो ठेकेदारों को परियोजना के कार्य शीघ्र पूरा कराने के लिये हायर परचेज (बेची) पर दी गई तथा हायर (किराये) पर दी गई उनकी सूची ब (1) और ब (11) संलग्न है। इस सूचियों में गाड़ी के ठेकेदार को देने की तारीख व ठेकेदार का नाम दिखाया गया है। यह गाड़ियें दिल्ली केन्ट से टी. एम बी. डिस्पोजल 4 × 4 ट्रक गाड़ियों तारीख 9-12-66 को तथा मेरठ व दिल्ली केन्ट से बोर्ड व रोवलेट डिस्पोजल 4 × 4 ट्रक गाड़ियाँ क्रमशः तारीख 22-6-67 और 15-7-67 को प्राप्त हुई और सार्वजनिक निर्माण विभाग के रजिस्टर्ड ठेकेदारों को जिनके नाम सूचियों में दिखाये गये हैं, दी गई हैं। क्योंकि ये एक फर्म के रूप में हैं अतः इनकी वल्दियत कौमियत व सकूनत दिखलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उपरोक्त 1 से 2 प्रश्नों के उत्तर मे दी सूचियों में जो व्हीकल और दूसरी मशीनरी दर्शायी गई है उनके आगे उन्हें किस-किस परियोजना कार्य पर काम करने के लिये दी गई भी दिखलाई गई है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ट्रेन्ड कुत्ते

608. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने ट्रेन्ड कुत्ते हैं और उन पर कितना खर्चा किया जाता है? अब तक इनको कितने जुर्मों में उपयोग में लाया गया और कितने प्रतिशत कामयाबी मिली? क्या मांग होने पर भी इनका उपयोग नहीं किया जाता है?

(2) इन कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिये किस श्रेणी का कितना स्टाफ लगा रखा है? क्या पहले स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है? यदि हां, तो कितने समय की और कहां?

(3) क्या अन्य प्रान्तों में भी ट्रेन्ड कुत्ते हैं? यदि हां तो कहां-कहां और उन पर किस श्रेणी का स्टाफ लगाया जाता है? हर प्रान्त के आंकडे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या इन कुत्तों पर लगाये गये स्टाफ को प्रमोशन दिया जाता है? यदि हां, तो किस पद पर? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या ट्रेन्ड कुत्तों की सेवा की खास खास जिलों तक पहुँचाने की सरकार की कोई योजना है?

(6) यह ब्रान्च किस अधिकारी के अधीन है और अन्य प्रान्तों में किस अधिकारी के अधीन रहतो है? हमें प्रान्त की सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 6 ट्रेन्ड कुत्ते हैं। इनके रोजाना खाने का खर्च प्रति कुत्ता 3) रु.

(गृह मंत्री)

का है। दवाईयां आदि के खर्च अलग हैं। अब तक कुल 155 अपराधों में जिला पुलिस द्वारा उपयोग में लाने हेतु मांग प्राप्त होने पर घटना स्थल पर कुत्ते भेजे गये। जिनमें 20% पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। 52% में सही सुराग दिये गये।

(2) इस समय डीग स्क्वड में एक उप निरीक्षक व पांच आरक्षी नियुक्त हैं। स्टाफ व कुत्तों को साथ 2 ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग की अवधि एक साल की है व अब जयपुर में ही दी जाती है।

(3) अन्य राज्यों के बाबत सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(4) इस कुत्ता दल पर लगाया गया समस्त स्टाफ (सिवाय दो केनल वाय के) अपराध शाखा से लिया हुआ है, और उनको पदोन्नति नियमानुसार अपराध शाखा द्वारा की जाती है।

(5) ऐसी कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

(6) राजस्थान में यह ब्रांच निर्देशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अधीन है। अन्य प्रान्तों को सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

झालावाड़ जिले के ग्रामों में बिजली

609. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले के ऐसे कौन कौन से ग्राम बिजली की लाइन से 1/2 मील व 1 मील के फासले पर है जिनके लिये जिलाधीश अथवा जिला परिषद् द्वारा बिजली लगाये जाने की सिफारिश की गई है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इन ग्रामों में कुछ ग्रामों को बिजली दिये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है और कार्य भी शुरू हो चुका है? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों में? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें और यह भी सूची में बताने का कष्ट करें कि इन ग्रामों का फासला बिजली की लाइन से कितने-कितने मील पर है?

(3) ग्राम सलोतिया में जो बिजली लगाई जा रही वह कहां होकर कहां से जावेगी फासला कितना है और यह क्या जिला परिषद् की सिफारिश पर स्वीकृति हुई है? जिला परिषद् के प्रस्ताव की कापी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह भी सही है कि इस कार्य के लिये एक सब-डिविजन विद्युत विभाग द्वारा खोला जाकर अधिकारी एवं स्टाफ भी विशेष रूप से भेजा गया है जो अभी कार्य कर रहा है?

(5) क्या यह सही नहीं है कि ग्राम सलोतिया तहसील पिड़ावा से पहले उन ग्रामों के लिये सिफारिश जिलाधीश-झालावाड़ द्वारा की गई थी जो केवल आधा मील व 1 मील के फासले पर आते हैं? यदि हां, तो सलोतिया को बिजली देने की कार्यवाही

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

पहले क्यों की गई जबकि वह 4–5 माइल के फासले पर है।

उत्तर

(1) प्रस्तावित सभी ग्रामों का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, अस्तु वास्तविक दूरी बताने में असमर्थता है। जिलाधीश द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सूची 'ए' सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां। सूची 'बी' सदन की मेज पर रखदी गई है जिसमें पूर्ण विवरण दिया जा चुका है।

(3) गाडीया से भानिया खेडी होती हुई जावेगी। भानिया खेडी से सालोतिया की दूरी करीब 2 6 कि. मीटर है। जी नहीं। जिलाधीश ने इसके लिए सिफारिश अवश्य की ही उसका उद्धरण सूची 'सी' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं। केवल इसी कार्य के लिए कोई नया सब-डिवीजन नहीं खोला गया।

(5) जी हां। यह सही नहीं है। सालोतिया भानिया खेडी से 2·6 कि मीटर दूर है। सालोतिया केवल एक ग्राम नहीं अपितु इस योजना में भानिया खेडी एवं चाचलाव दो अन्य ग्राम पहले ही स्वीकृत है और सालोतिया भी इसी योजना के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार इस योजना में करीब 250 कुवे आते हैं जो ग्रामीण विद्युतीकरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद योजना है।

————

Page No 184

APPENDIX 'A'

List of Localities Recommended by the Collector Jhalawar within ½-1 Mile falling near 11 KV. line.

Sl. No.	Name of village	Panchayat Samiti.	Source of Supply.	Proposed line 11 KV.
1	2	3	4	5
1.	Potukheri	Khanpur	Khanpur	½ mile.
2.	Baisar	,,	Potukheri	½ mile.
3.	Dobra	,,	,,	1 mile.
4.	Goliyakhedi	,,	Chandkheri	½ mile.
5.	Yashwantpura	Pirawa H. Q. Sunel	Samria	½ mile.
6.	Dhabla	,,	Khanwadi	½ mile.
7.	Guradia (near Gadia)	,,	Gadia	½ mile
8.	Balda	,,	Pirawa	1 mile.
9.	Soyla	,,	Parasli	1 mile.
10.	Divalkhera	,,	Garwada	1 mile.
11.	Tal.	,,	Kanwadi	½ mile.
12.	Bhaniakhedi	,,	Gadia	1 mile.
13.	Kotro Ghato	Jhalara Patan	Bakani	1 mile.
14.	Jotpura	,,	Roopparel	1 mile
15.	Alawa	,,	Aanwlikurd	½ mile.
16.	Nehnawad	,,	Garnawad	½ mile.
17.	Jhinkriya	,,	On the line	On the line.
18.	Rajpura	,,	Reechhwa	½ mile.
19.	Deewai	,,	Jetpura	½ mile.
20.	Prahladpura	,,	On the line	½ mile.
21.	Prithyakhedi	Jhalara Patan	Shyampura	½ mile.
22.	Badodia	,,	Ghenoda	1 mile.
23.	Man Pura	,,	Asnawar	1 mile.
	Khedla	,,	Asnawar	
24.	Devria	,,	Pachpahar	½ mile.
25,	Jhijhai	,,	Nandiakhedi	¾ mile.
26.	Ralayati	,,	On the line	Nil.

27. Thebriakhurd	Bakani	Bakani	½ mile.
28. Titodia	,,	On the line	On the line.
29. Jagpura	,,	,,	½ mile.
30. Narsinghpura	,,	,,	½ mile.
31. Molkiyankhurd	,,	Narsinghpura	On the line.
32. Pooniyakhedi	,,	Devnagar	½ mile.
33. Devnagar	,,	On the line	½ mile.
34. Karalgaon	,,	Bakani	1 mile.
35. Dantiya	,,	Bakani	½ mile.
36. Renpla	,,	,,	½ mile.
37. Devar	,,	Panpla	1 mile.
38. Ratia Dongri	,,	Narsinghpura	1 mile.
39. Nipaniya	,,	,,	1 mile.
40. Chand Kheri	Khanpur	Khanpur	2 Furlong.
41. Kanwarpura	,,	Dobra	¾ mile.
42. Fojalpura (Khokhanda Deh)	Jhalara Patan	Durgapura	4 Furlong.
43. Sahipur	,,	Khokhanda	4 Furlong.

APPENDIX 'B'

List of Localities Sanctioned by the Board
in 1969-70 (District-Jhalawar).

Sl. No.	Name of locality	Length of line in KM.	Date of Electrification.
1.	Jhikariya.	·8 KM.	
2.	Alawa.	1·6 ,,	
3.	Balda.	·8 ,,	
4.	Rajpura.	·8 ,,	18-2-70
5.	Prahladpura.	·8 ,,	
6.	Bhaniya Rheri.	2·0 ,,	11-2-70
7.	Salotiya.	2·6 ,,	11-2-70
8.	Chachlao.	3.2 ,,	30-3-70
9.	Guradia	1·6 ,,	30-3-70
10.	Karodia.	3·2 ,,	30-3-70
11.	Khandia.	0·5 ,,	
12.	Raloyta.	0·5 ,,	
13.	Soyla.	1·6 ,,	18-2-70
14.	Gawadi Kalan.	0·5 ,,	9-1-70
15.	Chand Kheri	—	—

APPENDIX 'C'

Recommended by the Collector Jhalawar for Rural Electrification.

S. No.	Code No.	Name of the Village	Panchayat Samiti	Source of Supply.	Distance: Proposed line 11 KV.	Distance: L. T. line 3 phase 4 Wire.	Well	Indus-tries.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	26/7/17	Salotia	Pirawa Sunel.	H.Q. Dublia	2 miles	3 Km.	43		

MATERIAL FOR SUPPLEMENTARY TO QESTION NO. 9 MOVED BY

SHRI RAM PRASAD BOHRA M. L. A.

In order to prepare a rational Rural Electrification programme for the year 1969-70, the Collectors were requested as early as 30th Jan., 1969 to formulate programmes for their districts based on the recommendations of the District Production Committee and send their within a month.

The proposals in respect of Jhalawar were, however, not received in the Board Secretariat but were sent to the Superintending Engineer by the Collector vide letter No. 1187/Vikas/69 dated the 10th April, 1969 in response to the Board's letter referred to above in which proposals of the District Production Committee were asked through the Collectors.

According to these proposals 43 villages are reportedly such which fall within a range of 1/2 to 1 mile from 11 KV. A list of such villages is enclosed at Appendix 'A'

During the current year 16 localities were allotted to the district out of which is have been sanctioned as per list enclosed at Appendix 'B'. All of them are included in the recommendations of the Collector referred to above. With the electrification of these 15 localities, the percentage of electrified localities in district Jhalawar will come upto 9·5% as against 8·25% on 31st March, 1969.

All of these localities except a group of 3 i. e. Bhaniakheri, Salotia, Chachelav are within a range of two miles.

With regard to this group the distance now reportedly is 9.4 KM. for all of them but then it is reported that one more village namely Kalotia will be covered within this distance. With the inclusion of this village the number of wells to be taken up in this group would also be about 240 and the scheme is quite remunerative. Thus, it was in accordance with the policy of the Board to take up this group as on an average, a locality did not involve more than 2·35 KM. of a line.

It is, further stated that the line to Salotiya from Gadia is going via Bhania Kheri. The distance of Salotiya from Bhania Kheri is 2·6 KM.

The Assistant Engineer

(Const.) has been stationed at Jhalawar temporarily to carry out the construction work in respect of the new localities in the region for the year, 1969-70. Further, he would be there till the new works of 1970-71 are completed. The Assistant Engineer (Const.) is headquartered at a particular place according to the need of the works to be carried out in the area.

While forwarding the recommendations, the Collector Jhalawar has not indicated any preference to electrify only such localities which fall within a range of half mile to one mile from existing 11 KM. lines

सड़कों के निर्माण में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

610. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिन वर्षों में अकाल रहा उन वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुल कितनी धन राशि सड़क निर्माण हेतु दी गई ?

(2) जिला टोंक में भी वर्ष 1968-69 69,70 के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन सड़कों पर कार्य किया गया, और एक-एक पर कितनी धन राशि खर्च की गई ? सूची मय नाम सड़क व खर्चा प्रति सड़क सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या विभाग द्वारा जिन काश्तकारों की भूमि पर सड़क का निर्माण कराया गया है उन्हें मुआवजा दे दिया गया है, क्या इनकी भूमि अवाप्ति के कागजात तैयार कर लिए गए हैं ? यदि हां, तो कुल कितना मुआवजा देना पड़ेगा ? आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नियमानुसार सड़क निर्माण करने से पूर्व भूमि अवाप्त करना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही करली गई है ?

(स्थगित किया गया)

यात्रियों से टैक्स

611. **श्री जगन्नाथ पटेल** (टोड़ारायसिंह) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक नगरपालिका ने टोंक जाने व आने वाले यात्रियों पर कितना यात्री टैक्स कब से लगाया है ?

(2) क्या वह टैक्स राज्य की किसी और नगरपालिका में भी है ? यदि नहीं, तो केवल टोंक में ही क्यों है ?

(3) इस टैक्स से नगरपालिका टोंक को औसत दैनिक आमदनी कितनी होती है तथा इस आमदनी को किस काम में लिया जाता है ?

(4) क्या नगरपालिका टोंक में आने वाले किसानों से जो कि बैलगाड़ी में गल्ला

(श्री जगन्नाथ पटेल)
आदि बेचने आते हैं, 10)50 की गाड़ी टैक्स लेती है ? यदि हां, तो कब से तथा अब तक किसानों से वसूल किये गये टैक्स का क्या उपयोग किया गया ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-1-48 से।

एक आना 0-06 पै. प्रति यात्री पर।

(2) जी नहीं।

भूतपूर्व टोंक रियासत द्वारा लगाया गया था।

(3) 150) रु प्रतिदिन।

नगरपालिका के विकास कार्यों एवं मोटर स्टेन्ड पर यात्रियों को सुख सुविधा हेतु नल, बिजली. फ्लश, के लेट्रिन एवं यूरिनल, विश्रामगृह इत्यादि के मेन्टीनेन्स पर काम में ली जाती है।

(4) जी नहीं।

माडलगढ़ किले पर मेहतरों के मकान

612. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ किले से बस्ती तेजी से नीचे आई है और आ रही है ? यदि हाँ, तो किले पर कितने मकान मेहतरों के हैं ?

(2) क्या मेहतरों को मकान बनाने के लिये विभाग की तरफ से मदद दी गई है ? यदि नहीं दी गई तो किले से सबके नीचे आ जाने पर मेहतर परिवारों का क्या होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। मेहतरों के लगभग 20 परिवार ऊपर रहते हैं।

(2) जी हां। 3 परिवारों को पंचायत समिति द्वारा भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया गया है जिनमें से 2 मकान पूर्ण हो चुके हैं 34 अन्य परिवारों के प्रार्थना पत्र मार्च के अन्त में प्राप्त हुए थे पर पंचायत क्षेत्र के लिये प्रावधान न होने के कारण उन पर विचार नहीं किया जा सका।

——————

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 613 की सूची)

क्र० सं०	अभियोग संख्या	तारीख	धारा	चोरी गई सम्पत्ति	बरामद की गई सम्पत्ति	नतीजा जो पुलिस द्वारा दिया गया
1	2	3	4	5	6	7
1.	37	17-8-67	379।भा०द०सं०	200) रु०	200) रु०	चालान 30-10-67
2.	0	20-2-68	379।भा० दं० सं०	650) रु०	—	चालान 512 सी आर पी सी23-1268
3.	18	10-5-68	,, ,,	150) रु०	—	एफ आर अदम वकू 31-5-68
4.	21	1-6-68	,, ,,	1000) रु०	1000) रु०	चालान 30-7-68 ।
5.	23	7-6-68	457।380भा०द०सं०	300) रु०	—	एफ आर अदम वकू ।
6.	26	7-7-68	379। भा० दं० सं०	150) रु०	—	,, ,,
7.	46	13-12-68	359।511 भा०द०सं०	—	—	चालान 21-11-68 ।
8.	47	24-11-64	379। भा० द० सं०	70) रु०	—	अदम पता 31-12-68 ।

1	2	3	4	5	6	7
9.	48	1-12-68	,, ,,	70) रु०	—	,, ,,
10.	49	1-12-68	,, ,,	70) रु०	—	,, ,,
11.	50	1-12-68	,, ,,	90) रु०	—	,, ,,
12.	51	11-12-68	,, ,,	100) रु०	—	,, ,,
13.	3	18-1-69	,, ,,	150) रु०	—	अदम वकू 22-1-69
14.	10	21-3-69	,, ,,	100) रु०	—	अदम सबूत 27-1-70
15.	17	30-4-69	,, ,,	2000) रु०	2000) रु०	अदम वकू 14-11-69
16.	24	31-5-69	,, ,,	75)	—	अदम वकू 21-8-69
17.	67	15-12-69	,, ,,	400) रु०	—	अदम पता 31-12-69।

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 614 की सूची)

क्र.सं.	पीड़ित का नाम	पिता का नाम	जाति	निवास	स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5	6
1—	श्री पन्नाराम	श्री राभूराम	चमार	खदाया	कोई रिलीफ धनराशि के रूप में नहीं दिया जा सका।
2—	,, कानाराम	,, रामूराम	नायक	चाड़वास	
3—	,, चौथूराम	,,	,,	,,	
4—	,, मोहनराम	,, रामूराम	,,	,,	
5—	,, रामूराम	,, रामूराम	,,	,,	
6—	,, गंगाराम	,, रामूराम	,,	,,	
7	,, फूसाराम	,, चन्द्राराम	सांसी	लोडसर	
8—	,, दूलाराम	,, चन्द्राराम	,,	,,	
9—	,, मनुखराम	,, लल्लूराम	जाट	डाणी मोमपुरा (साण्डवा)	
10—	,, पूर्णाराम	,, पेमाराम	चमार	चरला	
11—	,, मनसाराम	,, नाथूराम	लुहार	श्री मसार	
12—	,, ईश्वर राम	,, ,,	,,	,,	
13—	,, पदमसिंह	,, —	राजपूत	,,	
14—	,, भैंरूराम	,, लाधुराम	नाई	,,	
15—	,, मूलाराम	,, चुनाराम शर्मा	,,	वम्बू	
16—	,, तारूराम	,, रामधन	,,	,,	
17—	,, सोहनलाल	,, दुलाराम	,,	,,	
18—	,, तोलाराम	,, दयालराम	सुथार	,,	
19—	,, दयालराम	,, भगवानाराम	,,	,,	
20—	,, जैठाराम	,, वक्ताराम	,,	,,	
21—	,, जैठाराम	,, चिमाराम	जाट	,,	
22—	,, दानाराम	,, वक्ताराम	सुथार	,,	
23—	,, मीरामराम	,, लादूराम	जाट	,,	
24—	,, मदनसिंह	,, चुन्नसिंह	दरोगा	,,	

Page No 194

1	2	3	4	5	6
25—,,	दानाराम	,, गंगाराम	कुम्हार	,,	
26—,,	नेमाराम	,, ,,	,,	,,	कोई रिफील धनराशि के रूप में नहीं दिया जा सका।
27—,,	खूमाराम	,, ,,	,,	,,	
28—,,	हीराराम	,, ,,	,,	,,	
29—,,	केशाराम	,, गिगाराम	,,	,,	
30—,,	हनुमानसिंह	,, रामसिंह	राजपूत ,,	,,	
31—,,	जगमालसिंह	,, माधोसिंह	,,	,,	
32—,,	लादूसिंह	,, ,,	,,	,,	
33—,,	मनसा	,, चिमा	जाट	,,	
34—,,	रामलाल	,, सुभाराम	,,	,,	
35—,,	पेमसिंह	,, यापसिंह	,,	,,	
36—,,	अमरसिंह	,, बिडदसिंह	राजपूत	वम्बू	
37—,,	शैतानसिंह	,, गनपतसिंह	,,	,,	
38—,,	किशनसिंह	,, बिडदसिंह	,,	,,	
39—,,	पुरखाराम	,, सुखाराम	जाट	,,	
40—,,	देवराम	,, लादूराम	नाई	,,	

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 618 की सूची)

सूची अलाटीयान कस्बा सरदार शहर संवत् 2015

क्र. सं.	नाम अलोटी मय पूरा पता		खसरा नं०	रकबा
1.	श्री मोहनलाल वल्द मिन्नलाल नाई सा. देश		239	60) बीघा
2.	,, घासीखाँ वल्द रहीमखाँ कायमखानी	,,	258	50) ,,
3.	,, अस्तअलीखाँ वल्द बावेखाँ	,,	248	50) ,,
4.	,, बुद्धमल वल्द मंगतूराम भोजन ,,	,,	792·3	40) ,,
5.	,, सुभागमल वल्द कन्हैयालाल	,,	,,	40) ,,
6.	,, कादरखाँ वल्द कालूखां कायमखानी	,,	248	50) ,,
7.	,, हनुमान वल्द नानग माली	,,	240	40) ,,
8.	,, नानकचन्द वल्द सालचन्द महात्मा	,,	233	30) ,,
9.	,, लूणाराम वल्द रेड़ाराम सुनार	,,	242	56)4 ,,
10.	,, गिन्नालाल वल्द रामलाल नाई	,,	235	40) ,,
11.	,, हनुमान वल्द जयराम सुनार		241	33½) ,,
12.	,, अब्दुलमजीद वल्द अजीमबक्स धोबी		241	30) ,,
13.	,, सुरजाराम वल्द नाथूराम खाती		241	30) ,,
14.	,, लादूराम वल्द नानूराम खाती		233	36¾) ,,
15.	,, कन्हैयालाल वल्द धनराज नाई		247	50) ,,
16.	,, नन्दलाल वल्द घासीराम दर्जी		239	50) ,,

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 630 की सूची)

COVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF COLLECTOR

No. Reh/MPL/44 Deted May. 1963.

The meeting of land committee was held today the 16. 5. 65 in the Chamber Of the Additional District Magistrate, Pali under the Chairmanship af the Additional District Magisarate. The following were present :--

1. Shri M. N. Kaul, Additioncal Collector, Pali.
2. Shri Banshi Lal Mathur. Asstt. Engineer, P. N. D. (B&R) Pali.
3. Shri Mool Chand Daga, Chairman, Municipal Board, Pali.
4. Shri B. P, Mangan, Treasury Officer; Pali.

The town planning officer or his representative was not present. The site of the colony was inspected by the members of the Commitee and the plan and the estimates for the development works were scrutinised and it was decided that the reserved price for the land be fixed at Rs. 1.25 NP. per squire yard (2'x2'). The Municipal Board, Pali shall ensure that all the development works are completed in reasonable time and shall meet any extra expenditure needed for the development of the site. The plots shall be allotted by the devolpment of the site. The plots shall allotted by the Municipal Board, Pali after the Senction of the Collector Pali, is conveyed on the application submitted to him already.

The committee also inspected 20 plots adjoining the 100 plots already reserved to the Collector's Bungalow.

The land of these 2o plots is slightly un-even and on lower ground as sueh it was felt that the persons to home this will be allotted shall have to incure extra expenditure for leveling and for high plinth, considering this it was decided that these plots may be allotted to class IV

Government employees at a subsidial price of Rs. O.60 np. per sq. yard (2'x2') and the difference in development cost shall he met by the M. B. pali.

The Chairman, Municipal Board, Pali also submitted the site plan of Dhan Mandi duly approved by the Chief Town Planner, Rajasthan, Jaipur along with the estimates for development works which were scrutinised and it was decided that the rate be fixed at Rs. 1.20 NP. per sq. yard (2'×2').

Sd/- M. N. Kaul
Additional Collector, Pali.
Dt. 21.5.63

No. Reh/MPL/44/446

Copy to

1. Shri M. N. Kaul, Addi. Collector, Pali.
2. Shri Banshi lal Mathur, Asstt. Engineer, P.W.D. (B & R) Pali.
3. Shri M. C. Daga, Chairman, Municipal Board, Pali.
4. Shri B. P. Mangair, Treasury Officer, Pali.
5. Chief Town Planning, Raj., Jaipur.

Sd/- Collector, Pali.

Page No 198

सूची

1—श्री मोहम्मद रमजान
2—,, अजीजसिंह
3—,, मनोहरलाल
4—,, सुन्दरलाल
5—,, श्यामलाल
6—,, लक्ष्मीनारायण
7—श्रीमती कलावती
8—श्री महेशचन्द्र
9—,, धनराज
10—,, शंकरसिंह
11—,, मेघराज
12—,, विजयसिंह
13—,, शत्रुघन
14—,, प्रहलादराज
15—,, दिग्विजय
16—,, आईदान
17—,, जोधराज
18—श्रीमती लाज
19—श्री गंगाकिशन
20—,, मोहनलाल
21—,, बंकटलाल
22—,, चन्द्रप्रकाश
23—श्रीमती मोहनीदेवी
24—श्री रामेश्वर
25—,, बिरधारीलाल
26—श्रीमती नोजी
27—,, नैना
28—श्री गुलाबपुरी
29—,, हरचन्द
30—,, धुसचन्द
31—,, सुगनराज
32—,, भंवरलाल
33—,, रामप्रसाद
34—,, कन्हैयालाल
35—,, मानमल
36—,, पारसमल
37—,, चम्पालाल
38—,, मोहनराज
39—,, मोहनलाल
40—,, ताराचन्द
41—,, शान्तीलाल
42—,, महेन्द्रकुमार
43—,, मोतीलाल
44—,, सीवराज
45—,, पुथराज
46—,, पुखराज
47—,, वालमसिंह
48—,, वकताबरमल
49—,, पारसमल
50—,, मोतीलाल
51—,, पारसमल
52—,, मोहनलाल
53—,, मीठालाल
54—,, सेवालाल
55—,, दीपचन्द

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 633 की सूची)

क. सं.	नाम	पद
1	2	3
जयपुर—		
1.	श्री बालचन्द वैद	अध्यक्ष
2.	,, हीराचन्द धान्धिया एडवोकेट	सदस्य
3.	,, अब्दुल समद	,,
4.	,, किस्मत राय सिंघी	,,
5.	,, जिलाधीश, जयपुर	,,
6.	,, प्रशासक, नगर परिषद, जयपुर	,,
7.	,, बी. के. सक्सेना, अभियन्ता नगर परिषद, जयपुर	,,
8.	,, बी. कम्बो, मुख्य नगर आयोजक, जयपुर	,,
उदयपुर—		
1.	श्री गिरधारीलाल शर्मा	अध्यक्ष
2.	,, भवानीशंकर	सदस्य
3.	,, मोहम्मद हुसैन	,,
4.	,, भाई भगवान	,,
5.	जिलाधीश, उदयपुर	,,
6.	मुख्य नगर आयोजक	,,
7.	प्रतिनिधि नगर पालिका, उदयपुर	,,
8.	,, ,, ,, ,,	,,
भीलवाड़ा—		
1.	श्री ज्ञानमल कोठ्यारी	अध्यक्ष
2.	,, जिलाधीश, भीलवाड़ा	सदस्य
3.	,, धनसुख अजमेरा	,,

Page No 200

1	2	3
4.	श्री भंवरलाल	,,
5.	,, सुमाणजी	,,
6.	,, सी. वी. एल. गुप्ता (प्रशासक), नगर पालिका, भीलवाड़ा	,,
7.	,, पृथ्वीसिंह मेहता, प्र. अ., भीलवाड़ा	,,
गंगापुर -		
1.	श्री गुलाबचन्द पालीवाल	अध्यक्ष
2.	,, प्रशासक, नगर पालिका, गंगापुर	सदस्य
3.	,, जिलाधीश, सवाई माधोपुर	,,
4.	,, मुख्य नगर आयोजक	,,
अलवर—		
1.	श्री के. एन. भार्गव	अध्यक्ष
2.	,, गोविन्द मिश्रा कलेक्टर, अलवर	सदस्य
3.	,, गोकुलचन्द जाटव	,,
4.	,, एन. एल. माथुर, प्रशासक न. पा., अलवर	,,
5.	,, विजयनाथ सनाढ्य, आयुक्त न. पा., अलवर	,,
6.	,, मुख्य नगर आयोजक	,,
अजमेर—		
1.	श्री जिलाधीश, अजमेर	अध्यक्ष
2.	,, किशनगोपाल	,,
3.	,, एस. पी. वांचू	,,
4.	,, केशरीचन्द चौधरी	,,
5.	,, अधिशासी अभियन्ता, (बी. एण्ड आर.)	,,
6.	,, मुख्य नगर आयोजक	,,
7.	,, प्रतिनिधि नगर पालिका, अजमेर	,,
8.	,, ,, ,, ,, ,,	,,
जोधपुर—		
1.	,, तारकप्रसाद व्यास	अध्यक्ष

Page No 201

1	2	3
2.	,, धर्मनारायण माथुर	सदस्य
3.	,, ल्याकत उल्ला खाँ	,,
4.	,, मखतूरमल सिंघवी	,,
5.	,, जिलाधीश, जोधपुर	,,
6.	,, मुख्य नगर आयोजक, जोधपुर	,,
7.	,, प्रतिनिधि नगर पालिका, जोधपुर	,,
8.	,, ,, ,, ,, ,,	,,
बीकानेर—		
1.	श्री द्वारकाप्रसाद पुरोहित	अध्यक्ष
2.	उसमान खाँ	सदस्य
3.	,, बूदाराम पारीक	,,
4.	,, राभामल	,,
5.	,, जिलाधीश, बीकानेर	,,
6.	,, मुख्य नगर आयोजक	,,
7.	,, प्रतिनिधि नगर पालिका, बीकानेर	,,
8.	,, ,, ,, ,, ,,	,,
भरतपुर—		
1.	श्री विश्वप्रिय शास्त्री	अध्यक्ष
2.	,, विरेन्द्रसिंह	सदस्य
3.	,, हरचरणलाल	,,
4.	,, गिरराजप्रसाद तिवाड़ी	,,
0.	,, मुख्य नगर आयोजक	,,
6.	,, जिलाधीश, जयपुर	,,
7.	,, प्रतिनिधि नगर पालिका, भरतपुर	,,
8.	,, ,, ,, ,, ,,	,,
चित्तौड़गढ़—		
1.	श्री पंकज पंचोली	अध्यक्ष

1	2	3
2.	,, जिलाधीश, चित्तौड़गढ़	सदस्य
3.	,, एच. एन. बंसल	,,
4.	,, मोहनलाल	,,
5.	,, जनाबुदीन छीपा	,,
6.	,, प्रशासक, नगर पालिका	,,
7.	,, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका	,,
हिण्डौन--		
1.	श्री गजानन्द डारोलिया	अध्यक्ष
2.	,, प्रशासक, नगर पालिका	सदस्य
3.	,, अधिशासी अभियन्ता, सार्व. निर्माण	,,
4.	,, मुख्य नगर आयोजक या उनका प्रतिनिधि	,,

———

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 642 की सूची)

भवन के कमरों का विवरण

1.	कार्यालय	11½	7½	फीट
2.	कक्षा	15½	12	फीट
3.	स्टोर	9½	8	फीट
4.	छात्रावास	11	8	फीट
5.	छात्रावास	8	5½	फीट

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 104 की सूची)

प्र० सं० 61 गृ० मं० द्वारा श्री जयनारायण सालोदिया विधायक

सन् 1969 में जिलों में छूआछूत निवारण संदर्भ कानून के तहत दर्ज हुए केसेज का निवारण

क्र० सं०	जिला	कुल दर्ज हुए केसेज	चालान	सजा	बरी	खारिज	गैर तजबीज	गैर तफतीश	कदम सबूत	अदम बकुआ	राजीनामा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर	1	....	....	....	....	....	....	....	1	....
2.	जयपुर	6	4	....	....	....	3	....	1	1	1
3.	अलवर	3	2	...	....	....	2	....	....	1	....
4.	भरतपुर	4	4	....	....	....	4	....	....	....	....
5.	झुंझनू	2	1	....	....	....	1	....	....	1	....
6.	सीकर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
7.	स० माधोपुर	1	1	....	....	...	1	....	....	....	....
8.	टोंक	2	2	....	....	....	1	....	....	....	1
9.	बूंदी	2	2	....	....	....	2	....	....	....	....

1 2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
10. कोटा	10	9	....	....	....	9	....	....	1	....
11. झालावाड़	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
12. जोधपुर	2	1	....	....	....	1	....	....	1	....
13. जालोर	2	2	....	....	....	2	....	....	....	....
14. नागौर	3	1	....	....	....	7	1	....	1	....
15. पाली	3	....	....	....	....	....	....	....	3	....
16. जैसलमेर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
17. सिरोही	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
18. बीकानेर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
19. गंगानगर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
20. चुरू	1	1	....	....	....	....	....	....	....	1
21. उदयपुर	3	3	....	....	....	....	....	....	....	1
22. भीलवाड़ा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
23. बांसवाड़ा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
24. डूंगरपुर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
25. चित्तौड़गढ़	1	1	....	....	....	1	....	....	....	....
26. बाड़मेर	3	1	....	....	....	1	2	....	....	....
27. जी आर पी.	....	....	....	....	....	....	...	....	....	....
योग	49	35	....	....	....	31	3	1	10	4

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 264 की सूची)

क्र. सं.	नाम प्रार्थी	निवास	नि.नं.	ता. अलोटमेन्ट	नाम ग्राम जहां भूमि अलोट हुई	खसरा नं.	रकबा	विशेष विवरण
1.	श्री तेजपाल सिंह आत्मज ,, नाथूसिंह बेलवाड़ा, जाति जाट ।	बेलवाड़ा	15	23-6-67	पहाड़ी	13	15 बीघा	प्रार्थी स्वयं को यू. पी. का रहने वाला बताया है ।
2.	,, विजयपाल सिंह आत्मज ,, पिरतसिंह, जाति जाट, बेलवाड़ा	,,	19	,,	,,	13	$12\frac{1}{4}$ बीघा	,,
3.	,, सुरेन्द्रसिंह आत्मज ,, बीरबलसिंह जाट, बेलवाड़ा	,,	14	26-6-67	,,	15	15 बीघा	,,

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 340 की सूची)

राजस्थान में स्थापित नगर न्यासों की सूची 'क'

क्रमसंख्या	नाम	स्थापना की तिथि
1.	अलवर	4-6-69
2,	जयपुर	26-12-69
3.	जोधपुर	1-11-69
4.	बीकानेर	1-11-69
5.	अजमेर	1-11-69
6.	उदयपुर	1-11-69
7.	भरतपुर	15-10-61
8.	गंगापुर सिटी	15-9-64
9.	डिन्डोन	1-7-64
10.	भीलवाड़ा	16-9-67
11.	चित्तौड गढ़	29-9-67

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 8 अप्रेल, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
5	5	न—	न देकर
5	10	मैं	में
6	13	उनके	उनको
6	15	अगर	—
6	16	डेकोइट	एन्टी डेकोइट
6	अन्तिम से 3	आफिसर	ऑफिसर
7	10	ाकया	किया
10	अन्तिमसे1व6	मत्री	मन्त्री
11	3	खये)	(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)
11	अन्तिम से 16	पूरे	पूरा
12	,, 1	इजिन	ऐंजिन
14	15	बरबर	बराबर
21	अन्तिम से 3	पड़	पड़े
21	,, 1	एजस्ट	एडजस्ट

2

1	2	3	4
22	9	एजस्ट	एडजस्ट
22	अन्तिम से 12	प्राजेक्ट में गवनमेन्ट	प्रोजेक्ट में गवर्नमेन्ट
22	,, 11	करी	करती
22	,, 6	एजस्टमेन्ट	एडजस्टमेन्ट
33	,, 1	ी	श्री
34	,, 2	ये	यह
42	16	ट्रान्सपोटेशन	ट्रान्सपोर्टेशन
42	17 व 18	कितने रुपये ऐसे मुण्ड की खुदाई में खर्च हुए,	—
44	अन्तिम से 6	—	से
50	1	( )	(२)
58	अन्तिम से 1	रमानन्द	रामानन्द
59	11	रामानद	रामानन्द
65	4	रखे	—
67	अन्तिम से 12	शिड्यूलड	शिड्यूल्ड
68	,, 7	निर्णीति	निर्णीत
68	,, 5	ऑर्ड	ऑर्डर
68	,, 1	षरिशिष्ट	परिशिष्ट
74	,, 9	(लाडनूं)	लाडनूं
80	9	कपाउन्ड	कम्पाउन्ड
83	14	अ.	एम.

1	2	3	4
90	अन्तिम से 9	इससे	इस
90	,, 8	को	को
97	1	के	को
97	11	है	थे
98	10	य.	यू.
98	अन्तिम से 12	अतिसूचना	अधिसूचना
102	,, 10	जायेगे	जायेंगे
109	9	फर्श	फलश
112	8	नह	नहीं
112	अन्तिम से 10	ाम	ग्राम
120	11	आवंटिति	आवंटी
122	2	दरख्वास्त प्राप्त हूई	दरख्वास्तें प्राप्त हुई
134	अन्तिम से 2	प्रदशन	प्रदर्शन
139	,, 13	वायू	बाई
140	9	प्रदशन	प्रदर्शन
143	3	वरुशा	वरुण
153	शीर्षक	कुकुटबिहारीलाल	मुकुटबिहारीलाल
168	अन्तिम से 1	करे	करते
189	,, 1	(मा. उद्योग मन्त्री जी)	माननीय उद्योग मन्त्री जी
190	,, 15	भीमसिह	भीमसेन
195	,, 11	नियोजन	विनियोजन

1	2	3	4
198	10	निश्यित	निश्चित
208	2	व	—
236	अन्तिम से 8	persuance	pursuance
236	,, 4	cxtei d	extend
241	4	from	form
241	21	themselve	themselves
244	12	वकशाप	वर्कशाप
246	अन्तिम से 3	कि	की
247	10	देना	देखना
251	अन्तिम से 10	पूनियन	यूनियन
254	,, 13	मजेटमेंट	मेनेजमेंट
254	,, 7	उतको	उनको
257	,, 18	की	को
257	,, 5	औ	और
258	11	यूनियनम	यूनियन्स
258	अन्तिम से 16	इस	इस
258	,, 12	इन्ववार रावलरी	इनर राइबलरी
259	6	डिसक्रिमिनेन	डिस्क्रिमिनेशन
260	3	नारा	सारा
260	16	वंन	वन
260	अन्तिम से 5	जह	जगह

5

1	2	3	4
261	7	भी	मी
262	4	alrcady	already
262	11	भिनीमम	मिनिमम
263	5	मानते	मानने
2 ,3	अन्तिम से 7	उनकी	उनको
264	8	एक्सन	एक्शन
264	14	सीसेन्ट	सीमेन्ट
264	अन्तिम से 11	एडजोनमेंट	एडजोर्नमेन्ट
265	6	निगोशिसेसन्स	नेगोशियेसन्स
265	अन्तिम से 1(	सीमिन	सीमित
273	9	सूनियन	यूनियन
274	19	हलला	हमला
276	18	चार-बार	चार-चार
280	20	साहब	साहब का
286	अन्तिम से 6	मदस्यों	सदस्यों
290	,, 17	आबे	आधे
293	,, 8	कलेक्टर	करेक्टर
295	7	कहते	बात कहते
296	15	इन्स्ट्रूमेंटेशन	इन्स्ट्रूमेन्टेशन
296	अन्तिम से 10	वकचार्ज	वर्कचार्ज
297	16	रामानन्दजो	रामानन्द जी

1	2	3	4
298	14	सभपति	सभापति
298	अन्तिम से 11	सलटाने	सुलटाने
298	,, 2	सदस्य	सदस्य का
299	,, 6	accammodate	accommodate
301	,, 15	डिस्क्रिमनेट	डिस्क्रिमिनेट
302	,, 3	Thst	That
303	,, 17	Regisiration	Registration
303	,, 14	Uhion	Union
303	,, 10	Uniou	Union
304	3	de	be
306	6	कन्सेप्शन	कम्पेन्सेशन
306	अन्तिम से 12	यूनियन	यूनियन मूवमेन्ट
312	,, 12व14	से	में
312	,, 1	bc	be
313-314	शीर्षक	अौ. वि. मज़दूरी सं·—8 अप्रेल, 1970— (राज सं.) वि. 1969 पारण	अौ. वि. (राज.सं.) वि.1970 पर अग्रेतर विचार— 8 अप्रेल, 1970--मजदूरी संदाय (राज.सं.) विधेयक 1969—पारण
314	अन्तिम से 5	हैं	है
314	,, 4	संदाय,	संदाय
316	,, 1	70 प्रात:	70 के प्रात:
318	,, 7	05/	75/

1	2	3	4
320	अन्तिम से 7	56	57
322	,, 4	84	85
332	,, 8	मीश।मिल	भी शामिल
332	,, 6	प्रमाशन	प्रमोशन
340	,, 1	बांसखादसी	बांसखोदसी
342	,, 1	राजन्थान	राजस्थान
345	,, 10	किमत	कीमत
349	7	डीग स्क्वड	डॉग स्क्वैड
352	2	ही	–
359	20	आवाप्त	अवाप्त